खण्ड–10, अंक–5
बुधवार, 03 पौष, शक संवत् 1925

(24 दिसम्बर, 2003 ई०)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

483

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(प्रथम विधान सभा)
(तृतीय सत्र, 2003)

(खण्ड–10 में 8 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2003

विषय–सूची

483

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति	क
प्रश्नोत्तर	1–55
जनपद नैनीताल में स्थित लीलावती पंत राजकीय इण्टर कालेज, भीमताल में इण्टरमीडिएट में कॉमर्स की कक्षाएं प्रारम्भ किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	55–56
मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद मसूरी विकास प्राधिकरण द्वारा एक सहायक अभियन्ता एवं 21 अवर अभियन्ताओं तथा वर्ष 1984 से कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमित न किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	56
आई0डी0पी0एल0, वीरभद्र (ऋषिकेश) संस्थान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	56–57
उत्तरांचल जल विद्युत निगम द्वारा अनुसूचित जातियों का पदोन्नतियों में आरक्षण का कोटा न भरे जाने विषयक नियम 301, के अन्तर्गत सूचना	57
लोक सेवा आयोग उत्तरांचल द्वारा चयनित 109 सहायक अभियन्ताओं को नियुक्त न किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	57
पौड़ी गढ़वाल के स्थान थल नदी में स्थित राजकीय पॉलीटैक्निक में स्वीकृत इलेक्ट्रानिक्स एवं फार्मेसी आदि विषयों को न पढ़ाये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	58
स्थानीय निधि लेखा–परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2002–2003 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	58
सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें लेखा–परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2002–2003 (सदन के पटल पर रखा गया।)...	58
जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,रोड़ी पाली के क्षतिग्रस्त भवन के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गई।)	58
जनपद पिथौरागढ़ में जूनियर हाई स्कूल, नैनी–सैनी का उच्चीकरण कर हाई स्कूल बनाने के संबंध में याचिका (उपस्थित की गई।) ...	59
जनपद पिथौरागढ़ में रई–चटकेश्वर झील के निर्माण के संबंध में याचिका (उपस्थित की गई।)	59
जनपद पिथौरागढ़ के जूनियर हाई स्कूल, हिमतड़ विकास खण्ड विण के उच्चीकरण के संबंध में याचिका (उपस्थित की गई।) ...	59
जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड लमगड़ा की पट्टी विशौद में राजकीय चिकित्सालय खुलवाने के संबंध में याचिका (उपस्थित की गई।)	59
जनपद हरिद्वार, रुड़की में हवाई पट्टी बनाने के संबंध में याचिका (उपस्थित की गई।)	59

जनपद हरिद्वार, रुड़की में कृषि निर्यात जोन बनाये जाने के संबंध में याचिका (उपस्थित की गई।) 60

जनपद हरिद्वार, रुड़की में नई मण्डी से पुराने हरिद्वार रोड (कलियर रोड) तक बाईपास बनाने के संबंध में याचिका (उपस्थित की गई।) 60

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत स्थान सिलोगी में पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण के संबंध में याचिका (उपस्थित की गई।) 60

जनपद अल्मोड़ा में कौसानी, भगतोला कटारमल, दौलाघाट क्षेत्र में पेयजल के संबंध में याचिका (उपस्थित की गई।) ... 60

जनपद अल्मोड़ा में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मुल्युटा का उच्चीकरण के संबंध मे याचिका (वापस ली गई।) ... 60

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट स्थित पव्वाधार जूनियर हाईस्कूल का उच्चीकरण करने के संबंध में याचिका (उपस्थित की गई।) 61

जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रौड़ी पाली का उच्चीकरण कर इण्टरमीडिएट की स्वीकृति दिये जाने के संबंध में याचिका (उपस्थित की गई।) ... 61

जनपद अल्मोड़ा के धौला देवी विकास खण्ड से 6 (छः) ग्राम सभाओं को लमगड़ा विकास खण्ड में मिलाने के संबंध में याचिका (उपस्थित की गई।) 61

जनपद उत्तरकाशी को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के संबंध में याचिका (उपस्थित की गई।) 61

श्री प्रीतम सिंह पंवार द्वारा अधीक्षण अभियन्ता मनेरी–भाली परियोजना द्वितीय चरण के विरूद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 61–62

श्री मदन कौशिक एवं श्री अनिल नौटियाल द्वारा मुख्य अभियन्ता, स्तर–1, उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग, देहरादून के विरूद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 62–63

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" द्वारा उप जिलाधिकारी के विरूद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 63–64

हरिद्वार अनन्त कुम्भ निधि विधेयक, 2003 (पुरःस्थापित) ... 64–65

दिनांक 12 जून, 2002 को श्री दिनेश अग्रवाल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या – 15 के उत्तर में संशोधन हेतु सिंचाई मंत्री का शोधन वक्तव्य ... 65–66

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं 66–75

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमागत) ... 75–76

श्री मदन कौशिक द्वारा नियम–311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को उठाने का प्रयास 76

श्रीमती विजय बड़थ्वाल द्वारा कोटद्वार को जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में कोटद्वार की संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के संबंध में नियम–311 के अन्तर्गत चर्चा कराये जाने की मांग ... 77

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003–(संकल्प अस्वीकृत, विधेयक पारित) 77–80

उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, 2003 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2003–(संकल्प वापस, विधेयक पारित) ... 80–88

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003–(पारित) 88–92

कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव ... 92–93

जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 पर प्रवर समिति के सन्दर्भित किया गया 93–94

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003–(पारित) 94–101

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं 101

जनपद रुद्रप्रयाग में किसानों द्वारा उत्पादित माल्टा, नारंगी, नींबू इत्यादि फलों का उचित मूल्य न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्रीमती आशा नौटियाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई नियम–51 के अन्तर्गत सूचना पर उद्यान मंत्री का वक्तव्य 101–103

जनपद पिथौरागढ़ के दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में एक अज्ञात बीमारी के कारण कई बच्चों के काल–कवलित हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री काशी सिंह ऐरी, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई नियम–51 के अन्तर्गत सूचना पर स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य 103–104

नत्थियां 105–147

उपस्थिति

क्र0सं0	नाम
1.	श्री अजय भट्ट
2.	" अनिल नौटियाल
3.	"डा0" अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4.	श्रीमती अमृता रावत
5.	श्री अरविन्द पाण्डे
6.	श्रीमती आशा देवी
7.	श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
8.	श्री उम्मेद सिंह माजिला
9.	" काशी सिंह ऐरी
10.	" किशोर उपाध्याय
11.	" कैलाश शर्मा
12.	" कौल दास
13.	" गगन सिंह
14.	" गणेश प्रसाद गोदियाल
15.	" गोपाल सिंह राणा
16.	" गोविन्द लाल
17.	" गोविन्द सिंह कुंजवाल
18.	" श्री चन्द्रशेखर
19.	" जोत सिंह गुनसोला
20.	" तसलीम अहमद
21.	" तिलक राज बेहड़
22.	" तेजपाल सिंह रावत
23.	" दिनेश अग्रवाल
24.	" नरेन्द्र सिंह भण्डारी
25.	" नव प्रभात
26.	" नारायण दत्त तिवारी
27.	" नारायण पाल
28.	" नारायण राम आर्य
29.	" नारायण सिंह जंतवाल
30.	काजी निजामुद्दीन
31.	श्री प्रकाश पंत
32.	कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
33.	डा0 प्रताप बिष्ट
34.	श्री प्रदीप टम्टा
35.	श्री प्रीतम सिंह
36.	" प्रीतम सिंह पंवार
37.	" प्रेमानन्द महाजन
38.	" फूल सिंह बिष्ट
39.	" बलवीर सिंह नेगी
40.	" विजयपाल सिंह सजवाण
41.	" बिशन सिंह चुफाल
42.	" मदन कौशिक
43.	" मंत्री प्रसाद नैथानी
44.	" महेन्द्र भट्ट
45.	" महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)
46.	" मातबर सिंह कण्डारी
47.	" माल चन्द्र
48.	चौधरी यशवीर सिंह
49.	श्री रणजीत सिंह
50.	" रसौल वेलनटाइन गार्डनर
51.	" राम प्रसाद टम्टा
52.	श्रीमती विजय बड़थ्वाल
53.	श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
54.	" शूरवीर सिंह
55.	डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
56.	श्री सहजाद
57.	" साधू राम
58.	" सुबोध उनियाल
59.	" सुन्दरलाल मन्द्रवाल
60.	" सुरेन्द्र सिंह नेगी
61.	" सुरेश चंद जैन
62.	" हरबंस कपूर
63.	" हरभजन सिंह चीमा
64.	" हरिदास
65.	" हरीश चन्द्र दुर्गापाल
66.	" हीरा सिंह बिष्ट
67.	" हेमेश खर्कवाल
68.	" त्रिवेन्द्र सिंह रावत

बुधवार, 24 दिसम्बर, 2003

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में डेंगू की रोकथाम हेतु व्यवस्था

**1–श्री मदन कौशिक–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य में इस वर्ष डेंगू के कितने मरीज पाये गये हैं?

सरकार द्वारा डेंगू की तत्काल रोकथाम हेतु प्रत्येक जनपद में क्या व्यवस्था की गई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

उत्तरांचल राज्य में इस वर्ष दो मरीज डेंगू के पाये गये।

1– डेंगू की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न माध्यमों से स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की गई।

2– जनपदों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये एवं चिकित्सालयों में रोगियों के लिए अलग से शैय्याओं की व्यवस्था की गई।

3– जनपदों के संवेदनशील क्षेत्रों में कीटनाशकों का छिड़काव कराया गया।

4– बुखार के सभी रोगियों की क्षेत्र में सघन सर्वेक्षण के उपरान्त रक्त पट्टिकायें बनायी गई।

5–जनपदों में उपचार एवं निरोधात्मक कार्यवाही हेतु चिकित्सा दलों का गठन किया गया।

6–सम्भावित डेंगू बुखार जैसे लक्षण वाले सम्भावित रोगियों के रक्त के नमूने एकत्रित कर जांच हेतु राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, नई दिल्ली भेजे जाने की व्यवस्था दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जैसा उन्होंने अपने उत्तर में बताया कि उत्तरांचल राज्य में इस वर्ष दो मरीज डेंगू के पाये गये तो वे किस जनपद से थे? दूसरा यह कि जो रक्त के नमूने लिये गये क्या वे पूरे उत्तरांचल राज्य से लिये गये? यदि लिये गये तो जनपदवार कितने नमूने लिये गये और उनकी जनपदवार रिपोर्ट आपको कब और कितने दिन में प्राप्त हो जाती है?

श्री तिलक राज बेहड़—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस वष डेंगू के दो मरीज हरिद्वार जनपद में पाये गये और दो में से एक सुल्तान उम्र 22 वर्ष, जं रूड़की के हैं उनका इलाज सैनी नर्सिंग होम, रूड़की में हुआ और दूसरे योगेन्द्र निवासं ज्वालापुर, पहले इनका इलाज हरिद्वार जिला चिकित्सालय में हुआ और बाद में पी0जी0आई0 चंडीगढ़ में इनका इलाज हुआ और अब दोनों लोग स्वस्थ हैं और दूसरी बात नमूने कं है तो जनपद हरिद्वार और देहरादून के क्षेत्रों से नमूने लिये गये, हरिद्वार से सात तथ ऋषिकेश के एस0पी0एस0 से भी नमूने लिये गये। हरिद्वार क्षेत्र से 7 नमूने लिये गये कं जिनमें से 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव थी और 5 की निगेटिव थी।

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, ये नमूने रक्त के कहां भेजे गये थे और रिपोर्ट कितने दिन में आ गः थी तथा इस तरह की रिपोर्ट कितने दिनों में प्राप्त हो जाती है?

श्री तिलक राज बेहड़—

मान्यवर, रक्त के नमूने परीक्षण हेतु राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, नई दिल्ली क भेजे गये थे, जिसमें से 2 लोगों की रिपोर्ट में डेंगू की पुष्टि हुई थी।

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि कितने दिन के बाद यह रिपोर्ट दिल्ली र आ जाती है और इस रिपोर्ट द्वारा कब पता चला कि 60 में से 2 लोगों को डेंगू है औ शेष 58 को नहीं है?

मान्यवर, मेरी स्पष्ट जानकारी में है कि जो दो मरीज हरिद्वार में पाये गये थे दोनों स्वस्थ हैं। मान्यवर, हरिद्वार में आज डेंगू का एक भी मरीज नहीं है। मैं यह जानन चाहता हूँ कि दिल्ली से रिपोर्ट कितने दिन में आ जाती है?

श्री तिलक राज बेहड़—

मान्यवर, जैसा मैंने पहले भी बताया कि दो रोगियों की पुष्टि हुई थी, दोनों का इला हरिद्वार जिला चिकित्सालय और पी0जी0आई0, चंडीगढ़ में हुआ। अब दोनों स्वस्थ हैं।

श्री अजय भट्ट—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि जनपदों में उपचार एवं निरोधात्मक कार्यवाही हेतु चिकित्सा दलों का गठन किया गया। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहत हूँ कि विभिन्न जिलों में कुल कितने चिकित्सा दलों का गठन किया गया? इनका जिलेवा ब्यौरा क्या है? दूसरा, यह कि सम्भावित रोगियों के रक्त के नमूने एकत्रित कर जांच हे राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, नई दिल्ली को किस तारीख को भेजे गए?

श्री तिलक राज बेहड़—

मान्यवर, जनपद हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में 6 चिकित्सा दलों का गठन किय गया। इसमें 3 चिकित्सक, फार्मासिस्ट और लैब टैक्नीशियन रखे गए। जहाँ भी आवश्यकत

पड़ी इन चिकित्सा दलों ने वहाँ पर कार्य किया। मान्यवर, जहाँ तक यह प्रश्न है कि नमूने किस तारीख को लिए गए, तो इसकी जानकारी मैं अलग से उपलब्ध करा दूँगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम सदन में जानकारी मांग रहे हैं तो सदन में ही उसका उत्तर आ जाना चाहिए।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैं इसकी जानकारी अलग से उपलब्ध करा दूँगा।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी ने ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार के बारे में ही जानकारी दी, जबकि लिखित उत्तर में कहा है कि जनपदों में उपचार एवं निरोधात्मक कार्यवाही हेतु चिकित्सा दलों का गठन किया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 13 जिलों का जनपदवार ब्यौरा क्या है?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, हमने सभी जनपदों के अन्दर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इसके लिए व्यवस्था की थी। देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के अन्दर डेंगू के प्रकोप की ज्यादा संभावना थी। इसलिए हमने 10 जिला चिकित्सालय तथा 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रिजर्व कर लिए थे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, सदन में लिखित उत्तर दे रहे हैं, इसलिए हमें इसकी स्पष्ट जानकारी चाहिए।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर–व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, जिला चिकित्सालयों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में हमने बैड आरक्षित कर लिए थे तथा चिकित्सकों को अलग से भी जिम्मेदारी सौंपी गयी थी।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, इस समय तो डेंगू का कोई प्रकोप है ही नहीं।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण विषय को हमारे माननीय सदस्य यह कहकर टालने का प्रयास कर रहे हैं कि यह आज का प्रश्न नहीं है। अगर यह प्रश्न तात्कालिक

होता तो हम इसे नियम 311 या नियम 56 में लेकर आते। यह विषय अल्पसूचित प्रश्न के रूप में यहाँ पर रखा गया है। मान्यवर, इस विषय की गंभीरता को स्वीकार करना चाहिए।

मान्यवर, जो अनुपूरक प्रश्न पूछे गये हैं, उनमें से किसी का भी उत्तर माननीय मंत्री जी ने संतोषप्रद नहीं दिया है। इससे ज्यादा गम्भीर बात और क्या हो सकती है। माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि जनपदों में उपचार एवं निरोधात्मक कार्यवाही हेतु चिकित्सा दलों का गठन किया गया है तथा डेंगू नियंत्रण हेतु जनपदों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वर्तमान में भी ये नियंत्रण कक्ष संचालित किए जा रहे हैं? कितने मरीज अपने परीक्षण के लिए आए कितने रोगियों के सैम्पल लिए गये? क्योंकि सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 7 मरीजों के सैम्पल लिए गये, दो उसमे से पॉजिटिव पाए गये। इन दो पॉजिटिव मरीजों में से एक मरीज ने अपना इलाज सैनी नर्सिंग होम जो कि प्राइवेट अस्पताल है वहाँ कराई। अब सरकार इसके उपचार का श्रेय भी लेगी।

मान्यवर, जब दो मरीज डेंगू से पीड़ित पाए गये तो सरकार को और भी सघन अभियान डेंगू के खिलाफ छेड़ना चाहिए था। केवल दो जनपदों में ही डेंगू के रोकथाम की कार्यवाही की गई। क्या अन्य जिले डेंगू प्रभावित नहीं थे, शेष जिलों में डेंगू न फैले इसके लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(शोर)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, जो नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की बात कही गई है। मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि जनपद हरिद्वार, पिथौरागढ़, देहरादून और ऊधमसिंह नगर में नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये हैं। जनपद हरिद्वार ऐसा क्षेत्र था जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की अलग से व्यवस्था की गई क्योंकि वहाँ पर ही डेंगू का केस पाया गया था एक मरीज ने अपना इलाज सैनी नर्सिंग होम में कराया और दूसरे मरीज की जानकारी जिला चिकित्सालय में आई कि वह पी0जी0आई0 में अपना इलाज कराने चला गया है।

(शोर)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, उत्तरांचल के अन्य जिलों में क्या लोग नहीं रहते हैं? मात्र दो जिलों में सर्वेक्षण करवाया गया है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, उत्तरांचल के अन्य जिलों में डेंगू प्रभावित होने का कोई प्रकरण सामने नहीं आया। हमने इसके लिए अखबारों के माध्यम से काफी प्रचार प्रसार करवाया। डेंगू के रोकथाम के उपायों के बारे में लोगों को जानकारी दी गई थी, दवाइयों का छिड़काव करवाया था। जब अन्य जिलों से डेंगू के मरीजों की कोई जानकारी आई ही नहीं तो सर्वेक्षण कार्य नहीं करवाया।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, मुझे सरकार से उम्मीद भी नहीं है। मान्यवर, दवाइयों के छिड़काव की बात कही गई है, कौन–कौन सी दवाइयों का छिड़काव किया गया तथा संवेदनशील क्षेत्र कौन–कौन से निर्धारित किये गये?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, संवेदनशील क्षेत्रों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कराया गया। जनपद हरिद्वार में ग्राम सिकरौढ़ा में मैलीथियान टेक्निकल की फॉगिंग एवं जनपद ऊधमसिंह नगर में संवेदनशील क्षेत्र खटीमा में डी0डी0टी0 50 प्रतिशत का छिड़काव तथा नगरपालिका के सौजन्य से स्थान–स्थान पर मैलीथियान का छिड़काव करवाया गया।

मान्यवर, दवाओं का छिड़काव फॉगिंग विधि द्वारा किया गया। मान्यवर, ये मच्छर जहाँ पर पानी देर तक रूका रहता है, वहीं पर होते हैं। ये मच्छर कूलर, गमलों आदि के अन्दर पानी जमा होने के कारण भी होते हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का उत्तर स्पष्ट नहीं आ रहा है। सिकरोढ़ा में पेशेंट मिला और दवाई का छिड़काव हरिद्वार में हुआ। मान्यवर, यह कैसी व्यवस्था है?

देहरादून के रायपुर वन वृत्त में हरे वृक्षों के कटान के दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही

**2. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या वन मंत्री जी के संज्ञान में है कि जनपद देहरादून के रायपुर वन वृत्त के अन्तर्गत अवैध रूप से हरे वृक्षों का कटान विगत माह में किया गया?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कुल कितने वृक्षों का अवैध कटान किया गया है?

क्या दोषी व्यक्तियों को पकड़ लिया गया है?

यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

जी हाँ, मसूरी वन प्रभाग की रायपुर रांजि के अन्तर्गत नाप भूमि पर स्थित हरे पेड़ों का अवैध पातन विगत माह में किया गया है।

नाप भूमि पर स्थित कुल 197 साल के हरे वृक्षों का पातन किया गया है।

जी हाँ।

मुख्य अभियुक्त संजय कुमार एवं महमूद को वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 की धारा 4/10, आई0पी0सी0 की धारा 379, 411, 25ए, 307 तथा गैंगस्टर एक्ट के तहत

आरोपित किया है तथा पांच अन्य अभियुक्तों को वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 की धारा 4/10 एवं आई0पी0सी0 की धारा 379 व 411 के तहत आरोपित किया गया है। अपराध की जाँच पुलिस विभाग कर रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मेरा प्रश्न अति संवेदनशील है और इसकी संवेदनशीलता तब और अधिक बढ़ जाती है, जब वह राजधानी के निकट से सम्बन्धित हो। मान्यवर, मुझे कल की बात याद आ रही है, जब माननीय मंत्री जी ने स्व0 इन्दिरा गांधी तथा स्व0 संजय गांधी जी को याद किया, यह अच्छी बात है। मान्यवर, मेरा प्रश्न अवैध 197 हरे–भरे वृक्षों के कटान के सम्बन्ध में था। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि यह नाप भूमि है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यदि नाप भूमि पर वन उगाये जाते हैं तो उक्त भूमि वन विभाग में निहित हो जाती है? मान्यवर, यह भूमि वन विभाग में क्यों निहित नहीं हुई? वनों का कटान वन विभाग के दो कर्मचारियों की देखरेख में हुआ है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी वहाँ पर 09 नवम्बर को केन्द्रीय विद्यालय के उद्घाटन में गये थे। मान्यवर, जब माननीय मंत्री जी ने यह सूचना सचिव महोदय को दी तो उसके बाद वन विभाग के अधिकारियों को इस बात का पता कब चला तथा क्या इस सम्बन्ध में जाँच चल रही है एवं विभागीय कर्मचारियों पर इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है? यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि नाप भूमि पर वन उगायें तो वह स्वयमेव वन विभाग का अंग हो जायेगा ऐसा नहीं है।

मान्यवर, यह भूमि एक नाप भूमि थी और आज भी नाप भूमि के रूप में दर्ज है। मान्यवर, यह प्रकरण वन विभाग के संज्ञान में 8 नवम्बर 2003 को आया था और जहाँ तक कार्यवाही का सवाल है तो वन विभाग द्वारा सम्बन्धित फील्ड स्टाफ श्री होशियार सिंह पुण्डीर, वन रक्षक एवं श्री रामदास, वन दरोगा को अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने के लिए चार्जशीट किया गया है, जिसकी जाँच प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून–मसूरी वन प्रभाग को सौंपी गई है। आरोपित वन रक्षक को हटा दिया गया और वन दरोगा को फील्ड ड्यूटी से पृथक कर दिया गया।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, यह विषय बहुत गम्भीर है। मान्यवर, जो लोग पकड़े गये हैं उन्होंने कहा कि वहाँ के दो कर्मचारी की देख–रेख में हुआ।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, पुलिस विभाग द्वारा इसकी पुष्टि हुई।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, संजय, महमूद के अलावा पाँच लोग और इसमें लिप्त हैं, उनके नाम बता दें?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, अवैध पातन में सात अभियुक्त हैं, जो कि निम्न हैं—

1. महमूद पुत्र मुहम्मद शफीक मेहूवाला, थाना पटेल नगर, देहरादून।
2. फुरकान अली पुत्र शौकत अली, सहसपुर, देहरादून।
3. दिलशाद पुत्र बुद्धू, सहसपुर, देहरादून।
4. इन्द देव डबराल पुत्र सावन राम, नालापानी, रायपुर, देहरादून।
5. जहीर पुत्र सिद्धा, सहसपुर, देहरादून।
6. इस्लाम पुत्र फुल्लू, सहसपुर, देहरादून।
7. संजय बासुदेव पुत्र दीनानाथ, विकासलोक, रायपुर, देहरादून।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि साल के 197 पेड़ एक ही दिन में काटे गये या धीरे–धीरे काटे गये? क्या इसमें विभागीय अधिकारी–कर्मचारी तो सम्मिलित नहीं हैं? मान्यवर, जो लकड़ी काटी गयी उसका स्वरूप क्या था? जो 197 पेड़ काटे गये हैं वह आज किस स्थिति में हैं, क्या वन विभाग ने अपने कब्जे में लिया और यदि नहीं लिया तो किसके पास है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इलैक्ट्रिक ब्लेड का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए एक ही दिन में कटे होंगे। मान्यवर, 197 पेड़ के 226 नग थे जो कि 9.298 क्यूबिक मीटर साल गोल थे और 12 क्यूबिक मीटर सोखते थे। मान्यवर, 122 पेड़ 8 नवम्बर को और 75 पेड़ अगले दिन जब्त किया।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, वन विभाग इन पेड़ों की नीलामी करेगा?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इसका फैसला तो केस के बाद होगा।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, यह राष्ट्र सम्पत्ति का प्रश्न है।

मान्यवर, जो मेरी मंशा थी, उस मंशा को अगर माननीय मंत्री जी स्वीकार करेंगे तो आभारी हूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूँगा कि व्यवस्था होगी। मान्यवर, इस प्रकार की लकड़ी जब जब्त की जाती है तो उसके निर्णय में बहुत लम्बा समय लग जाता है और सड़ जाती है। मान्यवर, जब नीलामी का अवसर मिलता है तब तक लकड़ी बहुत सड़ गयी होती है। तो यदि माननीय मंत्री जी सहमत हों तो इस लकड़ी का ऑक्शन करा लेना चाहिए और पैसा बैंक आदि में निर्णय होने तक जमा हो जाना चाहिए।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, हम न्यायालय से इस सम्बन्ध में प्रार्थना कर लेंगे।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि मेरी जानकारी के अनुसार यदि 8 तारीख को आपको जानकारी हो गयी थी तो इस पर 8 और 9 तारीख को कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई? और जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने विद्यालय का उद्घाटन किया और वहाँ पर गए थे और सार्वजनिक मंच से घोषणा की थी, उसके बाद ही वन विभाग हरकत में आया और प्रातः 4.00 बजे फारेस्ट विभाग के लोग वहाँ गए, ऐसी क्या बात थी कि प्रातः 4.00 बजे ही गए? मान्यवर, इसमें मुझे संदेह है कि फारेस्ट विभाग के बड़े अधिकारियों की मिलीभगत है, बड़ी मात्रा में पेड़ों का पतन हुआ है, मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इस पर जाँच की जाए?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि एक जुर्म संख्या–10/नाप/रायपुर, दिनांक 8–11–2003 को जारी किया। मान्यवर, काम्बिग में 75 पेड़ मिले तथा 9 तारीख को थाना रायपुर में अभियुक्तों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी गयी।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का कहना है कि एक दिन से अधिक उनको काटने में नहीं लगा और मेरी जानकारी के अनुसार वहाँ बड़े–बड़े गड्ढे खोदकर यह लकड़ी दबायी गयी थी, क्या यह सच नहीं है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जी हाँ, लकड़ी गड्ढों में दबायी गयी थी। जिसे मशीनों से निकाला गया।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, क्या पहले वहाँ पर से लकड़ी नहीं उठायी गयी थी?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जी नहीं, जितनी ठूंठ पायी गयी थी उतनी ही लकड़ी उठायी गयी।

तारांकित प्रश्न

जनपद पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट के अन्तर्गत ग्राम रैतोला में सरयू नदी से सिंचाई हेतु पम्पिंग योजना

*1. श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में विकास खण्ड गंगोलीहाट के अन्तर्गत ग्राम रैतोला में सरयू नदी से सिंचाई हेतु पम्पिंग योजना स्वीकृत की गयी?

यदि हाँ, तो कब और इसमें कितनी धनराशि व्यय की गयी?

क्या इस योजना से ग्रामीणों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है?

यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जाँच करवाकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायेगी?

यदि नहीं तो क्यों?

सिंचाई मंत्री (श्री शूरवीर सिंह)–

जी हाँ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, पिथौरागढ़ शासकीय निकाय द्वारा वर्ष 1996–97 में रैतोला ग्राम के कृषि भूमि की पम्प से सिंचाई हेतु रु0 1.20 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई, तथा विभाग को इस कार्य के लिये तीन किस्तों में अब तक कुल रु0 1.09 लाख आवंटित किया गया है तथा अब तक 1.052 लाख रु0 व्यय किया गया है।

जी नहीं,

प्राक्कलन के अनुसार लागत रु0 1.332 लाख है किन्तु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा अब तक रु0 1.09 लाख ही उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त योजना का कमाण्ड क्षेत्र निचला सरयू से सटा 5 एकड़ भूमि है, किन्तु ग्रामवासी योजना से ऊँचाई वाले क्षेत्र को भी सींचने हेतु मांग कर रहे हैं। इस विवाद एवं धनाभाव के कारण योजना अपूर्ण है। तकनीकी पहलुओं की विस्तृत जांच कराकर विवाद का निस्तारण कराते हुए योजना पूर्ण कराई जायेगी। बहरहाल जांच में यदि कोई अधिकारी दोषी पाया गया तो उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

(माननीय श्री शूरवीर सिंह सजवाण द्वारा पूरा उत्तर पढ़ा गया)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, पहले तो माननीय मंत्री जी उत्तर पढ़ भी नहीं रहे थे, जब हमने कहा पढ़ा हुआ मान लिया जाए तो माननीय मंत्री जी ने अपनी शूरता–वीरता दिखाते हुए पूरा उत्तर पढ़ दिया।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रश्न का आशय है काम हो जाना और लोगों को सिंचाई की सुविधा मिले? मान्यवर, इसमें लागत 1.20 लाख और प्राक्कलन के अनुसार लागत रु0 1.332 लाख है और उनको मिला 1.052 लाख तो बहुत कम अन्तर है। आंकड़े इतनी बाजीगरी में दिखाये हैं कि रु0 1.20 लाख प्रशासनिक स्वीकृति मिली आवश्यकता 1.332 लाख की थी और उनको इसके विरुद्ध रु0 1.09 लाख मिला है?

मान्यवर, मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि इतनी कम धनराशि के कारण वह योजना अपूर्ण हुई? बहरहाल मैं बहुत चिन्तित था मैंने आज क्षेत्र में सम्पर्क किया तो एक

जिम्मेदार आदमी से जानकारी ली तो उन्होंने कहा पम्प ठीक कर दिया है, लेकिन सवाल इस बात का है जो पानी पहुँचना चाहिए था गूल के माध्यम से ऊँचाई पर वह काम अभी तक भी नहीं हुआ। दोबारा आंगणन बनाकर उस पम्प की कैपिसिटी बढ़ाकर पानी चढ़ाया जाय। अभी तक जो 1.09 लाख का निवेश हुआ है तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। मैं आश्वासन चाहता हूँ कि क्या उस पम्प की कैपिसिटी बढ़ायेंगे या नहीं बढ़ायेंगे?

श्री शूरवीर सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी योजना जो 1996–97 में बनकर तैयार हो गई थी उसके बारे में जानकारी दी। यह योजना उसके बाद समाप्त हो गई। 1.332 लाख की कुल योजना थी और उस योजना में तीन किस्तों में पैसा मिला, वह 1.09 लाख ही मिल पाया। 1.09 लाख रुपये में माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि कैसे योजना बन पायेगी। जनता की डिमान्ड जो ऊपर से मिली है कि 5 एकड़ भूमि रह गई है वह गधेरे के पानी से सिंचित नहीं हो पा रही है। नीचे पानी था उसमें पम्प लगाने की बात कही गई है और यह योजना कम हो गई। इसमें 1.332 लाख की जगह 1.20 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली। जो पम्प लगाया गया है वह मिट्टी के तेल से चलता है, उसका रख–रखाव ग्राम सभा को करना होता है।

मैं माननीय सदस्य का आभारी हूँ कि इतने पुराने समय से जो आधी–अधूरी योजना बन्द पड़ी थी आपने उसकी जानकारी दी। मैंने अधिकारियों से सारी जानकारी ली उन्होंने इस योजना को चालू किया और ग्राम सभा को इस योजना को सुपुर्द कर दिया है।

मान्यवर, जहाँ तक माननीय सदस्य का प्रश्न है कि यह योजना दीर्घकालिक है या नहीं है या दीर्घकालिक चलेगी या नहीं चलेगी और इस पर नयी तरह से योजना बनानी चाहिए। यह उनका मंतव्य है इस पर सरकार गंभीर है और निःसंदेह योजना दीर्घकालिक होनी चाहिए, इसके लिए मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूँ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, जहाँ तक मेरी जानकारी है उसके अनुसार मैंने जो आपसे अनुरोध किया था कि जब तक पम्पों की कैपिसिटी नहीं बढ़ायी जायेगी तब तक यह सफल नहीं होगी। तो क्या आप पम्पों की कैपिसिटी बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं?

श्री शूरवीर सिंह–

मान्यवर, पम्पों से जिस क्षेत्र तक की ऊँचाई तक पानी पहुँचाया जा सकता है उस ऊँचाई तक पानी पहुँचाने का प्रयास किया जायेगा।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि जो यह पम्पिंग योजना है वर्तमान में कितने स्थानों पर लगायी गयी थी और कितने स्थानों पर यह योजना चल रही है?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, मैं इस संबंध में माननीय सदस्य से अनुरोध करूँगा कि वे अलग से प्रश्न दे दें तो फिर इसकी जानकारी हम दे देंगे।

(घोर व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य काजी निजामुद्दीन का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे)

राज्य में पशुपालन को उद्योग का दर्जा दिया जाना

*2. काजी निजामुद्दीन–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में पशुपालन को उद्योग का दर्जा दिया गया है?

यदि हाँ तो उसका प्रारूप क्या होगा?

सहकारिता एवं पशुपालन मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के असिंचित कृषि क्षेत्रफल की सिंचाई सुविधा की योजना

*3. श्री मदन कौशिक–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के वर्तमान कृषि असिंचित क्षेत्रफल को सिंचाई सुविधा सुलभ कराने के लिए सरकार की कोई योजना है?

यदि हाँ, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

क्या सरकार द्वारा इस हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम तय किया गया है?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी हाँ।

पर्वतीय क्षेत्रों में लघु सिंचाई नहरों, गूलों, हौज, हाइड्रम एवं लघु डाल नहरों के निर्माण तथा मैदानी क्षेत्रों में नलकूपों/जलाशयों के निर्माण एवं इन जलाशयों में नहर प्रणाली बनाकर असिंचित क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने की योजनाएं सम्मिलित हैं।

प्रतिवर्ष जिला योजना के साथ–साथ अन्य केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं तथा नाबार्ड आदि के माध्यम से अधिक से अधिक योजनाओं का गठन एवं निर्माण समयबद्ध रूप से करते हुए सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

उपरोक्तानुसार।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि जो माननीय मंत्री का उत्तर आया और जो प्रश्न कि असिंचित क्षेत्रफल को सिंचाई सुविधा सुलभ कराने के लिए सरकार की कोई योजना है? माननीय मंत्री जी ने कहा जी हाँ, फिर प्रश्न तो उसकी रूपरेखा क्या है? माननीय मंत्री जी का उत्तर आया कि पर्वतीय क्षेत्रों में लघु सिंचाई नहरों, गूलों, हौज, हाइड्रम एवं लघु डाल नहरों के निर्माण तथा मैदानी क्षेत्रों में नलकूपों, जलाशयों के निर्माण एवं इन जलाशयों में नहर प्रणाली बनाकर असिंचित क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने की योजना सम्मिलित है तो मेरा पहला प्रश्न है कि इसमें कितनी नहरों का निर्माण वर्तमान में किया जा रहा है? और मैदानी क्षेत्रों में नलकूपों, जलाशयों में कितनी योजनाएं विचाराधीन हैं जिन पर निर्माण कार्य चल रहा है तथा कितने क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, जैसा के माननीय सदस्य ने पर्वतीय क्षेत्र के असिंचित क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि पूरे पर्वतीय क्षेत्र पर जहाँ जो सिंचित क्षमता है, जो क्षेत्रफल है टोटल क्षेत्रफल का उसमें मात्र 12 प्रतिशत भूमि ही सिंचित योग्य है और उसका उपयोग हो रहा है और बाकी का क्षेत्रफल तो उसके बारे में तो सारे माननीय सदस्य जानते ही हैं कि पेयजल का भी अभाव हो गया है जल–स्तर सूख गए हैं अथवा पतले पड़ गये हैं।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ पम्पिंग सेट योजनाओं के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति कराई जा रही है। उन क्षेत्रों के उन्हीं स्रोतों को लघु सिंचाई के माध्यम से जोड़ रहे हैं। लघु सिंचाई के माध्यम से सिंचन क्षमता को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे उत्तरांचल में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल 7.48 लाख हैक्टेयर है जिसमें 3.42 लाख हैक्टेयर भूमि सिंचित है शेष 4.06 लाख हैक्टेयर भूमि असिंचित है। असिंचित क्षेत्र के बारे में मैं अनुरोध कर चुका हूँ। मैदानी क्षेत्र में 43 प्रतिशत भू–भाग कृषि योग्य है और वह पूर्णरूपेण सिंचित है। बाकी के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इस संबंध में माननीय सदस्य जो जानना चाहते हैं उसके संबंध में कहना चाहूँगा कि जब से यह लोकप्रिय सरकार आई है। (व्यवधान)

मान्यवर, इस सरकार ने किसानों के आर्थिक उन्नयन के लिए सिंचन क्षमता में वृद्धि के लिए जो प्रयास किये हैं वे प्रयास मैं माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूँ। उत्तरांचल राज्य में वर्ष 2002–2003 में 5221 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का लक्ष्य रखा गया था जिसके सापेक्ष 5986 हैक्टेयर की पूर्ति की गई है। रु0 7683 लाख का बजट रखा गया था जिसके सापेक्ष रु0 4698 लाख ही केन्द्र सरकार द्वारा मिला है। इस प्रकार हमने लक्ष्य से अधिक कार्य किया है। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी प्वाइंटेड सूचना दें। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, प्रश्न कुछ और पूछा गया है और जवाब कुछ और दिया जा रहा है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, ठीक है यदि माननीय सदस्यगण पूरी जानकारी नहीं चाहते हैं तो मैं प्वाइंटेड सूचना दे देता हूँ। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, स्पेसिफिक प्रश्न पूछा गया है। इसका स्पेसिफिक जवाब आ जाये तो इससे समय भी बचेगा। अभी काफी प्रश्न बचे हैं। अन्य माननीय सदस्यों को भी प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा। (व्यवधान)

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा कहना यह है कि पूरे उत्तरांचल में राजकीय सिंचाई नहरें बंद पड़ी हुई हैं और यह माननीय मंत्री जी के संज्ञान में नहीं है कि उनमें करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। आज स्थिति यह है कि गधेरों में पानी है नदी में पानी है लेकिन नहरों में पानी नहीं है, वे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि ऐसी नहरों के रख–रखाव के लिए आपने क्या किया है और क्या करने जा रहे हैं?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, मैं आभारी हूँ माननीय सदस्य का कि उन्होंने यह जानकारी चाही है। मैं इन्हीं सारी चीजों को काफी विस्तृत रूप में बता रहा था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षेप में बता दें।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, जो नहरें पूरी तरह से बंद हैं उनसे भी राजकीय राजस्व लिया जा रहा है, और बहुत सारी नहरें ऐसी हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इन पर साल में 2–3 लाख रुपया भी खर्च हो जाता है और बनने के बाद फिर से वह टूट जाती है, तो क्या ऐसी जगहों पर नहर की जगह पाइप लाइन डालने की व्यवस्था की जायेगी और जो राजकीय सिंचाई नहरें जो पूरी तरह से बंद पड़ी हैं, उन पर लघु सिंचाई नहरों के माध्यम से, लघु सिंचाई योजना यह केन्द्र सरकार की योजना है उसमें यह है कि जहाँ पर राजकीय सिंचाई नहरें हैं वहाँ पर लघु सिंचाई नहरें नहीं बनाई जा रही हैं? इसकी ऐसी नीति है, अब जब कि वहाँ पर राजकीय नहर पूरी तरह बंद हैं और लघु सिंचाई का बनता नहीं है तो उस असिंचित भूमि का क्या होगा? माननीय मंत्री जी इसे बताने का कष्ट करें।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

बहन जी, मैं यही बता रहा था, जैसा के आपका मूल प्रश्न था कि किन–किन माध्यमों से यह बनाई जा रही हैं तो मैं यह बताना चाहूँगा कि नलकूपों के माध्यम से इस प्रदेश के ऐसे क्षेत्र की सिंचाईं का लक्ष्य है, इनके लिये जो प्रयास हमने किये मैं उन्हें बताना चाहूँगा, सिंचाई के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं और जो प्रश्न यहाँ पर सदन के सदस्यों ने किया तो इसी सदन के सदस्य जिला योजना में भी सदस्य होते हैं वहीं पर यह तय किया जाता है कि किस नहर को या किस क्षेत्र को प्राथमिकता देनी चाहिए और माननीय सदस्य ही उसे तय करते हैं और अभी जो योजना है उसमें 23 नलकूपों, 460 नहरों और लघु डाल नहरों का निर्माण हो गया है और जहाँ तक उद्धार की बात है . . . .

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, यह प्रश्न स्थगित होना चाहिए, मंत्री जी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं।

(घोर व्यवधान)

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, पुनरोद्धार की जो योजना है उसमें जो नहरें बंद पड़ी हैं उसका निर्माण करायेगी और जो बंद पड़ी नहरों से राजकीय राजस्व लिया जा रहा है? क्या वह बंद किया जायेगा?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, व्यवहारिक रूप से जिस स्थान पर ऐसी आवश्यकता होती है, वहाँ पर ऐसा किया जाता है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय मंत्री जी पहले तो माननीय सदस्यों से कह रहे थे कि बैठो–बैठो और फिर जब माननीया सदस्य प्रश्न पूछ रही थीं तो माननीय मंत्री जी ने उन्हें बहन जी कह कर सम्बोधित किया। मान्यवर, ये माननीया सदस्य हैं।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी सिर्फ ऋषिकेश में ही रहेंगे, दूर–दराज के क्षेत्रों की कोई बात नहीं करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि 2002–2003 तक कुल कितने क्षेत्र सिंचित तथा कितने क्षेत्र असिंचित पूरे उत्तरांचल में हैं? दूसरा, यह कि 2002–2003 तक कुल कितनी सिंचाई नहरें हैं, उनकी कुल लम्बाई कितनी है? कुल कितनी लघु नहरें हैं, कितनी गूल हैं, कितने हौज तथा कितने हाईड्रम हैं, पर्वतीय क्षेत्र में? तराई क्षेत्र के लिए माननीय मंत्री जी ने कहा कि नलकूप तथा जलाशय बना रहे हैं, मान्यवर, मेरा प्वाइंटेड प्रश्न है कि कुल कितने नलकूप और कितने जलाशय 2002–2003 तक हैं?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पूछा कि कुल कितनी नहरें हैं तथा कितने नलकूप लगाए जा रहे हैं?

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैंने पूछा है कि 2002–2003 तक कितनी नहरें हैं?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, जो निर्माणाधीन हैं, उनके बारे में आप बात कर रहे हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हम वर्तमान की बात नहीं कर रहे हैं।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर–व्यवधान)

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, 2002–2003 में जो योजनाएं शुरु की गयी और अभी पूर्ण नहीं हुई।

(व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि कुल कितना क्षेत्र सिंचित है और कितना क्षेत्र असिंचित है?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, कुल 2167 नहरें हैं, जिनमें से 365 नहरें बन्द पड़ी हैं और 489 नहरें आंशिक रूप से बन्द पड़ी हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं पूछ रहा हूं कि कुल कितनी लम्बी नहरें हैं? मेरा प्वाइंटेड प्रश्न है। यदि पी०डब्लू०डी० वाले को यह पता नहीं होगा कि उसकी सड़क कितनी लम्बी है तो कैसे काम करेगा। इसी तरह सिंचाई वाले को यह मालूम होना चाहिए कि उसकी नहरों की लम्बाई कितनी है और कितना क्षेत्र सिंचित है और कितना असिंचित।

(व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, लगता है माननीय मंत्री जी तैयारी करके नहीं आए हैं। यह लोक महत्व का प्रश्न है। माननीय सदस्य सदन में वास्तविकता रख रहे हैं। यह तो असिंचित क्षेत्र को सिंचित करने की बात कर रहे हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सिंचित भूमि में जो नहरें बनी हैं, उनमें पानी नहीं दिया जा रहा है। आप कहते हैं कि यह लोकप्रिय सरकार है लेकिन मैं कहता हूं कि यह अलोकप्रिय सरकार है, यह किसान विरोधी सरकार है, इसलिए हम सदन से वाक आउट करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गए।)

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो विद्युत आधारित पम्पिंग योजनाएं हैं, उनकी स्वीकृति में बहुत जटिलता है, क्या सरकार इसका सरलीकरण करेगी?

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य पुनः अपने स्थान पर बैठ गए।)

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, जो भी सिंचाई योजना है वह विद्युत से सम्बन्धित है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई कार्य में व्यवधान आता है उसके लिए सिंचाई विभाग विद्युत विभाग से चर्चा करता है। सिंचाई विभाग से ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि विद्युत की कमी के कारण कोई योजना बंद पड़ी है।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, हमारे यहाँ जो पम्पिंग योजनायें हैं वह तीन साल से लम्बित पड़ी हैं। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इसका सरलीकरण कर दें जिससे वहाँ पम्पिंग की योजनायें प्रारम्भ की जाएं।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, इसके लिए विद्युत विभाग से सम्पर्क किया जा रहा है।

"डा0" शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि मैदानी क्षेत्र में नलकूपों द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पिछले तीन साल में कितने नलकूप लगाये गये हैं? दूसरा क्या मैदानी क्षेत्र में एक भी नलकूप बनाने की योजना प्रस्तावित है? क्योंकि एक साल पहले माननीय मंत्री जी से मैंने इस सम्बन्ध में प्रश्न उठाया था तो माननीय मंत्री जी ने 1998 के शासनादेश का हवाला देते हुए कहा था कि मैदानी क्षेत्र में नये नलकूप नहीं लगाये जा सकते, किन्तु आज माननीय मंत्री जी का जवाब है कि मैदानी क्षेत्र में नलकूप लगाने की योजना प्रस्तावित है।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मा0 सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि जनपद देहरादून में 10 (दस) नलकूप तथा कोटद्वार भाभर में 10 नलकूप पिछले वर्ष लगाये गये हैं। सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हरिद्वार जनपद के लालढांग क्षेत्र में 28 नलकूपों की योजना सरकार की है तथा हरिद्वार जनपद के विकास खण्ड बहादराबाद, भगवानपुर में 31 नलकूपों की योजना प्रस्तावित है, विचाराधीन है। मान्यवर, नलकूपों के लिए जो स्वीकृति दी जाती है तो उनकी खुदाई के लिए जो मशीनें हमारे पास हैं वह सभी काम कर रही हैं। जैसे–जैसे मशीनें खाली होती जाती हैं वह दूसरे नलकूपों के निर्माण कार्यों में चली जाती हैं।

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाये जाने की योजना

*4. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या दुग्ध विकास मंत्री बतायेंगे कि उत्तरांचल में दुग्ध उत्पादन की क्या स्थिति है?

क्या दुग्ध का उत्पादन उत्तरांचल की आवश्यकतानुकूल पर्याप्त है?

यदि नहीं, तो प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाये जाने हेतु क्या योजना है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

उत्तरांचल में लगभग 26.70 लाख लीटर दूध का प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने दुग्ध उत्पादन की बात कही है तथा प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाये जाने हेतु क्या योजना है? इसके बारे में माननीय मंत्री जी ने लिखा है कि प्रश्न ही नहीं उठता। इस उत्तर से ऐसा लगता है कि भविष्य में उत्तरांचल में दूध की आवश्यकता ही नहीं है और यहाँ पर अब दूध की माँग बढ़ ही नहीं रही है। माननीय मंत्री जी ने बड़ा जोरदार उत्तर दिया है।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ वर्तमान में हमारे प्रदेश में दूध का उत्पादन कुल कितना हो रहा है तथा जितना उत्पादन हो रहा है, क्या वह पर्याप्त मात्रा में हो रहा है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, इस समय हमारे प्रदेश के दूध के आंकड़े पूरे देश में सबसे आगे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर दूध का उत्पादन पर कैपिटा 215 एम0एल0 है, जबकि हमारे प्रदेश में 315 एम0एल0 पर कैपिटा दूध का उत्पादन है।

(सदन में मोबाइल की ध्वनि सुनाई देने पर।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया मोबाइल ऑफ करें।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, माननीय सदस्य की जो चिंता दूध उत्पादन की योजना न बनाये जाने के संबंध में है। इस बारे में अवगत कराना चाहता हूँ कि जो हमारी योजनाएं पूरी होने वाली हैं, उनको एक्सटेंशन दिया जायेगा। मान्यवर, केन्द्रीय स्तर पर आई0सी0आर0 की बैठक होती है, मुझे भी दो बार इस बैठक में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं स्पेसिफिक जानकारी चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी कृपया मूल प्रश्न पर आयें।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, आई0सी0आर0 के माध्यम से हमें लगभग चार करोड़ चौदह लाख रुपये का एक प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है। इसी तरह से हमने 4 जनपदों के लिए एक प्रोजेक्ट बनाकर भेजा है। मान्यवर, आज राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा है। इसलिए जो हमारी योजनाएं समाप्त होने को हैं, हम उन योजनाओं को बढ़ायेंगे।

श्री सहजाद–

मान्यवर, जो 26.70 लाख प्रति लीटर दूध का उत्पादन दिया है, इसका आधार क्या है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, विभाग के जो दुग्ध संघ हैं उनके माध्यम से आंकड़े आये हैं। मान्यवर, आंचल डेरी सरकार का उपक्रम है।

श्री अनिल नौटियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जनपद चमोली के सिमली भराड़ी सैंड़ में जो दुग्ध उत्पादन डेरी है उसके माध्यम से कितना दूध सप्लाई किया जा रहा है? और जो समितियाँ हैं उसके माध्यम से कितना दूध सप्लाई किया जा रहा है? भराड़ी सैंड पशु प्रजनन केन्द्र से कितना दूध आ रहा है और जो अन्य जनपदों से दूध मंगाया जा रहा है वह कितना है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, जनपद चमोली के भराड़ी सैंड़ दूध संघ में जो पहले कार्यक्रम चलते थे वे सक्सेस नहीं हुये, तो दूध में जो कमी आई उसको सुधारने के लिए एक कार्ययोजना बनाई और उस दृष्टि से वर्तमान में चमोली दूध संघ की स्थिति पहले से अच्छी हुई है।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, मैं पूछ रहा हूँ कि कितना दूध बाहर से मंगाया जा रहा है? कितना दूध बाहर की समितियों के माध्यम से ले रहे हैं?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, बाहर से दूध मंगाने का प्रश्न है तो यह दूध की खपत पर निर्भर करता है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह नीतिगत विषय है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि उत्तरांचल में 26.70 लाख लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि किन–किन संस्थाओं के माध्यम से दूध एकत्र होता है? उत्तरांचल राज्य में कितने दूध उत्पादक इकाई स्थापित हैं? कितनी इकाईयों में उत्पादन हो रहा है और वर्तमान में उत्तरांचल में प्रति व्यक्ति कितने दूध की खपत है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, 26.70 लाख लीटर दूध का जो यह आंकड़ा है, यह पूरे उत्तरांचल का आंकड़ा है।

मान्यवर, पूरे उत्तरांचल का जो दूध है, प्रतिदिन के हिसाब से कलेक्शन है वह 26.70 लाख लीटर है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, पूरे उत्तरांचल में प्रति व्यक्ति कितनी आवश्यकता है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, वह अलग–अलग है। इसमें जहाँ तक प्रति व्यक्ति का सवाल है उसमें महिलाएँ भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, पुरुष भी आते हैं तो उसका अलग निकला है। मान्यवर, एक से 3 वर्ष के बच्चों के लिए प्रतिदिन 300 एम0एल0 का और 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, प्रश्न मैं फिर से कर देता हूँ। आपने उत्तर में कहा कि उत्तरांचल में 26.70 लाख लीटर का प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है। तो मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि उत्तरांचल राज्य में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, कितने लीटर दूध की आवश्यकता है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, आवश्यकता तो परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जवाब सही नहीं आ रहे हैं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या–5 पुकारे जाने पर)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी प्रार्थना है कि माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया वह उत्तर वास्तव में सही नहीं है। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

(श्री अध्यक्ष द्वारा पुनः प्रश्न संख्या–5 पुकारे जाने पर)

प्रदेश में दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध क्रय मूल्य का निर्धारण

*5. श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में सहकारी समितियों के द्वारा दुग्ध उत्पादकों से दूध किस दाम पर खरीदा जाता है?

दूध का क्रय मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया क्या है?

दुग्ध उत्पादकों को लाभकारी मूल्य किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा दूध की गुणवत्ता के आधार पर दूध क्रय किया जाता है। वर्तमान में 6.5 प्रतिशत वसा व 9.00 प्रतिशत वसा रहित ठोस पर रु0 11.50 से रु0 12.50 प्रति लीटर की दर से दूध क्रय किया जा रहा है।

दूध मूल्य निर्धारण सम्बन्धित जनपदों के दुग्ध संघों की प्रबन्ध समिति द्वारा दुग्ध उत्पादन लागत, दूध की उपलब्धता क्षेत्र विशेष में निजी दुग्ध व्यवसायियों द्वारा निर्धारित दर, दूध की खपत, ऋतु (लीन, मीन, फ्लश सीजन) तथा निकटवर्ती बाजार में दूध की विक्रय दरों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है।

दुग्ध उत्पादकों को उनके द्वारा उत्पादित दूध का लाभकारी मूल्य दिलाए जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारी समितियों का संचालन किया जा रहा है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप यह स्वीकार करते हैं कि सहकारी समितियों के द्वारा जो कृषकों को प्रति लीटर दूध का मूल्य दिया जा रहा है वह जायज है या नाजायज? मान्यवर, किसी भी प्रश्न को पूछने के पहले प्रश्नकर्ता यह कल्पना करता है कि इसके पीछे रहस्य क्या है? तो रहस्य यह है कि जो दूध उत्पादक हैं उनका शोषण सहकारी समितियाँ कर रही हैं।

मान्यवर, कितनी विचित्र बात है कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि बाजारों की विक्रय कीमत को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है अर्थात् आप दुग्ध उत्पादकों को मूल्य देते हैं, तो बाजारों में क्या मूल्य है? मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि बाजार में कहीं भी 20 रु0 से कम दूध नहीं मिलता है और माननीय मंत्री जी ने कहा कि अधिक से अधिक रु0 12.50 प्रति लीटर देते हैं।

मान्यवर, दूध का मूल्य बाजार में 20 रुपया है। माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सहकारी समितियाँ दुग्ध उत्पादकों का शोषण कर रही हैं या नहीं? यदि दुग्ध उत्पादकों को सही दाम नहीं दे रहे हैं तो आप दुग्ध उत्पादकों को सही दाम देंगे?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित नेता प्रतिपक्ष श्री कण्डारी जी ने जो चिन्ता व्यक्त की है, इसके संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार के माध्यम से प्रत्येक जनपदों में हमने दुग्ध समितियों का सम्मेलन बुलाया जिसमें महिला डेरी, दुग्ध संगठनों का

सम्मेलन हुआ, यह सम्मेलन इसलिए बुलाया गया कि जो दुग्ध उत्पादक हैं उनको उनके दुग्ध उत्पादन का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस पर कार्यवाही चली। जो सम्मानित नेता, प्रतिपक्ष का सवाल है कि दूध का मूल्य जायज है या नहीं? यह तो दूध की क्वालिटी पर डिपेन्ड करता है। अगर हमारी समितियों और दूधिया के दूध की तुलना की जाय तो दूधिया का दूध किस तरीके से आता है यह तो सभी जानते हैं। समिति का जो दूध है वह क्वालिटी से आता है और जाँच परख के आता है।

मान्यवर, इस प्रकार दूध के मूल्य का निर्धारण समिति के सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। इसमें शोषण का सवाल कतई नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूँ, जब मैं 89 में विधायक बना था तो उत्तर प्रदेश में दूध के सवाल पर विधान सभा में प्रश्न आया था उस पर जो सवाल किया गया था कि एक दिन समितियों का दूध बन्द कर दिया जाय, जो दुग्ध उत्पादक हैं उनको देखिये, इसकी व्यवस्था सम्मानित पीठ द्वारा दी गई थी और पूरे लखनऊ के अन्दर एक कार्यक्रम चलाया गया। जितनी दुग्ध समितियाँ हैं वह 15 दिन तक दुग्ध उत्पादकों का कलैक्शन नहीं करेंगी, उससे परिणाम निकला कि जो दूध का मूल्य दुग्ध उत्पादक को 7 रु0 मिल रहा था वह 3 रु0 पर चला गया। मान्यवर, ऐसा नहीं है कि शोषण हो रहा हो। कम्पीटीशन है गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर बाजार में कोई कृषक दूध बेचता है तो उसका दूध 20 रु0 प्रति लीटर बिक रहा है? क्या कारण है कि सबसे अधिक मूल्य आप 12.50 पा रहे हैं? इससे आप महसूस करेंगे कि कृषकों का शोषण हो रहा है या नहीं हो रहा है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, आपने जो शोषण की बात कही है, शोषण कतई नहीं हो रहा है। जहाँ तक दूध के मूल्य का सवाल है, गुजरात प्रदेश इस समय हिन्दुस्तान में दुग्ध उत्पादन के मामले में सबसे आगे माना जाता है। मैं गुजरात प्रदेश के आनन्द जिले की बात कर रहा हूँ वहाँ पर यह मूल्य डेढ़ गुना है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि दुग्ध उत्पादन जो उत्पादक कर रहे हैं, उत्पादकों को उत्पादन व्यय इस पर क्या आ रहा है? इसके लिए माननीय मंत्री जी ने कहा कि मीटिंग की है। मीटिंग में रिजल्ट क्या निकला? क्या उत्पादन व्यय किसानों का आ रहा है? इस बारे में कुछ नहीं बताया।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, प्रश्नकाल समाप्त हो रहा है।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि दुग्ध का उत्पादन का मूल्य व्यय उसकी क्वालिटी पर निर्भर करता है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त।

राज्य के जिला सहकारी बैंकों में कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु परीक्षा शुल्क लिया जाना

*6. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के विभिन्न जिला सहकारी बैंकों में विभिन्न वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु लिखित व मौखिक परीक्षा आयोजित कराने के लिए अभ्यर्थियों से बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से शुल्क लिया गया था?

यदि हाँ, तो उक्त चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा आयोजित कराई जायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्णय शासन के विचाराधीन है।

तदैव।

तदैव।

उत्तरांचल में नई जातियों को अनुसूचित जाति एवं जनजाति में शामिल करने पर विचार

*7. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार उत्तरांचल में कुछ नई जातियों को अनुसूचित जाति एवं जनजाति में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो वे जातियां कौन–कौन सी होंगी?

समाज कल्याण मंत्री (श्री राम प्रसाद टम्टा)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*8. श्री नारायण पाल–

(छठे सोमवार के तारा0 प्र0–07 में स्था0)

जिला सहकारी बैंकों में विभिन्न पदों पर नियुक्ति

*9. श्री प्रकाश पंत–

क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तरांचल, देहरादून द्वारा विभिन्न जिला सहकारी बैंक लि0 के पदों हेतु 10 मार्च, 2003 को विज्ञापन द्वारा आवेदन मांगे गये थे?

नोटः– तारांकित प्रश्न संख्या (5) के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

यदि हाँ तो आवेदन शुल्क के माध्यम से कितनी धनराशि जमा की गयी?

क्या विज्ञापित समस्त पदों पर नियुक्तियाँ कर दी गयी हैं?

यदि हाँ, तो कब?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

रु0 35,06,530.00 (पैंतीस लाख छः हजार पांच सौ तीस रुपये)

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

चयन प्रक्रिया शासन के विचाराधीन है।

स्थगित अतारांकित प्रश्न

सहकारी क्रय–विक्रय समिति, काशीपुर के वर्ष 1996–97 की विशिष्ट लेखा प्रतिवेदन में उल्लिखित अनियमितताओं के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

1. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या सहकारिता मंत्री अवगत हैं कि वर्ष 96–97 में सहकारी क्रय–विक्रय समिति, काशीपुर के विशिष्ट लेखा प्रतिवेदन में समिति के तत्कालीन सचिव ए0डी0सी0ओ0 व अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध रु0 19,93,870.47 (उन्नीस लाख तिरानवें हजार आठ सौ सत्तर रु0 सैंतालीस पै0) के आहरण दुरूपयोग, अनियमितता की पुष्टि की गयी है।

यदि हाँ, तो दोषियों के विरूद्ध वसूली/प्रथम सूचना रिपोर्ट की क्या कार्यवाही की गई है?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष 1996–97 में उपनिबंधक सहकारी समितियाँ, नैनीताल द्वारा तत्कालीन सचिव ए0डी0सी0ओ0 के विरूद्ध धारा–65 की जाँच की गई थी तथा धारा–68 में उक्त के विरूद्ध लगभग 6.00 लाख वसूली के आदेश दिये गये थे?

यदि हाँ, तो उक्त पर अब तक क्या कोई कार्यवाही की गई है, यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

विशिष्ट लेखा प्रतिवेदन जो जून, 2003 में प्राप्त हुआ है, के अनुसार सहकारी क्रय–विक्रय समिति, काशीपुर में वर्ष 1996–97 में रु0 19,93,870.47 की वित्तीय अनियमितताऐं इंगित की गई हैं।

दोषी कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारण करने हेतु कार्यवाही गतिमान है।

उत्तरांचल में ऐसा कोई वसूली आदेश उपलब्ध नहीं है, चूँकि प्रकरण अविभाजित उ0प्र0 के समय का है इसलिये निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ0प्र0 से भी जानकारी प्राप्त की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

सहकारिता समितियों का चुनाव

1.श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार सहकारिता समितियों का चुनाव कराने जा रही है? यदि हाँ तो कब तक?

यदि नहीं तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

सहकारी समितियों में निर्वाचन की प्रक्रिया सहकारी समिति नियमावली में विस्तृत रूप से प्रस्तावित है। उक्त नियमावली अधिसूचित हो जाने पर ही सहकारी समितियों के निर्वाचन पर विचार किया जाना संभव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत की योजना

2. श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत करने हेतु सरकार क्या योजना बनाने जा रही है?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत अत्यधिक पुरानी क्षतिग्रस्त व जीर्ण–शीर्ण नहरों के पुनरोद्धार की योजनायें जिला योजना के अन्तर्गत बनाकर नहरों को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था की जाती है, किन्तु अत्यधिक बाढ़, अतिवृष्टि एवं बादल फटने आदि दैवीय आपदाओं से गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त सिंचाई नहरों की मरम्मत के लिये आपदा प्रबन्धन विभाग से धन की मांग की गई है। दैवीय आपदा मद में इन योजनाओं को शामिल कराने हेतु आपदा प्रबन्धन विभाग एवं भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

जनपद हरिद्वार में विधवा पेंशन की स्थिति एवं निस्तारण

3. काजी निजामुद्दीन–

क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद हरिद्वार में विधवा पेंशन कितनी पात्र महिलाओं को दी जा रही है तथा जनपद हरिद्वार में विधवा पेंशन के कितने मामले लम्बित हैं?

क्या सरकार इनके निस्तारण के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

जनपद हरिद्वार में कुल 3381 पात्र महिलाओं को विधवा पेंशन दी जा रही है तथा जनपद हरिद्वार में विधवा पेंशन के 195 मामले लम्बित हैं।

जी हाँ।

प्रदेश में पशुधन प्रसार अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती

4. श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में पशुधन प्रसार अधिकारी के कितने पद रिक्त हैं?

इन रिक्त पदों की भर्ती के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

336

पशुधन प्रसार अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु 100 अभ्यर्थियों का एक सत्र चलाने की स्वीकृति शासन से प्राप्त हो चुकी है। अभ्यर्थियों का चयन करने के संबंध में कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर से पत्राचार चल रहा है।

कुथलिया बोरा जाति को सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ

5. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2000 से कुथलिया बोरा जाति को पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किया गया है? क्या उक्त जाति को सरकारी नौकरियों के चयन में लाभ मिल रहा है?

यदि हाँ, तो अब तक कितने लोग इससे लाभान्वित हुए?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

जी नहीं। अधिसूचना संख्या–3107/स0क0/2003 दिनांक 15–11–2003 द्वारा जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल तथा बागेश्वर में निवास करने वाली कुथलिया बोरा को अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किया गया है। अतः दिनांक 15–11–2003 से उक्त जाति को सरकारी नौकरियों के चयन में लाभ मिल सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पिथौरागढ़ में पारिवारिक लाभ योजना से सम्बन्धित जानकारी

6. श्री प्रकाश पन्त–

क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में पारिवारिक लाभ योजना का वितरण किया जा रहा है?

यदि हाँ तो वित्तीय वर्ष 2002–2003 तक कितने आवेदनकर्ताओं को योजना का लाभ दिया जा चुका है तथा कितने आवेदकों के प्रकरण लम्बित हैं?

क्या सभी लम्बित प्रकरणों को वित्तीय वर्ष 2003–2004 तक योजना का लाभ प्राप्त हो जायेगा?

यदि नहीं तो क्यों?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

जी हाँ।

वित्तीय वर्ष 2002–03 तक कुल 1175 आवेदनकर्ताओं को योजना का लाभ दिया जा चुका है तथा 300 आवेदकों के प्रकरण लम्बित हैं।

भारत सरकार द्वारा संचालित, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित रूप से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने पर सभी लम्बित आवेदकों को योजना का लाभ दिया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्रत्येक जनपद में विकलांग अनुदान से लाभान्वित व्यक्तियों एवं उनकी स्वरोजगार की योजना

7. श्री मदन कौशिक–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में कितने व्यक्ति विकलांग अनुदान पा रहे हैं?

क्या सरकार विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार से जोड़ने की कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो योजना का स्वरूप क्या है?

यदि नहीं तो क्यों?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

प्रदेश के प्रत्येक जनपद में विकलांग अनुदान प्राप्त कर रहे लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है :–

क्र0सं0	जनपद	लाभार्थियों की संख्या
1	पौढ़ी गढ़वाल	1148
2	टिहरी	2459
3	चमोली	972
4	रुद्रप्रयाग	654

क्र0सं0	जनपद	लाभार्थियों की संख्या
5	उत्तरकाशी	1220
6	देहरादून	1992
7	हरिद्वार	1063
8	नैनीताल	1428
9	अल्मोड़ा	2474
10	पिथौरागढ़	1113
11	बागेश्वर	1220
12	चम्पावत	447
13	ऊधमसिंह नगर	982
	योग :–	17172

विकलांगों को स्वःरोजगार से जोड़ने के लिए दुकान निर्माण हेतु ऋण/अनुदान योजना विभाग द्वारा पूर्व से संचालित है तथा उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम द्वारा राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम से वित्त पोषित योजनाएं भी पूर्व से संचालित हैं।

1. विकलांगजनों हेतु दुकान निर्माण योजना के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों के पास निजी भूमि होनी चाहिए। उसमें दुकान निर्माण हेतु रु0 15 हजार ऋण 4 प्रतिशत ब्याज पर तथा रु0 5 हजार अनुदान मद में कुल रु0 20 हजार की धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है ताकि वे स्वःरोजगार प्राप्त कर आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सकें।

2. उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम से वित्त पोषित निम्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है :–

1. सेवा/व्यवसाय क्षेत्र में लघु व्यवसाय की स्थापना।
2. कृषि से सम्बन्धित क्रियाकलापों के लिये वित्त पोषण।
3. व्यवसायिक वाहन क्रय करने के लिये वित्त पोषण।
4. लघु उद्योग इकाई स्थापित करने के लिये वित्त पोषण।
5. लघु वित्त ऋण योजना।

1. पात्रता–

1. कोई भी भारतीय नागरिक जो 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक विकलांग हो।
2. उसकी आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
3. उसकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रुपये एक लाख एवं ग्रामीण क्षेत्र में रुपये अस्सी हजार से कम होनी चाहिये।

4. योजना से सम्बन्धित शैक्षणिक, तकनीकी, व्यवसायिक अनुभव एवं पृष्ठभूमि।

2. अधिकतम ऋण सीमा–

1. रुपये 05.00 लाख।

2. लाभार्थी का स्वयं का अंशदान रु0 1.00 लाख तक शून्य।

3. रु0 1.00 लाख से रु0 5.00 लाख तक 5%

3. वसूली की अवधि–

त्रैमासिक किस्तों में अधिकतम 10 वर्ष में।

4. ब्याज–

1. रुपये 50,000/– तक 5% वार्षिक।

2. रुपये 50,000/– से 5,00,000 तक 6% वार्षिक।

प्रश्न नहीं उठता।

जसपुर विधान सभा क्षेत्र में निर्मित तुमरिया डाम हेतु अधिग्रहीत भूमि का रेवेन्यू रिकार्ड

8. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जसपुर विधान सभा क्षेत्र में तुमरिया डाम सिंचाई हेतु सन् 1960 में बना था?

क्या सिंचाई विभाग द्वारा डाम क्षेत्र में राजस्व ग्राम सीपका से ग्रामवासियों को हटाकर डाम से बाहर विस्थापित कर दिया गया?

क्या उक्त भूमि सिंचाई विभाग को वन विभाग से मिली थी?

यदि हाँ, तो क्या कारण है कि आज तक इस ग्राम को रेवेन्यू रिकार्ड (खसरा खतौनी) उपलब्ध नहीं है? क्या सरकार उक्त रिकार्ड को उपलब्ध करवाने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ।

विगत में विस्थापितों को दी गई भूमि को राजस्व ग्राम में शामिल कराने हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् अनुभाग–9, उत्तर

प्रदेश को पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश शासन के समक्ष भेजा गया है। अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में भेड़पालकों के उत्थान की योजना

9. श्री माल चन्द्र–

क्या पशुधन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी में लोगों की जीविकोपार्जन का आधार भेड़ बकरी पालन है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इनके उत्थान हेतु बाल, खाल एवं माल की बिक्री के संबंध में कोई योजना तैयार कर रही है?

यदि हाँ, तो योजना का स्वरूप क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

उत्तरकाशी जनपद के कतिपय क्षेत्रों में स्थानीय लोगों का जीविकोपार्जन भेड़ व बकरी पर भी निर्भर है।

उत्तरांचल सरकार द्वारा राज्य में भेड़ व ऊन विकास के लिए अंकन रु0 242.00 लाख की योजना भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई थी। जिसके अन्तर्गत अभी तक रु0 37.75 लाख की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। योजना के अन्तर्गत ऊन खरीद एवं इसकी बिक्री की भी व्यवस्था है।

योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त धनराशि का उपयोग राज्य में गठित "उत्तरांचल भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड" के माध्यम से भेड़ पालकों की भेड़ों के स्वास्थ्य रक्षा, नस्ल सुधार, उत्पाद विकास (ऊन कटाई एवं ग्रेडिंग) आदि भेड़ एवं ऊन विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों में किये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़ में पशुचिकित्सालय खोलने हेतु प्रस्ताव

10. श्री नारायण राम आर्य–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ जनपद में कितने पशुचिकित्सालयों को खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन हैं?

क्या नापल, घोड़ासिल, चमडुगरा, चौनाला धौरपाल में पशु अस्पताल प्रस्तावित हैं?

यदि हाँ, तो कब तक इस पर निर्णय हो जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट–पिथौरागढ़ जनपद में पशुचिकित्सालय खोलने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पशु चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव जिला योजना के माध्यम से किया जाता है, अभी जनपद पिथौरागढ़ से इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद टिहरी गढ़वाल में निर्मित पणसूत्र नहर की स्थिति

11. श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि पणसूत्र नहर जनपद टिहरी गढ़वाल का निर्माण किस वर्ष सम्पन्न हुआ था और उसके निर्माण में कितनी लागत आयी थी?

नहर से वर्तमान समय में कितने हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा रही है?

क्या सरकार कृषकों के हित में नहर का विस्तार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक विस्तार के लिये धन आवंटित हो सकेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जनपद टिहरी गढ़वाल में पणसूत्र नहर का निर्माण वर्ष 1988–89 में हुआ था जिस पर रु० 5.89 लाख का व्यय किया गया।

नहर के स्रोत पर जल की कमी तथा काश्तकारों द्वारा खेतों के समतलीकरण न किये जाने के कारण नहर से वर्तमान में कोई सींच नहीं की जा रही है।

स्रोत पर जल की कमी के कारण नहर का विस्तार करना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

नहर के स्रोत पर जल की कमी के कारण।

जनपद टिहरी के प्रतापनगर में भैगा प्रथम, भैगा द्वितीय–बौसाड़ी–नौनार में हाईड्रम योजनायें बन्द का कारण

12. श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी के विकास खण्ड–प्रतापनगर में भैगा प्रथम, भैगा द्वितीय–बौसाड़ी–नौनार में हाइड्रम योजनायें किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिये बनी थी?

यदि हाँ, तो इन योजनाओं को किन–किन कारणों से बन्द कर दिया गया?

उक्त योजनाओं के निर्माण में कितनी लागत योजनावार आयी थी और कितनी लागत इन्हें बन्द करने के कार्यों में आई?

सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों में सिंचाई हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी हाँ।

भैगा प्रथम का निर्माण प्रारम्भ नहीं हो पाया था। हाईड्रम योजना भैगा–द्वितीय का निर्माण वर्ष 1985–86 में प्रारम्भ हुआ था। यह योजना निर्माण के प्रारम्भिक चरण में ही अतिवृष्टि एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस योजना में हाईड्रम मशीनें स्थापित नहीं हो पाई थीं योजना का कार्य स्थल भी पूर्णतः बाढ़ क्षेत्र में समाहित हो गया, इसलिये योजना का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं हो पाया।

हाईड्रम योजना भैगा प्रथम पर अभिलेखों के अनुसार कोई धनराशि व्यय नहीं हुई है तथा हाईड्रम योजना भैगा–द्वितीय पर रु0 84,129.00 बौसाड़ी पर रु0 8.14 लाख तथा नौनार के निर्माण पर रु0 2.28 लाख की लागत आई है। इन योजनाओं को बन्द करने में किसी तरह की कोई धनराशि व्यय नहीं की गई है।

हाईड्रम योजना भैगा के कार्य स्थल पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाने एवं बाढ़ क्षेत्र में समाहित हो जाने के कारण हाईड्रम योजना द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं रह गया है। भैगा में स्थित कृषि भूमि की सिंचाई हेतु कोई श्रोत उपलब्ध न होने के कारण ग्रेविटी गूल के माध्यम से भी सिंचाई सम्भव नहीं है।

हाईड्रम योजना नौनार में अन्य कोई श्रोत उपलब्ध न होने के कारण ग्रेविटी गूल के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जानी सम्भव नहीं हो पाई।

बौसाड़ी की उक्त भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिये आफ–सूट का सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

मिलंगना जिला टिहरी में पुण्डारा नहर की क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण

13. श्री बलवीर सिंह नेगी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड–भिलंगना में पुण्डारा नहर की दीवार क्षतिग्रस्त होने से सिंचाई व्यवस्था बाधित हो गई है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार दीवार निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी हाँ।

नहर की मरम्मत हेतु रु0 6.86 लाख की योजना बनाई गई है, जिसका कार्यान्वयन

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिगत शीघ्र करने का प्रयत्न किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में कमल नदी के दोनों तरफ तटबन्ध बनाने की योजना

14. श्री मालचन्द्र–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड–पुरोला व लाल चावल उत्पादन के लिये प्रसिद्ध रामसिराई एवं कमल सिराई की सिंचित भूमि कमल नदी की बाढ़ से प्रति वर्ष घट रही है?

क्या यह सत्य है कि पूर्व में उ0प्र0 सरकार के समय कमल नदी के दोनों तरफ तटबन्ध बनाने की योजना थी?

क्या सरकार उक्त स्थान की सिंचित भूमि को सुरक्षित रखने के लिये कमल नदी के दोनों ओर तटबन्ध का निर्माण करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी हाँ।

अनुमोदित योजना के अन्तर्गत कटाव से प्रभावित क्षेत्र में ही तटबन्ध बनाने की योजना है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल में पिछड़ी जातियों में शामिल जातियाँ एवं उनको अनुमन्य सुविधायें

15. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में पिछड़ी जातियाँ (ओ0बी0सी0) में कौन–कौन सी जातियाँ सम्मिलित की गई हैं?

क्या सम्मिलित जातियों को शासन द्वारा अनुमन्य सुविधायें देय हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

उत्तरांचल में पिछड़ी जातियों में कुथलिया बोरा, भूत बाहरी/वाहंग तथा गोरख समुदाय को सम्मिलित किया गया है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी बांध विस्थापित व प्रभावित गांवों असेणा, पटागाली घोण्टी, पिपोला व पिलखी के परिवारों को टिहरी हाइड्रो डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन में रोजगार विषयक

16. श्री बलवीर सिंह नेगी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी बांध परियोजना में अब तक बांध विस्थापित व प्रभावित (आंशिक व पूर्ण डूब क्षेत्र) गांवों असेणा, पटागली, घोण्टी, पिपोला, पिलखी के परिवारों के कुल कितने सदस्यों को टिहरी हाइड्रो डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन में रोजगार उपलब्ध कराया गया है?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

टिहरी बांध परियोजना में अब तक बांध विस्थापित प्रभावित (आंशिक एवं पूर्ण डूब क्षेत्र) गांवों असेणा, पटागली, घोण्टी, पिपोला, पिलखी के परिवारों को निम्नानुसार रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है :–

1.	असेणा	–	01
2.	पटागली	–	02
3.	घोण्टी	–	05
4.	पिपोला	–	05
5.	पिलखी	–	02
	योग –		15

जनपद टिहरी गढ़वाल में सिंचाई विभाग में रिक्त सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता के पदों पर नियुक्ति

17. श्री बलवीर सिंह नेगी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं के कुल कितने पद रिक्त हैं?

क्या सरकार रिक्त पदों पर अभियन्ताओं की नियुक्ति करने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जनपद टिहरी गढ़वाल में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत सहायक अभियन्ताओं के 02 अकार्यकारी पद रिक्त हैं तथा कनिष्ठ अभियन्ताओं के कुल 34 पद रिक्त हैं।

सहायक अभियन्ता के पद अकार्यकारी होने से निर्माण कार्य प्रभावित नहीं हो रहे हैं। वर्तमान में राज्य स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन प्रक्रिया अन्तिम चरण में है।

रिक्त पदों पर अभियन्ताओं की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के चयन पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी गढ़वाल के भिलंगना क्षेत्र में क्षतिग्रस्त लुवा नहर की मरम्मत

18. श्री बलवीर सिंह नेगी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार जनपद टिहरी गढ़वाल के भिलंगना विकास खण्ड में क्षतिग्रस्त लुवा नहर की जनहित में अविलम्ब मरम्मत करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी हाँ।

वित्तीय वर्ष 2003–2004 में।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी हाइड्रो डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन में बांध प्रभावित क्षेत्र के परिवारों को रोजगार देने विषयक

19. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन में बांध में प्रभावित क्षेत्र के कितने लोगों को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर रोजगार दिया जा चुका है?

क्या सरकार प्रभावित गांववार रोजगार प्राप्त अभ्यर्थियों की अद्यतन सूची उपलब्ध करायेगी?

कितने परिवारों के लोग रोजगार से वंचित हैं तथा उन्हें कब तक रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

टिहरी बांध प्रभावित क्षेत्र के कुल (समस्त पदों पर) 692 विस्थापितों को टी0एच0डी0सी0 में रोजगार दिया जा चुका है। उसके अतिरिक्त कोटेश्वर बांध परियोजना में 46 विस्थापितों को रोजगार दिया गया है। ग्राम असैना, पटागनी, धोग्टी, पिपौला आदि जहाँ से खनन सामग्री लायी जा रही है, के विस्थापित परिवारों के 15 सदस्यों को रोजगार दिया जा चुका है।

टिहरी बांध से प्रभावित परिवारों के सदस्यों को रोजगार दिये जाने विषयक ग्रामवार सूची संलग्न है।

परियोजना से प्रभावित परिवारों के सदस्य रोजगार से वंचित हैं, अथवा जिन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा, की सूची उपलब्ध कराया जाना सम्भव एवं व्यवहारिक नहीं है।

– तदैव –

[देखिए नत्थी (क) आगे पृष्ठ सं0 105–136 पर।]

टिहरी बांध से प्रभावित जनपद उत्तरकाशी के परिवारों को पुनर्वासित किये जाने की जानकारी

20. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या सिंचाई मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी बांध से जनपद उत्तरकाशी के कुल कितने परिवार प्रभावित हो रहे हैं?

बांध से प्रभावित, उत्तरकाशी के कितने परिवारों को पुनर्वासित किया जा चुका है तथा कितने परिवारों को पुनर्वासित किया जाना अवशेष है?

उक्त प्रभावित परिवारों को कब तक पुनर्वासित कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

टिहरी बांध से जनपद उत्तरकाशी का एक ग्राम पूर्ण प्रभावित तथा 15 ग्राम आंशिक रूप से प्रभावित हैं, जिसमें प्रभावित होने वाले परिवारों की संख्या 1048 है, जिसके अन्तर्गत पात्र विस्थापितों की संख्या 296 है।

पात्र विस्थापित 296 परिवारों में से 117 परिवारों को भूमि आवंटित की जा चुकी है तथा शेष 179 पात्र विस्थापितों को भूमि आवंटित किया जाना शेष है।

अवशेष पात्र विस्थापितों को माह जून, 2004 तक भूमि आवंटित/पुनर्वासित कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

भिलंगना के ग्राम सभा कोटी (थाती–कठूड़) में बाढ़ व भू–स्खलन से उत्पन्न गम्भीर समस्या तथा उसका निराकरण

21. श्री बलवीर सिंह नेगी–

क्या सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में विकास खंड भिलंगना के ग्राम सभा कोटी (थाती–कठूड़) में बाढ़ व भू–स्खलन से उत्पन्न गम्भीर समस्या के निराकरण हेतु शासन द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई है?

यदि हाँ, तो इस योजना पर कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

वर्तमान में ग्राम सभा कोटी (थाती–कपूड़) में बाढ़ सुरक्षा की योजना विचाराधीन नहीं है। चूंकि बाढ़ नियंत्रण की प्रकृति का कार्य दैवीय आपदा के माध्यम से राजस्व विभाग द्वारा कराये जाने का प्राविधान हुआ है वर्तमान में जनपदों में मा0 विधायकगणों की राय से ही तत्सम्बन्धी धन का आवंटन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत टिहरी गढ़वाल दुग्ध संघ व उत्तरकाशी दुग्ध संघ को भ्रूण प्रत्यारोपण योजना हेतु स्वीकृत धनराशि

22. श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गत् पाँच वर्षों में जनपद टिहरी गढ़वाल व उत्तरकाशी में नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत टिहरी गढ़वाल दुग्ध संघ व उत्तरकाशी दुग्ध संघ को भ्रूण प्रत्यारोपण योजना हेतु कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी?

स्वीकृत धनराशि का जनपद टिहरी गढ़वाल के किन–किन विकास खण्ड के किन–किन गांवों में उपयोग किया गया?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

23. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

(दिनांक 23–12–2003 को अता0 प्र0सं0 118 द्वारा उत्तरित)

जनपद रुद्रप्रयाग की तिलवाड़ा लिफ्ट सिंचाई योजना की जानकारी

24. श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग की तिलवाड़ा लिफ्ट सिंचाई योजना अपूर्ण है?

यदि हाँ, तो इस योजना के विस्तार के लिए सरकार क्या कार्य योजना बना रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग के जखोली में धनकुराली नहर का निर्माण

25\. श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड–जखोली में धनकुराली नहर कब बनी थी?

क्या नहर का कार्य अपूर्ण है?

यदि हाँ, तो इस नहर के कार्य को कब तक पूरा कर लिया जायेगा?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड–जखोली में धनकुराली नहर का निर्माण वर्ष 1983–84 में सम्पन्न कराया गया था।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग की पट्‌टी रानीगढ़ में क्षतिग्रस्त कोट विचला नहर की मरम्मत

26\. श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग की पट्‌टी रानीगढ़ में कोट विचला नहर कब बनायी गयी?

इस नहर में पानी न चलने के क्या कारण हैं?

क्या सरकार उक्त नहर में पानी चालू करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जनपद रुद्रप्रयाग की विचला नहर का निर्माण वर्ष 1966–67 में किया गया है।

नहर काफी पुरानी होने के कारण तथा भूकम्प एवं अतिवृष्टि के कारण कई स्थानों से क्षतिग्रस्त है।

जी हाँ।

नहर के द्वितीय स्रोत तथा कोट नहर से अस्थायी रूप से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। नहर में अति आवश्यक कार्य कराकर वर्तमान में नहर को 1.20 किमी0 तक चला दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी बांध परियोजनान्तर्गत उत्तरकाशी के गांवों का भू–गर्भीय सर्वेक्षण

27. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी बांध परियोजनान्तर्गत प्रभावित जनपद उत्तरकाशी के गांवों का भू–गर्भीय सर्वेक्षण करवाया जायेगा?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी हाँ।

जिन गांवों का सर्वेक्षण कराया जाना व्यवहारिक होगा, शीघ्र किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लघु सिंचाई नियोजन एवं कार्यान्वयन समिति की संरचना

28. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिला लघु सिंचाई नियोजन एवं कार्यान्वयन समिति की संरचना क्या है?

क्या सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश की प्रति मा० विधायकों को उपलब्ध करायी जाती है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी के अधीन जिला निजी लघु सिंचाई नियोजन की कार्यान्वयन समिति निम्नवत् गठित है :–

1.	जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	–	सदस्य
3.	जिला कृषि अधिकारी/परियोजना अधिकारी	–	सदस्य
4.	जिला भूमि संरक्षण अधिकारी (जनपद का नोडल अधिकारी)	–	सदस्य
5.	जिला उद्यान अधिकारी	–	सदस्य
6.	जनपद में पानी, प्रबन्ध, महिला विकास एवं सामुदायिक विकास में कार्यरत दो गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि	–	सदस्य
7.	अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियंता, लघु सिंचाई	–	सदस्य सचिव

जिला प्लान एवं अन्य बैठकों में विभागीय कार्यक्रमों से सम्बन्धित दिशा निर्देशों से अवगत कराया जाता है और तदनुसार विचारोपरान्त ही जिला योजना/योजनायें अनुमोदित की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरकाशी में लघु सिंचाई विभाग द्वारा गूल हौज निर्माण चयन में पट्टी दशगी हातड़ व बिष्ट गांवों को योजना से बाहर रखने के कारण

29. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में लघु सिंचाई विभाग की जिला योजना वर्ष 2003–04 में स्वीकृत गूल हौज निर्माण चयन शासन के दिशा निर्देशों व मानकों के अनुरूप किया गया है?

क्या यह सत्य है कि विकास खण्ड–चिन्यालीसौड़ में पट्टी दशगी हातड़ व बिष्ट के लगभग 50 गांवों को योजना से बाहर रखा गया?

यदि हाँ, तो उपर्युक्त क्षेत्रों को लाभान्वित न किये जाने के क्या कारण रहे?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी हाँ, योजना का चयन शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप समिति का गठन कर मानकों के अनुरूप किया गया है।

विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में पट्टी दशगी, हातड़ व बिष्ट के ग्रामों को योजना से बाहर नहीं रखा गया है।

विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में पट्टी दशगी, हातड़ व बिष्ट में वर्ष 2003–04 में सिंचाई योजना चुवडाली टिपरी, बिष्ट एवं चरीखेत तोक टिपरी बिष्ट चयनित की गई है, जिनका निर्माण कार्य प्रारम्भ है।

सिंचाई विभाग में संगणक पदों का सृजन

30. श्री कैलाश शर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सिंचाई विभाग ने लोक निर्माण विभाग की भाँति संगणक पद सृजित करने की अनुशंसा की है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार सिंचाई विभाग में संगणक पद सृजित करने का विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी हाँ।

सिंचाई विभाग का कैडर स्ट्रक्चर का निर्धारण किया जाना विचाराधीन है। अतः विभाग की आवश्यकता एवं पद की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए ही पदों का सृजन किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी बांध परियोजना में पूर्णकालिक पुनर्वास निदेशक की नियुक्ति

31. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी बांध परियोजना में पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के लिए पूर्णकालिक पुनर्वास निदेशक की नियुक्ति की जायेगी?

क्या यह सत्य है कि जिलाधिकारी के प्रशासन के कार्यों की व्यस्तता के कारण पुनर्वास कार्यों के निस्तारण में बाधा पहुँच रही है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार विस्थापितों के हितों को देखते हुये अलग से पुनर्वास निदेशक की तैनाती किये जाने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

वर्तमान समय में ऐसे प्रस्ताव पर विचार करना व्यवहारिक नहीं होगा।

जी नहीं, टिहरी बांध परियोजना के अवशेष कार्यों एवं डूब क्षेत्र खाली कराने में मुख्य भूमिका जिलाधिकारी/प्रशासन की होती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

भीमताल के पशुसेवा केन्द्र, देड़ाखान एवं रौंसिल में पशुधन प्रसार अधिकारी की तैनाती

32. श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या पशुपालन मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल के वि0ख0 भीमताल के पशुसेवा केन्द्र, देड़ाखान एवं पशुसेवा केन्द्र, रौंसिल में पशुधन प्रसार अधिकारी के पद रिक्त हैं?

यदि हाँ, तो क्या उक्त केन्द्रों में पशुधन प्रसार अधिकारी की तैनाती की जायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

पशुसेवा केन्द्र, देड़ाखान में पशुधन प्रसार अधिकारी का पद रिक्त है जबकि पशुसेवा केन्द्र रौंसिल का पद भरा है।

अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर तैनाती की जायेगी।

राज्य में पशुधन प्रसार अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया गतिमान है। चयन एवं प्रशिक्षण के उपरांत नियुक्ति की जानी सम्भव होगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जोशीमठ ब्लाक को जनजाति क्षेत्र घोषित करने की संस्तुति केन्द्र सरकार को भेजने सम्बन्धी ज्ञापन

33. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि जोशीमठ विकास खण्ड जनपद चमोली की जनता ने जोशीमठ ब्लाक को जनजाति क्षेत्र घोषित करने हेतु उत्तरांचल सरकार की संस्तुति केन्द्र सरकार को भेजने हेतु कोई ज्ञापन दिया है?

यदि हाँ, तो अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गई?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

जी हाँ।

उत्तरांचल के जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ को जनजाति क्षेत्र घोषित किए जाने हेतु दिनांक 21 नवम्बर, 2001 को विधान सभा में संकल्प पारित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 (2) में किसी जनजाति अथवा जनजाति समुदाय या इस जाति के भू–भाग को अथवा जनजाति समूह को जनजाति घोषित करने का अधिकार संसद में निहित है। अतः संकल्प भारत सरकार को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु दिनांक 26–12–2001 को सन्दर्भित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली में उन्नत नस्ल की गायें, भैसें कृषकों को उपलब्ध कराने की योजना

34. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या पशुधन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में उन्नत नस्ल की गायें, भैसें कृषकों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार किसी कार्य योजना पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

वर्तमान वर्ष से उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित उत्तरांचल कैटिल एवं बफैलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट नामक योजना के चालू हो जाने के फलस्वरूप पूरे प्रदेश में श्वेत क्रांति एवं नश्ल सुधार के उद्देश्य से वृहद कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत सुदूरवर्ती ग्रामों में अच्छे नस्ल की गायें एवं भैंसा साँड रखे जायेंगे। जिनसे नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाया जायेगा। उक्त योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के कृषकों को भी लाभान्वित किया जायेगा। बॉडर एरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम के तहत विकास खण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत माह अप्रैल, 2002 में 20 उन्नत नस्ल की गायें चयनित कर कृषकों को वितरित की गई हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के काण्डई गाँव में पशु प्रजनन केन्द्र का संचालन

35. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या पशुधन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के काण्डई नामक गाँव में कोई पशु प्रजनन केन्द्र संचालित है?

यदि हाँ, तो क्या इस केन्द्र से पशु प्रजनन सेवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के काण्डई नामक गाँव में पूर्व में पशु प्रजनन केन्द्र कार्यरत था, उक्त केन्द्र के सांड के निष्प्रयोज्य हो जाने पर केन्द्र कार्य नहीं कर रहा है।

उत्तरांचल में पशु प्रजनन सम्बन्धी समस्त योजनाओं के संचालन हेतु गठित यू0एल0डी0बी0 द्वारा माँग के आधार पर साँडों की व्यवस्था की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के कर्णप्रयाग एवं पोखरी में संचालित साँड़ एवं भैंसा केन्द्रों की वृद्धि की योजना

36. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या पशुधन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट, कर्णप्रयाग एवं पोखरी में कुल कितने साँड़ केन्द्र एवं भैंसा केन्द्र संचालित हैं?

क्या सरकार वर्तमान वर्ष में इन केन्द्रों की वृद्धि करने की योजना बनाये जाने पर विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट, कर्णप्रयाग एवं पोखरी के अन्तर्गत क्रमशः 8, 11 एवं 9 साँड केन्द्र संचालित हैं एवं उक्त स्थानों पर इतने ही भैंसा केन्द्र संचालित हैं।

वर्तमान वर्ष से उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित उत्तरांचल लाइवस्टोक डवलपमेंट बोर्ड नामक योजना कार्यरत हो जाने के फलस्वरूप पूरे प्रदेश में श्वेत क्रान्ति एवं नस्ल सुधार के उद्देश्य से वृहद कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत सुदूरवर्ती ग्रामों में अच्छे नस्ल के गाय एवं भैंसा साँड रखे जायेंगे। जिनसे नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तरकाशी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास निर्माण की जानकारी

37. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त छात्रावास निर्मित हो जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु पृथक–पृथक छात्रावास पूर्व से निर्मित है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के नये छात्रावास के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुए हैं।

पिथौरागढ़ में क्षतिग्रस्त नाचनी नहर पर सिंचाई हेतु लिफ्ट योजना की माँग

38. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ में नाचनी नहर वर्ष, 1995 से क्षतिग्रस्त है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार नाचनी में सिंचाई हेतु लिफ्ट योजना स्वीकृत करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी हाँ, नहर वर्ष 2000–2001 से क्षतिग्रस्त है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत कराकर नहर चालू करायी जायेगी।

राज्य में विकलांग जन आयुक्त कार्यालय की स्थापना करके पीड़ितों की शिकायतों का निवारण

39. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में विकलांग जन आयुक्त कार्यालय स्थापित किया जा चुका है?

यदि हाँ, तो क्या कार्यालय द्वारा पीड़ित विकलांगों की शिकायतों का निवारण किया जा रहा है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ दुग्ध संघ में साँड़ों के क्रय में अनियमिततायें, दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही

40. श्री प्रकाश पंत–

क्या पशुपालन मंत्री बतायेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 2001–02 तथा वर्ष 2002–03 की जिला योजना में पिथौरागढ़ दुग्ध संघ हेतु साँड़ों की खरीद किये जाने हेतु कितना धन अवमुक्त किया गया था?

क्या अवमुक्त धन से खरीदे गये साँड़ों का क्रय मानकों के अनुसार किया गया था?

यदि नहीं, तो सरकार दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद पिथौरागढ़ की दुग्ध समितियों में प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्ष 2001–02 में जिला योजनान्तर्गत कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई जबकि वर्ष 2002–2003 में पिथौरागढ़ दुग्ध संघ को रु0 1.40 लाख उपलब्ध कराये गये थे।

जी नहीं।

साँड क्रय में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये तीन कर्मचारियों को निलम्बित किया जा चुका है। प्रकरण की विस्तृत जाँच गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल में संचालित पशु प्रजनन केन्द्र एवं अच्छी नस्ल की गायों की खरीद–फरोख्त हेतु केन्द्र की स्थापना

41. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में कुल कितने पशु प्रजनन केन्द्र संचालित हैं तथा इनमें कुल कितने पशु हैं?

क्या सरकार द्वारा उत्तरांचल में अच्छी नस्ल की गायों की खरीद–फरोख्त के लिए केन्द्र स्थापित किया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

उत्तरांचल में दो पशु प्रजनन केन्द्र संचालित हैं। एक जनपद देहरादून के कालसी नामक स्थान तथा दूसरा जनपद चमोली के भराड़ीसैण नामक स्थान पर स्थित है। इनमें कुल 398 पशु हैं।

जी नहीं।

इसकी आवश्यकता नहीं समझी गई है।

उत्तरांचल में "तँबर सिंघाड़िया" जाति को पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किये जाने की जानकारी

42. श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश की भाँति उत्तरांचल में भी "तँबर सिंघाड़िया" जाति के लोग अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किये गये हैं?

यदि नहीं, तो उक्त जाति को पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित करने पर विचार किया जा रहा है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

वर्तमान में उत्तरांचल में भी उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 08–11–2000 तक जारी अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची मान्य है। जिसमें 69 प्रविष्टि पर "तँबर सिंघाड़िया" जाति सम्मिलित की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

सितारगंज ऊधमसिंह नगर में नदियों से हो रहे भूमि कटाव को रोकने की योजना

43. श्री नारायण पाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सितारगंज ऊधमसिंह नगर जिले में बैगुल नदी, कॉमन नदी, करना नदी, नधौर नदी, कैलाश नदी, देवा नदी के निरन्तर कटान से हो रही फसल व भूमि का नुकसान रोकने की कोई योजना बनायी गयी है?

यदि हाँ, तो योजना का प्रारुप क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह–

जी हाँ, करना नदी को छोड़कर। करना नदी नाम से कोई नदी ऊधमसिंह नगर में नहीं है।

ऊधमसिंह नगर के सितारगंज तहसील में बैगुल नदी से 7 ग्रामों की सुरक्षा हेतु लागत रु0 533.00 लाख की योजना भारत सरकार को धनावंटन हेतु भेजी गयी है कॉमन नदी पर विधायक निधि के अन्तर्गत आवंटित रु0 1.50 लाख की धनराशि से कार्य किया जा रहा है। नधौर नदी ही सितारगंज क्षेत्र में प्रवेश करते ही कैलाश नदी व देवहा नदी के रूप में दो भागों में बंट जाती है। कैलाश नदी से 8 ग्रामों को बाढ़ से बचाने हेतु लागत रु0 54.08 लाख की योजना का कार्य गतिमान है। देवहा नदी से ग्राम सुनपहर को बचाने हेतु लागत रु0 53.18 लाख की योजना परीक्षणाधीन है तथा ग्राम मुहम्मदगंज एवं पक्की खमरिया ग्रामों की सुरक्षा हेतु एक योजना रु0 77.00 लाख की तैयार की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

अच्छी नस्ल के पशुओं को खरीदने की नीति

44. श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार ने अच्छी नस्ल के पशुओं को खरीदने की कोई नीति बना रही है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार नीति की प्रति सदन के पटल पर रखेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मत्स्य पालन हेतु पट्टा आवंटन नीति

45. श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या मत्स्य पालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में मत्स्य पालन हेतु पट्टे आवंटित करने के लिए सरकार ने कोई नीति बनाई है?

यदि हाँ, तो उसकी एक प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी बांध से निर्मित झील के भू–गर्भीय सर्वेक्षण/अध्ययन की आख्या

46. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत है कि टिहरी बांध निर्माण से निर्मित झील के भू–गर्भीय सर्वेक्षण, भू–गर्भीय प्रभाव का अध्ययन, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्ध केन्द्र द्वारा कराया जा रहा है?

यदि हाँ, तो सर्वेक्षण/अध्ययन आख्या राज्य सरकार को प्राप्त हो गयी है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त आख्या की प्रति सदन के पटल पर रखेगी?

श्री शूरवीर सिंह–

जी हाँ।

जी हाँ।

सर्वेक्षण आख्या की एक प्रति सदन के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

[देखिए नत्थी (ख) आगे पृष्ठ सं0 137–147 पर।]

उत्तरकाशी में सिंचाई नहरों की देख–रेख हेतु अस्थाई (दैनिक) बेलदारों की नियुक्ति

47. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में सिंचाई नहरों की देख–रेख हेतु कितने अस्थायी (दैनिक) बेलदारों को नियुक्त किया गया है?

उनको प्रतिमाह कितना वेतन दिया जा रहा है?

क्या यह सत्य है कि नहरों की सफाई व मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि से बेलदारों का वेतन दिया जा रहा है?

यदि हाँ, तो क्या इससे नहरों की सफाई व मरम्मत का कार्य उपेक्षित हो रहा है

यदि हाँ, तो सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाने जा रही है?

श्री शूरवीर सिंह–

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार जनपद उत्तरकाशी में सिंचाई नहरों की देख–रेख हेत् कोई अस्थायी (दैनिक) बेलदार नियुक्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरकाशी में दुग्ध विकास सहकारी संघ द्वारा ग्रामीणों को ऋण द्वारा क्रय करवाई गई गायों की जानकारी

48. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में दुग्ध विकास सहकारी संघ द्वारा ग्रामीण पशुपालकों को ऋण उपलब्ध कराकर बाहर रं गायें क्रय करवाई गईं?

यदि हाँ, तो क्या गायें जलवायु परिवर्तन के कारण बीमार रहती हैं?

क्या विभाग द्वारा पशुपालकों को गायों की चिकित्सा हेतु चिकित्सकीय अथव अन्य सहायता उपलब्ध कराई जा रही हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ, सघन मिनी डेरी परियोजना अन्तर्गत इच्छुक दुग्ध उत्पादकों को कॉसब्रीड गाय उपलब्ध कराई गई है।

जी नहीं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अनाथ बेसहारा बालक–बालिकाओं को अनुदान पर विचार

49. श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में अनाथ बेसहारा बालक–बालिकाओं को अनुदान देने की क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

जी नहीं। अनाथ बालक/बालिकाओं के लिए देहरादून व अल्मोड़ा जनपदों में राजकीय शरणालय स्थापित हैं।

जनपद पिथौरागढ़ में राजी जनजाति आवासीय विद्यालय, जौलजीवी को राजकीय करने की मांग

50. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में राजी जनजाति आवासीय विद्यालय, जौलजीवी स्वयं सेवी संस्था द्वारा वर्ष 2001 से संचालित है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार के पास उक्त विद्यालय को राजकीय घोषित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों को विभाग में समायोजित करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

टिहरी बांध पर मदवार व्यय धनराशि का विवरण

51. श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी बांध पर अब तक कुल कितना धन खर्च हुआ है?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि यह धन किन–किन मदों पर कितना–कितना खर्च हुआ है? क्या मंत्री जी पूर्ण ब्यौरा सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

टिहरी बांध के निर्माण एवं पुनर्वास कार्यों पर अक्टूबर, 2003 तक कुल 5831.16 करोड़ रुपये व्यय हुआ है।

बांध निर्माण का अधिकांश कार्य टी0एच0डी0सी0 से सम्बन्धित है, जो भारत सरकार का उपक्रम है। अतः टी0एच0डी0सी0 से व्यय का विस्तृत विवरण एकत्रित किया जा रहा है।

टिहरी बांध की टनल–1 और 2 के बन्द होने के उपरान्त यातायात व्यवस्था

52. श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी बांध की टनल–1 और 2 (टी$_1$–टी$_2$)कब किस माह बंद करने का निश्चय किया गया? क्या यह भी विचार किया

गया है कि (टी$_1$–टी$_2$) के बंद होने के बाद झील में पानी भरने के कारण विधान सभा क्षेत्र प्रताप नगर के लोगों के यातायात के मार्ग अवरुद्ध हो जायेंगे?

उस स्थिति में वैकल्पिक यातायात की क्या कोई व्यवस्था सरकार करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह–

जी हाँ। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित सचिव स्तरीय समीक्षा समिति के निर्णयानुसार टनल–1 और 2 (टी$_1$–टी$_2$) माह 12/2003 से 3/04 तक बन्द किये जाने के प्रस्ताव पर अनापत्ति दी गयी है। बन्द करने की कार्ययोजना टिहरी बांध परियोजना के द्वारा जिला प्रशासन को अभी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी बांध झील क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं की वैकल्पिक व्यवस्था

53. श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या टिहरी बांध के कारण पुरानी टिहरी से चिन्यालीसौड़ के क्षेत्र तक भागीरथी नदी पर एक विशाल झील बन रही है? तथा इस झील से सुगम यातायात के साधन पूरी तरह से बन्द हो जायेंगे जिससे तमाम नागरिक सुविधा पेयजल, खाद्यान, शिक्षा, चिकित्सा एवं पर्यावरण पर नागरिकों के हितों के विपरीत प्रभाव पड़ेगा?

यदि हाँ, तो इसकी पूर्ति में किस प्रकार की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध की जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी हाँ।

जी हाँ।

टिहरी बांध परियोजना के कारण विशाल झील बनने के फलस्वरूप इस क्षेत्र के नागरिकों के हितों को देखते हुये निम्नानुसार वैकल्पिक सुविधायें उपलब्ध रहेंगी–

1.	यातायात हेतु	–	दो हल्का वाहन झूला पुल का निर्माण।
2.	शिक्षा	–	चार महाविद्यालय चार इण्टर कॉलेज।
3.	चिकित्सालय	–	चार चिकित्सालय।
4.	पेयजल	–	झील बनने से इस क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था बाधित नहीं होगी।
5.	विद्युत आपूर्ति	–	33/11 के0वी0ए0 के विद्युत उपसस्थान कमांद, जाखणीधार एवं रजाखेत में निर्माणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी के ग्राम जसवाल गाँव, खोला तथा कंगसाली की ज्योलोजिकल सर्वेक्षण रिपोर्ट

54. श्री फूल सिंह बिष्ट--

क्या सिंचाई मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के ग्राम जसवाल गाँव, खोला तथा कंगसाली का ज्योलोजिकल सर्वेक्षण कराया गया?

क्या सर्वेक्षण की विस्तृत रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जा चुकी है?

यदि हाँ, तो क्या रिपोर्ट के परिणामों पर सरकार प्रभाव पूर्ण कार्यवाही करेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह--

जी हाँ, आपदा न्यूनीकरण प्रबन्ध केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून द्वारा सर्वेक्षण किया गया है।

जी हाँ।

प्राप्त रिपोर्ट के परीक्षण के उपरान्त कार्यवाही करना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भेड़ पालकों द्वारा उत्पादित ऊन की विक्रय हेतु नीति

55. श्री मातबर सिंह कण्डारी--

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश सरकार ने उत्तरकाशी, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ के भेड़ पालकों की ऊन विक्रय हेतु कोई नीति बनाई है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी--

उत्तरांचल में भेड़ एवं ऊन विकास के लिए उत्तरांचल भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड के द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत भेड़ पालकों के ऊन क्रय की भी योजना है।

राजकीय नारी निकेतन थत्यूड़ में कार्यरत प्रभारी की सचिवालय में सम्बद्धता विषयक

56. श्री प्रीतम सिंह पंवार--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि थत्यूड़ जनपद टिहरी गढ़वाल में कार्यरत प्रभारी राजकीय नारी निकेतन को सचिवालय देहरादून में कब सम्बद्ध किया गया?

उन्हें कब तक मूल तैनाती स्थल थत्यूड़ भेजा जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

थत्यूड़ जनपद टिहरी गढ़वाल में कार्यरत प्रभारी अधीक्षिका राजकीय नारी निकेतन को सचिवालय देहरादून में दिनांक 03–06–2003 को सम्बद्ध किया गया।

प्रभारी अधीक्षिका, राजकीय नारी निकेतन, थत्यूड़ को कार्यहित में सचिवालय देहरादून में सम्बद्ध किया गया है। अतः प्रभारी अधीक्षिका को मूल तैनाती स्थल थत्यूड़ भेजने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली में ग्राम पंचायत तेफना में नन्दाकिनी नदी से हो रहे भूमि कटान की रोकथाम

57. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग की ग्राम पंचायत, तेफना के अन्तर्गत नन्दाकिनी नदी के कारण हो रहे भूमि कटाव को रोकने हेतु सुरक्षा दीवार बनवाने पर सरकार विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह–

जी नहीं।

सिंचाई विभाग के मूल्यांकन के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

प्रदेश में पशु चिकित्सालय/पशु केन्द्रों में दवाईयों के वितरण का मानक

58. श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या पशुधन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश सरकार प्रत्येक पशु चिकित्सालय/पशु सेवा केन्द्र में किस मानक के आधार पर दवाईयां प्रदान करती है?

क्या यह दवाईयाँ नियमित रूप से बीमार पशुओं को सशुल्क या निःशुल्क दी जाती हैं?

क्या पशुधन प्रसार अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र में दौरा कर पशुओं का इलाज सुचारु रूप से करने की व्यवस्था की गई है?

यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त व्यवस्था को लागू करायेगी?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

पशु चिकित्सालय हेतु रु0 25000.00 तथा पशुसेवा केन्द्र हेतु रु0 7500.00 का मानक है।

दवाईयां लेवी लेकर निःशुल्क दी जाती हैं।

पशुधन प्रसार अधिकारी द्वारा दौरा कर पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रूद्रप्रयाग की धारकोट लिफ्ट सिंचाई योजना का अधूरा निर्माण

59. श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत लिफ्ट सिंचाई योजना धारकोट तल्ला नागपुर का निर्माण कार्य अधूरा है?

यदि हाँ, तो उक्त योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी हाँ।

उक्त योजना को पूर्ण करने हेतु रू0 25.84 लाख की आवश्यकता है, किन्तु इस वर्ष जिला योजना से मात्र रू0 5.50 लाख प्राप्त हो पाया है। शेष धनराशि प्राप्त होने पर ही योजना को पूर्ण कराना सम्भव होगा।

देहरादून के जिला पशु चिकित्सालय को हटाने की मांग

60. श्री हरबंस कपूर–

क्या पशुधन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून महानगर के अति व्यस्त क्षेत्र डिस्पेन्सरी रोड पर स्थित जिला पशु चिकित्सालय को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

पशु चिकित्सालय को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

पशु चिकित्सालय हेतु भूमि की वैकल्पिक व्यवस्था होने के बाद ही पशु चिकित्सालय को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाना सम्भव हो पायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य की नदियों में बिजली के करंट से मछलियों के अवैध शिकार की रोकथाम

61. श्री हरबंस कपूर–

क्या मत्स्य पालन मंत्री के संज्ञान में है कि उत्तरांचल के कतिपय क्षेत्रों में नदी में बिजली का करंट लगाकर मछलियों का अवैध शिकार किया जा रहा है?

यदि हाँ, तो इस प्रकार अवैध रूप से शिकार करने वालों के विरूद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

भेषज संघ की समाप्ति एवं संघ में कार्यरत कर्मचारियों के संविलियन की माँग

62. डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या सहकारिता मंत्री के संज्ञान में है कि प्रदेश स्तर पर भेषज संघ को समाप्त कर जड़ी–बूटी संग्रहण एवं विपणन का कार्य उत्तरांचल वन विकास निगम को दिया जा रहा है?

क्या यह सत्य है कि भेषज संघ द्वारा विभाग को निरन्तर राजस्व की प्राप्ति कराई जाती है तथा अपने वेतन–भत्ते आदि का जड़ी–बूटी व्यवसाय से स्वयं वहन किया जाता है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार भेषज संघ में कार्यरत कर्मचारियों का संविलियन सरकारी सेवाओं में करेगी?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जड़ी–बूटी संग्रहण हेतु जिला स्तर पर कमेटी गठित की गयी है। जिसके द्वारा भेषज संघ, वन निगम एवं कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के मध्य रेंजों का आवंटन किया जायेगा।

भेषज संघों द्वारा सरकार को रॉयल्टी बिक्रीकर एवं आयकर के रूप में राजस्व की प्राप्ति कराई जाती है एवं कर्मचारियों के वेतन आदि का भुगतान अपने संसाधनों से किया जाता है।

भेषज संघों के कर्मचारी संस्था के कर्मचारी हैं उनको सरकारी सेवा में समायोजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जनपद देहरादून के मालदेवता में सौंग नदी पर प्रस्तावित कृत्रिम झील के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि की जानकारी

63. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि जनपद देहरादून के मालदेवता नामक गांव के आस–पास सौंग नदी पर कृत्रिम झील निर्माण का कार्य प्रस्तावित है?

यदि हाँ, तो उक्त झील के निर्माण में क्या प्रगति है तथा अब तक कितना धन झील निर्माण के लिये अवमुक्त किया जा चुका है?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी हाँ।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) बनाने हेतु रू0 226.95 लाख का आंकलन बनाया गया है डी0पी0आर0 प्राप्त होने पर ही पूंजी निवेश के निर्णय पर विचार सम्भव है। अनुसंधान एवं सर्वेक्षण कार्यों पर अब तक रू0 56.44 लाख का व्यय किया गया है।

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–301 के अन्तर्गत।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं एक विनिश्चय से पहले एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज सत्र का आखिरी दिन है तो जितनी भी सूचनाएँ हैं वो ले ली जाए, क्योंकि हमारी जानकारी के अनुसार सरकार के पास भी इतना ज्यादा भार भी नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, आज नहीं ले सकते अभी 30 दिसम्बर को हम फिर बैठ रहे हैं। उस दिन सत्र का आखिरी दिन होगा।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–301 के अन्तर्गत श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री महेन्द्र भट्ट, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री मदन कौशिक, श्रीमती विजय बडथ्वाल, श्री चन्द्रशेखर, श्री अजय भट्ट, श्री हरिदास, श्री कैलाश शर्मा, श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, श्री काशी सिंह ऐरी, श्री नारायण सिंह जंतवाल, श्री प्रकाश पन्त, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत एवं श्री नारायण पाल की कुल 15 सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, श्री नारायण सिंह जंतवाल, श्री काशी सिंह ऐरी, श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, श्री हरिदास, श्री चन्द्रशेखर एवं श्रीमती विजय बडथ्वाल की सूचनाओं को नियम–301 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएँ अस्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष जी द्वारा माननीय सदस्य श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे।)

जनपद नैनीताल में स्थित लीलावती पंत राजकीय इण्टर कॉलेज, भीमताल में इण्टरमीडिएट में कॉमर्स की कक्षाएँ प्रारम्भ किये जाने विषयक नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नारायण सिंह जंतवाल–

[मान्यवर, जनपद नैनीताल स्थित राजकीय लीलावती पंत इण्टर कॉलेज में इण्टरमीडिएट में कॉमर्स की कक्षाएँ संचालित न होने से हाईस्कूल में कॉमर्स की पढ़ाई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

करने वाले छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि विद्यालय में हाईस्कूल में कॉमर्स की कक्षाएँ संचालित होती हैं। आज के युग में कॉमर्स की पढ़ाई की महत्ता को देखते हुए इण्टरमीडिएट में छात्रों को इस पढ़ाई से वंचित करना, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। अतः मैं शासन से मांग करता हूँ कि छात्रों की न्यायोचित मांग इण्टरमीडिएट में कॉमर्स की कक्षाओं को प्रारम्भ किया जाना को स्वीकार करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जाय।]

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद मसूरी विकास प्राधिकरण द्वारा एक सहायक अभियन्ता एवं 21 अवर अभियन्ताओं तथा वर्ष 1984 से कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमित न किये जाने विषयक नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काशी सिंह ऐरी–

[मान्यवर, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण में वर्ष 1989 से 1991 के मध्य एक सहायक अभियन्ता एवं 21 अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति हुई, जिन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के आधार पर नियमित वेतनमान तो मिल रहा है, किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उसी आदेश के तहत 29 जून, 1991 तक नियुक्त सभी अभियन्ताओं को नियमित कर दिया गया है। यही नहीं उत्तरांचल के ही अन्य विकास प्राधिकरणों के दो अन्य अवर अभियन्ताओं को भी पृथक से नियमित किया जा चुका है। इस तरह मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण के अभियन्ताओं के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया गया है। इसी तरह मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण में वर्ष 1984 से सतत् रूप से दैनिक वेतन/स्थगनादेश के तहत कार्यरत चपरासी, वाहन चालक, लिपिक, माली, सुपरवाइजरों को भी अभी तक नियमित नहीं किया गया है। प्राधिकरण के कर्मचारियों एवं अभियन्ताओं में उक्त स्थिति को लेकर व्यापक आक्रोश एवं असंतोष व्याप्त है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रकरण पर प्रभावी कार्यवाही किए जाने की मांग करता हूँ।]

आई0डी0पी0एल0, वीरभद्र (ऋषिकेश) संस्थान के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

[मान्यवर, आई0डी0पी0एल0, वीरभद्र (ऋषिकेश) दवा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण संस्थान है। वर्तमान में इसे रुग्ण इकाई घोषित कर इसमें कार्यरत लगभग 1700 कर्मचारियों को वी0आर0एस0 के अन्तर्गत सेवामुक्त किया जा चुका है। शेष 400 कर्मचारियों पर जिनका सेवाकाल अभी भी 10 से 20 वर्ष है। उन कर्मचारियों पर भी वी0आर0एस0 का भय है। आई0डी0पी0एल0 में फारमुलेशन विभाग अभी भी पूरी तरह से उत्पादन कर रहा है, इसके रिवाइवल होने से राज्य में रोजगार के काफी अवसर बढ़ जायेंगे तथा राज्य को इसका लाभ मिलेगा। यहाँ बहुत कम खर्चे में शुद्ध पेयजल का संयंत्र भी लगाया जा सकता है। आई0डी0पी0एल0 संस्थान के पास बायोलोजिकल प्लाण्ट भी है, जो गंगा नदी को

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदूषण से शुद्ध करने हेतु बहुत महत्वपूर्ण है।

इस प्लान्ट से बायोगैस का भी उत्पादन किया जा सकता है। यहाँ कर्मचारियों के आवास हेतु पर्याप्त भवन बने हैं। संस्थान 850 एकड़ भूमि में फैला है, जो मूलतः राज्य सरकार की भूमि है। यहाँ पर जड़ी–बूटियों का उत्पादन एवं उन पर शोध कार्य भी किया जा सकता है। पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संस्थान के रिवाइवल हेतु संस्थान के प्रतिनिधियों की एक कमेटी का भी गठन किया था। क्षेत्रीय जनता ने उक्त संस्था के अधिग्रहण की राज्य सरकार से मांग की है। इस संस्थान के बन्द हो जाने से 400 कर्मचारियों के अतिरिक्त इस क्षेत्र में निवास करने वाले 25000 (पच्चीस हजार) परिवार भी इससे प्रभावित हैं। फलतः समूचे उत्तरांचल की जनता में इससे भारी रोष व्याप्त है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए चर्चा/प्रभावी कार्यवाही किए जाने की मांग करता हूँ।]

उत्तरांचल जल विद्युत निगम द्वारा अनुसूचित जातियों का पदोन्नतियों में आरक्षण का कोटा न भरे जाने विषयक नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरिदास–

[मान्यवर, उत्तरांचल जल विद्युत निगम, जिसके विद्युत गृह जनपद हरिद्वार सहित पूरे राज्य में हैं, द्वारा अनुसूचित जातियों को पदोन्नति में आरक्षण कोटा न भरकर उनके हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। पिछले दो वर्षों में निगम में उप महाप्रबन्धकों के काफी पद पदोन्नति से भरे। परन्तु अनुसूचित जाति का कोई भी पद नहीं भरा। यह सच है कि अनुसूचित जाति के एक भी अधिकारी को उप महाप्रबन्धक पद पर पदोन्नति नहीं दी गयी। इससे अनुसूचित जाति के कार्मिकों का उत्पीड़न हो रहा है व उन्हें सामाजिक न्याय से वंचित किया जा रहा है। सरकार द्वारा इसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना आवश्यक है। अनुसूचित जाति के कार्मिकों की अवहेलना की जा रही है, जबकि आरक्षित कोटा भी रिक्त है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं सदन से आवश्यक कार्यवाही व न्याय की मांग करता हूँ।]

लोक सेवा आयोग उत्तरांचल द्वारा चयनित 109 सहायक अभियन्ताओं को नियुक्त न किये जाने विषयक नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री चन्द्रशेखर–

[मान्यवर, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल द्वारा सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति हेतु परीक्षायें सम्पन्न करायी गयी। जिसके अनुसार 109 सहायक अभियन्ताओं का चयन किया गया। जिनमें 92 अभियन्ता लोक निर्माण विभाग के हैं, परन्तु 18–06–2003 को अन्तिम परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद आज तक नियुक्तियाँ प्रदान नहीं की गयीं, जिस कारण शिक्षित बेरोजगार अभियन्ताओं में हताशा तथा निराशा व्याप्त है। अभियन्ताओं की कमी के चलते विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पौड़ी गढ़वाल के स्थान थल नदी में स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक में स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फार्मेसी आदि विषयों को न पढ़ाये जाने विषयक नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

[मान्यवर, विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल के स्थान थल नदी में एक राजकीय पॉलिटैक्निक की स्थापना की गई है। जिसमें स्टेनोग्राफी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मेसी आदि विषयों की स्वीकृति मिली है। लेकिन कई वर्षों के बाद भी केवल स्टेनोग्राफी के अलावा कोई भी ट्रेड का प्रशिक्षण इस पॉलिटैक्निक में नहीं दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स की कक्षाएँ यहाँ के नाम से श्रीनगर गढ़वाल में चल रही हैं। उक्त पॉलिटैक्निक में भवन के रख–रखाव भी नहीं किया जा रहा है। भवन भी दिन प्रति दिन जीर्ण अवस्था में जा रहे हैं। जहाँ नये राज्य में अन्य व्यवसायिक शिक्षा के केन्द्र खुलने चाहिये थे, वहीं उक्त केन्द्र की घोर उपेक्षा हो रही है। जनता में बड़ा आक्रोश व्याप्त है। उक्त सभी विषयों के प्रवक्ताओं की नियुक्ति कर इस पॉलिटैक्निक को सुचारू रूप से चलाने हेतु और इस क्षेत्र की जनता इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करती हूँ।]

स्थानीय निधि लेखा–परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2002–2003

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से स्थानीय निधि लेखा–परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2002–2003 सदन के पटल पर रखती हूँ।

सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें लेखा–परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा–प्रतिवेदन वर्ष 2002–2003

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें लेखा–परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा–प्रतिवेदन वर्ष 2002–2003 सदन के पटल पर रखती हूँ।

जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रोड़ी पाली के क्षतिग्रस्त भवन के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

*श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रोड़ी पाली के क्षतिग्रस्त भवन के निर्माण के सम्बन्ध में श्री हयात सिंह बिष्ट एवं अन्य निवासीगण जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद पिथौरागढ़ में जूनियर हाईस्कूल, नैनी–सैनी का उच्चीकरण कर हाईस्कूल बनाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद पिथौरागढ़ में जूनियर हाईस्कूल, नैनी–सैनी का उच्चीकरण कर हाईस्कूल बनाने के सम्बन्ध में श्री उम्मेद सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद पिथौरागढ़ में रई–चटकेश्वर झील के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद पिथौरागढ़ में रई–चटकेश्वर झील के निर्माण के सम्बन्ध में श्री तुलसा दत्त शर्मा एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद पिथौरागढ़ के जूनियर हाईस्कूल, हिमतड़ विकास खण्ड विण के उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद पिथौरागढ़ के जूनियर हाईस्कूल, हिमतड़ विकास खण्ड विण के उच्चीकरण के सम्बन्ध में श्री लाल सिंह शास्त्री एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड लमगड़ा की पट्टी विशौद में राजकीय चिकित्सालय खुलवाने के सम्बन्ध में याचिका

*श्री कैलाश शर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड लमगड़ा की पट्टी विशौद में राजकीय चिकित्सालय खुलवाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द सिंह फर्त्याल एवं अन्य निवासीगण जनपद अल्मोड़ा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद हरिद्वार, रुड़की में हवाई पट्टी बनाने के सम्बन्ध में याचिका

*श्री सुरेश चन्द जैन–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद हरिद्वार, रुड़की में हवाई पट्टी बनाने के सम्बन्ध में श्री शशि सैनी एवं अन्य निवासीगण, जनपद हरिद्वार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद हरिद्वार, रुड़की में कृषि निर्यात जोन बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री सुरेश चन्द जैन–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद हरिद्वार, रुड़की में कृषि निर्यात जोन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री आलोक गुप्ता एवं अन्य निवासीगण, जनपद हरिद्वार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद हरिद्वार, रुड़की में नई मण्डी से पुराने हरिद्वार रोड (कलियर रोड) तक बाईपास बनाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री सुरेश चन्द जैन–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद हरिद्वार, रुड़की में नई मण्डी से पुराने हरिद्वार रोड (कलियर रोड) तक बाईपास बनाने के सम्बन्ध में श्री संजय नागपाल एवं अन्य निवासीगण, जनपद हरिद्वार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत स्थान सिलोगी में पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत स्थान सिलोगी में पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण के सम्बन्ध में श्री सुरमान सिंह भंडारी एवं अन्य निवासीगण, जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूँ।

जनपद अल्मोड़ा में कौसानी, भगतोला कटारमल, दौलाघाट क्षेत्र में पेयजल के सम्बन्ध में याचिका

श्री कैलाश शर्मा–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद अल्मोड़ा में कौसानी, भगतोला, कटारमल, दौलाघाट क्षेत्र में पेयजल योजना के निर्माण के सम्बन्ध में श्री गिरीश शर्मा एवं अन्य निवासीगण, जनपद अल्मोड़ा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद अल्मोड़ा में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मुल्युटा के उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका

श्री कैलाश शर्मा–

मान्यवर, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मुल्युटा का उच्चीकरण हो चुका है। अतः मैं याचिका वापस लेता हूँ।

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट स्थित पव्वाधार जूनियर हाईस्कूल का उच्चीकरण करने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट स्थित पव्वाधार जूनियर हाईस्कूल का उच्चीकरण करने के सम्बन्ध में श्री रणजीत राम एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रोड़ी पाली का उच्चीकरण कर इण्टरमीडिएट की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रोड़ी पाली का उच्चीकरण कर इण्टरमीडिएट की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में श्री हयात सिंह बिष्ट एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद अल्मोड़ा के धौलादेवी विकास खण्ड से 6 (छः) ग्राम समाओं को लमगड़ा विकास खण्ड में मिलाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री कैलाश शर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद अल्मोड़ा धौलादेवी विकास खण्ड से 6 (छः) ग्राम समाओं को लमगड़ा विकास खण्ड में मिलाने के सम्बन्ध में श्री बालक सिंह कमकोटी एवं अन्य निवासीगण, जनपद अल्मोड़ा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद उत्तरकाशी को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद उत्तरकाशी को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में श्री जयेन्द्र सिंह पंवार एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री प्रीतम सिंह पंवार द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, मनेरी–भाली परियोजना द्वितीय चरण के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रीतम सिंह पंवार माननीय सदस्य, विधान सभा ने पत्र दिनांक 05–09–2002 द्वारा विशेषाधिकार हनन की सूचना देते हुए कहा है कि उनके द्वारा पत्रांक: 526/विविध/2–3, दिनांक 19 जुलाई, 2002 को अधीक्षण अभियन्ता, मनेरी–भाली परियोजना द्वितीय

चरण को अधिशासी अभियन्ता, मनेरी–भाली परियोजना द्वितीय चरण चिन्यालीसौड़ के माध्यम से भिजवायी थी। उक्त पत्र का उत्तर दिनांक 11–08–2002 तक न प्राप्त होने पर उनके द्वारा पत्रांक: 596/आख्या/अनुस्मारक/2–3 दिनांक 12–08–2002 अधीक्षण अभियन्ता, मनेरी–भाली निर्माण खण्ड चिन्यालीसौड़ के माध्यम से अधीक्षण अभियन्ता को पुनः प्रेषित किया, जिसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है कि यदि एक सप्ताह के अन्दर बिन्दुवार आख्या उपलब्ध नहीं करवायी गयी तो माननीय विधान सभा पीठ के माध्यम से विशेषाधिकार हनन का मामला प्रस्तुत कर दिया जाएगा। तदुपरान्त पुनः पत्रांक 594/आख्या/2–3 दिनांक 12–08–2002 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता को अधिशासी अभियन्ता, मनेरी–भाली निर्माण खण्ड चिन्यालीसौड़ के माध्यम से वांछित सूचना भेजने को पत्र प्रेषित किया गया है, किन्तु वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। मा0 सदस्य का आगे कथन है कि सरकार द्वारा अधिकारियों को विधान सभा सदस्यों के पत्रों का उत्तर समय पर और गम्भीरता से देने के निर्देश समय–समय पर जारी होते हैं तथा मा0 सदन की पीठ से भी इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उनके पत्रों का उत्तर/आख्या न दिया जाना स्पष्ट रूप से मा0 सदन के निर्देशों की अवमानना है। अतः उक्त अधिकारी के विरुद्ध हुई सदन की अवमानना एवं सदस्य के विशेषाधिकार के हनन की सूचना प्रेषित कर रहे हैं। अतः उक्त अधिकारी के विरुद्ध अवमानना एवं विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही सुनिश्चित कर सख्त कार्यवाही की जाय।

मा0 सदस्य द्वारा अभिसूचित उपर्युक्त सूचना के सम्बन्ध में शासन के पत्र दिनांक 24 फरवरी, 2003 द्वारा वस्तुस्थिति की जानकारी उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया कि श्री आर0 के0 जैन, अधीक्षण अभियन्ता, मनेरी–भाली स्टेज–2 मण्डल, जोशियाड़ा (उत्तरकाशी) ने अवगत कराया है कि उन्होंने उनके पत्र संख्या: 556/विविध/2002–2003 दिनांक 19–07–2002 के सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट करते हुए सूचना अपने पत्रांक: 4270/मभा स्टेज–2मं/शिकायत, दिनांक 09–09–2003 द्वारा भेज दी थी। वस्तुस्थिति की जानकारी के साथ अधीक्षण अभियन्ता (श्री जैन) द्वारा भेजे गए स्पष्टीकरण की प्रतिलिपि भी संलग्न की गयी है मा0 सदस्य द्वारा अभिसूचित सूचना तथा उपलब्ध करायी गयी वस्तुस्थिति की जानकारी से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रश्नगत प्रकरण में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। यह अवश्य है कि जनपद स्तर पर ही मा0 सदस्य के शिकायती पत्र का उत्तर लगभग डेढ़ माह उपरान्त दिया गया जो अनावश्यक विलम्ब की श्रेणी में रखा जा सकता है। शासन के अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि मा0 सदस्यों द्वारा दी गयी शिकायती पत्रों पर यथासम्भव तत्काल कार्यवाही की जाया करे और की गयी कार्यवाही की सूचना मा0 सदस्यों को भी दी जाया करे।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में मैं प्रश्नगत सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री मदन कौशिक एवं श्री अनिल नौटियाल द्वारा मुख्य अभियन्ता, स्तर–1 उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग, देहरादून के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

श्री मदन कौशिक, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 29–05–03 को नियम–63–64 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन की यह सूचना दी गई कि मुख्य अभियन्ता, स्तर–1,

उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा पत्रांक: 2406/09 समस्त अधीक्षण अभियन्ता, गढ़वाल तथा कुमाऊँ क्षेत्र को भेजा गया है। जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है कि किसी भी प्रकार का शिलान्यास एवं लोकार्पण माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग के संज्ञान में लाए बिना न कराये जांय। माननीय सदस्य का कथन है कि प्रत्येक जनप्रतिनिधि द्वारा जिला एवं राज्य योजना के कार्यों हेतु प्रस्ताव दिए गए हैं और उन्हीं जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर कार्यों को मन्जूरी दी गयी लेकिन इस प्रकार के पत्रों द्वारा मुख्य अभियन्ता, उत्तरांचल द्वारा जनप्रतिनिधियों के विशेषाधिकार का हनन किया गया है। अतः वे मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को विशेषाधिकार हनन की सूचना देते हैं। इसी प्रकार श्री अनिल नौटियाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा भी दिनांक 07-06-2003 को मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के पत्र संख्या: 2406 दिनांक 30-12-2003 द्वारा अपने अधीनस्थों को दिए गए निर्देशों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार हनन की सूचना दी गई कि इस निर्देश से विधान सभा सदस्यों तथा सदन की गरिमा को भी ठेस पहुँची है।

श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित सूचना के सन्दर्भ में माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गई। श्री अनिल नौटियाल, सदस्य, विधान सभा की सूचना का विषय भी समान होने के कारण उनकी सूचना के सम्बन्ध में लोक निर्माण मंत्री से पृथक से सूचना मांगा जाना आवश्यक नहीं समझा गया। माननीय लोक निर्माण मंत्री द्वारा अपने पत्र दिनांक 17 जून, 2003 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार लोक निर्माण विभाग के मार्गों के शिलान्यास/लोकार्पण के सम्बन्ध में सदैव से शासन स्तर से आदेश जारी किए जाते हैं और उस सम्बन्ध में पूर्व से ही अनेक दृष्टान्त हैं जिनसे स्पष्ट है कि शिलान्यास/लोकार्पण दोनों ही शासन की अनुमति से ही किए जाएंगे। मुख्य अभियन्ता द्वारा उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन हेतु पत्र संख्या: 2406/09, दिनांक 30-12-2002 निर्गत किया गया है। माननीय मंत्री जी का यह भी कथन है कि शासन अथवा किसी भी अधिकारी द्वारा विधान सभा के किसी भी माननीय सदस्य के विशेषाधिकार हनन करने की कभी कोई मंशा नहीं है। समस्त माननीय सदस्यों एवं विधान सभा का आदर करना शासन एवं उसके अधिकारियों की प्रतिबद्धता है।

लोक निर्माण मंत्री द्वारा पूर्व दृष्टान्तों का हवाला देते हुए उपलब्ध करायी गयी वस्तुस्थिति की जानकारी से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रश्नगत पत्र जारी किए जाने की पृष्ठभूमि में माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार हनन की कोई मंशा नहीं है। तथापि शासन से यह अपेक्षा की जाती है कि लोक निर्माण विभाग के मार्गों के शिलान्यास/लोकार्पण के अवसरों पर क्षेत्रीय विधायकों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाय।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में मैं उपर्युक्त दोनों सूचनाओं को अग्राह्य करता हूँ।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" द्वारा उप जिलाधिकारी के विरूद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" सदस्य, विधान सभा द्वारा अपने पत्र दिनांक 20-05-2003 द्वारा यह अभिसूचित किया गया कि उप जिलाधिकारी, लक्सर के पत्र दिनांक 01-05-2003

पत्रांक 1811/एस0टी0उ0जि0 (ल)–2003 द्वारा एक शासनादेश संख्या 13–01–97–का–1997 दिनांक 01 अगस्त, 1997 का सन्दर्भ देते हुए उनसे उनके शिकायती पत्र जो श्री जितेन्द्र कपूर (अहलमद सम्बद्ध एस0डी0एम0 कार्यालय, लक्सर) के विरुद्ध है, के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

माननीय सदस्य का यह कथन है कि उनका स्पष्ट मत है कि सदस्य विधान सभा के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए उनके द्वारा लिखे गये शिकायती पत्र पर यदि उनका स्पष्टीकरण मांगा जाता है तो यह विधायक तथा विधायिका का घोर अपमान है। यह कार्यवाही एस0डी0एम0, लक्सर द्वारा उनके कर्त्तव्यवहन में बाधा उत्पन्न करने के उद्देश्य से की गई सोची समझी साजिश है। माननीय सदस्य का यह भी कथन है कि यदि कोई ऐसा शासनादेश है जिसमें जनप्रतिनिधियों द्वारा भेजे गए शिकायती पत्रों पर उनका स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना प्राविधानित हो तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक है। अस्तु वे उप जिलाधिकारी, लक्सर द्वारा उनके लिखे गए पत्र संख्या 1811/एस0टी0 उ0जि0(ल)–2003 दिनांक 01–05–2003 के सन्दर्भ में उनके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना देते हैं।

माननीय सदस्य द्वारा अभिसूचित उपर्युक्त सूचना पर अग्रेत्तर कार्यवाही किए जाने के पूर्व उस शासनादेश का अवलोकन किया जाना आवश्यक समझा गया जिसका सन्दर्भ देते हुए उप जिलाधिकारी, लक्सर द्वारा माननीय सदस्य, कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" को पत्र दिनांक 01–05–2003 लिखा गया था।

उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 13–01–97 का0–1/97 दिनांक 01 अगस्त, 1997 में प्रस्तर–1 में यह प्राविधानित है कि विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त शिकायती पत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्ति को पत्र भेजकर यह पुष्टि करा ली जाए कि पत्र उन्हीं के द्वारा हस्ताक्षरित हैं और शिकायतों के सम्बन्ध में उनका सन्तोष हो गया है कि शिकायतें तथ्यों पर आधारित हैं।

प्रश्नगत प्रकरण में मेरा यह मत है कि शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार ही उप जिलाधिकारी, लक्सर द्वारा माननीय सदस्य को उनके द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र के सन्दर्भ में पत्र दिनांक 01–05–2003 लिखा गया है और इसमें विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। प्रश्नगत शासनादेश के प्राविधानों का लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक होने के सन्दर्भ में मेरा यह मत है कि उक्त शासनादेश में यह व्यवस्था, अवांछनीय तत्वों द्वारा विशिष्ट व्यक्तियों के नाम का दुरूपयोग रोकने के लिए, की गयी प्रतीत होती है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में मैं प्रश्नगत सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

हरिद्वार अनन्त कुम्भ निधि विधेयक, 2003

शहरी विकास मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से हरिद्वार अनन्त कुम्भ निधि विधेयक, 2003 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि हरिद्वार अनन्त कुम्भ निधि विधेयक, 2003 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से हरिद्वार अनन्त कुम्भ निधि विधेयक, 2003 को पुरः स्थापित करता हूँ।

दिनाँक 12 जून, 2002 को श्री दिनेश अग्रवाल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–15 के उत्तर में संशोधन हेतु सिंचाई मंत्री का शोधन वक्तव्य

*सिंचाई मंत्री (श्री शूरवीर सिंह सजवाण)–

मान्यवर, विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2002 के द्वितीय बुधवार हेतु निर्धारित श्री दिनेश अग्रवाल, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0–15 के सन्दर्भ में माननीय अध्यक्ष विधान सभा द्वारा जारी किए गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश सं0 43 (1) के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण उत्तर का संशोधन वक्तव्य इस प्रकार है :–

मूल प्रश्न	मूल उत्तर	संशोधित उत्तर
क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे के टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा टिहरी क्षेत्र के विस्थापितों को आवासीय, व्यवसायिक दुकानों का आवंटन नेहरू पुरम् आवासीय योजना, देहरादून के अन्तर्गत किया जा रहा है?	जी हाँ।	जी हाँ।
यदि हाँ तो उसका मानक क्या है? और कितने लोगों को अब तक ऐसे भवन/दुकानें आवंटित की गई हैं?	वर्ष, 1985 से पूर्व के डूब क्षेत्र के विस्थापितों को ही पात्रता के अनुसार भवन एवं दुकान आवंटित की जा रही है, 41 आवासीय भवन व दुकानें आवंटित की गई हैं।	पूर्व प्रस्तुत उत्तर के अनुसार।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्या यह सही है कि ऐसे आवंटियों द्वारा इन आवासीय भवनों का इस्तेमाल व्यवसायिक उद्देश्य से किया जा रहा है?	जी नहीं।	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ने अवगत कराया है कि नेहरूपुरम् आवासीय योजना के अन्तर्गत हस्तगत आवासीय भवनों की पुनः मौके पर जांच की गई और वर्तमान में किसी प्रकरण में नर्सिंग होम/व्यवसायिक प्रयोजन का मामला प्राधिकरण के संज्ञान में नहीं आया है।
यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कर ऐसे आवंटन को निरस्त करेगी?	प्रश्न नहीं उठता है।	यदि भविष्य में कोई इस प्रकार का प्रकरण संज्ञान में आता है, तो प्राधिकरण द्वारा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता है।	प्रश्न नहीं उठता।

इस प्रश्न के उत्तर में पूर्व में हुई त्रुटि के लिए सम्बन्धित दो अधिकारियों को भविष्य के लिए सचेत कर दिया गया है।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–56 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से मैं श्री काशी सिंह ऐरी, श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, श्री माल चन्द्र, श्री विशन सिंह चुफाल तथा श्री हरिदास की कुल पाँच सूचनाओं की ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, उत्तरकाशी के वरूणावत पर्वत से सम्बन्धित मेरी भी सूचना थी। मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, मैं चाहता हूँ आप इसकी ग्राह्यता पर सुनने का कष्ट करें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, आपने मुझे ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर मेरी सूचना बहुत महत्वपूर्ण है। अलग राज्य गठित हुए लगभग तीन साल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक होम्योपैथी चिकित्सा की उपेक्षा बदस्तूर

जारी है। मान्यवर, अभी यहाँ पर कुम्भ मेले के लिए अनन्त निधि बनाने की बात आयी है। कुम्भ में देश और विदेशों से भी लोग आते हैं। मान्यवर, दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुम्भ में भी होम्योपैथी चिकित्सा की व्यवस्था नहीं की गयी है। आखिर मान्यवर, ऐसा क्यों हो रहा है? हमें होम्योपैथी के ढाँचे को बचाना होगा।

मान्यवर, होम्योपैथी को आज भी महानिदेशक एलोपैथी के अधीन रखा गया है। मान्यवर, नियुक्त नोडल अधिकारी होम्योपैथी को कोई अधिकार व सुविधा नहीं दी गई है। मान्यवर, कुम्भ जैसे महत्वपूर्ण आयोजन में होम्योपैथी की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। मान्यवर, होम्योपैथिक चिकित्सालय भवन का निर्माण हुआ है तो माननीय मंत्री जी बता दें? मान्यवर, बहुत से लोग हैं जो एलोपैथिक चिकित्सा नहीं अपनाते हैं, होम्योपैथिक चिकित्सा अपनाते हैं। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 नवम्बर, 2003 को स्पष्ट आदेश दिये थे कि पृथक से होम्योपैथी निदेशालय के गठन तक अपर सचिव चिकित्सा शिक्षा को पदेन निदेशक/विभागाध्यक्ष को कार्यभार दे दें, पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मान्यवर, ऐसे में चिकित्सा का लाभ लोग कैसे लेंगे? मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर विषय है। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि जब तक कोई ढांचा तैयार नहीं होता तब तक के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश को लागू करें और कुम्भ जैसे महत्वपूर्ण आयोजन में होम्योपैथी चिकित्सा की व्यवस्था करायें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड)–

मान्यवर, जहाँ तक होम्योपैथिक निदेशालय के गठन का सवाल है तो यह राज्य गठन के बाद 14–06–2001 को माननीय मंत्रि–परिषद् के समक्ष रखा गया था और माननीय मंत्रि–परिषद् ने निर्णय लिया कि होम्योपैथिक विभाग को महानिदेशक के अधीन रखा जाए। मान्यवर, माननीय सदस्य ने नये चिकित्सालय की बात कही, तो मैं कहना चाहता हूँ कि बागेश्वर, चम्पावत, काशीपुर, रामनगर में होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना की गई है।

मान्यवर, इस वर्ष भी हमने 5 चिकित्सालयों की स्थापना प्रस्तावित की है और जहाँ तक पदों का सवाल है, हमने पिछले दिनों लोक सेवा आयोग के माध्यम से 20 चिकित्सक रखे हैं। मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने माननीय मुख्यमंत्री जी के पत्र का उल्लेख किया है वह पत्र हमें प्राप्त हुआ है और अनुपालन हेतु हम पत्रावली को प्रेषित करने जा रहे हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी को जबरदस्ती बैठाकर कोई कार्य कराना सम्भव नहीं है और यह हमारे अधिकार में भी नहीं है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का अनुपालन कब करेंगे? मान्यवर, कैबिनेट का फैसला कब लिया गया? मान्यवर, कैबिनेट के अध्यक्ष ने लिख दिया कि तब तक अपर सचिव, स्वास्थ्य को यह चार्ज दे दिया जाए। मान्यवर, दूसरा यह है कि हरिद्वार जैसी महत्वपूर्ण योजना में होम्योपैथिक की क्या कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं, कृपया सदन को बता दें? सदन आपका आभारी रहेगा?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, जहाँ तक माननीय सदस्य ने हरिद्वार के अर्द्धकुम्भ की बात कही है, हरिद्वार के अन्दर होम्योपैथिक का विभाग कार्य कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश की जो बात है, उसके अनुपालन के लिए पत्रावली भेज रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री काशी सिंह ऐरी एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, उत्तरांचल परिवहन निगम का गठन हो चुका है। मान्यवर, उत्तरांचल का जो पर्वतीय बाहुल्य क्षेत्र है उसमें समूचे पर्वतीय क्षेत्र में या तो राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें चलती हैं, या फिर कुमाऊँ मण्डल की के0एम0ओ0यू0 और गढ़वाल मण्डल की जी0एम0यू0 की बसें चलती हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से परिवहन मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि कुमाऊँ मण्डल में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें राजकीय सड़क परिवहन निगम की बसें चलती हैं और उन रुटों पर के0एम0ओ0यू0 की बसों को चलाने पर प्रतिबन्ध है, मान्यवर, कई क्षेत्र ऐसे हैं, दुर्गम रास्ते हैं जहाँ न टैक्सियाँ मिल सकती हैं और न जीपें, एकमात्र सहारा बसों का ही होता है। मान्यवर, जो कुमाऊँ मण्डल का हल्द्वानी डिपो है, जो कुमाऊँ मण्डल के लिए संचालित होता है, पिछले दिनों वहाँ के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक महोदय ने कुमाऊँ मण्डल की अधिकांश बसों को बन्द कर दिया जिसमें से हल्द्वानी चौंफी, हल्द्वानी गैरसैंण, हल्द्वानी कुकुछीना, हल्द्वानी जैंती, हल्द्वानी जागेश्वर, हल्द्वानी मनोली, हल्द्वानी हरतोला, हल्द्वानी मुक्तेश्वर पर चलने वाली बसें हैं जो कि आज भी बन्द हैं और वहाँ की जनता को अत्यन्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों के जबरदस्त दबाव, धरना प्रदर्शन के बाद हल्द्वानी जौरासी, हल्द्वानी पिथौरागढ़, हल्द्वानी रानीखेत चौबटिया, हल्द्वानी खनस्यूँ, हल्द्वानी बब्याड़ क्षेत्रों को जाने वाली बसें बड़ी मुश्किल से चलायी गयीं।

मान्यवर, हमें यह उम्मीद थी कि परिवहन निगम के गठन के पश्चात् युद्ध स्तर पर बदलाव आएगा और हमारे योग्य परिवहन मंत्री जी के रहते हुए जनता को सहयोग मिलेगा। मान्यवर, उत्तरांचल परिवहन निगम, हल्द्वानी डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा निरन्तर निगम विरोधी कार्यवाहियों व भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोपों के चलते उक्त डिपो बर्बादी के कगार पर है। मान्यवर, 21 मई, 2003 को सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा डीजल टैंकर मंगाया गया, निगम के टैंक में डालने के बाद जिन वाहनों को उक्त डीजल दिया गया वे रास्ते में ही खड़े हो गये, जाँच करने के बाद डीजल में आधा पानी पाया गया, जिन चालकों को यह डीजल दिया गया उनसे डीजल की रिकवरी करा ली गयी, जबकि उनका कोई दोष नहीं है, इस घोटाले की निष्पक्ष जाँच नहीं हुई और वह अधिकारी दोषमुक्त हो गया।

मान्यवर, मार्च 2003 में अच्छी आय दिखा कर निगम से 50 हजार रुपया प्रोत्साहन राशि ली गई, लगभग 32 हजार रुपया, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने इस राशि को अपने चहेतों/कर्मचारियों को भुगतान किया, शेष पैसा कहाँ गया? यह कर्मचारियों को पता नहीं है। यह तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। अगस्त, 2003 में उक्त अधिकारी के

उत्पीड़न से डिपो की महिला कर्मचारी श्रीमती उमा विनलेण्ड द्वारा आत्महत्या कर ली गई, आत्महत्या से पहले लिखा गया सुसाईड नोट पुलिस के पास है, उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसी तरह परिवहन निगम की बसों में जाँच के दौरान पकड़ी गई शराब सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक ने कर्मचारियों में ही उसको नीलाम कर दिया। उक्त शराब न तो पुलिस को दी गई न उक्त घटनाक्रम की पुलिस द्वारा जाँच करवाई गई। जनता परिवहन निगम में हो रही तस्करी की सी0बी0आई0 से जाँच की माँग कर रही है।

मान्यवर, संविदा के आधार पर चालक–परिचालकों की नियुक्तियों में 75 प्रतिशत राज्य से बाहर से भर्ती किये गये हैं, मानक के अनुसार नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं। परिवहन निगम में हो रही लूट व मनमानी से क्षेत्रीय जनता में व्यापक रोष व्याप्त है। जनता हल्द्वानी डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक को तत्काल वहाँ से हटाकर सम्पूर्ण प्रकरण की जाँच की माँग कर रही है। अतः मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माँग करता हूँ इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही तत्काल रोककर चर्चा किये जाने की माँग करता हूँ।

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, हल्द्वानी गैरसैंण, हल्द्वानी कुकुछीना, हल्द्वानी गैती, हल्द्वानी जागेश्वर, हल्द्वानी मनीला एवं हल्द्वानी हरतोला हेतु बस सेवायें कम आय होने के कारण कुछ माह पूर्व बन्द कर दी गई थी, जिन्हें पुनः संचालित किये जाने पर विचार किया जा रहा है।

माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये अन्य रूट यथा हल्द्वानी चौकी, हल्द्वानी मुक्तेश्वर की सेवायें माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा हर्षवर्धन शाह एवं अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य में दिनांक 30–07–2003 को दिये गये निर्णय के फलस्वरूप 10 वर्ष से अधिक आयु की बसें होने के कारण बन्द करनी पड़ी थी। इस आदेश के फलस्वरूप नैनीताल क्षेत्र में कुल 38 बसें प्रभावित हुई थी। माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 30 जुलाई, 2003 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगित कर देने के कारण उपरोक्त समस्त बसों का संचालन पुनः प्रारम्भ किया जा रहा है। हल्द्वानी चौकी बस सेवा का संचालन प्रारम्भ हो चुका है।

सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, हल्द्वानी के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक, नैनीताल को जाँच कर जाँच आख्या 10 दिन के अन्दर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिये गये हैं। जाँच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, जैसे आपने कहा कि न्यायालय के आदेश से बसें बन्द करनी पड़ी। मान्यवर, न्यायालय ने तो यह नहीं कहा कि जनता को सुविधायें न दी जायें। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर पुरानी बसों को बन्द कर दिया गया तो क्या माननीय मंत्री जी का दायित्व नहीं था के उनके बदले नई बसें लगाते? हमारे यहाँ सुदूर क्षेत्र हैं जहाँ पर कि न कार जाती है और न कोई जीप जाती है। क्या यह न्याय संगत नहीं है कि माननीय मंत्री जी अभी इसी समय तत्काल घोषणा करें और बसें चलाने की कृपा करें?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं। 10 वर्ष की बसों पर न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी गई है। 10 वर्ष की बसों को पुनः संचालित करने की व्यवस्था हो चुकी है। हमारा निगम 31 अक्टूबर को बना है। हम व्यवस्था कर रहे हैं इसमें कुछ समय निश्चित रूप से लगेगा। अभी तक यह निगम उत्तर प्रदेश के अधीन था, दो महीने इसे बने हुए हैं। हम इसमें व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं, माननीय सदस्य श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

*श्री मालचन्द्र–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम–56 के अन्तर्गत मेरी सूचना को स्वीकार किया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उस क्षेत्र की सूचना सदन को अवगत कराना चाहता हूँ जहाँ पर वर्तमान समय में भी विकास खण्ड मौरी के लोग आदिमानव की ज़िन्दगी जी रहे हैं। मान्यवर, वहाँ पर विगत दो महीनों में जो बाढ़ आयी उससे यहाँ के लोग जो त्यौहारों के लिए खाद्यान्न इकट्ठे किए हुए थे वह तमाम खाद्यान्न बह गए और उनका जो राशन मड़वा, गेहूँ आदि बह गया जिससे उनके लिए खाने की समस्या आ गयी है।

मान्यवर, 6 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए और वहाँ के लोगों की मुख्य जीविका काश्तकारी है। एक परिवार में 5–6 बच्चे हैं, वहाँ ऐसी स्थिति हो रही है कि किस प्रकार से पेट पालें। तमाम खाद्यान्न बाढ़ में बह गया और तमाम फसलें बाढ़ की चपेट में आकर नष्ट हो गयी और ये 6 गांव के लोग भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। उनके पास खाने के लिए एक किलो राशन भी नहीं है। मान्यवर, गांव बदाक, देई, बैनोल, राज्यु, चौताड़, नैटवाड़, बजार पुरोला के वडियर के 4 गांव किम्डार एवं पोटीच्दानि, गोल के लोगों की काश्तकारों की भूमि भूस्खलन से नष्ट हो गयी और लोगों के मकान एवं समस्त जमीन धंस गए तथा पर्वतीय क्षेत्र का मुख्यालय नैटवाड़ ध्वस्त हो गया है। पूरे क्षेत्र में भूखमरी फैली हुयी है।

मान्यवर, सरकार की ओर से माननीय मंत्री जी जो वहाँ के प्रभारी भी हैं, वहाँ गए। वहाँ के लोगों ने लून की शीशी अपने हाथों में दिखाई। मान्यवर, वहाँ नैटवाड़ बाजार में 20–30 पेड़ टेढ़े पड़े हुए हैं वे कभी भी नीचे आ सकते हैं। मैंने इस बारे में शासन को कई बार पत्र लिखा लेकिन वहाँ के प्रशासन ने हमारी सूचना पर कोई ध्यान नहीं दिया और वहाँ पर खड़े पेड़ गिरे, मेरे सामने ही पेड़ के नीचे एक बच्चा आ गया उसकी मौत हो गयी। मान्यवर, मैं भी वहाँ था बाल–बाल बच गया मेरे साथ लगभग 100 लोग थे। वहाँ पर अभी भी 3–3 फिट बर्फ पड़ी हुई है। लोग 85 रु0 तेल वहाँ पर खरीद रहे हैं। उस क्षेत्र में सड़क कटने से मुख्य जीविका आलू, मंडुवा, चौलाई जो होती है और लोग आलू नीचे लाते हैं फिर राशन ले जाते हैं वह नहीं हो पा रहा है। जखोल गांव में पिछली बार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दो करोड़ के आलू बिके। इस बार लगभग 30 हजार कु0 आलू सड़ रहे हैं उनके रखने के लिए जगह नहीं है। हमारे पास कैसेट है हमने वहाँ वीडियो रिकार्डिंग करायी जो मेरे पास है वहाँ की हालात बहुत खराब है। हमने पत्र व समाचार के माध्यम से प्रचार–प्रसार भी कराया। आलू सड़क पर सड़ रहा है इसको खाने से 2 पशु मर गए और वहाँ के लोगों के द्वारा आलू खाया जा रहा है।

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि मेरी सूचना आपने स्वीकार की। आज इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रस्ताव पर मैं आपसे चर्चा कराने की मांग करता हूँ। यदि मान्यवर, आपकी आज्ञा हो तो इसकी वीडियो कैसेट भी मेरे पास है। (व्यवधान) मान्यवर, रोड 15 दिन में खुल गई इसके लिए मैं सरकार का आभारी हूँ। लेकिन, यदि यह सड़क चैंज नहीं हुई तो यही स्थिति फिर आ सकती है।

(व्यवधान)

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, दिनांक 7 अगस्त से 17 अगस्त के बीच अतिवृष्टि से क्षति हुई। राजस्व ग्राम सालरा के अन्तर्गत है। हेमलेट ग्राम बदाऊ, देई राजू के 53 परिवारों की कृषि भूमि जो नदी के कटाव में बहकर नष्ट हुई, के प्रभावितों को रु0 79690.00 अहेतुक सहायता मद से वितरण किया जा चुका है। ग्राम मौताड़ के 21 परिवारों की कृषि भूमि कटाव होने पर प्रभावितों को रु0 18860.00 अहेतुक सहायता वितरित की गई है। ग्राम बैनोल में कोई क्षति नहीं हुई है। ग्राम सालरा के हेमलेट ग्राम में 2 भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त, दो भवन आंशिक क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रभावित व्यक्तियों को रु0 21600.00 गृह अनुदान वितरण किया जा चुका है। ग्राम मौताड़ में 10 भवन सांकेतिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें 8000 गृह अनुदान का वितरण किया जा चुका है। ग्राम नैतवाड़ में दो भवन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, प्रभावितों को 1600 रु0 गृह अनुदान वितरण किया जा चुका है। ग्राम गैच्वांण गांव मध्य धताऊ बाजार, नैतवाड़ में 6 भवन भूस्खलन व बाढ़ से पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए हैं तथा पाँच भवन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रभावितों को रु0 20400.00 का गृह अनुदान वितरण किया गया है।

नैतवाड़ बाजार में भूस्खलन होने तथा पेड़ गिरने के कारण होटल के अन्दर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी थी तथा चार व्यक्ति घायल हुए थे। मृत व्यक्ति के आश्रित को रु0 50,000.00 अनुग्रह अनुदान वितरण किया जा चुका है। घायल व्यक्तियों के द्वारा अभी तक चिकित्सा प्रमाण–पत्र न दिये जाने के कारण राहत वितरण अवशेष है। भूस्खलन से आयुर्वेदिक चिकित्सालय, वन विभाग कॉलोनी, खाद्यान्न गोदाम प्रभावित हैं। क्षति का आंकलन विभागों द्वारा किया जा रहा है। बड़ियार के ग्राम छनिका के तीन काश्तकारों की 0.180 हैक्टेयर भूमि क्षति होने पर रु0 230, ग्राम गौल के एक काश्तकार की 0.034 हैक्टेयर भूमि की क्षति का रु0 340, ग्राम पौंठी के 27 काश्तकारों की 0.280 हैक्टेयर भूमि क्षति पर रु0 2800 की अहेतुक सहायता वितरित की गयी है। प्रभावित क्षेत्रों में मार्च, 2004 तक पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न व्यवस्था कर दी गयी है। सभी अवरूद्ध मार्ग खोल दिये गये हैं। इसके साथ ही माननीय सदस्य ने पेड़ों के गिरने की जो सूचना दी है इसकी जानकारी की जा रही है।

श्री मालचन्द्र–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि विकास खण्ड मोरी में 6 गांव बदाऊ–देई, बैनोल, राज्गु, बौताड़, नैटवाड़, बाजार पुरोला के बडियार के 4 गांव किम्डार एवं पौटीच्दानि, गौल के निवासियों के विस्थापन की कार्यवाही सरकार करे। सरकार की तरफ से इसका आश्वासन आ जाये तो मैं आभारी रहूँगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री मालचन्द्र एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

*श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, आपने नियम–56 में मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ में 15 अक्टूबर, 2003 को कुमारी सोनी पुत्री श्री मान सिंह देऊपा, ग्राम फसोड़ी, पो0 चौबाटी जिसकी उम्र 6 वर्ष थी। सायं 6.00 बजे वह अपने घर के आंगन में थी तभी उसे एक बाघ उठा ले गया।

उसके बाद गांव वालों ने हल्ला किया और उसके पीछे गये और रात को 9 बजे गांव वाले छिलके जलाकर उसके पीछे गये। वहाँ से एक किलोमीटर की दूरी पर उसकी लाश मिली। उसके बाद वहाँ पर जो रेंजर का कार्यालय है वहाँ पर सूचना दी गयी। सूचना देने के बाद आज तक वन विभाग ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की है और वहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं, उस आदमखोर शेर के कारण उनका स्कूल जाना बंद हो गया है तथा आज तक मृतक के परिवार को कोई मुआवजा भी नहीं मिला है। क्षेत्र में आदमखोर बाघ का आतंक है, विभाग द्वारा उसे पकड़ा भी नहीं गया है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, माननीय सदस्य की सूचना सही है कि कुमारी सोनी जिस की उम्र लगभग 4 वर्ष थी, पुत्री श्री मान सिंह देऊपा, ग्राम फलोड़ी, पट्टी चौबाटी, तहसील डीडीहाट जनपद पिथौरागढ़ को 15 अक्टूबर, 2003 को बाघ द्वारा मार दिया गया था। मुआवजे के लिए अवयस्क को जो मुआवजे का प्रावधान है उसमें 25 हजार रुपये का प्राविधान है। इसी क्रम में विभाग द्वारा 3 हजार रुपये का भुगतान दिनांक 16 अक्टूबर, 2003 को कर दिया,गया है और अवशेष राशि 22 हजार रुपये के भुगतान के लिए प्रपत्र तैयार किये जा रहे हैं।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, अन्य क्षेत्रों में इसके लिए 1–1 लाख रुपया दिया जा रहा है। अभी रामगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर दो लोगों को बाघ द्वारा खा लेने पर उनके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परिवारों को एक–एक लाख रुपया दिया है। तो क्या सरकार इस मामले में भी कुछ सहायता देगी?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि वर्तमान में जो दरें विभाग में लागू हैं, उसी के आधार पर यह भुगतान किया जा रहा है, इसकी जानकारी मैं कल भी सदन में दे चुका हूँ। हम इसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री बिशन सिंह चुफाल एवं माननीय मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री हरिदास–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम–56 के अन्तर्गत मेरी सूचना को स्वीकार कर मुझे बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, जनपद हरिद्वार के रुड़की निवासी श्री विकास कुमार जो कि अनुसूचित जाति का था। वह पंतनगर युनिवर्सिटी में बी0टेक0 फर्स्टियर का छात्र था, वहाँ पर उसका एडमीशन हुआ था। 18 सितम्बर, 2003 को उसका शव पंखे पर लटका था और विश्वविद्यालय प्रशासन ने उसे आत्महत्या का रूप दे दिया। जब कि उसके बाप ने हत्या की आशंका व्यक्त की है। इन्होंने इसकी जांच की मांग भी की परन्तु उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई सुनवाई नहीं हुई, सरकार द्वारा इस पर सी0बी0आई0 से जांच कराई जाय और आज इस पर चर्चा कराई जाय। ऐसा ही एक मामला पहले भी हो चुका है, मान्यवर, मेरे ही क्षेत्र के गांव का लड़का था उसको रास्ते में ही पकड़कर उसके कागजात आदि फाड़ दिये और उसके पास जो 5–10 हजार रुपये थे उन्हें लूट लिया गया और एक महीने बाद वह किसी तरह मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से गांव वापस पहुँचा। तो मान्यवर, जब हमारे हरिद्वार के लड़के पहाड़ में जाते हैं तो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है।

(व्यवधान)

अतः इस अविलम्बीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की शेष कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ और साथ ही यह भी मांग करता हूँ कि इस प्रकरण को सी0बी0आई0 के माध्यम से भी जांच कराई जाय।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 19 सितम्बर, 2003 को 08.40 बजे श्री रवि प्रताप सिंह, वार्डन ने चौकी पंतनगर पर लिखित तहरीर दी कि पंतनगर विश्वविद्यालय के टैगोर छात्रावास के कमरा नम्बर 24 में रहने वाले छात्र विकास कुमार सिंह जो बी0टेक0 प्रथम वर्ष का छात्र था, का शव पंखे की खूंटी से लटका हुआ है। इस सूचना पर जनपद

पुलिस द्वारा छानबीन करने पर ज्ञात हुआ कि दिनांक 19 सितम्बर, 2003 को सायं 8 बजे छात्र श्री विकास कुमार सिंह का कमरा अन्दर से बंद था तथा दरवाजा न खुलने पर अन्य छात्रों द्वारा चिटकनी तोड़कर दरवाजा खोला गया। मृतक का फोटो लेने के बाद रस्सी काटकर शव को नीचे उतारा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु फांसी लगने, दम घुटने के कारण होना पाया गया। पोस्टमार्टम में मृतक के शरीर पर कोई चोट नहीं पायी गई, केवल गर्दन पर रस्से के फंदे का निशान है। जनपद पुलिस द्वारा अब तक की जांच एवं छानबीन से इस प्रकरण में छात्र विकास कुमार सिंह की मृत्यु आत्महत्या किये जाने से होना पाया गया। मृतक के पिता श्री ज्ञान चन्द्र पुत्र श्री सुमेर चन्द्र, निवासी मोहल्ला शेखपुरा थाना गंगनहर जनपद हरिद्वार द्वारा लगाये गये आरोप, जिसमें विश्वविद्यालय पंतनगर के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उसके पुत्र के साथ सही व्यवहार न करना तथा छात्रों द्वारा रैगिंग करके परेशान करना था। इन आरोपों की जनपद पुलिस की जाँच से पुष्टि नहीं हुई है।

मृतक के पिता के द्वारा अपने पुत्र के कथित हत्या किये जाने की आशंका के मद्देनजर प्रकरण की उच्च स्तरीय न्यायिक अथवा अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग से जाँच कराये जाने की माँग जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर से की गई थी।

मान्यवर, यह घटना खेदजनक भी है और दुःखद भी है। एक नौजवान छात्र, कारण चाहे कुछ भी रहा हो, आत्महत्या करने को विवश हुआ। पता नहीं वह मानसिक तनाव से ग्रस्त था या आर्थिक तनाव से। जिलाधिकारी से जाँच की बात कही जिलाधिकारी ने पोस्टमार्टम आदि कराकर अपने कर्तव्य का पालन किया लेकिन इससे सरकार स्वयं भी संतुष्ट नहीं है। यदि आप चाहें तो इसकी सी0बी0सी0आई0डी0 से जाँच की जा सकती है। जो विभागीय रिपोर्ट है, यह है। पुलिस और जिलाधिकारी की जो रिपोर्ट है, उसमें तथ्यों की पुष्टि नहीं हुई है। यूनिवर्सिटी में जो छात्र पढ़ने जाते हैं, उनमें से कुछ का मनोबल मजबूत होता है और कुछ का कमजोर होता है। यह चिन्ताजनक बात है। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। पढ़ने के लिए लोग निर्धन परिवारों से भी जाते हैं। पन्त नगर विश्वविद्यालय में प्रवेश कठिन होता है। यदि किसी व्यक्ति के पुत्र को वहाँ पर एडमीशन मिल जाता है तो वह अपने को सौभाग्यशाली समझता है। किसी छात्र की मृत्यु होना एक चिन्ताजनक बात है। हम इसको गंभीरता से ले रहे हैं। यदि आप इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं तो इसकी सी0बी0सी0आई0डी0 से जाँच की माँग कर सकते हैं। इसके लिए हम आदेश दे देंगे।

श्री हरिदास–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि इसकी जाँच सही से करवा ली गयी तो ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। मान्यवर, उसकी एक फोटो मेरे पास है, जिसे मैं आपके पास पहुँचा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसकी जाँच सी0बी0सी0आई0डी0 या सी0बी0आई0 से करायी जाय।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह पक्ष अथवा प्रतिपक्ष का प्रश्न नहीं है। जो निर्धन बच्चे बड़ी मुश्किल से एडमीशन मिलने पर पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके साथ इस तरह की घटना खेदजनक

है। इस सम्बन्ध में हम प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही किए जाने के पक्ष में हैं। मैं इस घटना की सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच के आदेश देती हूँ। यदि हम इस जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुए तो इसमें और अधिक कठोर कार्यवाही करने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री हरिदास तथा माननीया मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "यह सदन उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 का अननुमोदन करता है"।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी मैं प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाए।

मान्यवर, यह बड़ा साधारण सा, मासूम सा संशोधन है। साधारण सा, मासूम सा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें केवल अधिकारियों के पदनाम परिवर्तित किए गये हैं। क्योंकि एक वर्ष पूर्व से ही उत्तर प्रदेश में पदनाम परिवर्तित हो गये हैं। उत्तर प्रदेश में व्यापार कर अधिकारी का पदनाम अब सहायक कमिश्नर व्यापार कर, कर दिया गया है तथा असिस्टैंट कमिश्नर व्यापार कर का पदनाम उप कमिश्नर व्यापार कर, कर दिया गया है और डिप्टी कमिश्नर व्यापार कर का पदनाम संयुक्त कमिश्नर व्यापार कर, कर दिया है। इसके अतिरिक्त मान्यवर, इसमें कोई प्राविधान, संशोधन नहीं किया गया है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संशोधन प्रस्तुत करता हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो संशोधन विधेयक माननीय मंत्री जी ने सदन में विचारार्थ रखा है। मैं पुनः इसी बात को दोहराऊँगा कि सरकार तीन वर्ष बाद भी उत्तरांचल राज्य के अपने विधेयक को नहीं लाना चाहती और यह केवल नाम का परिवर्तन कर देना ही आवश्यक समझती है। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि ऐसी कौन

सी परिस्थितियाँ पैदा हो गई कि सरकार को अध्यादेश का सहारा लेना पड़ रहा है। यह विचारणीय प्रश्न है। मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि अपनी इस भूल पर वह फिर से विचार करे और इस संशोधन विधेयक को वापस ले। हमारे उत्तरांचल राज्य के अनुकूल पदनाम हों, हमारे उत्तरांचल के अनुरूप विधेयक आए, विधि बने। यदि सरकार इस कार्य को नहीं कर सकती तो यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, क्योंकि उत्तरांचल के हित में एक अच्छा व्यापार कर अधिनियम बन पाए। इस कारण हमने यह प्रस्ताव रखा है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अनुमति दी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, पदनाम परिवर्तित करने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी? इस सम्बन्ध में मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ।

मान्यवर, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। "एक व्यक्ति का नाम लुप्ति था, उससे लोगों ने कहा आप इतने बड़े सेठ हैं और आपका नाम लुप्ति है, जबकि आपका कोई अच्छा नाम होना चाहिए था। तब उसने बताया के अमर सिंह को मैंने मरते देखा, धन सिंह को पानी भरते देखा, लक्ष्मी को दूब खोदते देखा, इसलिए है मेरा नाम लुप्तिखूब"।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी, अब हम उठते हैं अपराह्न 3.00 (तीन) बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के उपरान्त अपराह्न 3.00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मदन कौशिक द्वारा नियम–311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को उठाने का प्रयास

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, नियम–311 के अन्तर्गत हमने सूचना दी थी, हम चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाए।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यों के अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान।)

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

मान्यवर, आप 30 तारीख को इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपका आभारी रहूँगा।

श्री अध्यक्ष–

आप सूचना दे दें, हम देख लेंगे।

(घोर व्यवधान)

श्रीमती विजय बड़थ्वाल द्वारा कोटद्वार को जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में कोटद्वार की संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में नियम–311 के अन्तर्गत चर्चा कराये जाने की माँग

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, कोटद्वार की संघर्ष समिति के कुछ लड़के अलग जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में आये थे उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। मान्यवर, इस पर नियम–311 में चर्चा कराई जाए।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, इस सदन में सम्मानित लोग बैठते हैं। मान्यवर, माननीय प्रकाश पंत जी हमारे साथ लम्बे समय तक उत्तर प्रदेश में सदस्य रहे, हमें ऐसी परम्परा नहीं डालनी चाहिए। मान्यवर, नियम–311 प्रातः आना चाहिए। मान्यवर, अच्छी परम्परा होनी चाहिए।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, चूँकि मेरा नाम माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने लिया है इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि नियम–311 को प्रातः लाना चाहिए। मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी का विवेकाधिकार है कि वे नियम–311 किसी भी समय ले सकते हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली में है कि "कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाय और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो वह नियम उस समय के लिए निलम्बित कर दिया जायेगा। ऐसी अवस्था में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा, वह अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जायेगी।" मान्यवर, यह माननीय अध्यक्ष जी का अधिकार है। मान्यवर, यह सदन के माननीय सदस्यों का भी अधिकार है कि वे अपनी बात को माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से रखें।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मातबर सिंह कण्डारी जी आप मद संख्या–29 पर अपने विचार रखें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा था कि जो भी कानून हम बनायें वह उत्तरांचल की जनता के हित में बनाये और वह कानून सार्थक होना

चाहिए। मान्यवर, इस अधिनियम के द्वारा सरकार नाम परिवर्तन करने जा रही है। मान्यवर, सहायक कमिश्नर के स्थान पर उप कमिश्नर और उप कमिश्नर के स्थान पर सहायक कमिश्नर का नाम कर दिया गया, इससे कोई औचित्य नहीं बनता।

मान्यवर, यदि सरकार कर की चोरी पर कठोर नियम बनाती तो अच्छा होता ताकि सरकार के राजस्व की भी प्राप्ति होती, मगर ऐसा कोई विधेयक नहीं आया है, इसलिए जो प्रकाश पन्त जी ने अननुमोदन का प्रस्ताव रखा, मैं उसका समर्थन करता हूँ और हमारे रिपोर्टर बन्धु कह रहे थे कि आपने क्या कहा तो मैं दोहरा रहा हूँ, "अमर सिंह को मैंने मरते देखा और धन सिंह को पानी भरते देखा, लक्ष्मी को दूब खोदते देखा, इसलिए मेरा नाम लुपितखूब"। मान्यवर, अगर सरकार कर चोरी पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कठोर कदम उठाती है, ताकि हमारा राजस्व बढ़े तो हम उसका स्वागत करते हैं। इस अधिनियम में कोई नई बात नहीं है इसलिए हम इसे प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव करते हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सम्मानित प्रकाश पन्त तथा नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इसमें तो कुछ नहीं है। मान्यवर, यह व्यवस्था इसलिए की गयी कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर सेवा नियमावली, 1983 से संचालित संवर्ग के समस्त अधिकारियों के पदनामों में एकरूपता बनी रहेगी तथा उत्तर प्रदेश के साथ अधिकारियों के आदान–प्रदान में भी विषमता नहीं रहेगी। मान्यवर, ये पदनाम इसलिए परिवर्तित करने पड़े क्योंकि उत्तर प्रदेश में परिवर्तित हुए और जो भी अधिकारी हमारे पास आए हैं, वे उत्तर प्रदेश से आए हैं, अभी कुछ डेपुटेशन पर भी आए हैं। तो मान्यवर, एकरूपता होनी ही चाहिए। ताकि अधिकारियों के आदान–प्रदान में कठिनाई न हो। अभी परिसम्पत्ति के बंटवारे नहीं हुए इसलिए यह लाया गया और किसी प्रकार की कोई कठिनाई न आए, बाकी इसमें किसी प्रकार का व्यय भार नहीं है। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इसके प्रवर समिति में जाने योग्य कोई बात नहीं है। वे अन्य विधेयकों में यह बात कह सकते हैं, लेकिन इसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है, इसका उद्देश्य और कारण भिन्न है। तो मैं समझती हूँ कि इसे आप वापस ले लें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस विधेयक के पक्ष में केवल यह बात कही कि हम केवल नाम परिवर्तन करने मात्र से इस विधेयक को ला रहे हैं और जो हमने सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार किया है कि इस उत्तरांचल राज्य की अपनी विधियाँ होनी चाहिए। मान्यवर, 3 साल हो गए राज्य को बने हुए। आज इसकी अपनी विधियाँ होनी चाहिए और हम अनुरोध करते हैं कि सरकार इस विधेयक को वापस ले लें, आप अपना अलग से एक विधेयक लायें यदि यह ठीक होगा तो हम सभी लोग सदन में इसका समर्थन करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–7 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 (उत्तरांचल विधेयक संख्या सन् 2003)

(भारतीय गणतंत्र के 54वें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:)

विधेयक

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश, 2002 के संशोधन हेतु अधिनियम का प्रतिस्थानी विधेयक

1– संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार–

(1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

(3) यह तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) की धारा 2 का संशोधन–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (ख) में, शब्द "संयुक्त कमिश्नर या उप–कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "या संयुक्त–कमिश्नर" प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे।

3– धारा 4–ख का संशोधन–

मूल अधिनियम की धारा 4–ख की उपधारा (4) के खण्ड (तीन) में, शब्द "उप–कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "संयुक्त–कमिश्नर" प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे।

4— धारा 10 में संशोधन—

मूल अधिनियम की धारा 10 में उपधारा (1) में, खण्ड (ख) में, शब्द "उप—कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "संयुक्त—कमिश्नर" प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे।

5— धारा 10—ख में संशोधन—

मूल अधिनियम की धारा 10—ख की, उपधारा (1) में, "उप—कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "संयुक्त—कमिश्नर" प्रतिस्थापित कर दियें जायेंगे।

6— धारा 13—क का संशोधन—

मूल अधिनियम की धारा 13—क की, उपधारा (6) में, "सहायक—कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "उप—कमिश्नर" प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे।

7— निरसन और अपवाद (अध्यादेश संख्या 07, वर्ष 2003)—

(1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अध्यादेश 2003 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड—2 से खण्ड—7 तक, खण्ड—1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) विधेयक (द्वितीय संशोधन) 2003 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) विधेयक (द्वितीय संशोधन) 2003 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, 2003 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2003

श्री प्रकाश पन्त—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि "यह सदन उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, 2003 का अननुमोदन करता है।"

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, आकस्मिकता निधि, आकस्मिकता अधिनियम, 2001 के माध्यम से उत्तरांचल राज्य में 30 करोड़ रु0 की व्यवस्था की गई थी, यह व्यवस्था भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 के खण्ड (2) के अधीन की गयी थी। गन्ना मूल्य के भुगतान करने के लिए उक्त आकस्मिकता निधि को 30 करोड़ रु0 के स्थान पर 85 करोड़ रु0 किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य हो गया था, इसलिए इसे लाया गया। 24 करोड़ रु0 से फिर आकस्मिकता निधि बढ़ाकर 55 करोड़ दूसरी बार दिया गया। मान्यवर, इसलिए 85 करोड़ रु0 फिर 79 करोड़ रु0 दिया। हमें गन्ना भुगतान के लिए बाध्य होना पड़ा, इसलिए इस आकस्मिकता निधि को लाया गया।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।" (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने यह विषय रखा कि उत्तरांचल राज्य के अन्दर आकस्मिकता निधि बढ़ाने की आवश्यकता है और यह प्रकट किया कि हमने आकस्मिकता निधि गन्ना के मूल्य भुगतान के लिए स्वीकृत किया। यह सत्य है कि गन्ना किसानों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। मान्यवर, सरकार को अलग से इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी और इसको आकस्मिकता निधि से दिया जाना निश्चित रूप से आपत्तिजनक है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि जितना अभी भुगतान हुआ होगा, जिसकी घोषणा माननीय मंत्री जी ने की है कि हम आकस्मिकता निधि से दे रहे हैं या दिया जा चुका है लेकिन मान्यवर, यह सरकार संख्या बल के आधार पर ऐसा कर रही है इतिहास आपको याद रखेगा। जिस प्रकार से ऐसी व्यवस्था सरकार कर रही है और संख्या बल के आधार पर यह विधि बना रही है यह उत्तरांचल की जनता देख रही है और यह उत्तरांचल राज्य के हित में नहीं है। मैं आग्रह करूँगा कि इसमें पुनरावृत्ति न करें और इसको निश्चित रूप से प्रवर समिति को सौंप देना चाहिए और इस विधेयक को वापस ले लेना चाहिए और जो व्यय किया गया उसकी व्यवस्था किसी और मद से करें।

मान्यवर, सरकार का कर्तव्य अधिकारों का संरक्षण है और अधिकारों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं से धन की आपूर्ति करें। अगर यह सरकार कुर्सी पर बैठकर नहीं कर सकती तो इधर के लोग कर सकते हैं इसलिए इसको प्रवर समिति को सौंप देना चाहिए।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आभारी हूँ कि आपने माननीय प्रकाश पन्त के प्रस्ताव पर बल देने के लिए समय दिया। मान्यवर, मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है। हम एक बात कहना चाहते हैं कि आकस्मिकता निधि जैसे कि इसकी शब्दावली से है तो यह उस कार्य पर यूज होती है। जैसे कभी कहीं अकाल पड़ गया हो, बहुत बड़ी दुर्घटना हो गयी हो। जिसकी वित्त के अन्दर व्यवस्था नहीं हो पायी हो। परन्तु इसका दुरूपयोग सरकार कर रही है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का घोषणा प्रकोष्ठ होता है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की जाती है उसकी पूर्ति कन्टिंजेन्सी फण्ड से की जा रही है जो कि पूरे उत्तरांचल राज्य के साथ अन्याय है। क्योंकि किसी और संस्था जैसे नाबार्ड से ऋण ले सकते थे और किसी अन्य वित्तीय संस्थाओं से ले सकते थे। जैसा कि सरकार ने लिया भी है।

मान्यवर, उत्तरांचल की स्थिति बद्तर होती जा रही है। यद्यपि गन्ने का भुगतान जो किया गया उससे हम सहमत हैं लेकिन इसके लिए और कहीं से पैसा लाना चाहिए था। इस विधेयक में संशोधन की आवश्यकता है इसके बारे में विचार होना चाहिए। पहले भी आकस्मिकता निधि ली गयी है। दो सालों के अन्तर्गत जो निधि उपयोग हुई है, उसका क्या–क्या उपयोग किया, इसका खुलासा होना चाहिए, इसलिए मैं माननीय प्रकाश पन्त के प्रस्ताव पर बल देते हुए इसे प्रवर समिति को सौंपने की मांग करता हूँ।

*श्रीमती आशा देवी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय प्रकाश पन्त जी के प्रस्ताव पर बल देने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। मान्यवर, यह जो आकस्मिकता निधि विधेयक लाया जा रहा है।

मान्यवर, इसमें जो 85 करोड़ रु० की धनराशि रखी गई है, यह बहुत ही कम है। माननीय अध्यक्ष जी, पूरा उत्तरांचल जानता है और सरकार जानती है कि आकस्मिकता निधि आकस्मिक घटना होने पर जैसे बाढ़, सड़क दुर्घटना, भू–स्खलन आदि के समय प्रयोग की जाती है। मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य श्री प्रकाश पन्त जी ने कहा कि किसान को गन्ना जलाना पड़ा है। (व्यवधान) पूरा सदन जानता है, सामने बैठने वाले मा० सदस्यगण जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार भू–स्खलन होता रहता है। इसके लिए भी इसका उपयोग होना चाहिए। लेकिन ऐसा न करके सरकार गरीब किसानों के साथ घोर अन्याय कर रही है। मैं माननीय प्रकाश पन्त जी के प्रस्ताव पर बल देती हूँ और आपके माध्यम से यह निवेदन करती हूँ कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाये और संशोधनों के बाद इसे पुनः सदन के पटल पर रखा जाये।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, उत्तरांचल के अन्दर बादल फटना, भू–स्खलन, सूखा जैसी विपदाएं हर वर्ष और हर समय अचानक होती रहती हैं। मान्यवर, जब भी कभी कोई बहुत बड़ी घटना या आपदा होती है तो हम केन्द्र सरकार या विश्व बैंक पर ही निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए अभी उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत में भू–स्खलन के बाद हम केन्द्र का मुँह ताक रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इस राज्य की आकस्मिकता निधि इतनी होनी चाहिए कि हम आपदा पीड़ितों की सहायता कर सकें। प्राकृतिक आपदा होने पर पीड़ितों की सहायता हो सके, यह मानवीय आधार भी है। हमारे राज्य के अन्दर आये दिन बड़ी–बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। अभी 22 दिसम्बर को टिहरी में थत्यूड़ मुख्यालय के पास एक जीप दुर्घटना हुई जिसमें 5 मौतें हुई हैं और 5 लोग गम्भीर रूप से घायल भी हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा घायलों के उपचार हेतु कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है और न ही मृतकों के परिजनों को कोई मुआवजा दिया गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों की नैनबाग के पास जमुना पुल (टिहरी जनपद) में 24 अक्टूबर को एक सड़क दुर्घटना में जो मृत्यु हुई थी उनको आज तक आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है। मान्यवर, आकस्मिकता निधि में 85 करोड़ रु0 प्रस्तावित किया गया है।

चाहे वह गन्ना भुगतान के लिए हो, इस राज्य के अन्दर, इस विधेयक में यह प्राविधान होना चाहिए। 85 की बजाय मैं प्रस्ताव करता हूँ कि 100 करोड़ रूपया हमारी आकस्मिकता निधि में होना चाहिए। यदि माननीय मंत्री जी आश्वासन दे दें तो जो इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने की बात कह रहे हैं, हम अपना प्रस्ताव वापस ले सकते हैं, यदि माननीय मंत्री जी स्पष्ट आश्वासन दें। धन्यवाद।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य की आकस्मिकता मद मे वर्ष 2001 में उत्तरांचल आकस्मिकता अधिनियम, 2001 के माध्यम से 30 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई थी। मान्यवर, इस निधि को 30 करोड़ के स्थान पर 85 करोड़ रूपया किया जाना, वह भी गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए।

(सदन में मोबाइल की ध्वनि सुनाई पड़ने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया अपने मोबाइल बन्द करें, मैं कई बार कह चुका हूँ। यह अच्छी बात नहीं है, कृपया ध्यान रखें।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, गन्ना उत्तरांचल में हमारे तीन जिलों में है, हरिद्वार, देहरादून और ऊधमसिंह नगर की यह मुख्य फसल है। मान्यवर, इसके भुगतान के लिए गन्ना किसानों के भुगतान के लिए बजट में पहले से ही प्राविधान होना चाहिए था और यह आकस्मिकता निधि एक ऐसी निधि है जिसे कि दैवीय आपदा, अकाल दुर्घटना में आदि के लिए होती है। हमारे राज्य में इस तरह की दुर्घटनायें आये दिन होती रहती हैं और यह उन पर दी जाने वाली मद है।

मान्यवर, यह भी कोशिश होनी चाहिए कि इस निधि को बढ़ाने के लिए हमारे उत्तरांचल राज्य में इसके लिए कौन–कौन से संशोधनों द्वारा इसको बढ़ाया जायेगा, इसका भी इसमें कोई उल्लेख नहीं है।

मान्यवर, माननीय श्री प्रीतम सिंह पंवार जी ने भी कहा कि यह आकस्मिकता निधि 100 करोड़ रुपये कर दी जानी चाहिए। निश्चित रूप से सही कहा है। लेकिन जिस तरह

से गन्ना भुगतान के लिए इसको बढ़ाया जा रहा है तो क्या गन्ना मूल्य का भुगतान करने के लिए सरकार को पहले से ही अनुमान नहीं लगाना चाहिए था? और सरकार को इसके लिए पहले ही बजट में प्राविधान करना चाहिए था। आखिर सरकार ने पहले से ही बजट में गन्ना भुगतान की व्यवस्था क्यों नहीं की? अतः मैं, श्री प्रकाश पन्त जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर बल देती हूँ और सरकार से माँग करती हूँ कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

*श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, सरकार ने गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए 85 करोड़ रूपये की व्यवस्था की, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सरकार ने पैसे की व्यवस्था कर के किसानों को दिया है अच्छी बात है लेकिन किस मद में। मान्यवर, एकाउंट में मद इसलिए रखी जाती है कि पैसा अलग–अलग मदों में बांट दिया जाय। पैसा अलग–अलग ऐसी मद और ऐसी व्यवस्था के अन्तर्गत रहे कि यदि उस मद के आधार पर यदि आवश्यकता पड़े तो उसको पूरा किया जा सके।

मान्यवर, आकस्मिकता एक ऐसी मद है जो कुदरत के हाथ में है। यह कभी भी, कहीं भी हो सकती है। इसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। इसके लिए रखे हुए पैसे को अन्यत्र खर्च नहीं करना चाहिए। कहीं पर भी बादल फट सकता है, कभी भी पहाड़ खिसक सकता है। मान्यवर, यह एक महत्वपूर्ण मद है। सरकार ने इसका पैसा निकाल दिया है, इसका मतलब इसके लिए आप तैयार नहीं हैं। आकस्मिकता से पैसा नहीं निकालना चाहिए था, किसी और मद से पैसे की व्यवस्था करनी चाहिए थी। आपने गन्ना किसानों के भुगतान के लिए पैसों की व्यवस्था की, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि भविष्य में यह परम्परा नहीं बननी चाहिए। इसके लिए मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मुझे लग रहा है कि कहीं कोई भ्रम की स्थिति है। आकस्मिकता निधि से अग्रिम रूप में पैसा लिया जाता है और इसकी व्यवस्था बजट और अनुपूरक बजट में की जाती है। गन्ने का तुरन्त भुगतान करना था, जिसके लिए सरकार के पास पैसा नहीं था। मान्यवर, आप भी और इस प्रदेश की जनता भी यह चाहती है कि गन्ने का भुगतान किया जाय। जब से यह देश कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है, तब से हर कोई जानता है कि यहां की अर्थ व्यवस्था किसानों से जुड़ी हुई है और गन्ना कैश क्रॉप के रूप में है। मान्यवर, हमने आकस्मिकता निधि से अग्रिम पैसा लेकर गन्ना किसानों का भुगतान कर दिया है। पहले आकस्मिकता निधि में 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी, इसे बढ़ाकर 85 करोड़ कर दिया गया। इसकी व्यवस्था बजट और अनुपूरक बजट में करनी होती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, गन्ने से जुड़े हुए लोगों को चिन्ता है। गन्ना किसान के सामने आज भी संकट है कि गन्ने के भाव नहीं घोषित हुए हैं। किसान आज आन्दोलनरत हैं। इसके लिए सरकार चिन्तित है। भारत सरकार के सामने भी यह चिन्ता है। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि यदि अचानक दैवीय आपदा आ जाए तो क्या होगा? मान्यवर, दैवीय आपदा से निपटने के लिए आपदा राहत कोष होता है। आपदा राहत कोष राज्य सरकार के पास भी होता है और भारत सरकार के पास भी। इस तरह की मदों के लिए आकस्मिकता निधि होती है। आपदा राहत के लिए हम भारत सरकार से भी पैसा मांगते हैं। जैसे उत्तरकाशी के लिए हमने भारत सरकार से भी पैसा मांगा था। केन्द्रीय मंत्री जी भी यहां पर आए थे। आकस्मिकता निधि में 90 करोड़ या 100 करोड़ रूपया नहीं रख लिया जाता है। जरूरत के हिसाब से एक धनराशि रख ली जाती है। इस समय गन्ने का भुगतान करना आवश्यक था। हमने 85 करोड़ में से 79 करोड़ रूपये का भुगतान कर दिया है। गन्ने के भुगतान के लिए आप तथा हम सभी लोग चिन्तित थे। यह जरूरी था कि कहीं से भी पैसा लाया जाय।

मान्यवर, इसके लिए हमने मण्डी परिषद् तथा अन्य संसाधनों से भी पैसा लेकर गन्ना किसानों के भुगतान की व्यवस्था की है। इन संसाधनों में एक आकस्मिकता निधि भी है। मान्यवर, छोटे किसान हों या बड़े किसान, सबको भुगतान न होने से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। हमने आकस्मिकता निधि से 79 करोड़ रूपये का भुगतान कर दिया है। यह आवश्यकता थी, समय की माँग थी। आज भी किसान इसके लिए आन्दोलनरत हैं। प्राइवेट फैक्ट्रियों ने भी भुगतान नहीं किया है, उन पर भी दबाव है, हमारा भी है और भारत सरकार का भी है। किसान को राहत मिलनी चाहिए। गन्ना कैश क्रॉप के रूप में है।

उनका जीवन स्तर सुधरे प्रदेश की सरकार ने इसके लिए यह व्यवस्था की। मेरा विश्वास है कि आप लोग अब इससे आश्वस्त होंगे।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं चाहूँगा कि इस निधि का प्राविधान उत्तरकाशी जिले में भी हो, जहाँ प्राकृतिक आपदा घटित हुई। काफी विलम्ब हो चुका है किन्तु अभी तक राहत कार्य सुचारू रूप से प्रारम्भ नहीं हो पाए हैं, लोग सड़कों पर हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस निधि का थोड़ा बहुत उपयोग वहाँ भी किया जाए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, वर्तमान में तो इस निधि में पैसा शून्य के बराबर है। फिर भी मैं आपके सुझाव पर भविष्य में विचार करूँगी। मेरा अनुरोध है कि सम्मानित श्री प्रकाश पन्त जी गन्ना किसानों के हित में, उनके हक में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के लिए सरकार को बधाई देंगे।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में चीमा जी के विचार भी सरकार को ले लेने चाहिए थे, उनकी राय ले लेनी चाहिए थी। चीमा जी उसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। (हँसी)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, चीमा जी उसी क्षेत्र के हैं जहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी लम्बे समय से जुड़े रहे हैं। अब यह तो चूक हो गई कि हमने चीमा जी को नहीं बुलाया।

गन्ना विकास मंत्री (श्री साधूराम)–

मान्यवर, हमारे विपक्ष के सभी माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि मैं कुछ इस सम्बन्ध में कहूँ। मान्यवर, मैं तो यह अपेक्षा कर रहा था कि हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य हमको इस कार्य के लिए धन्यवाद देंगे। मान्यवर, हमने क्रिटिकल समय में भी गन्ने का भुगतान किया, किन्तु विपक्ष के माननीय सदस्यों ने हमें धन्यवाद देना भी गँवारा नहीं समझा। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों के इस तरह के व्यवहार के लिए धन्यवाद देता हूँ। (हँसी)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो संशोधन यहाँ पर प्रस्तुत किया, जिसमें हमने कहा कि इसे प्रवर समिति के सम्मुख भेजा जाए। श्रीमन्, हम सभी तथा पूरा सदन गन्ना किसानों के साथ है। मान्यवर, यह प्रक्रिया ठीक नहीं है, सरकार ने जब बजट रखा था तो उसे विचार करके रखना चाहिए था कि हमारे प्रदेश में किस–किस प्रकार की समस्या है और हम इन समस्याओं से किस प्रकार जूझेंगे। नई मदों में गन्ना किसानों की मद जोड़ी जा सकती है लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और आकस्मिकता निधि के नाम पर आपने भुगतान कर दिया।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, मैं अपने माननीय सदस्यों की भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करता हूँ। गन्ना किसानों का भुगतान अत्यंत आवश्यक था, इस बात को हम भी स्वीकार करते हैं। मैं सोचता हूँ कि सरकार इस प्रक्रिया को दुबारा नहीं अपनायेगी। मैं इस संशोधन प्रस्ताव को वापस लेता हूँ। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा के हमने उधार लिया एडवांस पेमेन्ट का सरकार को बजट में प्राविधान रखना चाहिए। अब जब सरकार भविष्य में बजट लेकर के आएगी तो इस बारे में अवश्य विचार करेगी और इसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था करेगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, 2003 का अननुमोदन करता है, को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें, को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2003
(उत्तरांचल विधेयक संख्या– सन् 2003)

उत्तरांचल राज्य की आकस्मिकता निधि की जमा धनराशि में वृद्धि की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

चूँकि "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 267 के खण्ड (2) द्वारा राज्यों के विधान मण्डल को अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी शक्ति दी गई है कि वह अपने-अपने राज्य के लिए विधि द्वारा राज्य आकस्मिकता निधि की व्यवस्था कर सके;

और, चूँकि, उत्तरांचल राज्य की आकस्मिकता निधि में जमा धनराशि में वृद्धि की व्यवस्था करना समीचीन हो गया है;

अतः भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :–

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1)– यह अधिनियम उत्तरांचल आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

(2)– यह अध्यादेश प्रख्यापित होने की तिथि से प्रभावी समझा जायेगा।

2–मूल अधिनियम की धारा–4 में संशोधन उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या–02 सन् 2001) की धारा–4 में शब्द "तीस" के स्थान पर शब्द "पचासी" प्रतिस्थापित किया जाता है।

3–निरसन और अपवाद (1)– उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (अध्यादेश संख्या–9, सन् 2003) निरसित किया जाता है।

(2)– ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह राज्य के हित में है। जब से केबिल आयी है, लोग सिनेमा घरों में कम जाने लगे हैं, इसकी वजह से इससे जुड़े लोगों को बहुत घाटा हो रहा है। मान्यवर, आज इनकी स्थिति यह है कि ये अपने सिनेमा घरों का मेंटीनेन्स तक नहीं करा पा रहे हैं, जिसके कारण सिनेमा जाने वाले लोगों की संख्या में और कमी हो रही है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने मनोरंजन कर, जो 100 प्रतिशत लिया जाता था, उसको अब 60 प्रतिशत कर दिया है, ताकि ये अपने सिनेमा हॉलों का मेंटीनेन्स करें तथा जो लोग सिनेमा देखने जायं वहाँ उनको आरामदायक कुर्सी, एयरकंडीशन युक्त कमरा मिले, ताकि दर्शकों की संख्या में दिनोंदिन वृद्धि हो तथा जो पर्यटक यहाँ आते हैं, उनको स्वच्छ मनोरंजन मिले।

मान्यवर, कई जगह तो एक ही शॉपिंग कॉमप्लेक्स में 10–10 सिनेमा घर होते हैं। मान्यवर, लोग बड़े हॉल में सिनेमा देखना चाहते हैं, पर हॉलों की स्थिति ठीक नहीं है और छोटे सिनेमा घर बन्द हो गये हैं। मान्यवर, ऐसी स्थिति को देखते हुए सरकार के द्वारा यह

निर्णय लिया गया है कि सिनेमागृहों पर प्रति टिकट अनुरक्षण शुल्क की दर 1.50 रूपया से बढ़ाकर 3.00 रूपया करने हेतु आमोद और पणकर अधिनियम में संशोधन किया जाए। मान्यवर, शासन के प्रस्ताव पर माननीय उत्तरांचल विधान सभा का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद छविगृह मालिकों को लगभग 40 लाख वार्षिक आय होगी, इससे छविगृहों की स्थिति ठीक होगी। मान्यवर, यह कमी जुलाई, 2002 में की गई है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उद्देश्य और कारण बताए हैं उसके अनुसार यह बात ठीक है कि वर्तमान परिस्थितियों में सिनेमा घरों की हालत ठीक नहीं है। मान्यवर, केबिल व्यवसाय के कारण सिनेमा घरों के मालिक घोर संकट से गुजर रहे हैं, निश्चित रूप से चिन्ता का विषय है। मान्यवर, सरकार ने अनुरक्षण शुल्क 1.50 रु0 से बढ़ाकर 3.00 रु0 कर दिया है, जब सरकार भी चिन्तित है तो जो 40 प्रतिशत की छूट दी है वह 100 प्रतिशत भी हो सकती है। मान्यवर, आप जो छूट दे रहे हैं उसे पूरा करने के लिए आप कहीं न कहीं जनता पर लाद देंगे, तो यह कहाँ का न्याय है। मान्यवर, आप मनोरंजन कर में छूट देंगे तो निश्चित रूप से उनको राहत मिलेगी। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसे प्रवर समिति को दे देना चाहिए और उसकी रिपोर्ट 30 तारीख को सत्र में आ जाये। मान्यवर, यह विषय सीधे जनता से जुड़ा है।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, मैं अधिक नहीं बोलूँगा। मान्यवर, आज जो सबसे निम्न श्रेणी के व्यक्ति हैं। निम्न श्रेणी का तात्पर्य अर्थ के मामले में निम्न श्रेणी से है। ऐसा व्यक्ति जिसका एकमात्र मनोरंजन का साधन सिनेमा है, दूसरी ओर मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय परिवारों की ओर जाते हैं तो घरों में टेलीविजन लगे हैं और इसके अलावा मनोरंजन के अन्य कई साधन हैं जैसे क्लब कैसियो या अन्य कोई चीज, परन्तु जो गरीब व्यक्ति है उसका एकमात्र साधन सिनेमा है। यदि आज हम इसमें टैक्स लगाते हैं तो अन्तात्योगत्वा इसमें तेल तो गरीब का ही निकलना है, वह उसके हाथ से उसी की जेब से निकलनी है। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि ये वास्तव में इसका प्रतिशत जो माननीय मंत्री जी ने बताया कि 60 प्रतिशत की छूट पहले से ही दी है तो अब 60 प्रतिशत को 30 प्रतिशत तो कर ही दें, आधा–आधा कर दें तो बजाए बढ़ाने के घटाना चाहिए। मान्यवर, अभी हाल ही में मण्डी टैक्स लग गया, अण्डे पर टैक्स लग गया, आटे पर टैक्स लग गया तो फिर गरीब कहाँ जायेगा।

मान्यवर, जो मजदूर होता है दिन भर बेल्चा, कुल्हाडी इत्यादि से कार्य करता है, सड़क में बेल्चा या लकडी तोड़ता रहता है, मनोरंजन के लिए वह सिनेमा घरों में जाता है, किसी के घर टी0वी0 देखने नहीं जा सकता। यदि कर को आप बढ़ायेंगे तो गरीब व्यक्ति का ही तेल निकलना है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सलाह देना चाहता हूँ कि जो छूट आपने पहले दी है उसमें आधा और कर दें। ताकि गरीबों को सुविधा मिल सके। माननीय अध्यक्ष जी, मदन जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं इस पर बल देता हूँ और इन्होंने बहुत अच्छी राय दी है कि इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाए क्योंकि इसमें विस्तृत चर्चा होनी आवश्यक है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जैसा हमारे सम्मानित सदस्य अजय भट्ट जी ने चिंता व्यक्त की। मान्यवर, उत्तरांचल में कुल 49 छविगृह थे और उत्तरांचल राज्य निर्माण हुआ तो 11 सिनेमा घर बन्द हो गए और एक उससे पहले से बन्द था। इस समय उत्तरांचल में कुल 12 सिनेमा घर बन्द पड़े हैं। हमें इसको भी तय करना होगा कि जो सिनेमा घर, जिन सिनेमा स्वामियों ने बनाए हैं वे चल पायें, सुविधा की तो बात ही छोड़ दीजिए, यदि चलेंगे तभी तो कोई निर्धन या अन्य व्यक्ति देखेगा। मान्यवर, अनुरक्षण पर सरकार कोई कर नहीं लेती है, सरकार इसमें कोई कर लेने की परिस्थिति में नहीं है। मान्यवर, सिनेमा घर के जो स्वामी हैं, उन्हें अपने कर्मियों जैसे कि जो टिकट देने आदि की व्यवस्था में रहते हैं उनको पैसा देना होता है। सही मायने में यदि हम उन्हें यह सुविधा नहीं देंगे तो हमारा गरीब मजदूर देखेगा तो तब जब ये चलेंगे।

मान्यवर, सिनेमा स्वामियों को भी अधिक पैसा व्यय करना पड़ता है, अच्छे सिनेमा को लगाने में। मान्यवर, मैदानी क्षेत्र और अन्य कई क्षेत्रों में तो इन्होंने कोल्ड स्टोरेज बना लिए हैं, कुछ बैंकेट हाल बना लेंगे, यहाँ वे अभी सम्भावनाएँ ढूँढ रहे हैं। मान्यवर, यहाँ पर 12 सिनेमा घर बन्द हो गए हैं। मान्यवर, अब ये 12 खोल पायेंगे या नहीं। इनका एक शिष्ट मण्डल आया था। मान्यवर, दुनिया के अन्य देशों में जहाँ शापिंग काम्पलेक्स हैं, दिल्ली, नोएडा में एक जगह पर 3–4 सिनेमा घर हैं।

मान्यवर, दक्षिण भारत में आज भी लोग बड़े पर्दे पर फिल्म देखते हैं। इसका प्रचलन फिर से हो रहा है। इस दृष्टि से भी इस पर विचार किया जाना आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि आप इसे पारित करेंगे।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने छवि गृह के बारे में चिन्ता व्यक्त की। वास्तव में वह चिन्ता स्वाभाविक है, क्योंकि हरिद्वार जनपद में भी छविगृह बन्द हुए हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि हम उनकी आर्थिक स्थिति ठीक न करें। आकस्मिकता निधि से 85 करोड़ रूपया आपने वहाँ भी दिया, समय–समय पर सरकार उनको सहयोग करती है। यह बात बहुत बड़ी नहीं है। एक तरफ कह रहे हैं कि गरीब व्यक्ति छविगृह जाता है उन्हें डेढ़ रूपया और एक्स्ट्रा देना पड़ता है। जिनके पास टी0वी0 नहीं है, जो उस स्थिति में नहीं हैं कि उसके घर में कलर टी0वी0 नहीं है वह लोग छविगृह जाते हैं।

माननीय मंत्री जी ने भी चिन्ता व्यक्त की। इसमें डेढ़ रूपया प्रति टिकट बढ़ा, यह उनके साथ अन्याय नहीं होगा। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज प्रकाश पन्त जी ने अपना संशोधन वापस लिया था, आप भी इसे वापस ले लें तो बराबर हो जायेगा, आप इसे प्रवर समिति को दे दें। मैं इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करने पर घोर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003 को इस सदन की

एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003 (उत्तरांचल विधेयक संख्या सन् 2003)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) में अग्रेत्तर संशोधन हेतु विधेयक :–

भारत गणराज्य के चौव्वनवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित :–

1– संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ–

(1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

(3) यह तत्काल प्रभावी होगा।

2– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) धारा 3–क में संशोधन– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) की धारा 3–क की, उप–धारा (1) के खण्ड (क) में शब्द "एक रुपया पचास पैसे" के स्थान पर शब्द "तीन रुपये" रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने दिनांक 24 दिसम्बर, 2003 की बैठक में सदन के दिनांक 25 दिसम्बर से 30 दिसम्बर तक का कार्यक्रम निम्नवत रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

25 दिसम्बर, 2003, गुरूवार	सार्वजनिक अवकाश (बैठक नहीं होगी)
26 दिसम्बर, 2003, शुक्रवार	(बैठक नहीं होगी)
27 दिसम्बर, 2003, शनिवार	(बैठक नहीं होगी)
28 दिसम्बर, 2003, रविवार	(बैठक नहीं होगी)
29 दिसम्बर, 2003, सोमवार	(सार्वजनिक अवकाश) (बैठक नहीं होगी)
30 दिसम्बर, 2003, मंगलवार	1– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण। (एक घण्टा) 2– उत्तरांचल लोक सम्पत्ति निरूपण विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण। (आधा घण्टा) 3– हरिद्वार अनन्त कुम्भ निधि विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण। (आधा घण्टा)

4– नियम–103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्तावों पर चर्चा :–

(क) श्री नारायण पाल — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में थारू, बुक्सा, बंगाली व अन्य निर्बल, निर्धन वर्गों के उत्थान हेतु नीति बनाकर उसे लागू किया जाय।"

(ख) श्री प्रकाश पन्त — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पृथक कार्य योजना बनाना अत्यावश्यक है।"

(ग) श्री बलबीर सिंह नेगी — "यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार व रघुनाथ मन्दिर घुत्तू को, चारधाम पद यात्रा मार्ग को चिन्हित् कर चारधाम यात्रा की कार्य योजना से जोड़ा जाय।"

(घ) श्री मदन कौशिक — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में स्थाई निवास प्रमाण–पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया को सरलीकृत एवं समयबद्ध किया जाय।"

(ङ) श्री प्रीतम सिंह पंवार — "संविधान के अनुच्छेद–323 के खण्ड (2) के अधीन दिनांक 18 दिसम्बर, 2003 को सदन के पटल पर प्रस्तुत किये गये उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के सामान्य वार्षिक प्रतिवेदन पर माननीय सदन द्वारा चर्चा की जाय।"

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी घोषणा माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा सदन में की गयी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का सदन में प्रस्तुतीकरण का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

कार्यमंत्रणा की सिफारिश के अनुसार दिनांक 29 दिसम्बर, 2003 को सदन की बैठक नहीं होगी। अतः मैं प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश

एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन दिनांक 30–12–2003 को सदन में प्रस्तुत कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीया संसदीय कार्यमंत्री जी ने रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (तृतीय संशोधन) विधेयक 2003

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाए।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हमारे सम्मानित नेता विरोधी दल जी ने जो चिन्ता व्यक्त की उसके सम्बन्ध में कहना चाहती हूँ कि उत्तरांचल राज्य की सीमाओं में तेरह जाँच चौकियां स्थापित होने के बावजूद जाँच चौकियों के आसपास के मार्गों से होकर कुछ वाहनों के करापवंचन के उद्देश्य से राज्य में प्रवेश करने की संभावना बनी रहती है। सचल–दल इकाईयों की संख्या अपर्याप्त होने के कारण करापवंचक वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही करने में कठिनाई आती है। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा व्यापार कर अधिनियम में संशोधन करते हुए राज्य के अन्दर इस प्रकार के मार्गों से प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे निकटतम जाँच चौकी के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक कागजात प्रस्तुत करेंगे। करापवंचन की रोकथाम के उद्देश्य से इसी प्रकार उत्तरांचल में भी उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में धारा 28 क (2) क, ग, में संशोधन करते हुए उत्तरांचल राज्य में इस प्रकार के वाहनों के प्रवेश के लिए यह अनिवार्य किया जाना प्रस्तावित है कि वे अपने कागजात निकटतम जाँच चौकी के प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, इसके पूर्व नाम संशोधन का प्रस्ताव आया था और पारित भी हो गया था। जिसमें अधिकारियों के पदनाम बदले गये थे। लेकिन मान्यवर, व्यापार कर अधिकारी श्रेणी–2 का पदनाम नहीं बदला गया है जबकि इस संवर्ग के अधिकारी अपना पदनाम बदलने की मांग करते आये हैं। अच्छा होता यदि सरकार इनका पदनाम परिवर्तित करने के बारे में सोचती। मान्यवर, हमारा राज्य 13 जिलों का है उसमें 3 जिले ऐसे हैं जो उत्तरांचल को सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। उत्तरांचल के अंदर टैक्स का अपना स्वरूप होना चाहिए, अपना ढांचा होना चाहिए। इस विषय में सदन में बार–बार चिन्ता व्यक्त की गई है कि हम उत्तर प्रदेश के एक्ट को किनारे छोड़ दें और यहां के व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए और कैसे टैक्स में वृद्धि हो, ऐसा एक नया विधेयक बनाएं जो उत्तरांचल की परिस्थितियों के अनुरूप हो, तो शायद ज्यादा अच्छा होता। लेकिन ऐसी कोई शुरूआत नहीं हुई है।

मान्यवर, इस एक्ट में 2 बातें कही गई हैं और मुझे नहीं लगता हम इस विधेयक में संशोधन करके इन दोनों विषयों का समाधान निकाल सकते हैं। मूल अधिनियम की धारा–21 में गजट की बात आई है। यह बात माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि हमारे पास अधिकारियों का अभाव है। 300 पद अभी भी व्यापार के अन्तर्गत रिक्त पड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि सरकार नये पदों का भी सृजन करे। किन्तु इस ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। विभाग में अनेकों प्रमोशन होने बाकी हैं। यदि ये प्रमोशन हो जाते तो काफी सहूलियत हो जाती, चेकपोस्टों पर 1 वर्ष से अधिक समय से लोग चेकपोस्टों पर तैनात हैं। 2000–2001 के बाद पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसलिए मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि जो पद विभाग में रिक्त हैं उनको भरने की कार्यवाही की जाये।

इस पर विचार होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि स्वाभाविक रूप से इस पर विचार होगा। दूसरी बात इसकी धारा 28 में संशोधन में कहा था कि ट्रक से आते हैं और दूसरे रास्ते से उत्तरांचल में प्रवेश करते हैं या बाहर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति आती ही क्यों है? जैसा कि इस बारे में मैंने जानकारी इकट्ठा की, उत्तरांचल में जो ट्रेड टैक्स की चोरी हो रही है, उसका कारण यह है कि जो उत्तर प्रदेश की चौकियां हैं उनसे चार–चार किलोमीटर दूर पर आपने अपनी चौकी बना रखी है। अभी मंगलौर में चैक पोस्ट है वह उत्तर प्रदेश की चैक पोस्ट से चार किलोमीटर की दूरी पर है आखिर यह गैप क्यों दिया गया ताकि कोई भी इस गैप का फायदा उठा सके? इसी तरह से भगवानपुर में भी चैक पोस्ट दूर है और अभी अमरपुर में भी पोस्ट बनाने की बात हो रही है वह वहाँ पर नहीं है। आपको यह व्यवस्था करनी चाहिए थी। 13 चौकियां अभी तक आपने बनाई हैं आप इन्हें बढ़ा सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि टैक्स की चोरी हो रही है तो उसको रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए।

आपने कहा कि जो भी ट्रक आयेगा, जो ट्रेड टैक्स होगा, वहाँ की पास की जाँच चौकी में दे देगा, इससे कोई समाधान नहीं हो रहा है। वहाँ से प्रवेश कर रहा है, वहीं पर टैक्स दे देगा और चौकियां आपने बनाई हैं चार किलोमीटर दूर। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यह उत्तरांचल के राजस्व की चोरी से सम्बन्धित मामला है और कर निर्धारण के

लिए गजट नोटिफिकेशन की बात कही है कि इसके हिसाब से वादों का निस्तारण करेंगे। आप चौकियों से उन अधिकारियों को बुलाइये उन्हें कुछ दिन आफिस में बिठाइये, वे अधिकारी जिन्हें एक ही जगह पर एक साल से ज्यादा समय हो गया है। वे कार्यालयों में बैठकर वादों का निस्तारण करें। यह संशोधन लाने की तो आवश्यकता ही नहीं थी। यह महत्वपूर्ण विषय है, अच्छा होता कि इस पर पूरा विधेयक आता। इस विषय के सम्बन्ध में एक प्रवर समिति का गठन किया जाय तथा वहाँ पर किस प्रकार से टैक्स चोरी को रोक सकते हैं, उस पर पूरा विचार हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संकल्प पर बल देते हुये अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

(व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

श्रीमन्, मैं इस संशोधन प्रस्ताव जो कि माननीय महेन्द्र भट्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इस संशोधन को एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाय, मैं उस पर बल देता हूँ।

मान्यवर, यह सैल टैक्स से जुड़ा हुआ विषय है और उत्तरांचल राज्य के राजस्व का प्रमुख स्रोत भी है। आज जो इसके कारण जो समस्यायें आ रही हैं, सैल टैक्स की चोरी के कारण ऐसी स्थिति आ गई है कि जो व्यापारी सैल टैक्स देकर आ रहा है और दूसरे प्रदेश में शुल्क या कर देकर माल ला रहा है, तो वह सारे टैक्स मिलाकर के सामान का रेट लगायेगा। और दूसरा व्यापारी जो कहीं दूसरे रास्ते से चोरी करके माल ले आता है तो उसका रेट कुछ कम जरूर होगा। यह जो हमारे प्रदेश के कुछ जिले हैं जो कि सीमाओं से मिले हुये हैं चाहे वह देहरादून हो, हरिद्वार हो या ऊधमसिंह नगर हो वहाँ की मंडियों में आज दो रेट हो रहे हैं, तो इससे वहाँ के व्यापारियों में असमंजस की स्थिति आ गई है, आक्रोश की स्थिति आ गई है।

मान्यवर, उनके मन में कहीं न कहीं यह बात अवश्य है कि उत्तरांचल राज्य में जो रेट हैं, वह समान रूप से नहीं हैं। यह सही है कि चौकियां होनी चाहिए। उन सबको रोका जाना चाहिए लेकिन इसके लिए संशोधन लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनको ठीक प्रकार से सख्ताई करके काम कराना चाहिए था। 2–4 चौकियां और खोलते, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाते। अगर इस डिपार्टमेंट में कर्मचारी नहीं हैं तो दूसरी जगह से ले लेते। किसी से एक कागज को दो प्रतियों में लेने से चोरी रूकने वाली नहीं है। यहाँ पर दो रेट हैं। जो व्यापारी नम्बर दो में सामान लाते हैं, उनके द्वारा टैक्स की चोरी की जाती है। मान्यवर, मेरा कहना है कि इसमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। जो व्यवस्था पहले से है उसे और सख्त करके लागू किया जा सकता है। माननीय महेन्द्र भट्ट ने इसमें संशोधन करने के लिए प्रवर समिति के पास भेजने का जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। प्रवर समिति की सिफारिशों के अनुसार इस विधेयक में संशोधन किए जाने चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

मान्यवर, माननीय महेन्द्र भट्ट जी ने जो अननुमोदन का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैं 2–3 बातें कहना चाहता हूँ। मान्यवर, अगर उचित हो तो

आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि उन पर विचार करें। मान्यवर, पहला तो यह कि चैक पोस्टों तथा बैरियरों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिए। जहाँ–जहाँ पर टैक्स की चोरी होती है, वहाँ–वहाँ पर इनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। सरकार की आय बढ़े, इसके हम पक्षधर हैं। टैक्स के रूप में सरकार के पास धनराशि आनी चाहिए, जिससे हमारा विकास हो सके। दूसरा, मैं कहना चाहता हूँ कि सचल दल पर्याप्त मात्रा में बढ़ाए जाएं, जिससे इस विभाग की और सरकार की आय बढ़े। मैं यह कहना चाहता हूँ कि कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाए। किन्तु अधिकारियों की संख्या कम होनी चाहिए और कर्मचारियों की संख्या अधिक होनी चाहिए। कर्मचारी सही ढंग से कार्य करते हैं। सचल दल पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए जो कि छापा मार सकें। आपने यह जो कहा कि दो प्रतियों में बिल देगा, इससे कर की चोरी रूकने वाली नहीं है। मान्यवर, मैं जो कह रहा हूँ, उसके लिए मुझे खुद विश्वास नहीं है कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं। मैं वह कह रहा हूँ जो मेरे दिमाग में आया है।

मान्यवर, टैक्स ऐट सोर्स पर लगना चाहिए, जहाँ से माल तैयार हो रहा है। ऐट सोर्स पर टैक्स लगेगा तो चोरी नहीं होगी। यदि सरकार की मंशा टैक्स की चोरी रोकने की है तो मेरा अनुरोध है कि इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाए जो इस पर चिन्तन–मनन करे और ऐसी व्यवस्था करे जिससे टैक्स की चोरी रोकी जा सके। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि मैंने जो एक प्रस्ताव रखा था कि टैक्स ऐट सोर्स पर लगाए, इस पर विचार अवश्य कर लें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। चूँकि टैक्स का मामला है और आम व्यापार तथा उद्योग सब इससे जुड़ा हुआ है।

मान्यवर, इस अधिनियम को लाने से पहले, इस संशोधन को लाने से पहले इस पर गम्भीरता से विचार करना अत्यंत आवश्यक है। हम बार–बार यह कह रहे हैं उत्तर प्रदेश ऐसा कर रहा है, इसलिए अब हम भी ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब यह सिद्ध हो रहा है कि सारी बुद्धि उत्तर प्रदेश में है, हमारे पास कुछ नहीं है। हम तो उत्तर प्रदेश की नकल कर रहे हैं। जो संशोधन उत्तर प्रदेश ने किया वही संशोधन उसी रूप में हम भी करने जा रहे हैं। अपनी तरफ से हम कोई नई चीज लाने नहीं जा रहे हैं, कुछ नया करने की इच्छा शक्ति हमारे पास नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आपका कहना यह है कि चोर रास्तों से गाड़ियाँ, ट्रक निकल जाते हैं उनका पता नहीं लगता। मान्यवर, जो चोर रास्ते से होकर जायेगा, क्या वह किसी चौकी में अपने कागजात दिखायेगा। वह तो कर अधिकारियों की आँखों से ओझल होकर जाता है, जो कर लेने वाले अधिकारी हैं, जो ट्रक या गाड़ी छिपकर जा रही हों उस तक न पहुँच पायें तो क्या जब ट्रक वाला अपना माल अनलोड करेगा तब पकड़ेंगें। मान्यवर, इसका हमें लाभ नहीं होगा। हमारा प्रदेश नया है। हमें इस प्रक्रिया में छोटे–छोटे चेन्जेज से फायदा होने वाला नहीं है। हमें ऐसा कानून बनाना चाहिए कि लोग कर देने में हिचकिचाएं नहीं। कर देने में यदि लोग हिचकिचाएं तो इसका मतलब यह है कि हमारी नीतियों में कुछ गलतियाँ हैं।

मान्यवर, ऐसी नीतियाँ दुनियाँ में हैं, ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर कर देने वाला स्वयं अपनी खुशी से कर देना चाहता है। लेकिन हमारे यहाँ का आदमी कर छिपाना चाहता है। मान्यवर, हमें ऐसी नीति बनानी चाहिए कि देश में एक मिसाल बने। देश में यह पहला प्रदेश हो जहाँ का आदमी अपनी खुशी से कर देता हो। मान्यवर, इस संशोधन से चोर रास्ते बंद नहीं किए जा सकते हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने बहुत सारी शंकाएं व्यक्त की। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने बहुत से महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मान्यवर, हमारे राज्य में दूसरे राज्य से तैयार हुआ माल भी आता है इसलिए हम उस पर ऐट सोर्स टैक्स नहीं लगा सकते हैं। दूसरी आशंका यह व्यक्त की गई कि अधिकारियों की संख्या कम है।

मान्यवर, विगत 16 महीने हम आपके साथ बैठे हैं और अब आपको हमारे साथ बैठे हुए लगभग 16 महीने से अधिक हो गये हैं। मान्यवर, लोक सेवा आयोग को अधियाचन जा रहे हैं और यह अधियाचन भी जा रहा है। लोक सेवा आयोग से हमारा लगातार सम्पर्क है। मान्यवर, इस बीच डी०पी०सी० भी बैठ रही है। मान्यवर, पदोन्नतियां भी हो रही हैं। हमारे कार्मिक विभाग को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश से बहुत से मामलों का अभी तक निपटारा नहीं हुआ है। मान्यवर, "कर" के सम्बन्ध में अभी माननीय मदन कौशिक जी ने सही बात कही है। मान्यवर, यदि हम संशोधन प्रस्ताव नहीं लायेंगे तो करों का निर्धारण कैसे होगा। टैक्स कैसे लगेंगे तथा लोगों को दण्डित कैसे किया जायेगा। मान्यवर, हम चौकियां बना रहे हैं। जो लोग कर नहीं देते हैं, उन्हें दण्डित किया जा सके।

मान्यवर, हम अधिकारियों की नियुक्ति में भी हम लोग लगे हुए हैं। मान्यवर, जैसे माननीय नेता विरोधी दल ने ऐट सोर्स की बात की। मैं माननीय नेता को बताना चाहती हूँ कि यह हमारे राज्य में है। माननीय महेन्द्र भट्ट जी ने सही बात कही कि हमारे यहां वादों का निपटारा सही समय पर नहीं हो पाता है। मान्यवर, इस दिशा में हम प्रयासरत् हैं। राज्यांश को बढ़ाने के लिए हमें कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे इसलिए हम यह संशोधन लाये हैं। मान्यवर, यदि दण्ड की व्यवस्था नहीं होगी तो करों की बहुत चोरी होगी, जिससे राज्य को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। मान्यवर, आप ऐट सोर्स से टैक्स लेते हैं, तो आप बता दें कि यह टैक्स कैसे लेते हैं। मेरे ख्याल से टैक्स व्यापारियों से लिया जाता है। मान्यवर, इस प्रदेश में ऐसे व्यापारी हैं जो टैक्स की चोरी नहीं करते हैं, पर उन्हें भी अपमानित होना पड़ता है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यहाँ उत्पादन सीमित हैं, पर जो उत्पादन होता है उसी पर ऐट सोर्स टैक्स लेते हैं और जो बाहर से आता है उसमें हम व्यापारियों से टैक्स लेते हैं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, आप एक उदाहरण बता दें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, बी0एच0ई0एल0 में उत्पादन कर रहे हैं तो हम टैक्स उन्हीं से ले लेते हैं, व्यापारियों से नहीं लेते हैं। मान्यवर, हम केवल ऐट सोर्स टैक्स लेते हैं।

श्री महेन्द्र भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से बात रखी, लेकिन मेरी शंकायें जहाँ की तहाँ हैं। मान्यवर, मैंने दो बातें कहीं कि आप चौकियों को उत्तर प्रदेश की सीमा पर जो उत्तर प्रदेश की चौकियाँ हैं उनके समक्ष अपनी चौकियाँ लगायेंगे। और दूसरा यह कि जो वाद कई वर्षों से लम्बित हैं उन वादों को निबटाने के लिए आप चौकियों से अधिकारियों को बुलायें और वे कार्यालय में बैठकर वादों का निस्तारण करें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें, को स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003

(उत्तरांचल विधेयक संख्या सन् 2003)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अधिनियम 2003 (अधिनियम संख्या 03 वर्ष 2003) में अग्रेत्तर संशोधन हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के चौव्वनवे वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित :–

1– संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ–

(1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

(3) यह तत्काल प्रभावी होगा।

2– मूल अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) में एक नया परन्तुक जोड़ा जाना–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) की धारा 21 की उपधारा (2) में, पांचवें परन्तुक के बाद निम्नलिखित एक नया परन्तुक जोड़ दिया जायेगा :–

"प्रतिबन्ध यह भी है कि इस उपधारा में दी गई किसी बात के होते हुये भी, जहाँ राज्य सरकार की यह राय है कि राज्य या उसके किसी भाग में तत्समय विद्यमान असाधारण परिस्थितियों के कारण, किसी मामले में या मामलों के वर्ग में इस उपधारा के अधीन निर्धारित समय के भीतर कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण पूरा करना कठिन होगा, तो वह राजपत्र में अधिसूचित करके, ऐसे मामले या मामलों के वर्ग में इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण के लिये निर्धारित समय सीमा को बढ़ा सकती है"।

3– धारा 28–क का संशोधन–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) में (1) धारा 28–क की उपधारा (2) में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्न–लिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :–

"(क) आयातकर्ता, पारेषक (कन्साइनर) को सम्यक रूप से भरे गये और अपने द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा–पत्र को निर्धारित प्रपत्र में, दो प्रतियों में देगा और कोई ऐसा माल ले जाने वाला गाड़ी का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति अपने साथ निर्धारित रीति में पारेषक द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित ऐसे घोषणा–पत्र की प्रतियां और ऐसे अन्य लेख–पत्र, जो निर्धारित किये जायं, ले जायेगा और ऐसे घोषणा–पत्र की एक प्रति :–

(एक) जहाँ ऐसे माल को ऐसी सड़क से लाया जाय, जिस पर धारा 28 के अधीन कोई जाँच चौकी या नाका स्थापित हो, तो जाँच चौकी या नाके को पार करने से पहले ऐसी जाँच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी को, और

(दो) जहाँ ऐसे माल को ऐसी सड़क से लाया जाय, जिस पर कोई जाँच चौकी या नाका स्थापित न हो तो राज्य के भीतर ऐसे माल को आगे ले जाने से पहले उक्त धारा के अधीन स्थापित निकटतम जाँच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी को, देगा और माल सहित घोषणा–पत्र की दूसरी प्रति और शेष लेख–पत्र आयातकर्ता या उसके अभिकर्ता को देगा।"

(2) उपधारा (2) का खण्ड (ग) विलोपित समझा जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3, तक खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–51 के अन्तर्गत श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री महेन्द्र भट्ट, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री अजय भट्ट, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री मदन कौशिक, श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, श्री नारायण सिंह जन्तवाल, श्री प्रकाश पन्त, श्री नारायण पाल की कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज, द्वाराहाट में लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा किए गए कार्य की मजदूरी का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय भट्ट की सूचना को नियम–51 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के ग्राम विनगढ़ में पेयजल आपूर्ति की समस्या के कारण जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र भट्ट की सूचना को नियम–51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

जनपद रुद्रप्रयाग में किसानों द्वारा उत्पादित माल्टा, नारंगी, नींबू इत्यादि फलों का उचित मूल्य न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती आशा नौटियाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई नियम–51 के अन्तर्गत सूचना पर उद्यान मंत्री का वक्तव्य

उद्यान एवं लघु उद्योग मंत्री (श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल)–

[उत्तरांचल में पूर्व में नींबू, नारंगी, माल्टा इत्यादि फलों की खरीद बाजार हस्तक्षेप योजनान्तर्गत की जाती थी जिसके अन्तर्गत गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा कुमाऊँ मण्डल विकास निगम द्वारा उद्यानपतियों से निर्धारित समर्थन मूल्य पर खरीद की जाती थी, जिसमें क्रय एजेन्सियों को होने वाली क्षतिपूर्ति का 50 प्रतिशत अंश भारत सरकार

द्वारा एवं 50 प्रतिशत अंश राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता था किन्तु विगत वर्षों में योजना की निरन्तर हानि को देखते हुए हानि की क्षतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा नहीं की जा सकी है, फलस्वरूप उत्तरांचल में पुनः बाजार हस्तक्षेप योजना लागू नहीं की गई है।

वर्तमान में उत्तरांचल सरकार निजी एवं सहकारी संस्थाओं जैसे मदर डेरी, एग्रोकूप आदि के माध्यम से उद्यानपतियों से सीधे विपणन में सहायता कर रही है।]

श्रीमती आशा नौटियाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाह रही हूँ कि इन्होंने इसमें लिखा है कि वर्तमान में उत्तरांचल सरकार निजी और सहकारी संस्थाओं जैसे मदर डेरी, एग्रोकूप आदि के माध्यम से उद्यानपतियों से सीधे विपणन में सहायता कर रही है? मान्यवर, मैं जानना चाहती हूँ कि जनपद रुद्रप्रयाग में विकास खण्ड उखीमठ में अधिकांश नींबू, नारंगी, माल्टा आदि फल उत्पादित होते हैं, लेकिन अभी तक किन संस्थाओं माध्यम से विपणन की व्यवस्था की गयी है? यह मैं जानना चाहती हूँ।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे उत्तरांचल में लगभग 24,000 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग एक लाख मीट्रिक टन नींबू प्रजाति के फल होते हैं, जिसमें अल्मोड़ा जनपद में 2975 हेक्टेयर में 7450 मीट्रिक टन, पिथौरागढ़ में 2753 हेक्टेयर में 28594 मीट्रिक टन, पौड़ी में 3180 हेक्टेयर में 13590 मीट्रिक टन, चमोली में 3312 हेक्टेयर में 13185 मीट्रिक टन नींबू प्रजाति के फल उत्पादित होते हैं।

मान्यवर, जैसा के मैंने पूर्व में कहा कि बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत इन फलों को खरीदने की योजना कुमाऊँ मण्डल और गढ़वाल मण्डल विकास निगम के माध्यम से की जाती रही है, लेकिन इसमें जो बाजार समर्थन मूल्य वे तय करते थे उससे जो उन निगमों को नुकसान होता था उसकी भरपाई 50 प्रतिशत अनुदान केन्द्र सरकार से लेकर और 50 प्रतिशत राज्य सरकार से लेकर पूर्ति की जाती थी लेकिन बाद में लगातार नुकसान होते रहने के कारण राज्य सरकार के लिए यह पूर्ति कर पाना असम्भव होने के कारण बन्द कर दिया। उसके बाद जो हमारी सहकारी समितियाँ हैं और जो दूसरी एजेन्सियाँ हैं उनके माध्यम से कोशिश की गयी कि ये फल खरीदें। मदर डेरी और एग्रोकूप कंपनियों से आग्रह किया कि वे खरीदें, उन्होंने कोशिश की, खरीदना आरम्भ किया। अभी चमोली जनपद में जिसमें रुद्रप्रयाग भी आ जाता है इस वर्ष 20 से 25 प्रतिशत माल्टा की कमी हुई है।

मान्यवर, इस समय जो माल्टा का स्थानीय बाजार भाव चल रहा है वह 50 से 60 रूपया प्रति सैकड़ा की दर से विक्रय हो रहा है। सरकार के आग्रह पर उत्तरांचल एग्रोकूप द्वारा 280 टन माल्टा एवं 160 टन नींबू 4 रूपये प्रति किग्रा की दर से क्रय किया गया। इसके अतिरिक्त देहरादून स्थित अटल फूड्स प्राईवेट लि० द्वारा लगभग 250 मै० टन माल्टा एवं नींबू उनके द्वारा 3.50 रूपये प्रति किग्रा की दर से क्रय किया गया है। मदर डेयरी द्वारा

नोट : [] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा अब तक 3.50 प्रति किग्रा की दर से 35 टन नींबू खरीद लिया गया है तथा 4.50 प्रति किग्रा की दर से 20 टन माल्टा खरीदने की कार्यवाही की जा रही है।

हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉरपोरेशन द्वारा भी 50 मै0 टन नींबू खरीदने हेतु माँग की गई है। सरकार ने पूरी कोशिश की है कि बागवानों को उनके फलों का सही मूल्य उनको मिल सके। माननीय सदस्य ने जो बात उठायी है उसके लिए हम प्रयास करेंगे। मैं आश्वस्त करता हूँ कि उनका फल अच्छे रेट पर बिक सके ऐसी हम कोशिश करेंगे।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

मान्यवर, यह उत्तरांचल के कृषकों के लिए बहुत ही लाभकर होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि पहले गढ़वाल मण्डल विकास निगम इन माल्टों को खरीदता था। दूसरा यह निवेदन है कि रूद्रप्रयाग में एक माल्टा जूस फैक्ट्री लगायी जाय, जिस प्रकार से हिमांचल का एपिल जूस जगह–जगह बिकता है उसी तरह हमारा संतरा और माल्टा का जूस भी जगह–जगह बिके, यह अच्छा होगा।

जनपद पिथौरागढ़ के दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में एक अज्ञात बीमारी के कारण कई बच्चों के काल कवलित हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री काशी सिंह ऐरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई नियम–51 के अन्तर्गत सूचना पर स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलकराज बेहड़)–

[मा0 सदस्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में एक अज्ञात बीमारी के कारण कई बच्चों के मृत्यु एवं बीमारी के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मूनाकोट के अन्तर्गत ग्राम सभा दौबास क्षेत्र के कट्यूला गांव में 2 बच्चों की मृत्यु की सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिनाँक 14–11–2003 को प्राप्त हुई, तदोपरान्त दिनाँक 15–11–2003 को ही एक चिकित्सा दल ग्राम कट्यूला में गया तथा मरीजों की जाँच एवं उपचार किया। दिनाँक 17–11–2003 को बाल रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा क्षेत्र का भ्रमण कर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मंडालू तथा कनालीछीना की टीम द्वारा भी भ्रमण किया गया। दिनाँक 19–11–03 एवं 20–11–03 को जिला चिकित्सालय, नैनीताल से ई0एन0टी0 सर्जन तथा एपिडिमियोलॉजीस्ट द्वारा भी क्षेत्र का भ्रमण किया गया तथा मरीजों के गले के स्राव एवं रक्त के नमूने जाँच हेतु लिये गये जिन्हें परीक्षण हेतु एन0आई0सी0डी0, दिल्ली को भेजा गया है जिसकी जाँच रिपोर्ट अपेक्षित है।

जहाँ तक उक्त बीमारी से 4 बच्चों की मृत्यु होने तथा क्षेत्र में भय एवं आक्रोश का वातावरण की बात है इस सम्बन्ध में भी स्थिति यह है कि 2 बच्चों की मृत्यु उक्त बीमारी की सूचना प्राप्त होने से पूर्व ही हो चुकी थी तथा अन्य दो बच्चों की मृत्यु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनाँक 16–11–2003 को कट्यूला निवासी श्री नरेन्द्र प्रकाश उम्र 8 वर्ष पुत्र श्री रत्नी राम जो कि डि–हाईड्रेसन से पीड़ित था को चिकित्सा दल

द्वारा जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ में भर्ती कराया गया जहाँ दिनाँक 17–11–2003 को उसकी मृत्यु हो गयी। कु0 प्रेमा उम्र 5 वर्ष पुत्री श्री कालू राम निवासी दौबास को दिनाँक 04–12–2003 को गले के संक्रमण के कारण गम्भीर हालत में जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ में भर्ती कराया गया तथा जिला चिकित्सालय द्वारा उन्हें बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी संदर्भित किया गया जहाँ उसकी मृत्यु हो गयी।

इस क्षेत्र में चिकित्सा दल लगातार निगरानी रखे हुये है तथा बच्चों का टीकाकरण का कार्य भी किया जा रहा है। वर्तमान में इस क्षेत्र में स्थिति सामान्य है।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं दिनाँक 30–12–2003 पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए।

(इसके बाद सदन 04 बजकर 44 मिनट पर मंगलवार, दिनाँक 30 दिसम्बर, 2003 को दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुआ।)

देहरादून :

महेश चन्द्र

सचिव, विधान सभा,
उत्तरांचल।

दिनाँक : 24 दिसम्बर, 2003 ।

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी "क"

(देखिए अता० प्र०सं०–19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 34–35)

संलग्नक

क्र० सं०	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	वर्ग	पदनाम	पता ग्राम/पो०ओ०/पट्टी/जिला	पूर्ण/आंशिक क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हर्षपति अमोला	वाचस्पति अमोला	15.01.1964	सामान्य	सहा० अभि०	डिबनू/कुदवा/सारज्यूला/टिहरी	प्रभावित
2	देव सिंह नेगी	हरि सिंह नेगी	18.07.1963	सामान्य	सहा० अधिकारी	तलीबागी/टिहरी/सारज्यूला/टिहरी	प्रभावित
3	सर्वानन्द उनियाल	डी०एन० उनियाल	18.03.1958	सामान्य	सहा० लेखा अधि०	नौकरी/क्षागसू/सारज्यूला/टिहरी	प्रभावित
4	प्रेम सिंह रावत	बाली सिंह रावत	01.08.1953	सामान्य	अनुसेवक ग्रेड–2	कठियागाँव/सारज्यूला/टिहरी	प्रभावित
5	सुन्दरी देवी	कलम दास	05.01.1956	अनु० जाति	अनुसेवक ग्रेड–2	बागी/सारज्यूला/टिहरी	प्रभावित
6	अरविन्द मोहन सिंह	राजेन्द्र सिंह राणा	25.09.1963	सामान्य	सहा० अभि०	बागी/सारज्यूला/टिहरी	प्रभावित
7	जितेन्द्र सिंह चौहान	स्व० शूरवीर सिंह चौहान	06.06.1960	सामान्य	कनिष्ठ लिपिक ग्रेड–2	डिबनू/टिहरी/सारज्यूला/टिहरी	प्रभावित
8	हिकमत सिंह नेगी	गौर सिंह नेगी	22.09.1962	सामान्य	लेखाधिकारी ग्रेड–1	तलीबागी/टिहरी/सारज्यूला/टिहरी	प्रभावित
9	महिपाल सिंह कुमाली	रैथा सिंह कुमाली	28.02.1963	सामान्य	लेखाधिकारी ग्रेड–2	कोटी/अदूर/टिहरी	प्रभावित
10	जयबीर सिंह राणा	मंगल सिंह राणा	06.12.1965	सामान्य	लेखाधिकारी ग्रेड–2	पंचकोट/अदूर/टिहरी	प्रभावित
11	रमेश सिंह चौहान	अनेल सिंह चौहान	03.03.1963	सामान्य	लेखाधिकारी ग्रेड–1	पैन्यूला/गंगारस्वाल/टिहरी	प्रभावित
12	मनोहर सिंह नेगी	बचन सिंह	10.10.1958	सामान्य	प्रधानाचार्य	बागी/सारज्यूला/टिहरी	प्रभावित
13	आनन्द सिंह	ध्यान सिंह	30.10.1946	सामान्य	चालक ग्रेड–2	कोटी/अदूर/टिहरी	प्रभावित
14	कुन्दन लाल	मातबर सिंह	15.06.1953	अनु० जाति	बढ़ई ग्रेड–2	कठियागाँव/सारज्यूला/टिहरी	प्रभावित
15	भरत सिंह	पिलसू सिंह	01.08.1958	सामान्य	चालक ग्रेड–2	कोठी/दोबाटा/टिहरी	प्रभावित
16	रघुबीर सिंह चौहान	बेताल सिंह	22.11.1942	सामान्य	सहायक ग्रेड–2	बुडोगी/गंगारस्वाल/सारज्यूला/टिहरी	प्रभावित
17	नारायण सिंह	छंछर सिंह	10.12.1957	सामान्य	चालक ग्रेड–2	कोटी/दोबाटा/टिहरी	प्रभावित

1	2	3	4	5	6	7	8
18	सिद्धानन्द	चेतराम	12.08.1960	सामान्य	सहायक ग्रेड–2	कुलणा / बौराड़ी / टिहरी	प्रभावित
19	प्रीतम दत्त	गब्बया सिंह	24.11.1955	सामान्य	चौकीदार ग्रेड–1	कोटी / दोबाटा / टिहरी	प्रभावित
20	ज्ञानी देवी	उमेद सिंह	21.09.1956	सामान्य	अनुसेवक ग्रेड–1	अलमोटी / सारज्यूला / टिहरी	प्रभावित
21	लक्ष्मी दवी	बुद्धि सिंह	03.01.1958	सामान्य	अनुसेवक ग्रेड–2	कोटी / अठूर / टिहरी	प्रभावित
22	पूर्णानन्द डोभाल	महानन्द	12.10.1958	सामान्य	सहायक ग्रेड–1	कुलणा / बौराड़ी / टिहरी	प्रभावित
23	लक्ष्मी देवी	जेठू दास	05.09.1965	अनु0 जाति	बेलदार ग्रेड–2	कोटी / अठूर / टिहरी	प्रभावित
24	रघुबीर लाल	उपकारी लाल	15.06.1965	अनु0 जाति	तकनीकी ग्रेड–2	कुलणा / बौराड़ी / टिहरी	प्रभावित
25	विरेन्द्र दत्त बगोली	शिव प्रसाद	01.05.1960	सामान्य	सुपरवाइजर ग्रेड–2	कोटी / अठूर / टिहरी	प्रभावित
26	जीत सिंह रावत	बाली सिंह रावत	01.03.1952	सामान्य	सुपरवाइजर ग्रेड–2	इण्डिया / सारज्यूला / टिहरी	प्रभावित
27	अमर सिंह रावत	कर्म सिंह रावत	02.05.1957	सामान्य	ऑपरेटर ग्रेड–2	गाजणा / अठूर / टिहरी	प्रभावित
28	दीवान सिंह भण्डारी	प्रताप सिंह	01.06.1956	सामान्य	चालक ग्रेड–2	कठियागाँव / सारज्यूला / टिहरी	प्रभावित
29	चण्डी प्रसाद	दिगेश्वर प्रसाद	15.12.1969	सामान्य	फिटर ग्रेड–2	पीपलीपली / बौराड़ी / सारज्यूला / टिहरी	प्रभावित
30	सतेन्द्र पंवार	प्रेम सिंह पंवार	30.12.1969	सामान्य	चालक ग्रेड–2	गोकरी / ज्ञानसू / सारज्यूला / टिहरी	प्रभावित
31	तारा	मोहिनी	01.01.1953	अनु0 जाति	मैकेनिक ग्रेड–2	कुलणा / सारज्यूला / टिहरी	प्रभावित
32	रामलाल	बासवा नन्द	08.04.1953	सामान्य	चालक ग्रेड–2	पीपली / बौराड़ी / सारज्यूला / टिहरी	प्रभावित
33	बलवीर सिंह	रिचेन्द्र सिंह	27.09.1957	सामान्य	चालक ग्रेड–3	कोटी / अठूर / टिहरी	प्रभावित
34	धूम सिंह तड़वाल	राम सिंह	01.01.1950	सामान्य	बेलदार ग्रेड–1	गाजणा / दोबाटा / टिहरी	प्रभावित
35	विक्रम सिंह रावत	जगत सिंह	12.06.1956	सामान्य	सहायक ग्रेड–1	बौराड़ी / टिहरी	प्रभावित
36	जितेन्द्र सिंह	मंगल सिंह	11.04.1958	सामान्य	बेलदार ग्रेड–1	बागी / टिहरी / सारज्यूला / टिहरी	प्रभावित
37	कुन्दन सिंह रावत	धूम सिंह	01.01.1960	सामान्य	सहायक ग्रेड–1	कोटा अलमोआ / मरोगी / टिहरी	प्रभावित
38	राजेन्द्र प्रसाद डोभाल	मक्खन लाल	28.05.1960	सामान्य	चौकीदार ग्रेड–1	कुलणा / बौराड़ी / टिहरी	प्रभावित
39	गुरु प्रसाद डोभाल	हरिनन्द	18.08.1956	सामान्य	सर्वेयर ग्रेड–1	कुलणा / सारज्यूला / टिहरी	प्रभावित
40	गोपालराम डोभाल	टीकाराम डोभाल	11.07.1965	सामान्य	सहा0 अभि0	कुलणा / नई टिहरी	प्रभावित

1	2	3	4	5	6	7	8
41	नृपेन्द्र सिंह चौहान	होशियार सिंह चौहान	08.10.1966	सामान्य	संवादक	पैनुला / सारज्यूला / टिहरी	प्रभावित
42	सुन्दर लाल बेलवाल	नागदत्त बेलवाल	08.06.1962	सामान्य	सहायक ग्रेड–3	कोटी / अदूर / टिहरी	प्रभावित
43	विजेन्द्र प्रसाद	बच्चीराम रतूड़ी	19.09.1965	सामान्य	सहायक ग्रेड–3	बासकी / अदूर / टिहरी	प्रभावित
44	धूम सिंह	गांधी सिंह	16.07.1962	सामान्य	ऑपरेटर	कोटी / अदूर / टिहरी	प्रभावित
45	यशवन्त सिंह तोपवाल	मूर्ति सिंह	10.06.1966	सामान्य	डाटाएण्ट्री आप ग्रेड–4	माली बागी / सारज्यूला / टिहरी	प्रभावित
46	दयाल सिंह नेगी	अमर सिंह नेगी	19.01.1943	सा0मू0सै0	सहायक ग्रेड–2	इण्डिया / सारज्यूला / टिहरी	प्रभावित
47	सोबन सिंह तोपवाल	वीर सिंह तोपवाल	20.09.1952	सा0मू0सै0	हैल्पर ग्रेड–2	बागी / सारज्यूला / टिहरी	प्रभावित
48	प्रेमसिंह तोपवाल	फेत सिंह	12.04.1958	सामान्य	हैल्पर ग्रेड–2	बागी माली / सारज्यूला / टिहरी	प्रभावित
49	राजवीर सिंह	सौरभ सिंह	10.08.1966	सामान्य	सहायक ग्रेड–2	पैन्यूला / सारज्यूला / टिहरी	प्रभावित
50	धनवीर सिंह	जीत सिंह	25.12.1962	सामान्य	सहायक ग्रेड–2	कठिया / सारज्यूला / टिहरी	प्रभावित
51	राम सिंह नेगी	कल्याण सिंह नेगी	10.04.1966	सामान्य	हैल्पर ग्रेड–2	डिबनू / सारज्यूला / टिहरी	प्रभावित
52	धर्मवीर सिंह	धूम सिंह	07.07.1967	सामान्य	सहायक ग्रेड–2	कठियागाँव / सारज्यूला / टिहरी	प्रभावित
53	महावीर प्रसाद भट्ट	विद्या भट्ट	01.04.1968	सामान्य	सहायक ग्रेड–2	महर / धनशाली / सारज्यूला / टिहरी	प्रभावित
54	सुरेन्द्र सिंह तोपवाल	वीर सिंह तोपवाल	01.09.1970	सामान्य	हैल्पर ग्रेड–2	बागी / सारज्यूला / टिहरी	प्रभावित
55	संतोष सिंह तोपवाल	मातवर सिंह	20.07.1966	सामान्य	बढ़ई	बागी / सारज्यूला / टिहरी	प्रभावित
56	कमल सिंह तोपवाल	रघुनाथ सिंह	17.12.1947	सा0मू0सै0	सुरक्षा गार्ड ग्रेड–2	बागी / सारज्यूला / टिहरी	प्रभावित
57	वीर सिंह तोपवाल	राय सिंह	06.03.1969	सामान्य	हैल्पर ग्रेड–1	बागी / सारज्यूला / टिहरी	प्रभावित
58	दिनेश प्रसाद अमोला	जगदीश प्रसाद	28.12.1967	सामान्य	सुपरवाइजर ग्रेड–2	डिबनू / सारज्यूला / टिहरी	प्रभावित
59	शौकार सिंह गुसाईं	चन्दन सिंह	25.03.1969	सामान्य	सहायक ग्रेड–3	इण्डिया / सारज्यूला / टिहरी	प्रभावित
60	पतार सिंह तोपवाल	ज्ञानानन्द सिंह तोपवाल	05.06.1972	सामान्य	हैल्पर ग्रेड–2	बागी / सारज्यूला / टिहरी	प्रभावित
61	बलवीर सिंह रावत	मूर्ति सिंह	05.03.1957	सामान्य	हैल्पर ग्रेड–1	कठियागाँव / सारज्यूला / टिहरी	प्रभावित
62	ममराज सिंह नेगी	मेहर सिंह नेगी	26.11.1965	सामान्य	सहायक ग्रेड–2	डिबनू / सारज्यूला / टिहरी	प्रभावित
63	दिनेश सिंह नेगी	हुकम सिंह नेगी	02.01.1970	सामान्य	आर्टिसियन ग्रेड–2	कोटी / नकोट / टिहरी	प्रभावित

1	2	3	4	5	6	7	8
64	मोर सिंह धनोला	ठाकू सिंह	12.06.1963	सामान्य	सहायक लिपिक–2	डिबनू/सारज्युला/टिहरी	प्रभावित
65	चन्द्रवीर सिंह नेगी	जगजीत सिंह नेगी	05.07.1976	सामान्य	सहायक लिपिक–2	कठियागाँव/सारज्युला/टिहरी	प्रभावित
66	गतवीर सिंह चौहान	होशियार सिंह	17.04.1967	सामान्य	जू0 सुपरवाइजर	बागी/सारज्युला/टिहरी	प्रभावित
67	धीरजपाल सिंह नेगी	महर सिंह नेगी	06.08.1967	सामान्य	सहायक लिपिक–2	बागी/सारज्युला/टिहरी	प्रभावित
68	बलवीर सिंह तोपवाल	नथिन सिंह तोपवाल	30.06.1964	सामान्य	सहायक लिपिक–2	बागी तल्ली/सारज्युला/टिहरी	प्रभावित
69	दौलत सिंह नेगी	होशियार सिंह नेगी	01.04.1969	सामान्य	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	कुलणा/सारज्युला/टिहरी	प्रभावित
70	मुन्ना लाल	कलम दास	03.03.1975	सामान्य	बेलदार ग्रेड–1	बागी/सारज्युला/टिहरी	प्रभावित
71	कुशलानन्द डोभाल	गोकुलानन्द डोभाल	24.06.1952	अनु0 जाति	कम्पाउण्डर ग्रेड–4	कोटी/अटूर/टिहरी	प्रभावित
72	गोविन्द तोपवाल	कलम सिंह	01.05.1964	सामान्य	सहायक लिपिक–2	मोकरी/टिहरी	प्रभावित
73	पूर्ण सिंह	बसन्त सिंह	08.04.1944	सामान्य	चालक ग्रेड–2	मोकरी/सारज्युला/टिहरी	प्रभावित
74	हरि सिंह	रंग बहादुर	19.06.1946	सामान्य	गेटकीपर	खलेमट्टी/टिहरी	प्रभावित
75	राम सिंह भण्डारी	रन बहादुर	28.04.1960	सामान्य	कार्य सहायक ग्रेड–3	बमोला/पंगारखाल/सारज्युला/टिहरी	प्रभावित
76	रतन सिंह	फते सिंह	31.12.1953	सामान्य	चौकीदार ग्रेड–1	बागी/सारज्युला/टिहरी	प्रभावित
77	बचन सिंह नेगी	दान सिंह नेगी	04.06.1950	सामान्य	चौकीदार ग्रेड–3	कोटी/अटूर/टिहरी	प्रभावित
78	त्रिलोक सिंह नेगी	प्रीतम सिंह नेगी	15.07.1967	सामान्य	अवर अभियन्ता ग्रेड–1	मोलधार/सारज्युला/टिहरी	प्रभावित
79	माधवी प्रसाद	स्व0 सत्य प्रसाद	14.04.1970	सामान्य	मोटर मैकेनिक ग्रेड–4	कोटी/अटूर/टिहरी	प्रभावित
80	जयपाल सिंह	स्व0 चन्दन सिंह	01.01.1966	सामान्य	वेल्डर ग्रेड–4	मोलधार/सारज्युला/टिहरी	प्रभावित
81	अजयपाल सिंह गुंसाई	चन्दन सिंह	03.07.1968	सामान्य	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	मोलधार/सारज्युला/टिहरी	प्रभावित
82	भगवन्त सिंह	सोबन सिंह तोपवाल	15.07.1967	सामान्य	हैल्पर ग्रेड–3	बागी/सारज्युला/टिहरी	प्रभावित
83	मनवीर सिंह	सते सिंह नेगी	10.03.1968	सामान्य	अवर अधिशासी	बागी/सारज्युला/टिहरी	प्रभावित
84	यशपाल सिंह नेगी	के0एस0 नेगी	06.08.1966	सामान्य	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	बालमा बागी/सारज्युला/टिहरी	प्रभावित
85	जोती सिंह	आनन्द सिंह	12.03.1969	सामान्य	तकनीकी ग्रेड–4	कोटी/अटूर/टिहरी	प्रभावित
86	खेमराज नेगी	स्व0 मूलचन्द नेगी	02.09.1976	सामान्य	तकनीकी ग्रेड–4	डिबनू/सारज्युला/कोटा/टिहरी	प्रभावित

1	2	3	4	5	6	7	8
87	वीरेन्द्र लाल	सोहन लाल	31.01.1969	अनु0 जाति	तकनीकी ग्रेड–4	बौराड़ी/सारज्यूला/टिहरी	प्रभावित
88	कुलवीर सिंह रावत	श्याम सिंह रावत	23.07.1969	सामान्य	अवर अभियन्ता ग्रेड–3	बौराड़ी/सारज्यूला/टिहरी	प्रभावित
89	बिजेन्द्र प्रसाद भट्ट	राजेश्वर प्रसाद भट्ट	01.07.1974	सामान्य	लैब सहायक ग्रेड–4	कसौलागाँव/बादशाहीथौल/टिहरी	प्रभावित
90	जे0के0एस0 नेगी	एम0एस0 नेगी	15.03.1966	सामान्य	सुपरवाईजर	बागी/टिहरी	प्रभावित
91	प्रकाश डोभाल	चन्द्रदेव डोभाल	01.12.1972	सामान्य	लैब तकनीशियन ग्रेड–2	कुलणा/सारज्यूला/टिहरी	प्रभावित
92	जवाहर लाल	जयन्ती लाल	10.07.1972	सामान्य	अमीन	कोठा/टिहरी	प्रभावित
93	दीपेन्द्र सिंह नेगी	जय सिंह नेगी	01.07.1971	सामान्य	तकनीशियन ग्रेड–4	डिबनु/भ0 पुरम/टिहरी	प्रभावित
94	राकेश प्रसाद सकलानी	रामप्रसाद सकलानी	01.01.1970	सामान्य	चालक ग्रेड–4	कुलणा/टिहरी	प्रभावित
95	बालम सिंह नेगी	स्व0 ध्यान सिंह नेगी	01.05.1976	सामान्य	अनुदेशक ग्रेड–4	बालमा/सारज्यूला/टिहरी	प्रभावित
96	बीर सिंह बिष्ट	नत्थी सिंह बिष्ट	26.12.1965	सामान्य	जू0 चालक	बडकोट/धाम/टिहरी	प्रभावित
97	दीपेन्द्र सिंह नेगी	सते सिंह नेगी	05.06.1966	सामान्य	जू0 तकनीकी	बालमा/पंगारखान/टिहरी	प्रभावित
98	विक्रम सिंह बिष्ट	बोकल सिंह	10.04.1959	सामान्य	जू0 चालक	छोलगाँव/बडकोट/टिहरी	प्रभावित
99	जयसिंह रावत	नैन सिंह रावत	15.04.1966	सामान्य	जू0 चालक	तिवाड़गाँव/सिराई/टिहरी	प्रभावित
100	प्रमोद कुमार डोभाल	विद्यादत्त डोभाल	01.07.1974	सामान्य	जू0 तकनीकी	कुलणा/सारज्यूला/टिहरी	प्रभावित
101	मोहन लाल	स्व0 प्रेमदास	01.02.1973	अनु0 जाति	जू0 चालक	बागी/सारज्यूला/टिहरी	प्रभावित
102	आनन्द शरण कठैत	कर्ण कठैत	24.05.1971	सामान्य	अवर अभियन्ता	खाण्ड/सारज्यूला/टिहरी	प्रभावित
103	रमेश कठैत	भरत सिंह कठैत	26.02.1975	सामान्य	अवर अभियन्ता	खाण्ड/सारज्यूला/टिहरी	प्रभावित
104	अजित रावत	जीत सिंह रावत	21.01.1976	सामान्य	अवर अभियन्ता	थापला/अखूर/टिहरी	प्रभावित
105	जयवीर सिंह रावत	भगवन्त सिंह	08.03.1971	सामान्य	जू0 चालक	बौराड़ी/सारज्यूला/टिहरी	प्रभावित
106	देवेन्द्र प्रसाद सकलानी	दिलमानी सकलानी	10.04.1967	सामान्य	जू0 चालक	कुलणा/सारज्यूला/टिहरी	प्रभावित
107	चन्द्रवीर सिंह नेगी	सोबन सिंह नेगी	20.07.1968	सामान्य	जू0 चालक	डिबनु/सारज्यूला/टिहरी	प्रभावित
108	तेग सिंह रावत	बलवीर सिंह रावत	02.05.1973	सामान्य	जू0 तकनीकी	कठियागाँव/बी0 पुरम/टिहरी	प्रभावित
109	राजपाल सिंह नेगी	कर्ण सिंह नेगी	15.08.1969	सामान्य	जू0 चालक	कठियागाँव/सारज्यूला/टिहरी	प्रभावित

1	2	3	4	5	6	7	8
110	मुकेश कुमार अग्रवाल	मदन लाल अग्रवाल	20.01.1968	सामान्य	सहायक अभियन्ता	सुमनचौक/वार्ड न0-7/टिहरी	पूर्ण
111	प्रमाद किशोर भट्ट	रामानन्द भट्ट	14.11.1964	सामान्य	सहायक अभियन्ता	वार्ड न0-8/लखेड़ा मौहल्ला/टिहरी	पूर्ण
112	धीरेन्द्र प्रसाद गैरोला	सुन्दर लाल गैरोला	04.08.1966	सामान्य	सहायक अभियन्ता	रघुनाथ मौहल्ला/टिहरी	पूर्ण
113	प्रवीन कुमार नौटियाल	केशवानन्द नौटियाल	03.12.1967	सामान्य	सहायक अभियन्ता	खण्डूरी सदन/टिहरी	पूर्ण
114	गोविन्द राम नौटियाल	विसम्बर दत्त	22.12.1967	सामान्य	सहायक अभियन्ता	भादों की मगरी/टिहरी	पूर्ण
115	दिनेश चन्द्र भट्ट	रामानन्द भट्ट	16.01.1966	सामान्य	सहायक अभियन्ता	स्वास्तिक सिनेमा/मेन बाजार/टिहरी	पूर्ण
116	रूद्रा सिंह चौहान	बचन सिंह	10.04.1954	सामान्य	वरिष्ठ सुपरवाईजर	घनसाली रोड/टिहरी	पूर्ण
117	सुशील चन्द्र डोभाल	प्रेमदत्त डोभाल	26.06.1954	सामान्य	वरिष्ठ लेखाधिकारी	सत्येश्वर मौहल्ला/टिहरी	पूर्ण
118	पूर्णा रावत	डी0एस0 रावत	02.07.1954	सामान्य	वरिष्ठ सुपरवाईजर	संगम रोड/टिहरी	पूर्ण
119	चमन लाल	श्यामलाल	05.07.1959	अनु0 जाति	सुपरवाईजर ग्रेड-1	सिविल हॉस्पिटल/टिहरी	पूर्ण
120	राजेन्द्र सिंह रावत	गोविन्द सिंह रावत	04.06.1958	सामान्य	सुपरवाईजर ग्रेड-2	सत्येश्वर मौहल्ला/टिहरी शहर	पूर्ण
121	भवानी शंकर उनियाल	स्व0 प्राननंद उनियाल	22.04.1963	सामान्य	सुपरवाईजर(सिविल) ग्रेड-2	उनियाल होटल/टिहरी	पूर्ण
122	चन्द्र लाल	सुखलाल	02.02.1959	अनु0 जाति	वरि0 सहायक ग्रेड-2	पश्चिमियाना मौहल्ला/टिहरी शहर	पूर्ण
123	विजय लक्ष्मी	आदित्य मोहन सकलानी	01.11.1959	सामान्य	वरि0 सहायक ग्रेड-2	पश्चिमियाना मौहल्ला/टिहरी शहर	पूर्ण
124	मधुबाला	अनिल कुमार	20.01.1969	ओ0बी0सी0	वरि0 सहायक	हाथीथान मौहल्ला/टिहरी	पूर्ण
125	राज रानी	विजय राणा	14.01.1963	ओ0बी0सी0	वरि0 सहायक	वार्ड-8 पश्चिमियाना मौहल्ला/टिहरी शहर	पूर्ण
126	अनिल डोभाल	अनुसूया प्रसाद	28.05.1967	सामान्य	ड्राफ्ट मैन ग्रेड-2	वार्ड-3 अलंकारी मौहल्ला/टिहरी	पूर्ण
127	आनन्द सिंह राणा	खजान सिंह राणा	02.02.1958	ओ0बी0सी0	वरि0 सहायक ग्रेड-2	पश्चिमियाना मौहल्ला/टिहरी शहर	पूर्ण
128	प्रीतम सिंह रावत	बचन सिंह रावत	20.04.1971	सामान्य	अनुसेवक ग्रेड-2	वार्ड-9/बनाखेत/टिहरी	पूर्ण
129	विजेन्द्र सिंह परिहार	प्रेम सिंह	20.06.1967	सामान्य	श0 टाईपिस्ट ग्रेड-2	मालीदवेल/चुआ/टिहरी	पूर्ण
130	मस्तान सिंह पंवार	दयाल सिंह	10.04.1968	सामान्य	स्टेनो टाईपिस्ट ग्रेड-3	मालीदवेल/चुआ/टिहरी	पूर्ण
131	हरीश चन्द्र रतूड़ी	ग्यानानंद रतूड़ी	01.07.1967	सामान्य	ड्राफ्ट मैन ग्रेड-2	जबलासौंण/अम्बागाँव/टिहरी	पूर्ण
132	त्रिलोक सिंह	जगत सिंह रावत	30.06.1962	सामान्य	ड्राईवर ग्रेड-2	तल्लाउप्पू/चुआ/टिहरी	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8
133	कौशल किशोर रतूड़ी	बी0एम0 रतूड़ी	20.12.1967	सामान्य	सहायक अभियन्ता	चनाखेत/टिहरी डॉम	पूर्ण
134	कुशल सिंह राणा	चतर सिंह राणा	20.05.1967	सामान्य	स0 टाईपिस्ट ग्रेड-2	कण्डल/धारमण्डल/टिहरी	पूर्ण
135	प्रीतम दत्त बेलवाल	गोविन्द राम	20.04.1966	सामान्य	सहायक ग्रेड-2	बागी//अठूर/टिहरी	पूर्ण
136	डा0 मदनमोहन कंसल	बी0आर0 कंसल	06.04.1959	सामान्य	उप-प्रबन्धक	मरोड़ा/मालीदेवल/टिहरी	पूर्ण
137	विरेन्द्र सिंह माला	उत्तम सिंह माला	05.05.1964	सामान्य	सहायक अधिकारी	पर्यटक विश्राम गृह बस स्टैण्ड/टिहरी	पूर्ण
138	कैलाश चन्द्र उनियाल	चिरंजी लाल उनियाल	01.01.1966	सामान्य	सहा0 अधिकारी (भू0)	अलंकारी मौहल्ला/टिहरी	पूर्ण
139	बुद्धि राम नौटियाल	बैत राम	15.08.1965	सामान्य	लेखाधिकारी-2	नौटियाल बेकर्स/स्वास्तिक सिनेमा	पूर्ण
140	मनोज रैंगर	करन सिंह रैंगर	28.05.1965	सामान्य	सहायक अधिकारी	हाथीथान/टिहरी	पूर्ण
141	कृष्ण जीवन घिल्डियाल	गोविन्द प्रसाद	30.08.1967	सामान्य	लेखाधिकारी ग्रेड-2	खसीर/उदयपुर/टिहरी	पूर्ण
142	सुरेन्द्र सिंह राणा	चतर सिंह राणा	04.11.1967	सामान्य	लेखाधिकारी ग्रेड-2	चनाखेत/टिहरी	पूर्ण
143	आजाद दत्त सकलानी	लोकेन्द्र दत्त सकलानी	20.01.1962	सामान्य	सहायक ग्रेड-2	वार्ड न0-2/पुराना दरबार/टिहरी	पूर्ण
144	उपेन्द्र प्रसाद गैरोला	सुरेन्द्र लाल गैरोला	25.02.1963	सामान्य	सहायक ग्रेड-2	पडियार गांव/टिहरी	पूर्ण
145	लक्ष्मीप्रसाद घिल्डियाल	कमला नंद घिल्डियाल	09.09.1967	सामान्य	लेखाधिकारी ग्रेड-2	पुराना दरबार/टिहरी	पूर्ण
146	अरविन्द सिंह नेगी	त्रिलोक सिंह नेगी	30.06.1968	सामान्य	लेखाधिकारी ग्रेड-2	खाण्ड/अठूर/टिहरी	पूर्ण
147	सुशील चन्द्र पाण्डे	गंगा दत्त पाण्डे	21.06.1967	सामान्य	सहायक ग्रेड-2	वार्ड नं0-3/रघुनाथ मौहल्ला/टिहरी	पूर्ण
148	विकास मोहन धूनी	सुरेन्द्र दत्त धूनी	15.06.1968	सामान्य	लेखाधिकारी ग्रेड-2	सत्येश्वर मौहल्ला/टिहरी	पूर्ण
149	श्रीमती सुशीला गैरोला	देवानंद	05.06.1947	सामान्य	हैड मिस्त्री	अलंकारी मौहल्ला/टिहरी	पूर्ण
150	भवानी दत्त	फते सिंह	06.10.1945	सा0भू0सै0	चालक ग्रेड-2	मालीदेवल/टिहरी	पूर्ण
151	कुशल सिंह	धन सिंह	10.01.1949	सामान्य	चालक ग्रेड-2	सुनारगांव/अठूर/टिहरी	पूर्ण
152	बचन सिंह नेगी	प्रेम सिंह	15.08.1952	सामान्य	चालक ग्रेड-2	बेलग्राम/डोबरा/टिहरी	पूर्ण
153	विरेन्द्र सिंह	हरि सिंह	04.12.1952	सामान्य	चालक ग्रेड-2	हटवाल गांव/सेलाकोट/टिहरी	पूर्ण
154	राम चन्द्र सिंह	होशियार सिंह	17.05.1966	सामान्य	चालक ग्रेड-2	मालीदेवल/टिहरी गढ़वाल	पूर्ण
155	गिरवीर सिंह नेगी	मदन सिंह	10.07.1957	सामान्य	सहायक ग्रेड-2	खाण्ड/टिहरी	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8
156	राजेश असवाल	एम०एस० असवाल	16.06.1965	सामान्य	सहायक अध्यापक	सुनारगांव/अठूर/टिहरी	पूर्ण
157	बालम सिंह नेगी	पूरन सिंह	10.02.1960	सामान्य	कार्य सहायक ग्रेड–2	धाण्ड/अठूर/टिहरी	पूर्ण
158	रोशन सिंह	मदन सिंह	12.06.1962	सामान्य	चालक ग्रेड–2	पडियार गांव/भगवतपुर/दोबाटा/टिहरी	पूर्ण
159	पुष्पा नियाल	स्व० विजेन्द्र सिंह	02.05.1955	सामान्य	ए०एन०एम० ग्रेड–2	मालीदेवल/जुआ/टिहरी	पूर्ण
160	विक्रम सिंह सजवाण	सुरेन्द्र सिंह	25.07.1957	सामान्य	ऑपरेटर ग्रेड–2	जोगियाणा/अठूर/टिहरी	पूर्ण
161	अब्बी सिंह	महेन्द्र सिंह	14.03.1956	सामान्य	चालक ग्रेड–2	सुनारगांव/दोबाटा/टिहरी	पूर्ण
162	महावीर प्रसाद	गोविन्द राम	08.02.1961	सामान्य	ऑपरेटर ग्रेड–3	देवल/गढ़ोलिया/टिहरी	पूर्ण
163	काली राम	सौकार	05.07.1943	अनु० जाति	चौकीदार ग्रेड–1	सिराई/टिहरी	पूर्ण
164	शिवा नंद सकलानी	खिला नंद	06.12.1947	सामान्य	हैल्पर ग्रेड–1	पडियारगांव/दोबाटा/टिहरी	पूर्ण
165	बचन लाल	स्व० ध्रुव दत्त	10.02.1963	सामान्य	अनुदेशक ग्रेड–1	मालीदेवल/जुआ/टिहरी	पूर्ण
166	विशना देवी	स्व० कृपाल सिंह	15.06.1947	सामान्य	बेलदार ग्रेड–1	मालीदेवल/टिहरी	पूर्ण
167	हरिनन्द जोशी	खिमा नंद	22.10.1948	सामान्य	चौकीदार ग्रेड–1	रघुनाथ मौहल्ला/टिहरी	पूर्ण
168	विक्रम सिंह रावत	नेलार सिंह	07.06.1960	सामान्य	अनुदेशक ग्रेड–1	कण्डल/धारमण्डल/टिहरी	पूर्ण
169	पूर्णा नन्द डंगवाल	वाचस्पति डंगवाल	02.06.1966	सामान्य	लेखाधिकारी ग्रेड–1	पंजाऊ/अठूर/टिहरी	पूर्ण
170	कुसुमलता पाण्डे	राकेश मोहन पाण्डे	06.12.1959	सामान्य	लेखाधिकारी ग्रेड–1	रघुनाथ मौहल्ला/टिहरी	पूर्ण
171	विपिनकुमार थपलियाल	राधा के० थपलियाल	20.05.1967	सामान्य	सहायक अधिकारी	सत्येश्वर मौहल्ला/टिहरी	पूर्ण
172	कुँवर सिंह	एस०एच० सिंह	20.06.1961	अनु० जाति	चौकीदार ग्रेड–2	जोगियाणा/अठूर/टिहरी	पूर्ण
173	सुन्दर लाल बडोनी	चेपड़ सिंह	11.08.1954	सामान्य	वरिष्ठ अभियन्ता	हाथीथान/मेन मार्केट/टिहरी	पूर्ण
174	राम लाल	सुरेन्द्र लाल	28.06.1962	अनु० जाति	जू० सुपरवाइजर लॉ	वार्ड नं०–10/टिहरी	पूर्ण
175	उम्मेद सिंह मखलोगा	देवेन्द्र सिंह	01.11.1962	सामान्य	अभियन्ता	पुराना दरबार/टिहरी	पूर्ण
176	भगवान सिंह	इन्द्र सिंह	12.10.1952	सामान्य	चालक ग्रेड–2	पुनसाड़ा/सेलाकोट/टिहरी	पूर्ण
177	मातबर लाल	उमा लाल	10.10.1949	अनु० जाति	चौकीदार ग्रेड–1	लम्बकोखड़ी/बड़कोट/टिहरी	पूर्ण
178	नत्थी सिंह	गुसाईं माली	18.09.1951	सामान्य	चौकीदार ग्रेड–1	मालीदेवल/टिहरी	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8
179	भगवती प्रसाद	सत्य प्रसाद	08.11.1957	सामान्य	वरिष्ठ सहायक ग्रेड–2	कोटी/अदूर/टिहरी	पूर्ण
180	अरविन्द मोहन बहुगुणा	सूर्य दत्त बहुगुणा	25.06.1965	सामान्य	सहायक अभियन्ता	सत्येश्वर मौहल्ला/टिहरी	पूर्ण
181	दिनेश असवाल	हुकम सिंह असवाल	14.07.1969	सामान्य	सहायक अभियन्ता	थापला/अदूर/टिहरी	पूर्ण
182	सुबोध कुमार गैरोला	आई०डी० गैरोला	19.11.1965	सामान्य	सहायक अभियन्ता	सत्येश्वर मौहल्ला/टिहरी	पूर्ण
183	राजेन्द्र प्रसाद रतूड़ी	एस०एन० रतूड़ी	03.06.1969	सामान्य	सहायक अभियन्ता	ओल्ड पो०ऑ०/मेन मार्केट/टिहरी	पूर्ण
184	सुरेन्द्र सिंह मन्दानी	जब्बर सिंह	04.01.1957	सामान्य	सुपरवाइजर ग्रेड–1	कोटी/अदूर/टिहरी	पूर्ण
185	गम्भीर सिंह रडियाल	विक्रम सिंह रडियाल	15.03.1968	सामान्य	चालक ग्रेड–2	सिराई/जुआ/टिहरी	पूर्ण
186	गणेश दत्त बहुगुणा	नरेन्द्र दत्त बहुगुणा	03.06.1964	सामान्य	सहायक ग्रेड–2	वार्ड नं०–6/टिहरी	पूर्ण
187	पदम सिंह नेगी	हरि सिंह नेगी	25.06.1964	सामान्य	चालक ग्रेड–2	बडकोट/पट्टीखास/टिहरी	पूर्ण
188	मदन सिंह किशोर	राम प्रसाद	31.03.1968	सामान्य	डाटा इन्ट्री आप०	मल्लियाणा/वार्ड नं०–4/टिहरी	पूर्ण
189	रूप सिंह पंवार	युद्ध सिंह	20.10.1965	सामान्य	चालक ग्रेड–2	वार्ड नं०–5/सुमनचौक/टिहरी	पूर्ण
190	कृपाल सिंह रडियाल	बंशी सिंह	05.01.1961	सामान्य	चालक ग्रेड–2	सिराई/जुआ/टिहरी	पूर्ण
191	रणवीर सिंह असवाल	युद्धवीर सिंह	28.08.1965	सामान्य	चालक ग्रेड–2	सुनारगांव/अदूर/टिहरी	पूर्ण
192	हरजीत सिंह मल्ला	गंग बहादुर सिंह	19.01.1965	सामान्य	उप–प्रबन्धक	पुराना दरबार/टिहरी	पूर्ण
193	जयेन्द्र सिंह रावत	जब्बर सिंह रावत	30.06.1968	सामान्य	सहायक अधिकारी	वार्ड नं०–1/पुराना दरबार/टिहरी	पूर्ण
194	राजेन्द्र सिंह नेगी	बचन सिंह नेगी	01.07.1961	सामान्य	सहायक अधिकारी	वार्ड नं०–2 पुराना दरबार/टिहरी	पूर्ण
195	सूरत सिंह पंवार	नैन सिंह	05.07.1959	सामान्य	चालक ग्रेड–2	चौदी सिराई/जुआ/टिहरी	पूर्ण
196	प्रताप सिंह राणा	ग्यान सिंह	04.10.1963	सामान्य	चालक ग्रेड–2	चौदी सिराई/जुआ/टिहरी	पूर्ण
197	राम चन्द्र सकलानी	जगदीश चन्द्र	01.07.1962	सामान्य	ऑपरेटर ग्रेड–4	पडियार गांव/अदूर/टिहरी	पूर्ण
198	जीतूलाल	पद्दू	15.01.1963	अनु० जाति	सहायक ग्रेड–4	सिराई/जुआ/टिहरी	पूर्ण
199	किशोरी लाल नौटियाल	जयन्ती प्रसाद नौटियाल	15.05.1964	सामान्य	हेल्पर ग्रेड–2	वार्ड नं०–6/टिहरी	पूर्ण
200	रणवीर सिंह	कमल सिंह	12.04.1968	सामान्य	सहायक ग्रेड–2	कोटी/अदूर/टिहरी	पूर्ण
201	मोहन लाल	भगवत प्रसाद चमोली	20.09.1969	सामान्य	सहायक ग्रेड–2	गाजणा/अदूर/दोबाटा/टिहरी	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8
202	राम चन्द्र सिंह	जीत सिंह	04.01.1971	सामान्य	सहायक ग्रेड–2	मालीदेवल/जुआ/टिहरी	पूर्ण
203	सिद्धिकी रहमान	इसन रहमान	16.08.1966	सामान्य	सुपरवाईजर ग्रेड–1	मुस्लिम मौहल्ला/वार्ड नं0–6/टिहरी	पूर्ण
204	पदम दत्त चमोली	सत्येश्वर प्रसाद चमोली	01.01.1966	सामान्य	सुपरवाईजर ग्रेड–2	वार्ड नं0–1/पुराना दरबार/टिहरी	पूर्ण
205	सुरेन्द्र सिंह राणा	मंगल सिंह राणा	01.04.1964	सामान्य	सुपरवाईजर ग्रेड–2	मालीदेवल/जुआ/टिहरी	पूर्ण
206	वीर पाल सिंह	दीवान सिंह	01.06.1955	सामान्य	आर्टिसन ग्रेड–2	खाण्ड/अठूर/टिहरी	पूर्ण
207	रमेश चन्द्र तिवारी	शिवानंद तिवारी	10.07.1960	सामान्य	आर्टिसन ग्रेड–2	वार्ड नं0–8/टिहरी टाउन/टिहरी	पूर्ण
208	विमल कुमार नौटियाल	खिमानंद नौटियाल	23.06.1962	सामान्य	आर्टिसन ग्रेड–2	वार्ड नं0–8/टिहरी टाउन/टिहरी	पूर्ण
209	गंगा प्रसाद कुकरेती	रमेश प्रसाद कुकरेती	25.06.1962	सामान्य	आर्टिसन ग्रेड–2	बलंकारी मौहल्ला/टिहरी	पूर्ण
210	कृष्णा नंद डबराल	हरिनंद डबराल	18.05.1963	सामान्य	आर्टिसन ग्रेड–2	वार्ड नं0–1/बस स्टैण्ड/टिहरी	पूर्ण
211	भागवान सिंह असवाल	प्रेम सिंह असवाल	26.07.1963	ओ0बी0सी0	आर्टिसन ग्रेड–2	थापला/कोटी/अठूर/टिहरी	पूर्ण
212	मदन मोहन डोभाल	नित्यानंद डोभाल	15.02.1965	सामान्य	आर्टिसन ग्रेड–2	गढ़वाल मोटर्स/पुराना मोटर अड्डा/टि0	पूर्ण
213	त्रिलोक सिंह नेगी	प्रेम सिंह नेगी	02.03.1965	सामान्य	आर्टिसन ग्रेड–2	सुनारगांव/अठूर/टिहरी	पूर्ण
214	अनिल खंडूरी	विरेन्द्र दत्त	15.05.1965	सामान्य	आर्टिसन ग्रेड–2	बिल्वाकेदार/धारमण्डल/टिहरी	पूर्ण
215	राकेश प्रसाद कंसल	कमल नयन कंसल	17.07.1967	सामान्य	आर्टिसन ग्रेड–2	मरोड़ा/मालीदेवल/जुआ/टिहरी	पूर्ण
216	शूरवीर सिंह नेगी	कल्याण सिंह	12.06.1964	सामान्य	चालक ग्रेड–2	बड़कोट/खास/टिहरी	पूर्ण
217	युद्धवीर सिंह नेगी	बलवीर सिंह नेगी	10.07.1965	सामान्य	चालक ग्रेड–4	खाण्ड/अठूर/टिहरी	पूर्ण
218	मोहन लाल	थिरदू लाल	09.05.1964	अनु0 जाति	चालक ग्रेड–2	बिल्वाकेदार/टिहरी	पूर्ण
219	महेश कुमार सकलानी	त्रिभुवन लाल सकलानी	01.02.1965	सामान्य	अवर अभियन्ता	पडियारगांव/अठूर/टिहरी	पूर्ण
220	राम दयाल भट्ट	रामेश्वर प्रसाद भट्ट	25.06.1971	सामान्य	अवर अभियन्ता	वार्ड नं0–6/टिहरी	पूर्ण
221	प्रदीप कुमार पाण्डे	किशोरी लाल पाण्डे	31.08.1965	सामान्य	अनुदेशक ग्रेड–2	वार्ड नं0–5/रघुनाथ मौहल्ला/टिहरी	पूर्ण
222	मिनोजा	बचन	20.06.1976	अनु0 जाति	अनुदेशक ग्रेड–2	कण्डल/धारमण्डल/टिहरी	पूर्ण
223	योगेश पाल	छोटे सिंह	10.07.1972	अनु0 जाति	चालक ग्रेड–4	वार्ड नं0–8/टिहरी	पूर्ण
224	प्रेम लाल	नत्थी राम	01.12.1967	अनु0 जाति	अवर अभियन्ता ग्रेड–1	वार्ड नं0–8/टिहरी	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8
225	विजय बहुगुणा	भगवती प्रसाद बहुगुणा	15.07.1960	सामान्य	जू० सुपरवाईजर	सत्येश्वर मौहल्ला/टिहरी	पूर्ण
226	कीर्ति दत्त बलूनी	महेश प्रसाद बलूनी	20.06.1968	सामान्य	जू० सुपरवाईजर	रघुनाथ मौहल्ला/वार्ड नं0–3/टिहरी	पूर्ण
227	नरेन्द्र सिंह चौहान	दयाल सिंह	10.11.1969	सामान्य	जू० सुपरवाईजर	सुमन चौक/वार्ड नं0–7/टिहरी	पूर्ण
228	दौलत सिंह मखलोगा	महेन्द्र सिंह मखलोगा	05.12.1969	सामान्य	जू० सुपरवाईजर	पुराना दरबार/वार्ड नं0–8/टिहरी	पूर्ण
229	गिरीश उनियाल	भगवती प्रसाद उनियाल	01.05.1969	सामान्य	सहायक लिपिक ग्रेड–2	अलंकारी मौहल्ला/टिहरी	पूर्ण
230	विरेन्द्र सिंह पडियार	बुद्धि सिंह पडियार	08.04.1966	सामान्य	सहायक ग्रेड–3	मालीदेवल/जुआ/टिहरी	पूर्ण
231	सुनील चन्द्र खंडूरी	रितेन्द्र दत्त खंडूरी	04.11.1966	सामान्य	सहायक लिपिक ग्रेड–3	बिल्वाडीह/धारमण्डल/टिहरी	पूर्ण
232	रोशन सिंह गोसाई	त्रिलोक सिंह गोसाई	01.02.1969	सामान्य	सहायक ग्रेड–4	वार्ड नं0–8/टिहरी गढ़वाल	पूर्ण
233	जगवीर सिंह पडियार	धूम सिंह पडियार	01.06.1972	सामान्य	डाटा इन्ट्री आप–4	मालीदेवल/जुआ/टिहरी	पूर्ण
234	जोत सिंह नेगी	मोलू सिंह नेगी	05.03.1972	सामान्य	सहायक ग्रेड–4	खाण्ड/धारमण्डल/टिहरी	पूर्ण
235	किशोर सिंह राणा	चन्द्र सिंह राणा	08.12.1969	सामान्य	सहायक ग्रेड–2	खाण्ड/धारमण्डल/टिहरी	पूर्ण
236	ध्यान सिंह पंवार	जूरा सिंह	10.04.1961	सामान्य	सहायक ग्रेड–2	मालीदेवल/जुआ/टिहरी	पूर्ण
237	गोविन्द सिंह	सत्य सिंह	08.05.1966	सामान्य	सहायक ग्रेड–2	मालीदेवल/जुआ/टिहरी	पूर्ण
238	गोविन्द सिंह राणा	रघुनाथ सिंह	04.02.1968	ओ0बी0सी0	सहायक ग्रेड–2	मालीदेवल/जुआ/टिहरी	पूर्ण
239	ऋषि राम बहुगुणा	मुरारी लाल	12.01.1969	सामान्य	सहायक ग्रेड–2	बगाली/जुआ/टिहरी	पूर्ण
240	दिनेश सिंह	स्व0 अमर सिंह	02.01.1970	सामान्य	सहायक ग्रेड–2	मालीदेवल/जुआ/टिहरी	पूर्ण
241	प्रताप सिंह भंडारी	सोबन सिंह	04.06.1972	सामान्य	सहायक ग्रेड–2	मालीदेवल/जुआ/टिहरी	पूर्ण
242	रूप चन्द्र सिंह रावत	चन्द्र सिंह रावत	08.10.1970	सामान्य	सहायक ग्रेड–2	सुनारगांव/गुसाई/टिहरी	पूर्ण
243	कैलाश सिंह पंवार	करन सिंह पंवार	15.10.1966	सामान्य	सहायक लिपिक–2	रघुनाथ मौहल्ला/वार्ड नं0–2/टिहरी	पूर्ण
244	कुशी राम डंगवाल	चण्डी प्रसाद	11.04.1967	सामान्य	सहायक लिपिक–2	मालीदेवल/जुआ/टिहरी	पूर्ण
245	रणवीर सिंह नेगी	हरि सिंह नेगी	04.05.1967	सामान्य	सहायक लिपिक–2	डोम/रावा/टिहरी	पूर्ण
246	प्रीतम सिंह धनाई	भरत सिंह	16.02.1968	सामान्य	चालक ग्रेड–4	मालीदेवल/अदूर/टिहरी	पूर्ण
247	गुमान सिंह	मंगल सिंह पंवार	16.04.1960	सामान्य	सहायक ग्रेड–2	मालीदेवल/जुआ/टिहरी	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8
248	किशन सिंह पडियार	भगत सिंह	06.03.1964	सामान्य	सहायक ग्रेड–2	मालीदेवल/जुआ/टिहरी	पूर्ण
249	विजयप्रकाश नौटियाल	सत्य प्रसाद नौटियाल	18.01.1965	सामान्य	हैल्पर ग्रेड–1	मालीदेवल/जुआ/टिहरी	पूर्ण
250	मेहरबान सिंह	सोनवीर सिंह	15.11.1967	सामान्य	सहायक ग्रेड–2	क्रोम/शखा/टिहरी	पूर्ण
251	पूरण लाल	बब्बू	02.04.1969	अनु0 जाति	सहायक ग्रेड–2	मालीदेवल/जुआ/टिहरी	पूर्ण
252	राम पाल सिंह	कल्याण सिंह पडियार	07.01.1970	सामान्य	सहायक ग्रेड–2	मालीदेवल/जुआ/टिहरी	पूर्ण
253	उत्तम सिंह पडियार	भगत सिंह	08.01.1971	सामान्य	सहायक ग्रेड–2	मालीदेवल/जुआ/टिहरी	पूर्ण
254	चन्द्र किशोर	इतबार सिंह	02.01.1965	सामान्य	सहायक ग्रेड–2	मालीदेवल/जुआ/टिहरी	पूर्ण
255	भगवान सिंह बडोनी	जब्बर सिंह	30.12.1953	सामान्य	सुरक्षाकर्मी ग्रेड–2	कोटी/अठूर/टिहरी	पूर्ण
256	विरेन्द्र सिंह राणा	गोविन्द सिंह राणा	05.06.1970	सामान्य	सहायक ग्रेड–3	कण्डल/धारमण्डल/टिहरी	पूर्ण
257	जितेन्द्र बुटोला	श्री चन्द	13.04.1969	सामान्य	आर्टिशियन ग्रेड–1	मालीदेवल/जुआ/टिहरी	पूर्ण
258	कुंवर सिंह पंवार	कृपालसिंह	01.07.1969	सामान्य	सहायक ग्रेड–3	मालीदेवल/जुआ/टिहरी	पूर्ण
259	धर्मेन्द्र सिंह परमार	राजेन्द्र सिंह परमार	06.10.1969	सामान्य	तकनीकी ग्रेड–3	वार्ड नं0–1/पुराना दरबार/टिहरी	पूर्ण
260	भीम सिंह नेगी	छंदर सिंह नेगी	10.01.1967	सामान्य	सहायक ग्रेड–3	कोटी/अठूर/टिहरी	पूर्ण
261	दीपक कुमार	मखन्न लाल डबूरी	12.03.1966	सामान्य	उप–प्रबन्धक	मेनबाजार/टिहरी टाउन	पूर्ण
262	सुरेन्द्र सिंह रावत	स्व0 मूर्ति सिंह रावत	01.11.1960	सामान्य	सुपरवाईजर ग्रेड–2	चन्देल मौहल्ला/संगमरोड/टिहरी	पूर्ण
263	पूर्णा देवी	पूरन लाल	30.07.1969	अनु0 जाति	सहायक ग्रेड–2	सुनारगांव/अठूर/टिहरी	पूर्ण
264	कुलवीर सिंह राणा	स्व0 पी0आर0 राणा	05.04.1961	सामान्य	जू0 सुपरवाईजर	मालीदेवल/जुआ/टिहरी	पूर्ण
265	विनोद बमोली	इन्दर मोहन बमोली	04.05.1970	सामान्य	डाटा इन्ट्री आप0–4	घनसाली रोड/टिहरी	पूर्ण
266	मनोज कुमार पाण्डे	जगदम्बा प्रसाद पाण्डे	13.11.1968	सामान्य	अवर अभियन्ता	रघुनाथ मौहल्ला/वार्ड नं0–3/टिहरी	पूर्ण
267	मायाव्यास	लक्ष्मी प्रसाद व्यास	05.08.1957	सामान्य	सहायक ग्रेड–1	व्यास भवन/पुराना दरबार/टिहरी	पूर्ण
268	लक्ष्मी प्रसाद व्यास	परमेश्वर प्रसाद व्यास	18.08.1953	सामान्य	सुपरवाईजर ग्रेड–1	वार्ड नं0–8 व्यास भवन/टिहरी	पूर्ण
269	उमराव सिंह पंवार	रतन सिंह पंवार	25.06.1966	सामान्य	अवर अभियन्ता	सेमलथापर/झानसू/टिहरी	पूर्ण
270	प्रदीप कुमार नेगी	कमल सिंह नेगी	07.08.1970	सामान्य	अवर अभियन्ता	खाण्ड/अठूर/टिहरी	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8
271	नरेन्द्र सिंह मखलोगा	श्याम सिंह मखलोगा	19.02.1972	सामान्य	अवर अभियन्ता	मखलोगा भवन/वार्ड नं0-2/टिहरी	पूर्ण
272	राजेन्द्रप्रसाद बिल्जवाण	कमल नयन बिल्जवाण	01.04.1964	सामान्य	अवर अभियन्ता	सत्येश्वर मौहल्ला/वार्ड नं0-6/टिहरी	पूर्ण
273	रोशन लाल सेमवाल	लखी राम	02.06.1964	सामान्य	सहायक लि0 ग्रेड-2	बिरयाणी/खास/प्रतापनगर/टिहरी	पूर्ण
274	हर्षपति डंगवाल	दिल राम	30.06.1964	सामान्य	कार्य सहायक ग्रेड-2	बनाखेत/घण्टाघर/टिहरी	पूर्ण
275	दिनेश दत्त डगूणी	विद्या दत्त	12.12.1942	सामान्य	फीटर ग्रेड-2	सत्येश्वर मौहल्ला/टिहरी	पूर्ण
276	पारा सिंह	सूरज सिंह	28.04.1956	सामान्य	हैल्पर ग्रेड-3	डाकखाण्ड/टिहरी	पूर्ण
277	प्रेम प्रकाश भट्नागर	हरिचन्द	31.03.1964	सामान्य	हैल्पर ग्रेड-3	पुराना बस अड्डा/टिहरी	पूर्ण
278	ज्ञान सिंह कलूड़ा	बुद्धि सिंह कलूड़ा	20.10.1969	सामान्य	अवर अभि0 ग्रेड-1	वार्ड नं0-6/सत्येश्वर मौहल्ला/टिहरी	पूर्ण
279	राजेश चन्द्र हटवाल	दिगम्बर प्रसाद हटवाल	23.07.1969	सामान्य	अवर अभि0 ग्रेड-1	वार्ड नं0-4/मलेकारी मौहल्ला/टिहरी	पूर्ण
280	बिज लाल रतूड़ी	चन्दर लाल	15.05.1967	सामान्य	सहा0 लि0 ग्रेड-2	मोटी/सिराई/टिहरी	पूर्ण
281	शिव प्रसाद व्यास	सोमेश्वर प्रसाद	02.03.1967	सामान्य	निजी सहायक	पुराना दरबार/वार्ड नं0-8/टिहरी	पूर्ण
282	चन्द्र प्रकाश भट्टी	सुरेन्द्र दत्त भट्टी	15.06.1966	सामान्य	लैब सहायक ग्रेड-3	पुराना दरबार/वार्ड नं0-1/टिहरी	पूर्ण
283	कुशल सिंह राणा	पूरन सिंह राणा	08.05.1968	सामान्य	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	दिगल्डा/सिंराई/जुआ/टिहरी	पूर्ण
284	पूर्णा नंद ममगाई	नत्थी लाल ममगाई	08.12.1967	सामान्य	अवर अभि0 ग्रेड-2	वार्ड नं0-7/टिहरी	पूर्ण
285	अनिल कुमार बडोनी	श्रीपति बडोनी	10.09.1969	सामान्य	वरिष्ठ अभियन्ता	मादो की मगरी/वार्ड नं0-9/टिहरी	पूर्ण
286	रविन्द्र सिंह राणा	रघुनाथ सिंह राणा	25.06.1970	सामान्य	अभियन्ता	पुराना दरबार/टिहरी	पूर्ण
287	नन्द किशोर भट्ट	महिमानंद भट्ट	28.02.1972	सामान्य	अभियन्ता	बिरयाणी/खास/टिहरी	पूर्ण
288	संजय महर	कमल सिंह	13.08.1973	सामान्य	अभियन्ता	पुराना दरबार/टिहरी	पूर्ण
289	सुरजीत सिंह राणा	मंगल सिंह राणा	28.06.1964	सामान्य	वरिष्ठ अभियन्ता	कण्डल/टिहरी	पूर्ण
290	बिजय सिंह राणा	पदम सिंह राणा	30.08.1965	सामान्य	वरिष्ठ अभियन्ता	गौजियाणा/खास थाना/टिहरी	पूर्ण
291	पी0सी0 रतूड़ी	बी0एम0 रतूड़ी	19.06.1969	सामान्य	कनिष्ठ अधिशासी	बनाखेत/टिहरी	पूर्ण
292	विरेन्द्र सिंह चौहान	बहादुर सिंह चौहान	01.03.1967	सामान्य	अभियन्ता	वार्ड नं0-7/हाथीथान मौहल्ला/टिहरी	पूर्ण
293	राम चन्द्र सेमवाल	हरिप्रसाद सेमवाल	24.09.1964	सामान्य	तकनीकी ग्रेड-4	वार्ड नं0-1/टिहरी	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8
294	दुर्गा प्रसाद नौटियाल	शिवप्रसाद नौटियाल	04.06.1966	सामान्य	तकनीकी ग्रेड–4	वार्ड नं0–4/अलंकारी मौहल्ला/टिहरी	पूर्ण
295	राजेश रतूड़ी	जगदम्बा प्रसाद रतूड़ी	30.06.1971	सामान्य	तकनीकी ग्रेड–4	अलंकारी मौहल्ला/टिहरी	पूर्ण
296	जफ्फर बेग	मजहर बेग	01.01.1968	सामान्य	चालक ग्रेड–4	मुस्लिम मौहल्ला/टिहरी	पूर्ण
297	सोबन सिंह	मोर सिंह नेगी	08.07.1968	सामान्य	चालक ग्रेड–4	बड़कोट/प्रतापनगर/टिहरी	पूर्ण
298	उपेन्द्र सिंह राणा	विशन सिंह राणा	10.01.1969	ओ0बी0सी0	तकनीकी ग्रेड–4	मालीदेवल/चुआ/टिहरी	पूर्ण
299	उर्मिला सैनी	साहीराम सैनी	10.07.1973	ओ0बी0सी0	तकनीकी ग्रेड–4	वार्ड नं0–8/चौकिमियाना मौहल्ला/टि0	पूर्ण
300	कमलेश्वर प्र0 सकलानी	देवी प्रसाद सकलानी	16.07.1973	सामान्य	चालक ग्रेड–4	पडियारगांव/अठूर/टिहरी	पूर्ण
301	स्वराज सिंह	मंगत सिंह	10.06.1964	अनु0 जाति	तकनीकी ग्रेड–4	पडियारगांव/अठूर/टिहरी	पूर्ण
302	लक्ष्मी प्रसाद सकलानी	जय बल्लभ सकलानी	01.07.1967	सामान्य	तकनीकी ग्रेड–4	पडियारगांव/अठूर/टिहरी	पूर्ण
303	रमेश सिंह असवाल	हर्ष लाल असवाल	15.08.1969	ओ0बी0सी0	तकनीकी ग्रेड–4	थापला/अठूर/टिहरी	पूर्ण
304	विक्रम प्रसाद कुकरेती	राम चन्द्र कुकरेती	02.07.1967	सामान्य	सहायक ग्रेड–4	वार्ड नं0–8/टिहरी	पूर्ण
305	राजेश कुमार सेमल्टी	राम चन्द्र सेमल्टी	23.06.1969	सामान्य	अवर अभियन्ता ग्रेड–2	सेमलथापर/टिहरी	पूर्ण
306	सन्तोष प्र0 थिलियाल	के0एन0 थिलियाल	20.06.1973	सामान्य	अवर अभियन्ता ग्रेड–2	पुराना दरबार/टिहरी	पूर्ण
307	प्रदीप असवाल	शंकर लाल असवाल	04.06.1971	सामान्य	अवर अभियन्ता ग्रेड–2	सुनारगांव/अठूर/टिहरी	पूर्ण
308	रघुवीर सिंह गुसाई	चन्द्र सिंह गुसाई	28.03.1966	सामान्य	अवर अभियन्ता ग्रेड–2	चनाखेत/वार्ड नं0–8/टिहरी	पूर्ण
309	कुलदीप प्रसाद बडोनी	श्रीचन्द राम बडोनी	05.05.1967	सामान्य	अवर अभियन्ता ग्रेड–2	वार्ड नं0–8/टिहरी	पूर्ण
310	रविन्द्र सिंह नेगी	डी0एस0 नेगी	05.03.1963	सामान्य	सहायक अधिकारी	वार्ड नं0–2/पुराना दरबार/टिहरी	पूर्ण
311	दुर्गा प्रसाद कोठियाल	इन्द्र मोहन कोठियाल	18.04.1973	सामान्य	अवर अभियन्ता ग्रेड–2	बालती/अठूर/टिहरी	पूर्ण
312	संजीव कुमार थपलियाल	शिव प्रसाद थपलियाल	19.06.1971	सामान्य	अवर अभियन्ता ग्रेड–2	रामपुर/रैका/टिहरी	पूर्ण
313	अनिल कुमार बडोनी	जे0पी0 बडोनी	14.06.1964	सामान्य	सहायक अधिकारी	सेमलथापर/टिहरी	पूर्ण
314	महेन्द्र सिंह कठायत	नाहर सिंह	10.11.1970	सामान्य	अवर अभियन्ता ग्रेड–2	वार्ड नं0–8/मेनबाजार/टिहरी	पूर्ण
315	कृपाल सिंह राणा	पूर्ण सिंह राणा	10.06.1967	अनु0 जाति	अवर अभियन्ता ग्रेड–2	कण्डल/धारमण्डल/टिहरी	पूर्ण
316	आलम सिंह नेगी	गब्बर सिंह नेगी	08.02.1961	सामान्य	सहायक अधिकारी	सुमनचौक/टिहरी टाउन/टिहरी	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8
317	मोहन सिंह	आनन्द सिंह	15.06.1969	सामान्य	चालक ग्रेड–4	कोटी / अठूर / दोबाटा / टिहरी	पूर्ण
318	प्रताप सिंह नेगी	स्व0 डी0एस0 नेगी	15.05.1970	सामान्य	सुपरवाईजर ग्रेड–2	पुराना दरबार / टिहरी	पूर्ण
319	धीरेन्द्र सिंह पुण्डीर	बंशीलाल पुण्डीर	30.06.1968	ओ0बी0सी0	सुपरवाईजर ग्रेड–2	सुमनचौक / टिहरी	पूर्ण
320	मनोजराय	गुलशन राय	15.10.1970	सामान्य	सुपरवाईजर ग्रेड–2	श्री संसार / मेन मार्केट / टिहरी	पूर्ण
321	प्रेम सिंह कुमाई	सुन्दर सिंह	21.02.1967	सामान्य	सुपरवाईजर ग्रेड–2	बालीदेवल / जुआ / टिहरी	पूर्ण
322	सोमवती नेगी	पत्नी स्व0 कर्म सिंह नेगी	15.06.1976	सामान्य	सहायक ग्रेड–4	कोटी / अठूर / टिहरी	पूर्ण
323	दुर्गा प्रसाद उनियाल	दिनेश प्रसाद उनियाल	05.01.1972	सामान्य	लैब सहायक	संगमरोड / मेन मार्केट / टिहरी	पूर्ण
324	अमिता नेगी	पुत्री जगत सिंह नेगी	01.05.1975	सामान्य	कम्पाउण्डर ग्रेड–4	ओल्ड बस स्टैण्ड / वार्ड नं0–1 / टिहरी	पूर्ण
325	गोवर्धन प्रसाद नौटियाल	जे0 पी0 नौटियाल	10.07.1970	सामान्य	सहायक	सत्येश्वर मौहल्ला / टिहरी	पूर्ण
326	मदन सिंह रावत	प्रेम सिंह रावत	02.03.1972	सामान्य	सहायक लि0 ग्रेड–4	मल्लियाणा / उदयपुर / टिहरी	पूर्ण
327	राजेन्द्र सिंह राणा	सोबत सिंह राणा	05.01.1967	सामान्य	चालक ग्रेड–4	डोबरा / जुआ / टिहरी	पूर्ण
328	जसबीर सिंह	स्व0 नानक सिंह	03.03.1966	ओ0बी0सी0	तकनीकी ग्रेड–4	हाथीथान मौहल्ला / टिहरी	पूर्ण
329	आशा राम जोशी	गोविन्द राम जोशी	10.02.1968	सामान्य	तकनीकी ग्रेड–4	बिल्वाखोड / टिहरी	पूर्ण
330	दिनेश सिंह चौहान	कृपाल सिंह चौहान	05.02.1969	सामान्य	तकनीकी ग्रेड–4	बिल्वाखोड / मदननेगी / टिहरी गढवाल	पूर्ण
331	मुकेश कुमार गैरोला	इन्द्रमणी गैरोला	27.04.1965	सामान्य	तकनीकी ग्रेड–4	सत्येश्वर मौहल्ला / टिहरी	पूर्ण
332	ज्योति राम डंगवाल	स्व0 मंशा राम	22.06.1967	सामान्य	तकनीकी ग्रेड–4	पंजाऊ / दोबाटा / टिहरी	पूर्ण
333	महेन्द्र दत्त रतूडी	ललिता प्रसाद रतूडी	01.01.1969	सामान्य	तकनीकी ग्रेड–4	अलंकारी मौहल्ला / टिहरी	पूर्ण
334	अतुल मोहन सकलानी	जगत मोहन सकलानी	25.06.1972	सामान्य	तकनीकी ग्रेड–4	पडियारगांव / दोबाटा / टिहरी	पूर्ण
335	देवेन्द्र सिंह चौहान	मोर सिंह चौहान	17.07.1969	सामान्य	तकनीकी ग्रेड–4	सुनारगांव / दोबाटा / टिहरी	पूर्ण
336	सोवनदास	बचन दास	06.06.1971	अनु0 जाति	तकनीकी ग्रेड–4	वार्ड नं0–1 / पश्चियाणा मौहल्ला / टिहरी	पूर्ण
337	राकेश कुमार सकलानी	महेश्वरी प्र0 सकलानी	30.12.1975	सामान्य	तकनीकी ग्रेड–4	पडियारगांव / दोबाटा / टिहरी	पूर्ण
338	तरूण मोहन सकलानी	मदनमोहन सकलानी	12.10.1964	सामान्य	जू0 तकनीकी	पडियारगांव / अठूर / दोबाटा / टिहरी	पूर्ण
339	इम्तियाज हसन	अब्दुल हसन	25.11.1971	ओ0बी0सी0	चालक ग्रेड–2	वार्ड नं0–5 / टिहरी	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8
340	विक्रम सिंह नेगी	सुन्दर सिंह नेगी	24.02.1967	सामान्य	जू0 चालक	बागी/अठूर/टिहरी	पूर्ण
341	पदम सिंह बिष्ट	प्रताप सिंह बिष्ट	30.06.1967	सामान्य	जू0 चालक	सुनारगांव/अठूर/टिहरी	पूर्ण
342	सम्पूर्णा नंद सकलानी	प्रभाकर दत्त सकलानी	10.09.1965	सामान्य	जू0 तकनीकी	पडियारगांव/अठूर/दोबाटा/टिहरी	पूर्ण
343	पूर्ण प्रकाश नौटियाल	जान्हवी प्र0 नौटियाल	19.09.1970	सामान्य	जू0 तकनीकी	वार्ड नं0–8/सत्येश्वर मौहल्ला/टिहरी	पूर्ण
344	विपिन सकलानी	मनमोहन सकलानी	20.11.1974	सामान्य	सहायक अभियन्ता	पडियारगांव/अठूर/टिहरी	पूर्ण
345	सान्ति सिंह राणा	सत्य सिंह राणा	12.03.1966	सामान्य	जू0 चालक	गोदीसिराई/दोबाटा/टिहरी	पूर्ण
346	गुलाब सिंह नेगी	जीत सिंह नेगी	10.05.1968	सामान्य	जू0 तकनीकी	बागी/अठूर/टिहरी	पूर्ण
347	विमल पाण्डे	विष्णु प्रसाद पाण्डे	31.05.1971	सामान्य	जू0 तकनीकी	रघुनाथ मौहल्ला/टिहरी	पूर्ण
348	कृष्ण पाल सिंह	बीर सिंह बिष्ट	09.07.1973	सामान्य	जू0 चालक	सौंदकण्डू/जुआ/टिहरी	पूर्ण
349	रमेश चन्द्र सेमवाल	मोहन लाल सेमवाल	18.03.1975	सामान्य	जू0 तकनीकी	देवल/फैगुल/गडोलिया/टिहरी	पूर्ण
350	परवेश बहुगुणा	स्व0 कुलेन्द्र बहुगुणा	30.04.1975	सामान्य	जू0 चालक	सत्येश्वर मौहल्ला/टिहरी	पूर्ण
351	मरवान सिंह राणा	नारायण सिंह राणा	16.12.1966	सामान्य	जू0 चालक	गोदीसिराई/जुआ/टिहरी	पूर्ण
352	जय प्रकाश डोभाल	कमलेश्वर प्रसाद	03.07.1966	सामान्य	जू0 तकनीकी	अलंकारी मौहल्ला/टिहरी	पूर्ण
353	राकेश चन्द्र डंगवाल	वेद प्रकाश डंगवाल	07.04.1971	सामान्य	जू0 तकनीकी	मालीदेवल/जुआ/टिहरी	पूर्ण
354	राकेश सिंह नेगी	विजेन्द्र सिंह नेगी	01.07.1972	सामान्य	जू0 चालक	बेलग्राम/सुनारगांव/टिहरी	पूर्ण
355	ललित मोहन पैन्यूली	जगमोहन पैन्यूली	20.08.1973	सामान्य	जू0 तकनीकी	अलंकारी मौहल्ला/टिहरी	पूर्ण
356	धनपाल सिंह पडियार	स्व0 कल्याणसिंह पडियार	20.05.1968	सामान्य	जू0 चालक	मालीदेवल/जुआ/टिहरी	पूर्ण
357	साजिद हसन	अब्दुल हसन	19.11.1973	सामान्य	जू0 तकनीकी	मुस्लिम मौहल्ला/टिहरी	पूर्ण
358	आनन्द भट्ट	दुर्गा प्रसाद भट्ट	30.06.1969	सामान्य	अवर अभियन्ता	हाउस नं0–74/सुमनचौक/टिहरी	पूर्ण
359	गम्भीर सिंह असवाल	जोत सिंह असवाल	22.05.1974	ओ0बी0सी0	अवर अभियन्ता	बापला/अठूर/टिहरी	पूर्ण
360	अतुल कुमार बहुगुणा	शान्ती स्वरूप बहुगुणा	07.01.1971	सामान्य	अवर अभियन्ता	कोटी/जुआ/सिराई/टिहरी	पूर्ण
361	जयन्ती प्रसाद सेमवाल	डी0 एन0 सेमवाल	10.07.1971	सामान्य	आशुलिपिक ग्रेड–4	देवल/कोटी फैगुल/टिहरी	पूर्ण
362	गजेन्द्र प्रसाद भट्ट	चिरंजी लाल भट्ट	28.04.1969	सामान्य	जू0 अभियन्ता	वार्ड नं0–8/टिहरी	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8
363	विजय कुमार	स्व0 भगतू कुमार	06.06.1972	अनु0 जाति	आशुलिपिक ग्रेड–4	बिल्वालीड/धारमण्डल/मदननेगी/टि0	पूर्ण
364	गुरु प्रसाद	स्व0 सत्य प्रसाद	12.06.1967	सामान्य	अवर अभियन्ता	वार्ड नं0–2/पुराना बस अड्डा/टिहरी	पूर्ण
365	उज्जवल दास	तलसू दास	02.02.1972	अनु0 जाति	आशुलिपिक	कोटी/अठूर/टिहरी	पूर्ण
366	नरेन्द्र दत्त बहुगुणा	इन्द्र दत्त	07.06.1966	सामान्य	वैल्डर	सत्येश्वर मौहल्ला/टिहरी	पूर्ण
367	माखन सिंह पुनसाड़ी	नारायण सिंह	08.10.1966	सामान्य	जू0 चालक	झोलगांव/खास/टिहरी	पूर्ण
368	तीरथ सिंह उनियाल	शिव सिंह	07.04.1968	सामान्य	जू0 तकनीकी	गोदीसिराई/जुआ/टिहरी	पूर्ण
369	दिनेश सिंह नेगी	सोबत सिंह नेगी	23.06.1969	सामान्य	जू0 तकनीकी	गोदीसिराई/जुआ/टिहरी	पूर्ण
370	जितेन्द्र सिंह असवाल	विजेन्द्र सिंह	25.12.1970	ओ0बी0सी0	जू0 तकनीकी	सुनारगांव/अठूर/दोबाटा/टिहरी	पूर्ण
371	शैलेन्द्र सिंह नेगी	स्व0 बचन सिंह	15.06.1971	सामान्य	जू0 चालक	खाण्ड/अठूर/टिहरी	पूर्ण
372	कृष्णा नंद थिल्डियाल	पदम दत्त	08.05.1972	सामान्य	जू0 चालक	मालीदेवल/खसीर/जुआ/टिहरी	पूर्ण
373	गब्बर सिंह नेगी	धूम सिंह नेगी	01.12.1972	सामान्य	जू0 चालक	दोबाटा/रैका/टिहरी	पूर्ण
374	पंचम सिंह नेगी	पूरण सिंह नेगी	29.05.1967	सामान्य	जू0 तकनीकी	खाण्ड/अठूर/टिहरी	पूर्ण
375	गुलाब सिंह रावत	जोगा सिंह रावत	20.12.1967	सामान्य	जू0 चालक	कण्डल/धारमण्डल/टिहरी	पूर्ण
376	विनोद कुमार भट्ट	चन्द्र मणी	08.07.1972	सामान्य	जू0 चालक	वार्ड नं0–7/सुमनचौक/टिहरी	पूर्ण
377	दिनेश प्रसाद नौटियाल	सिद्धी प्रसाद	05.04.1975	सामान्य	जू0 चालक	मालीदेवल/जुआ/टिहरी	पूर्ण
378	जय प्रकाश नौटियाल	सत्या पी0 डी0	04.01.1969	सामान्य	जू0 सुपरवाईजर	मालीदेवल/जुआ/टिहरी	पूर्ण
379	महेन्द्र सिंह राणा	गम्भीर सिंह राणा	14.04.1969	सामान्य	जू0 सुपरवाईजर	कण्डल/धारमण्डल/टिहरी	पूर्ण
380	देवी लाल वर्मा	सत्यम लाल	03.07.1976	ओ0बी0सी0	अवर अभियन्ता	दोबाटा/टिहरी	पूर्ण
381	रान सिंह नेगी	बचन सिंह	07.03.1963	सामान्य	जू0 चालक	बागी/अठूर/टिहरी	पूर्ण
382	वीर सिंह धनाई	रतन सिंह	17.10.1964	सामान्य	जू0 चालक	बयाली/मालीदेवल/टिहरी	पूर्ण
383	हरेन्द्र सिंह चौहान	कोमल सिंह चौहान	21.12.1966	सामान्य	अवर अभियन्ता	पटियार भवन/वार्ड नं0–1/पु0न0/टि0	पूर्ण
384	लाल सिंह धनसोला	कृपाल सिंह धनसोला	26.12.1969	सामान्य	अवर अभियन्ता	बड़कोट/खास/टिहरी	पूर्ण
385	यशवन्त सिंह नेगी	स्व0 बचन सिंह नेगी	01.01.1969	सामान्य	अवर अभियन्ता	वार्ड नं0–8/टिहरी	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8
386	रमेश सिंह कुंगमोगा	जीत सिंह	01.12.1971	सामान्य	जू० तकनीकी	वार्ड नं०–2/पुराना दरबार/टिहरी	पूर्ण
387	त्रिपन सिंह नेगी	स्व० कल्याण सिंह	19.07.1971	सामान्य	जू० चालक	बड़कोट/खास/टिहरी	पूर्ण
388	गब्बर सिंह पंवार	चन्दन सिंह	08.03.1972	सामान्य	जू० तकनीकी	सिराई/जुआ/टिहरी	पूर्ण
389	चन्दन सिंह नेगी	खुशी सिंह	22.01.1976	सामान्य	जू० चालक	बड़कोट/खास/टिहरी	पूर्ण
390	भगवान सिंह नेगी	शेर सिंह	16.04.1960	सामान्य	जू० चालक	बागी/सुनारगांव/कोटी/अठूर/टिहरी	पूर्ण
391	राजेन्द्र सिंह नेगी	रुद्रा सिंह	28.03.1972	सामान्य	जू० तकनीकी	बागी/दोबाटा/अठूर/टिहरी	पूर्ण
392	गणेश प्रसाद थपलियाल	देवेश्वर प्र० थपलियाल	01.01.1973	सामान्य	जू० तकनीकी	प्लास/सिराई/जुआ/टिहरी	पूर्ण
393	गोविन्द सिंह पंवार	वैताल सिंह पंवार	04.07.1974	सामान्य	जू० तकनीकी	मालीदेवल/जुआ/टिहरी	पूर्ण
394	चन्द्र प्रकाश थपलियाल	जगत प्र० थपलियाल	14.10.1973	सामान्य	जू० तकनीकी	कोटी/अठूर/टिहरी	पूर्ण
395	सुरेश प्रसाद जगमोला	स्व० चन्द्र मोहन	19.07.1975	सामान्य	जू० तकनीकी	रामपुर/रैका/प्रतापनगर/टिहरी	पूर्ण
396	सब्बल सिंह राणा	स्व० गुलाब सिंह राणा	07.07.1971	सामान्य	जू० तकनीकी	डोबरा/खोलाड़धू/टिहरी	पूर्ण
397	भुवन मोहन सकलानी	स्व० अरविन्द मोहन	10.03.1967	सामान्य	जू० तकनीकी	पडियारगांव/दोबाटा/टिहरी	पूर्ण
398	आदेश कुमार सकलानी	कमलेश्वर प्र० सकलानी	11.07.1974	सामान्य	जू० तकनीकी	पडियारगांव/अठूर/टिहरी	पूर्ण
399	अश्विनी कुमार कवि	संजनी कुमार कवि	23.05.1968	सामान्य	जू० तकनीकी	वार्ड नं०–3/अलंकारी मौहल्ला/टिहरी	पूर्ण
400	वीरेन्द्र सिंह पोखरियाल	सत्य सिंह पोखरियाल	04.01.1971	सामान्य	जू० तकनीकी	मालीदेवल/जुआ/टिहरी	पूर्ण
401	जगदीश प्रसाद जोशी	शिव प्रसाद जोशी	05.06.1967	सामान्य	जू० तकनीकी	रघुनाथ मौहल्ला/संगमरोड/टिहरी	पूर्ण
402	खुशाल सिंह कुमाई	भजन सिंह कुमाई	08.05.1973	सामान्य	जू० तकनीकी	मालीदेवल/जुआ/टिहरी	पूर्ण
403	मनीष रतूड़ी	भगवती प्रसाद रतूड़ी	12.12.1974	सामान्य	जू० तकनीकी	अलंकारी मौहल्ला/टिहरी	पूर्ण
404	वीरेन्द्र दत्त जोशी	स्व० जगदीश प्र० जोशी	20.03.1973	सामान्य	जू० तकनीकी	सत्येश्वर मौहल्ला/टिहरी	पूर्ण
405	मुनेन्द्र दत्त जोशी	स्व० देवेन्द्र दत्त जोशी	21.03.1967	सामान्य	जू० तकनीकी	वार्ड नं०–8/टिहरी	पूर्ण
406	सिद्धी राम पेटवाल	स्व० सत्येश्वर प्रसाद	15.08.1969	सामान्य	जू० तकनीकी	मालीदेवल/जुआ/टिहरी	पूर्ण
407	पूरन सिंह असवाल	जगदीश प्रसाद असवाल	31.07.1964	सामान्य	जू० तकनीकी	सुनारगांव/अठूर/टिहरी	पूर्ण
408	रमेश सिंह	नत्थी सिंह	05.06.1975	सामान्य	जू० सहा० टंकण	मालीदेवल/टिहरी	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8
409	पवन कुमार सकलानी	स्व0 प्रकाश सकलानी	01.06.1984	सामान्य	जूनियर सहायक	पडियारगांव/अदूर/टिहरी	पूर्ण
410	सुरेन्द्र दत्त बिल्जवाण	शिव दत्त बिल्जवाण	28.12.1962	सामान्य	सहायक अभियन्ता	क्वारी/मखलोगी/टिहरी	आंशिक
411	बिजन सिंह बिष्ट	वीर सिंह बिष्ट	14.03.1970	सामान्य	सहायक अभियन्ता	रौलाकोट/रैका/टिहरी	आंशिक
412	शान्ति प्रसाद नौटियाल	शंकर दत्त नौटियाल	29.08.1954	सामान्य	सहायक लेखाधिकारी	बासली/रैका/टिहरी	आंशिक
413	आर0पी0 थपलियाल	वैशाखू राम	15.11.1969	सामान्य	सहायक अभियन्ता	गवाली/बड़कोट/टिहरी	आंशिक
414	गोविन्द सिंह बिष्ट	गब्बर सिंह बिष्ट	01.07.1951	सामान्य	सहायक लेखाधिकारी	जगधार/खास/टिहरी	आंशिक
415	रमेश मोहन पैन्यूली	राम प्रसाद पैन्यूली	01.08.1966	सामान्य	सहायक अभियन्ता	कैलबागी/गढ़ोलिया/टिहरी	आंशिक
416	दिनेश सिंह रावत	सूरवीर सिंह रावत	21.06.1968	सामान्य	सहायक लिपिक	सांदणा/धारमण्डल/टिहरी	आंशिक
417	गोपाल सिंह पंवार	बुद्धि सिंह पंवार	10.08.1970	सामान्य	जूनियर सहायक	नन्दगांव/जुआ/टिहरी	आंशिक
418	उदय सिंह चौहान	सुन्दर सिंह	03.08.1971	सामान्य	अनुदेशक	तल्लाउप्पू/जुआ/टिहरी	आंशिक
419	विश्वेश्वर प्रसाद पैन्यूली	केशवानंद पैन्यूली	31.07.1968	सामान्य	लेखाधिकारी ग्रेड–2	कैलबागी/गढ़ोलिया/टिहरी	आंशिक
420	हुकम सिंह राणा	नरतन सिंह	12.04.1963	सामान्य	सहायक ग्रेड–2	डोबरा/जुआ/टिहरी	आंशिक
421	रूप सिंह	मैन सिंह	01.07.1951	सामान्य	चालक ग्रेड–2	जंवाड़ू/जुआ/पालीधार/टिहरी	आंशिक
422	बसन्त सिंह	मोहर सिंह	10.03.1965	सामान्य	चालक ग्रेड–2	सारदणा/धारमण्डल/टिहरी	आंशिक
423	पदम सिंह	नत्थू सिंह	08.02.1945	सामान्य	पैन्टर ग्रेड–2	सारदणा/मदननेगी/टिहरी	आंशिक
424	भगवान सिंह	रतन सिंह	01.07.1958	सामान्य	ऑपरेटर ग्रेड–2	सारदणा/धारमण्डल/टिहरी	आंशिक
425	मूर्तिलाल	मबरू	04.06.1958	अनु0 जाति	यांत्रिक ग्रेड–2	बन्द्राकोटी/गुसाईं/टिहरी	आंशिक
426	बिज मोहन	सलक राम	28.12.1953	सामान्य	कारपेंटर ग्रेड–2	पिपोला/टिहरी	आंशिक
427	सत्य सिंह	भीम सिंह	12.08.1960	सामान्य	हैल्पर ग्रेड–1	उप्पूगढ़/जुआ/टिहरी	आंशिक
428	चैत राम सेमवाल	बच्ची राम	23.06.1961	सामान्य	फीटर ग्रेड–3	नारगढ़/रजाखेत/टिहरी	आंशिक
429	राम चन्द्र भट्ट	परमा नंद	08.08.1967	सामान्य	कुक ग्रेड–3	पिपोला/टिहरी	आंशिक
430	प्रेम सिंह	धार सिंह	22.05.1954	अनु0 जाति	चौकीदार ग्रेड–1	बन्द्राकोटी/गुसाईं/ग्राम/टिहरी	आंशिक
431	रूप सिंह	जीत सिंह	15.12.1961	सामान्य	बेलदार ग्रेड–1	खाण्ड/रजाखेत/टिहरी	आंशिक

1	2	3	4	5	6	7	8
432	नत्थी सिंह पालवाल	शाहब सिंह	01.01.1963	सामान्य	अनुदेशक ग्रेड–1	ग्वाड़/रैका/ओखला/टिहरी	आंशिक
433	महावीर सिंह बिष्ट	पूम सिंह बिष्ट	12.01.1965	सामान्य	सहायक ग्रेड–3	रौलाकोट/रैका/टिहरी	आंशिक
434	अमर सिंह	राम सिंह	12.06.1943	सामान्य	चालक ग्रेड–2	विवाड़गांव/पालीदेवल/टिहरी	आंशिक
435	सत्यम दत्त	गोविन्द राम	05.12.1949	सामान्य	चालक ग्रेड–2	खाण्ड/टिहरी	आंशिक
436	बिदु लाल	अमर लाल	05.01.1962	अनु0 जाति	चालक ग्रेड–2	क्यारी/गुसाई/टिहरी	आंशिक
437	सोहन सिंह राणा	धाम सिंह	16.07.1957	सामान्य	चालक ग्रेड–2	स्यॉसू/गुसाई/टिहरी	आंशिक
438	राजेन्द्र प्र0 जुयाल	ऋषि राम	18.12.1959	सामान्य	चालक ग्रेड–2	सिल्लाउप्पू/सौड़/टिहरी	आंशिक
439	मकान सिंह	भवानी सिंह	02.10.1961	सामान्य	चालक ग्रेड–3	जिन्दासू/पालीभार/जुआ/टिहरी	आंशिक
440	चन्द्र मोहन	रामशेर सिंह	16.06.1950	सामान्य	ऑपरेटर ग्रेड–3	नन्दगांव/खास/बड़कोट/टिहरी	आंशिक
441	धाम सिंह	हीरा सिंह	20.07.1964	सामान्य	बेलदार ग्रेड–1	ढोबरा/जुआ/सिराई/टिहरी	आंशिक
442	विजेन्द्र सिंह बिष्ट	ठाकुर सिंह बिष्ट	02.08.1967	सामान्य	अवर अभियन्ता	रौलाकोट/रैका/टिहरी	आंशिक
443	जयेन्द्र सिंह रावत	बाल रोशन सिंह रावत	03.08.1964	सामान्य	प्रबन्धक	ओखला/टिहरी	आंशिक
444	भूपेन्द्र सिंह ज्यारा	चमन सिंह ज्यारा	10.10.1962	सामान्य	अवर अभियन्ता	नागणी/टिहरी	आंशिक
445	रवीन्द्र दत्त भट्ट	विशम्भर दत्त भट्ट	12.05.1967	सामान्य	लेखाधिकारी ग्रेड–1	सिल्लाउप्पू/जुआ/टिहरी	आंशिक
446	चन्दन सिंह	गोविन्द सिंह	29.09.1963	सामान्य	चालक ग्रेड–2	खाण्ड/धारमण्डल/टिहरी	आंशिक
447	भरत चन्द्र अमोला	राम चन्द्र अमोला	12.12.1963	सा0भू0सै0	सहायक अधिकारी	चिन्यालीसौड़/उत्तरकाशी	आंशिक
448	भजी राम नौटियाल	राम नौटियाल	30.07.1961	सामान्य	अनुदेशक ग्रेड–2	नन्दगांव/खास/बड़कोट/टिहरी	आंशिक
449	धना सिंह	भाड़ सिंह नेगी	04.01.1966	सामान्य	अनुदेशक ग्रेड–2	खाण्ड/बड़कोट/टिहरी	आंशिक
450	आशा राम नौटियाल	रूप राम	24.07.1967	सामान्य	अनुदेशक ग्रेड–2	नन्दगांव/खास/बड़कोट/टिहरी	आंशिक
451	राकेश प्रसाद	रामानंद	01.10.1969	सामान्य	अनुदेशक ग्रेड–2	सारज्यूला/धानसू/टिहरी	आंशिक
452	विनोद कुमार	भद्दू राम	05.03.1971	अनु0 जाति	अनुदेशक ग्रेड–2	मयाली/बड़कोट/टिहरी	आंशिक
453	देवी प्रसाद भट्ट	इन्द्र मणी भट्ट	01.06.1965	सामान्य	सहा0वि0वि0अधि0	भटकण्डा/पिपोला/टिहरी	आंशिक
454	अब्बल सिंह खरोला	भद्दू सिंह	02.11.1954	सा0भू0सै0	चालक ग्रेड–2	सादंणा/धारमण्डल/टिहरी	आंशिक

1	2	3	4	5	6	7	8
455	कमल सिंह सरवाल	पूरण सिंह	18.01.1959	सामान्य	आर्टिसन ग्रेड–2	जखलोगा/उदयकोट/टिहरी	आंशिक
456	राजेन्द्र प्र0 उनियाल	सत्य प्रसाद उनियाल	01.07.1961	सामान्य	आर्टिसन ग्रेड–2	जखजिन्दास/उदयकोट/टिहरी	आंशिक
457	मंगल सिंह पंवार	बैताल सिंह	15.01.1969	सामान्य	आर्टिसन ग्रेड–2	जखजिन्दास/उदयकोट/टिहरी	आंशिक
458	बिन्दु पंवार	हरी सिंह पंवार	11.02.1966	सामान्य	अनुदेशक ग्रेड–2	सिवाडगांव/जुआ/टिहरी	आंशिक
459	आनन्द मोहन नौटियाल	मुनेन्द्र दत्त	20.07.1962	सामान्य	आर्टिसन ग्रेड–2	सोदीसिंसाई/जुआ/टिहरी	आंशिक
460	कौशलानंद भट्ट	रूप राम	03.04.1951	सामान्य	चालक ग्रेड–3	सिल्लाउप्पू/जुआ/टिहरी	आंशिक
461	मदन सिंह रावत	पदार सिंह रावत	15.01.1969	सामान्य	सहायक ग्रेड–3	जखलगा/चिन्दासु/उदयकोट/टिहरी	आंशिक
462	विजय पाल सिंह नेगी	जनार्दन सिंह नेगी	02.07.1971	सामान्य	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	खाण्ड/पारमण्डल/बडकोट/टिहरी	आंशिक
463	खुशाल सिंह रावत	रतन सिंह	30.06.1967	सामान्य	कुक ग्रेड–4	पोण्टी डुगमन्धार/टिहरी	आंशिक
464	टकेन्द्र कुमार	राम प्रसाद कोठियाल	01.01.1969	सामान्य	अवर अभियन्ता ग्रेड–1	पैलाकोट/टिहरी	आंशिक
465	पुरूषोत्तम सिंह रावत	बचन सिंह रावत	29.06.1969	सामान्य	अवर अभियन्ता	कंगसाली/रैका/टिहरी	आंशिक
466	सुरेन्द्र सिंह पंवार	प्रेम सिंह पंवार	01.07.1965	सामान्य	टंकण सहायक ग्रेड–2	टिपरी/खास/टिहरी	आंशिक
467	राम सिंह पंवार	मनोहर सिंह	25.06.1966	सामान्य	टंकण सहायक ग्रेड–2	टिपरी/खास/टिहरी	आंशिक
468	रामायण सिंह पंवार	छोटा सिंह	20.08.1967	सामान्य	टंकण सहायक ग्रेड–2	टिपरी/खास/टिहरी	आंशिक
469	शेर सिंह गुसांई	चन्दन सिंह गुसांई	10.04.1969	सामान्य	टंकण सहायक ग्रेड–2	जखपाटी/उदयकोट/टिहरी	आंशिक
470	जोत सिंह पंवार	लखन सिंह	15.06.1963	सामान्य	अनुदेशक ग्रेड–2	उद्ड/खास/टिहरी	आंशिक
471	जोत सिंह रावत	भीम सिंह	01.04.1967	सामान्य	अनुदेशक ग्रेड–2	उद्ड/खास/टिहरी	आंशिक
472	होशियार सिंह	दलबीर सिंह रावत	01.04.1968	सामान्य	अनुदेशक ग्रेड–2	पद्ड/खास/टिहरी	आंशिक
473	विक्रम सिंह रावत	रणजीत सिंह रावत	01.10.1971	सामान्य	अनुदेशक ग्रेड–2	पद्ड/खास/टिहरी	आंशिक
474	कुलदीप सिंह रावत	बचन सिंह रावत	06.03.1973	सामान्य	अनुदेशक ग्रेड–2	पडिया/रैका/टिहरी	आंशिक
475	गब्बर सिंह पंवार	शिव सिंह पंवार	01.03.1965	सामान्य	टंकण सहायक ग्रेड–2	पद्ड/खास/टिहरी	आंशिक
476	दर्शन लाल उनियाल	वाचस्पति उनियाल	20.05.1968	सामान्य	टंकण सहायक ग्रेड–2	पख/उदयकोट/टिहरी	आंशिक
477	दलीप सिंह राणा	मान सिंह	10.07.1964	सामान्य	आर्टिसन ग्रेड–1	जखलगा/जगधैरा/टिहरी	आंशिक

1	2	3	4	5	6	7	8
478	गोविन्द	दिया	03.07.1970	अनु0 जाति	सहायक ग्रेड-4	मांगो/पालकिया/टिहरी	आंशिक
479	प्रीतम सिंह बिष्ट	कुन्दन सिंह	30.06.1968	सामान्य	चालक ग्रेड-2	धौड़उप्पू/जुआ/टिहरी	आंशिक
480	लाल सिंह चौहान	मधु सिंह	15.07.1962	सामान्य	हैल्पर ग्रेड-2	अनीउप्पू/जुआ/टिहरी	आंशिक
481	धर्म सिंह चौहान	इन्दर सिंह	18.12.1962	सामान्य	हैल्पर ग्रेड-2	अनीउप्पू/जुआ/टिहरी	आंशिक
482	बतर सिंह नेगी	गोपाल सिंह नेगी	19.06.1964	सामान्य	हैल्पर ग्रेड-2	तल्लाउप्पू/जुआ/टिहरी	आंशिक
483	सब्बल सिंह राणा	बी0 सिंह	04.02.1965	सामान्य	हैल्पर ग्रेड-2	तल्लाउप्पू/जुआ/टिहरी	आंशिक
484	गम्भीर सिंह बिष्ट	बीर सिंह बिष्ट	19.06.1968	सामान्य	अवर अभियन्ता ग्रेड-1	रौलाकोट/रैका/प्रतापनगर/टिहरी	आंशिक
485	शक्ति प्रसाद चमोली	मालता नंद चमोली	20.03.1971	सामान्य	अवर अभियन्ता ग्रेड-1	पिपोलाखास/टिहरी	आंशिक
486	दिगम्बर दत्त थपलियाल	पीताम्बर थपलियाल	25.06.1965	सामान्य	अवर अभियन्ता ग्रेड-1	डोभन/नौगांव/टिहरी	आंशिक
487	भगवती प्रसाद	रूप राम पैनयाल	03.08.1948	सामान्य	ऑपरेटर ग्रेड-2	मयाली/बडकोट/टिहरी	आंशिक
488	नारायण सिंह	गोपाल सिंह	15.09.1951	भू0पू0सै0	चालक ग्रेड-2	खाण्ड/बडकोट/धारमण्डल/टिहरी	आंशिक
489	जितेन्द्र सिंह बिष्ट	प्रताप सिंह बिष्ट	10.03.1965	सामान्य	वरिष्ठ अभियन्ता	चिन्यालीसौड़/उत्तरकाशी	आंशिक
490	महेश चन्द्र अमोला	राम चन्द अमोला	25.05.1964	सामान्य	वरिष्ठ अभियन्ता	चिन्यालीसौड़/उत्तरकाशी	आंशिक
491	फते सिंह खरोला	मूसा सिंह	04.03.1967	सामान्य	चालक ग्रेड-4	सांदणा/धारमण्डल/मदननेगी/टिहरी	आंशिक
492	बलबीर सिंह	छन्दा सिंह	15.03.1966	सामान्य	तकनीकी ग्रेड-4	जखलग्गा/उदयकोट/टिहरी	आंशिक
493	शरण सिंह	सोबन सिंह	05.07.1967	ओ0बी0सी0	चालक ग्रेड-4	पड़ागली/कोटी/कैमुन/टिहरी	आंशिक
494	प्रताप सिंह पंवार	महेन्द्र सिंह पंवार	01.05.1971	सामान्य	चालक ग्रेड-4	तिवाड़/जुआ/टिहरी	आंशिक
495	बलबीर सिंह बिष्ट	कुंवर सिंह	23.05.1971	सामान्य	चालक ग्रेड-4	तल्लाउप्पू/जुआ/टिहरी	आंशिक
496	त्रिलोक सिंह नेगी	सुन्दर सिंह नेगी	16.06.1971	सामान्य	अवर अभियन्ता ग्रेड-2	उडड़/खास/टिहरी	आंशिक
497	खुशी राम चमोली	प्रकाशन लाल चमोली	20.07.1972	सामान्य	अवर अभियन्ता ग्रेड-2	सांदणा/धारमण्डल/टिहरी	आंशिक
498	राजेन्द्र प्रसाद सिलवाल	ब्रिज मोहन सिलवाल	22.08.1966	सामान्य	अवर अभियन्ता ग्रेड-2	सिल्लाउप्पू/जुआ/टिहरी	आंशिक
499	मदुल देव भट्ट	मुरारी लाल	25.10.1969	सामान्य	एक्स0 तकनीकी ग्रेड-2	मटकण्डा/पिपोलाखास/टिहरी	आंशिक
500	सुरेन्द्र सिंह नेगी	चन्दन सिंह नेगी	05.04.1972	सामान्य	लैब सहायक ग्रेड-2	खाण्ड/धारमण्डल/टिहरी	आंशिक

1	2	3	4	5	6	7	8
501	सुरेन्द्र सिंह रावत	भरत सिंह रावत	06.01.1973	सामान्य	आशुलिपिक ग्रेड–2	कौसल/गुसाई/टिहरी	आंशिक
502	सुरेन्द्र सिंह नेगी	बचन सिंह नेगी	29.03.1961	सा0भू0सै0	चालक ग्रेड–4	डाडंली/क्यारी/मखलोगा/टिहरी	आंशिक
503	मान सिंह	प्रेम सिंह	12.03.1976	अनु0 जाति	जू0 चालक	बन्द्राकोटी/छाम/टिहरी	आंशिक
504	शैलेन्द्र सिंह पंवार	भरत सिंह	10.05.1974	सामान्य	सहायक अभियन्ता	कंगसाली/रैका/मदननेगी/टिहरी	आंशिक
505	लक्ष्मी प्रसाद गैरोला	टीका राम गैरोला	19.03.1970	सामान्य	जू0 तकनीकी	बीर/फैगुल/पिलखी/टिहरी	आंशिक
506	धनानंद सिंह	जगत सिंह	04.07.1972	अनु0 जाति	जू0 चालक	बन्द्राकोटी/गुसांई/छाम/टिहरी	आंशिक
507	मकान सिंह	सोबन सिंह	13.08.1973	ओ0बी0सी0	जू0 तकनीकी	पडांगली/घोण्टी/कोटी/टिहरी	आंशिक
508	राजेन्द्र सिंह	स्व0 हरी सिंह	07.03.1969	सामान्य	अवर अभियन्ता	छोलगांव/खास/टिहरी	आंशिक
509	तोता सिंह	नत्थी सिंह	02.01.1976	सामान्य	अवर अभियन्ता	चांदनी/रैका/टिहरी	आंशिक
510	सुनील रावत	सुरेन्द्र सिंह रावत	20.04.1970	सामान्य	अवर अभियन्ता	डोबरा/जुआ/टिहरी	आंशिक
511	इन्द्र सिंह रावत	स्व0 मधु सिंह	23.03.1967	सामान्य	जू0 चालक	खाण्ड/धारमण्डल/प्रतापनगर/टिहरी	आंशिक
512	रणजीत सिंह नेगी	धाम सिंह नेगी	01.09.1967	सामान्य	जू0 चालक	तल्लाउप्पू/जुआ/टिहरी	आंशिक
513	राजबीर सिंह	मदन सिंह	28.05.1972	सामान्य	जू0 चालक	तल्लाउप्पू/जुआ/टिहरी	आंशिक
514	सरेन्द्र प्रसाद थपलियाल	सत्यानंद	05.01.1963	सामान्य	जू0 चालक	मन्दगांव/खास/बड़कोट/टिहरी	आंशिक
515	कुन्दन सिंह नेगी	शिव सिंह नेगी	11.01.1970	सामान्य	जू0 चालक	तल्लाउप्पू/जुआ/टिहरी	आंशिक
516	राम सिंह राणा	धाम सिंह	29.07.1970	सामान्य	जू0 चालक	स्यौंसू/गुसाई/टिहरी	आंशिक
517	मनीष सेमवाल	मोहन लाल	18.06.1976	सामान्य	अवर अभियन्ता	मुलाणी/धारअकरिया/टिहरी	आंशिक
518	राकेश प्रसाद नौटियाल	वाचस्पति नौटियाल	25.05.1967	सामान्य	जू0 सुपरवाईजर	पिलखी/कोटी/फैगुल/टिहरी	आंशिक
519	रवीन्द्र सिंह तोपवाल	अतर सिंह तोपवाल	06.08.1966	सामान्य	जू0 सुपरवाईजर	उखड़/खास/टिहरी	आंशिक
520	वीर सिंह बिष्ट	गुजर सिंह	22.10.1971	सामान्य	जू0 चालक	छोलगांव/बड़कोट/टिहरी	आंशिक
521	दरम्यान सिंह बिष्ट	दयाल सिंह	05.03.1963	सामान्य	जू0 चालक	छोलगांव/बड़कोट/टिहरी	आंशिक
522	खुशी राम कंसल	बची राम कंसल	15.05.1970	सामान्य	जू0 तकनीकी	मरोड़ा/मालीदेवल/जुआ/टिहरी	आंशिक
523	गब्बर सिंह बिष्ट	सौकत सिंह बिष्ट	12.02.1969	सामान्य	जू0 तकनीकी	धरवालगांव/गुसाई/छाम/टिहरी	आंशिक

1	2	3	4	5	6	7	8
524	महावीर सिंह बिष्ट	जीत सिंह बिष्ट	16.06.1971	सामान्य	जू० तकनीकी	बांटी/रैका/टिहरी	आंशिक
525	श्रीमती गुड्डी देवी नेगी	पत्नी स्व० गब्बर सिंह	30.12.1965	सामान्य	अनुदेशक	उल्लाउप्पू/शौडउप्पू/टिहरी	आंशिक

प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ ऋषिकेश

526	पी० के० बडोनी	डा० जे०पी० बडोनी	01.05.1961	सामान्य	उप महाप्रबन्धक	सुमनचौक/टिहरी	पूर्ण
527	विकास बहुगुणा	डा० पी० बहुगुणा	05.01.1973	सामान्य	सहा० अभि० (सिविल)	सिराई/सिराई/टिहरी	पूर्ण
528	पी० एस० पंवार	भोला सिंह पंवार	03.07.1970	सामान्य	अवर अभियन्ता ग्रेड–1	कण्डल/भ्रातमण्डल/टिहरी	पूर्ण
529	मोहन लाल भट्ट	राम प्रसाद भट्ट	08.10.1976	सामान्य	चौकीदार ग्रेड–1	खाण्ड/रायवाला/दे०दून	पूर्ण
530	रघुबीर सिंह नेगी	चन्दन सिंह	15.04.1970	सामान्य	सुपरवाईजर ग्रेड–2	मनियावाला/देहरादून	पूर्ण
531	कुंवर सिंह सजवाण	स्व० लाल सिंह सजवाण	22.03.1959	सामान्य	सुपरवाईजर ग्रेड–2	गुमानवाल/श्यामपुर/ऋषिकेश/दे०दून	पूर्ण
532	संजय जैन	आर० के० जैन	04.06.1969	सामान्य	लेखाधिकारी ग्रेड–2	आदर्शग्राम/कोठारी/ऋषिकेश	पूर्ण
533	जमुना प्रसाद बिल्लवाण	एम०एन० बिल्लवाण	01.01.1967	सामान्य	अवर अभियन्ता	गोदी/उत्तरकाशी/उत्तरांचल	पूर्ण
534	हिमांशु चौहान	जी०एस० चौहान	29.06.1976	सामान्य	अवर अभियन्ता	कठिया/सारज्यूला/टिहरी	पूर्ण
535	ज्योति तोमर	कुलदीप ग्रोवर	30.11.1960	सामान्य	हैड. मिस्त्री	ग्रोवर मौहल्ला/हथिया/टिहरी	पूर्ण
536	भरत सिंह	स्व० बुलक सिंह	15.04.1955	सामान्य	चालक ग्रेड–1	सुनारगांव/अपूर/टिहरी	पूर्ण
537	के०एस० रावियाल	रतन सिंह	23.08.1951	सामान्य	चालक ग्रेड–1	कडोवाला/मानियावाला/देहरादून	पूर्ण
538	सुन्दर सिंह बिष्ट	चतर सिंह	19.06.1956	सामान्य	चालक ग्रेड–1	सुनारगांव/कोटी/मानियावाला/दे०दून	पूर्ण
539	बचन सिंह कुशाली	भीम सिंह	01.03.1954	सामान्य	चालक ग्रेड–2	मानियावाला/अठूरवाला/कोटी/दे०दून	पूर्ण
540	स्वरूप सिंह राणा	एतवार सिंह	15.06.1970	सामान्य	जू० चालक	कण्डल/भा०वाला/टिहरी	पूर्ण
541	देवेन्द्र दत्त भट्ट	जगत राम भट्ट	15.07.1961	सामान्य	चालक ग्रेड–3	हंसगांव/साबली/टिहरी	पूर्ण
542	मदन सिंह	गोविन्द सिंह	11.01.1962	सामान्य	चालक ग्रेड–4	कण्डल/कोटी/टिहरी	पूर्ण
543	राजेन्द्र सिंह नेगी	बचन सिंह नेगी	04.04.1965	सामान्य	चालक ग्रेड–4	बागी/बस्ती नं०–2/पथरी/हरिद्वार	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8
544	सोबन सिंह	सूरज सिंह	10.02.1961	सामान्य	कुक ग्रेड–4	कण्डल/मानियावाला/देहरादून	पूर्ण
545	राम सिंह सजवाण	चन्दर सिंह	14.07.1965	सामान्य	सहायक ग्रेड–2	जोगियाणा/कोटी/माo्वाला/दे०दून	पूर्ण
546	उत्तम सिंह	बचन सिंह	20.05.1962	अनु0 जाति	चौकीदार ग्रेड–1	जोगियाणा/कोटी/माo्वाला/दे०दून	पूर्ण
547	योगेन्द्र सिंह सजवाण	हुकम सिंह	07.04.1961	सामान्य	हैल्पर ग्रेड–1	जोगियाणा/कोटी/माo्वाला/दे०दून	पूर्ण
548	खुशी राम डंगवाल	श्रीराम डंगवाल	15.04.1962	सामान्य	चौकीदार ग्रेड–2	पथरी ब्लाक/आमवाला/हरिद्वार	पूर्ण
549	शक्ति प्रसाद भट्ट	नत्थीलाल भट्ट	20.03.1966	सामान्य	सहायक ग्रेड–2	कोटी/अधूरवाला/माo्वाला/दे०दून	पूर्ण
550	सुशील कुमार राजपाल	गंगाभूषण	22.06.1969	सामान्य	कम्पाउण्डर ग्रेड–2	हथियामौहल्ला/टिहरी	पूर्ण
551	द्वारिका प्रसाद उनियाल	जगदीश उनियाल	05.05.1972	सामान्य	कम्पाउण्डर ग्रेड–4	177/आदर्शग्राम/उनियाल भवन/ऋ0	पूर्ण
552	ध्रुव नंद सकलानी	आर0एन0 सकलानी	15.11.1973	सामान्य	लैब सहायक	भगवतपुर/दोबाटा/टिहरी	पूर्ण
553	अनिल कुमार	हरि राम अरोरा	14.03.1966	सामान्य	लेखाधिकारी ग्रेड–1	सुमनचौक/टिहरी	पूर्ण
554	ललित जोशी	पूर्णानंद जोशी	11.09.1964	सामान्य	लेखाधिकारी ग्रेड–1	बनाखेत/वार्ड नं0–6/टिहरी	पूर्ण
555	राजेन्द्र सिंह रावत	जगत सिंह रावत	06.09.1967	सामान्य	लेखाधिकारी ग्रेड–1	पुराना बाजार/टिहरी	पूर्ण
556	मधुभूषण पाण्डे	सत्य भूषण पाण्डे	15.06.1964	सामान्य	लेखाधिकारी ग्रेड–2	पूर्वीबाना मौहल्ला/टिहरी	पूर्ण
557	मोहन सिंह नेगी	सुन्दर सिंह	08.02.1968	सामान्य	लेखाधिकारी ग्रेड–2	खाण्ड/मानियावाला/देहरादून	पूर्ण
558	शिव कुमार	रामस्वरूप	21.06.1965	सामान्य	लेखाधिकारी ग्रेड–2	मेनबाजार/टिहरी गढ़वाल	पूर्ण
559	बीर पाल सिंह असवाल	बचन सिंह असवाल	16.06.1964	सामान्य	लेखाधिकारी ग्रेड–2	कोटी/मानियावाला/देहरादून	पूर्ण
560	डी0 एस0 सजवाण	जी0 एस0 सजवाण	23.10.1958	सामान्य	सहायक ग्रेड–2	श्यामपुर बाईपास/सत्यानारायण/दे०दून	पूर्ण
561	चन्द्र शेखर डबराल	पुरूषोत्तम दत्त	01.01.1959	सामान्य	चौकीदार ग्रेड–2	जोगियाणा/कोटी/माo्वाला/दे०दून	पूर्ण
562	ओम प्रकाश सेमवाल	एस0एन0 सेमवाल	20.03.1969	सामान्य	वरिष्ठ अभियन्ता	देवल/गडोलिया/टिहरी	पूर्ण
563	बलबीर सिंह	कल्या	02.05.1967	अनु0 जाति	सहायक ग्रेड–2	सिंराई/टिहरी	पूर्ण
564	बिनय कुमार रतूड़ी	ज्योति प्रसाद	26.01.1964	सामान्य	अवर अभियन्ता ग्रेड–1	थापर/टिहरी	पूर्ण
565	भगवान सिंह नेगी	जी0एस0 नेगी	12.01.1961	सामान्य	इलैक्ट्रिशियन ग्रेड–2	कपलोग/नालदा/टिहरी	पूर्ण
566	रमेश दत्त जोशी	स्व0 सी0एल0 जोशी	12.11.1968	सामान्य	जू0 तकनीकी	मालीदेवल/टिहरी/गंगानगर/ऋषिकेश	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8
567	आनन्द कुमार	रतन लाल	27.11.1970	सामान्य	अवर अभियन्ता ग्रेड–1	सुमनचौक/टिहरी	पूर्ण
568	प्रेम सिंह	हरि सिंह	03.03.1952	सामान्य	चालक ग्रेड–1	कोटी/मानियावाला/देहरादून	पूर्ण
569	माठबर सिंह	गोपाल सिंह	01.02.1959	सामान्य	चालक ग्रेड–4	कंधार/मानियावाला/देहरादून	पूर्ण
570	जय प्रकाश सेमवाल	सत्य प्रसाद सेमवाल	12.05.1967	सामान्य	फीटर ग्रेड–2	सौंकरी/थापला/टिहरी	पूर्ण
571	अनूप कुमार ध्यानी	शशिकान्त	21.06.1968	सामान्य	अवर अभियन्ता ग्रेड–2	वार्ड नं0–5/टिहरी	पूर्ण
572	बुद्धि सिंह	भिकारी सिंह नेगी	15.01.1966	सामान्य	अनुदेशक ग्रेड–2	दोबाटा/रैका/टिहरी	पूर्ण
573	आर0आर0 सेमवाल	राजा राम	20.06.1958	सामान्य	उपप्रबन्धक	नैशविला रोड/देहरादून	पूर्ण
574	एल0बी0 नौटियाल	वाचस्पति नौटियाल	17.12.1972	सामान्य	अभियन्ता	भादो कीमसारी/टिहरी	पूर्ण
575	नरेन्द्र सिंह	एस0एस0 राणा	05.04.1973	सामान्य	सहा0अभि0 (सिविल)	राणाभवन/भजनगढ़रोड/मुनिकीरेती	पूर्ण
576	रश्मि उनियाल	जे0पी0 उनियाल	08.01.1975	सामान्य	सुपरवाईजर ग्रेड–2	बालसी/जुआ/टिहरी	पूर्ण
577	बी0पी0एस0 कलूड़ा	बी0एस0 कलूड़ा	28.06.1969	सामान्य	आशुलिपिक	आदर्शग्राम/देहरादून रोड/ऋषिकेश	पूर्ण
578	जे0पी0 सकलानी	के0पी0 सकलानी	10.02.1963	सामान्य	सहा0विधि अधिकारी	सकलानी कालोनी/अजबपुरखुर्द/दे0दून	पूर्ण
579	बीर सिंह	शेर सिंह	02.09.1957	सामान्य	पम्प ऑपरेटर ग्रेड–3	बागी/मानियावाला/देहरादून	पूर्ण
580	दयाल सिंह	शैलेश सिंह	22.02.1952	अनु0 जाति	पम्प ऑपरेटर ग्रेड–2	जोगियाणा/कोटी/मा0वाला/दे0दून	पूर्ण
581	जे0एस0 गुसाईं	बी0एस0 चौहान	05.08.1953	सामान्य	उपप्रबन्धक	बुडोगी/चंबखाल/टिहरी	पूर्ण
582	भगत सिंह नेगी	पी0एस0 नेगी	06.06.1966	सामान्य	लेखाधिकारी ग्रेड–2	चौखाल/टिहरी	पूर्ण
583	राजेन्द्र प्रसाद सकलानी	जयानन्द सकलानी	24.11.1967	सामान्य	लेखाधिकारी ग्रेड–2	ओल्ड बस स्टॉप/टिहरी	पूर्ण
584	राजीव सिंह नेगी	पूरब सिंह नेगी	07.04.1969	सामान्य	सुपरवाईजर ग्रेड–2	62, बनाखेत/टिहरी	पूर्ण
585	जियालाल	कन्हैया	15.08.1962	अनु0 जाति	सुपरवाईजर ग्रेड–2	मालीदेवल/टिहरी	पूर्ण
586	एस0पी0 उनियाल	खेम राज उनियाल	17.01.1966	सामान्य	सुपरवाईजर ग्रेड–2	14बीघा/निकट शीर्ष मंदिर/ऋषिकेश	पूर्ण
587	ओम प्रकाश शर्मा	महिमानंद शर्मा	24.12.1945	सामान्य	चालक ग्रेड–2	पंजाक/पथरी/हरिद्वार	पूर्ण
588	वीरेन्द्र अमोला	कीर्ति दत्त अमोला	15.03.1964	सामान्य	पम्प ऑपरेटर ग्रेड–2	टी–स्टेट/बंजारावाला/दे0दून	पूर्ण
589	नत्थू सिंह	धूम सिंह	18.12.1965	सामान्य	चालक ग्रेड–4	जोगियाणा/कोटी/मा0वाला/दे0दून	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8
590	बी०पी०एस० राणा	सूरत सिंह राणा	04.12.1968	सामान्य	तकनीकी विद्युत	5ए–न्यूकैण्ट रोड, देहरादून	पूर्ण
591	पुरूषोत्तम राम	परमेश्वर राम	31.12.1945	सामान्य	चौकीदार ग्रेड–2	मानियावाला / कोटी / देहरादून	पूर्ण
592	बलबीर सिंह	महेन्द्र सिंह	02.03.1963	अनु० जाति	सुपरवाईजर ग्रेड–2	देवल / गडोलिया / टिहरी	आंशिक
593	बचन सिंह सजवाण	रणजोर सिंह	01.12.1946	सा०मु०सै०	चौकीदार ग्रेड–2	सांदणा / कोटी / टिहरी	पूर्ण
594	वी०एम० पैन्यूली	आर० पी० पैन्यूली	08.07.1961	सामान्य	लेखाधिकारी ग्रेड–2	कैलबागी / गडोलिया / टिहरी	पूर्ण
595	पवन कुमार सकलानी	ऋषिराम	05.06.1964	सामान्य	हैल्पर ग्रेड–3	जोगियाणा / कोटी / मानियावाला / दे०दून	पूर्ण
596	चिह्नमा डोभाल	पी० एन० डंगवाल	04.07.1982	सामान्य	सहायक अधिकारी	सारज्यूला / टिहरी	पूर्ण
597	सतम लाल	सत्य प्रसाद थपलियाल	07.01.1965	सामान्य	जु० चालक	कोटी / मानियावाला / देहरादून	पूर्ण
598	संजीव नौटियाल	एस० पी० नौटियाल	01.07.1976	सामान्य	जु० सुपरवाईजर	मोराला / कोटी / फैगुल / टिहरी	पूर्ण
599	भरत सिंह	रवि सिंह बिष्ट	19.05.1972	सामान्य	अनुदेशक ग्रेड–2	छोलगांव / धारा / प्रतापनगर / टिहरी	पूर्ण
600	राजेन्द्र प्रसाद डोभाल	घनश्याम	10.08.1956	सामान्य	हैल्पर ग्रेड–2	कोलणा / कोटी / मानियावाला / दे०दून	पूर्ण
601	मनोहरी लाल	शैलेश्वर प्रसाद	25.09.1961	सामान्य	पी० एन्ड ए०	कौला / डी–85 / मानियावाला / दे०दून	पूर्ण
602	रमेश प्रसाद कुरियाल	मोहन लाल	01.05.1963	सामान्य	सहा० अधि० विद्युत	प्रवीन फोटो स्टूडियो / टिहरी	पूर्ण
603	सुनील दत्त बसलियाल	जीवा नंद बसलियाल	30.10.1970	सामान्य	अवर अभियन्ता	पोनी / कन्धार / टिहरी	पूर्ण
604	शिव प्रसाद थपलियाल	गोविन्द राम थपलियाल	12.03.1967	सामान्य	सहायक टंकण ग्रेड–3	मनडोगी / जुआ / सिराई / टिहरी	पूर्ण
605	सुरेश चन्द्र उनियाल	सुरेन्द्र लाल उनियाल	30.06.1966	सामान्य	लैब सहायक	ढालवाला / मुनिकीरेती / टिहरी	पूर्ण
606	मुन्ना सिंह	गुलाब सिंह	24.06.1964	सामान्य	चालक ग्रेड–4	मानियावाला / देहरादून	पूर्ण
607	राजेन्द्र सिंह नेगी	शेर सिंह नेगी	18.06.1966	सामान्य	जु० सुपरवाईजर	सौमना / पंगारखाल / टिहरी	पूर्ण
608	सुरेन्द्र सिंह पटवाल	बालम सिंह पटवाल	27.12.1964	सामान्य	अवर अभियन्ता ग्रेड–1	ई–3 / 1 / टिहरी गढ़वाल	पूर्ण
609	संजय ममगाई	रामेश्वर प्रसाद ममगाईं	05.01.1975	सामान्य	सहा० अधि० (सिविल)	बौराड़ी / सारज्यूला / टिहरी	पूर्ण

प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ कोटेश्वर

610	अमित रावत	जीत सिंह रावत	21.01.1976	सामान्य	अवर अभियन्ता	कठियागाँव / बी० पुरम / टिहरी	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8
611	यू0 डी0 डंगवाल	आई0डी0 डंगवाल	15.11.1970	सामान्य	वरिष्ठ अभियन्ता	वार्ड नं0–2/डंगवाल भवन/टिहरी	पूर्ण
612	वीरेन्द्र सेमवाल	भोला दत्त सेमवाल	12.12.1966	सामान्य	सहायक अभियन्ता	सिराई/जुआ/टिहरी	पूर्ण
613	के0पी0 डोभाल	काशी राम डोभाल	01.10.1956	सामान्य	सहायक अधिकारी	गुरू/सिराई/टिहरी	पूर्ण
614	एन0एल0 पैन्यूली	टी0डी0 पैन्यूली	15.02.1962	सामान्य	सहायक अधिकारी	वार्ड नं0–1/पुराना दरबार/टिहरी	पूर्ण
615	आर0एस0 सजवाण	गब्बर सिंह सजवाण	01.08.1969	सामान्य	जू0 सुपरवाईजर	धनसाली रोड़/टिहरी	पूर्ण
616	विजय प्रकाश भट्ट	पी0डी0 भट्ट	01.07.1973	सामान्य	जू0 सुपरवाईजर	लक्षेड़ा मोहल्ला/पुरानी टिहरी	पूर्ण
617	हिमांशु असवाल	शशिधार सिंह असवाल	24.10.1975	ओ0बी0सी0	अवर अभियन्ता	मैन मार्केट/टिहरी	पूर्ण
618	गुरू प्रसाद चमोली	सत्य प्रसाद	12.06.1967	सामान्य	अवर अभियन्ता	पाटा/पाखरी खाल/टिहरी	पूर्ण
619	अतुल कुमार	कान्ति स्वरूप बहुगुणा	07.01.1971	सामान्य	सहायक	गोदी/सिराई/टिहरी	पूर्ण
620	श्रीमती गीता विज	पत्नी बल राज विज	16.07.1964	सामान्य	आशुलिपिक	रघुनाथ मोहल्ला/टिहरी	पूर्ण
621	सी0पी0 सकलानी	राम प्रकाश सकलानी	01.01.1968	सामान्य	चालक	पडियार गाँव/अठूर/टिहरी	पूर्ण
622	मनबीर सिंह चौहान	हीरा सिंह	01.07.1964	सामान्य	चालक	कठियागाँव/सारज्यूला/टिहरी	पूर्ण
623	हरिपूर्णानंद सकलानी	प्रभाकर दत्त	25.01.1968	सामान्य	आशुलिपिक	पडियार गाँव/अठूर/टिहरी	पूर्ण
624	एम0एल0 ब्यास	हसन सिंह ब्यास	07.12.1972	सामान्य	जू0 चालक	पुराना दरबार/टिहरी	पूर्ण
625	गब्बर सिंह राणा	रूप सिंह	20.06.1970	सामान्य	सहायक	तल्ला उप्पू/टिहरी	पूर्ण
626	सत्य प्रसाद बिज्लवाण	श्याम लाल	28.11.1953	सामान्य	सहायक	पैनदार्स/क्वाली/टिहरी	पूर्ण
627	भाग सिंह चौहान	अजीत	18.08.1944	सामान्य	अनुदेशक	सौडियालगाँव/टिहरी	पूर्ण
628	धन सिंह केन्तूरा	गेल सिंह	18.12.1966	सामान्य	टंकण सहायक	सौडियालगाँव/पोखरी/टिहरी	पूर्ण
629	जे0पी0 थिल्डियाल	कमलानंद	21.04.1966	सामान्य	सहायक	मालिदेवल/जुआ/टिहरी	पूर्ण
630	नत्थी सिंह नेगी	गोकुला सिंह	01.05.1975	सामान्य	चालक	बडकोट/खास/प्रतापनगर/टिहरी	पूर्ण
631	नीरज असवाल	मोर सिंह	17.01.1969	ओ0बी0सी0	तकनीकी	सुरानगाँव/अठूर/टिहरी	पूर्ण
632	आनन्द सिंह राणा	मंगल सिंह	17.01.1969	सामान्य	जू0 तकनीकी	बागी/सारज्यूला/टिहरी	पूर्ण
633	रमेश चन्द्र भट्ट	नत्थी लाल	10.09.1964	सामान्य	तकनीकी	खास/अठूर/टिहरी	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8
634	ओम प्रकाश भट्ट	मोहन लाल	04.05.1969	सामान्य	जू0 तकनीकी	नवाकोट/जाखणीधार/टिहरी	पूर्ण
635	जितेन्द्र सिंह नेगी	मोहन लाल	01.05.1968	सामान्य	जू0 तकनीकी	खाड/पैन्यूला/टिहरी	पूर्ण
636	बीरेन्द्र प्रसाद पैन्यूली	देवेन्द्र प्रसाद पैन्यूली	20.11.1968	सामान्य	जू0 तकनीकी	वार्ड नं0–2/टिहरी	पूर्ण
637	राकेश बिष्ट	तग्गा सिंह	05.02.1972	सामान्य	जू0 तकनीकी	अठीना/कोटी फैगुल/टिहरी	पूर्ण
638	युधिवीर सिंह पंवाई	गरतू सिंह	10.06.1973	सामान्य	जू0 तकनीकी	खाड/अठूर/टिहरी	पूर्ण
639	राकेश चन्द्र सकलानी	कविन्द्र दत्त सकलानी	18.07.1973	सामान्य	जू0 तकनीकी	पडियार गाँव/अठूर/टिहरी	पूर्ण
640	धीरेन्द्र साही	नारायण सिंह	10.07.1963	सामान्य	जू0 तकनीकी	वार्ड नं0–4/अलंकारी मोहल्ला/टिहरी	पूर्ण
641	राजेश रतूड़ी	महावीर प्रसाद	08.06.1975	सामान्य	जू0 तकनीकी	वार्ड नं0–8/अलंकारी मोहल्ला/टिहरी	पूर्ण
642	सतीश नारायण सकलानी	हरीश नारायण सकलानी	10.07.1974	सामान्य	जू0 तकनीकी	पडियार गाँव/अठूर/टिहरी	पूर्ण
643	सब्बल सिंह सजवाण	बुनदर सिंह	18.07.1971	सामान्य	जू0 तकनीकी	पुराना बस अड्डा/टिहरी	पूर्ण
644	श्रीप्रसाद पन्त	किशोरी लाल	09.02.1966	सामान्य	जू0 तकनीकी	बागी/टिहरी	पूर्ण
645	गब्बर सिंह रावत	मदनसिंह	10.12.1971	सामान्य	जू0 चालक	धौन्टी/धारमण्डल/टिहरी	पूर्ण
646	नारायण दत्त	अमर दत्त बिल्लवाण	12.06.1976	सामान्य	अनुदेशक	पैन्दार्स/खोली/टिहरी	पूर्ण
647	जगदम्बा दास	ज्ञान दास	01.03.1963	अनु0जाति	चालक	कुलणा/सारज्यूला/टिहरी	पूर्ण
648	जुगल प्रसाद	अमित प्रसाद	11.03.1962	सामान्य	चालक	पडियार गाँव/टिहरी	पूर्ण
649	विजय उनियाल	सुन्दर लाल	21.04.1974	सामान्य	जू0 तकनीकी	पडियार गाँव/अठूर/टिहरी	पूर्ण
650	संजय शंकर भट्ट	शम्भू प्रसाद	05.04.1971	सामान्य	जू0 तकनीकी	पडियार गाँव/अठूर/टिहरी	पूर्ण
651	अखिलेश प्रसाद	देवेश लाल	12.01.1971	सामान्य	जू0 तकनीकी	पडियार गाँव/अठूर/टिहरी	पूर्ण
652	बी0डी0 बहुगुणा	पी0 डी0 बहुगुणा	08.12.1965	सामान्य	टंकण सहायक	खेनिया/सारज्यूला/टिहरी	पूर्ण
653	श्रीमती सुन्दरी देवी	पत्नी पूर्णा नंद पाण्डे	22.07.1985	सामान्य	ए0एन0एम0	मेन बाजार/ग्यानसू/टिहरी	पूर्ण
654	प्रसन्न लाल	जगन्नाथ सिंह	10.04.1952	ओ0बी0सी0	चौकीदार	सुनारगाँव/टिहरी	पूर्ण
655	हुकम सिंह	चेती सिंह	20.04.1953	सामान्य	चालक	सुनार गाँव/कोटी/मा0वाला/टिहरी	पूर्ण
656	विजेन्द्रलाल	मदनीय सिंह	04.01.1973	अनु0जाति	जू0 चालक	लमगाडी/पिपोलाखास/टिहरी	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8
657	रमेश चन्द्र	रामगोपाल	18.03.1967	अनु0जाति	जू0 चालक	हथीबन मौहल्ला/टिहरी	पूर्ण
658	रतिराम जोशी	संतराम जोशी	07.11.1960	सामान्य	आर0आर0 ऑपरेटर	बिल्वाशीप/मदननेगी/टिहरी	पूर्ण
659	प्रदीप कुमार डोभाल	एम0पी0 डोभाल	21.08.1979	सामान्य	आशुलिपिक	कुलणा/सारज्यूला/टिहरी	पूर्ण
660	राजेन्द्र प्रसाद	बुद्धिराम	26.09.1968	सामान्य	आशुलिपिक	मुलाणी/नवकोली/टिहरी	पूर्ण
661	श्रीमती स्मृति मिश्रा	के0आर0 मिश्रा	21.11.1973	सामान्य	आशुलिपिक	रघुनाथ मोहल्ला/पुरानी टिहरी	पूर्ण
662	राजेन्द्र सिंह चौहान	सोबत सिंह चौहान	15.05.1971	सामान्य	आशुलिपिक	बडोगी/सारज्यूला/टिहरी	पूर्ण
663	के0पी0डी0 भट्ट	नत्थी लाल भट्ट	04.03.1972	सामान्य	जू0 टंकण सहायक	नन्दगांव/खास/टिहरी	आंशिक
664	कीर्ति सिंह नेगी	इन्द्र सिंह नेगी	03.03.1958	सामान्य	चालक	खण्ड/राजकोट/धारमण्डल/टिहरी	आंशिक
665	जे0पी0 बमोली	रामेश्वर प्रसाद	06.03.1969	सामान्य	अवर अभियन्ता	डोबरा/क्यारी/सारज्यूला/टिहरी	आंशिक
666	राकेश प्रसाद उनियाल	परमेश्वर प्रसाद	24.10.1975	सामान्य	जू0 सुपरवाईजर	घोण्टी/टिहरी	आंशिक
667	राजेन्द्र सिंह बिष्ट	स्व0 हरी सिंह बिष्ट	07.03.1969	सामान्य	अवर अभियन्ता	छोलगांव/खास/टिहरी	आंशिक
668	एम0एस0 रावत	मानु सिंह रावत	20.06.1967	सामान्य	टंकण सहायक	घोण्टी/द्रुगमन्दार/प्रतापनगर/टिहरी	आंशिक
669	जितेन्द्र सिंह नेगी	केशर सिंह	08.02.1962	सामान्य	हैल्पर	बागी गांव/टिहरी	आंशिक
670	एस0एस0 रैगर	सुरेन्द्र सिंह रैगर	30.06.1965	सामान्य	टंकण सहायक	सिमलासू/गोमुख/टिहरी	आंशिक
671	के0पी0 अपलियाल	रामप्रसाद	26.02.1966	सामान्य	टंकण सहायक	मयाली/बडकोट/टिहरी	आंशिक
672	गोविन्दराम	घनानन्द	04.02.1966	सामान्य	अनुदेशक	हैलगैट/गोमुखा/खास/टिहरी	आंशिक
673	मूर्तिलाल जगनोत्री	सोना	12.04.1965	अनु0जाति	जू0 तकनीकी	पिलखी/पोखाल/टिहरी	आंशिक
674	कृष्णानन्द बिजल्वाण	रामेश्वरी लाल	06.04.1971	सामान्य	जू0 तकनीकी	गैरोगीसैरा/धरकिया/टिहरी	आंशिक
675	बुद्धिलाल	नैन दास	05.12.1971	अनु0जाति	चालक	मौलधार/सारज्यूला/टिहरी	आंशिक
676	अमर सिंह रावत	चन्द्र सिंह	18.10.1964	सामान्य	हैल्पर	घोण्टी/टिहरी	आंशिक
677	लक्ष्मी प्रसाद उनियाल	दयानन्द उनियाल	28.08.1969	सामान्य	अनुदेशक	जखलग्गा/उदयकोट/टिहरी	आंशिक
678	ज्ञान सिंह रंगर	बचन सिंह	14.01.1968	सामान्य	सहायक	सिमलासू/गोमुख/टिहरी	आंशिक
679	मंगल सिंह पंवार	रतन सिंह	05.01.1965	सामान्य	चालक	तिवाडगांव/मालीदेवल/टिहरी	आंशिक

1	2	3	4	5	6	7	8
680	मदन सिंह नेगी	प्रेम सिंह	04.03.1963	सामान्य	जू0 तकनीकी	क्यारी/मखलोगी/टिहरी	आंशिक
681	धर्मानंद नौटियाल	इन्द्र मोहन	05.06.1971	सामान्य	जू0 तकनीकी	गुल्याणा/सुनारगांव/टिहरी	आंशिक
682	परमवीर सिंह चौहान	बचन सिंह चौहान	10.10.1965	सामान्य	डी0ई0ओ0	बुडोगी/सारज्यूला/पंगारखाल/टिहरी	आंशिक
683	प्रीतम सिंह	कुन्दन सिंह	07.05.1964	सामान्य	अनुदेशक	खाण्ड/धारमण्डल/बडकोट/टिहरी	आंशिक
684	संजय कुमार चमोली	जी0डी0 चमोली	30.12.1969	सामान्य	जू0 तकनीकी	प्लाम/मखलोगी/टिहरी	आंशिक

प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ नोएडा

685	सुनीता शर्मा	पत्नी रोशन लाल	17.08.1964	सामान्य	जू0 सुपरवाईजर	पंजाऊ/अठूर/टिहरी	पूर्ण
686	वीरेन्द्र सिंह चौहान	अबल सिंह चौहान	10.05.1964	सामान्य	सहायक	बुडोगी/सारज्यूला/टिहरी	पूर्ण
687	दिलबर सिंह पंवार	कृपाल सिंह पंवार	10.04.1970	सामान्य	वरिष्ठ आशुलिपिक	मालीदेवल/पुवा/टिहरी	पूर्ण
688	हुकम सिंह नेगी	हरी सिंह नेगी	10.10.1962	सामान्य	चालक	दोबाटा/रैका/टिहरी	पूर्ण
689	आर0एस0 पाण्डे	किशोरी लाल पाण्डे	08.09.1962	सामान्य	लेखाधिकारी	रघुनाथ मौहल्ला/वार्ड नं0-3/टिहरी	पूर्ण
690	रजनी	हुकम सिंह चौहान	14.07.1974	सामान्य	आशुलिपिक	बुडोगी/हाथीथान मोहल्ला/टिहरी	आंशिक
691	मधु कठायत	हुकम सिंह कठायत	29.09.1978	सामान्य	आशुलिपिक	खाण्ड/सारज्यूला/टिहरी	आंशिक
692	इन्द्रमणी	पुरूषोत्तम दास	20.07.1983	सामान्य	चालक	नफर/नगर/टिहरी	आंशिक

कोटेश्वर हाइड्रो योजना के डूब क्षेत्र से रिक्वायर्ड कर्मचारियों की कैटेगिरी वाइज लिस्ट

क्र.सं.	श्रेणी–III	श्रेणी–IV	योग	गाँव (डूब क्षेत्र का प्रमाण–पत्र देने के अनुसार)
1.	01	19	20	पिन्डर
2.	01	05	06	मुलानी
3.	02	01	03	सौन्ट्याल गाँव
4.	01	–	01	पालम
5.	03	01	04	डोबरा (सारज्युला)
6.	01	–	01	मासन
7.	01	–	01	गैतोगी सेरा
8.	–	01	01	हालजेन्ट
9.	03	–	03	फलंलगा (नवांकोट)
10.	–	02	02	चोपड़ा
11.	01	01	02	सिमलासू (विचित्रपुर)
12.	–	01	01	खांड (धारकरथा)
13.	01	–	01	दनदेली
योग	15	31	46	

नत्थी ''ख''

(देखिए अ0 प्र0सं0–46 का उत्तर पृष्ठ–47)

संलग्नक

टिहरी बांध के जलाशय रिम पर भू–स्खलन क्षेत्र की भू–गर्भीय तकनीकी अनुसंधान के संबंध में (आपदा न्यूनीकरण प्रबन्धक केन्द्र प्रशासनिक एकेडमी, सचिवालय कैम्पस, देहरादून की अध्ययन रिपोर्ट)।

विमर्श तथा निष्कर्ष–

अनुसंधानों से ज्ञात हुआ है कि टिहरी बांध के जलाशय के निर्माण से भू–स्खलन के बढ़ने की कोई सम्भावनायें नहीं है। अपितु जैसा कि अन्य पूर्व अध्ययनों में विचार विमर्श किया गया है कि जलाशय की उपस्थिति से अधिकतम क्षरण आयेगा। जलाशय के निर्माण से नीचे की तली में सिल्ट जमा होने तथा कम्पैक्शन के कारण क्षरण को रोकने में मदद मिलेगी।

वर्तमान समय के अधिक क्षरण के कारण भू–स्खलन, फ्लैश कट एवं बाढ़ आने की बहुत कम सम्भावना है, जैसा कि पूर्व में किये गये अध्ययनों पर विचार विमर्श किया गया। जलाशय के अस्तित्व में आ जाने पर उपरोक्त का उससे कोई संबंध नहीं रहेगा, तथापि जनहित में आवश्यक निरोधक उपायों को हाथ में लेना आवश्यक है।

वर्तमान अध्ययन से टिहरी बांध जलाशय के रिम के सम्भावित भू–क्षरण क्षेत्र को चिन्हित किया गया है। इस संबंध में विकास कार्यों के नियोजन, जिसके कारण संवेदनशील क्षेत्र में अत्यधिक भू–क्षरण की सम्भावना हो, पर सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसके साथ–2 बांध जलाशय के रिम के पास कट–ऑफ को रोकने के लिए वानस्पतिक तथा तकनीकी उपायों को अंगीकृत किया जाना आवश्यक है। इस क्षेत्र में मार्ग एवं अन्य निर्माण कार्य की स्लोप स्टेबिलिटी भूमि स्खलन का कारण हो सकती है। अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र एवं विशेषकर पुराने स्लाईड क्षेत्र में भूमि संरक्षण हेतु खुदान कार्यों को करते समय विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। यदि सम्भव हो तो मार्गों का समरेखन इन क्षेत्र से हटकर किया जाये। इसके साथ–2 खुदान में निकली सामग्री को किसी कृषि क्षेत्र, नहर, वानस्पतिक क्षेत्र एवं जलस्रोत के नजदीक न डाला जाये, अपितु अधिक वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित किया जाये, ताकि नये स्लाईड जोन न बन पायें।

यह देखा गया कि निर्माण कार्य, विशेषकर चम्बा क्षेत्र में तीव्र गति से चल रहे हैं एवं खुदान सामग्री सड़क के किनारे डाल दी जा रही है। इस कारण नये भूमि क्षरण क्षेत्र के समीप एवं जलसंसाधन तथा भूमि प्रदूषित होगी। अवैज्ञानिक तरीके से किये जा रहे निस्तारण की प्रवृति को प्रतिबंधित किये जाने की आवश्यकता है। कार्य स्थलों विशेषकर, नदियों पर पुलों के एबैटमैन्ट एवं जलधारा की उपयोगिता के संबंध में विस्तृत विशिष्टतायें भूगर्भ एवं तकनीकी अनुरक्षण हेतु चयन स्थल पर आवश्यक है। इस दौरान पुलों के सम्पर्क मार्गों के निर्माण के समय अस्थाई ढ़ाल एवं विलपस को अनदेखा न किये जाने की आवश्यकता है।

प्रायः यह देखा गया है कि विभिन्न स्थानों पर बरसाती नाले बंद हो जाते हैं, जिस कारण आपदन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिये छोटे नालों में अधिक ड्रैनेज आने की प्रवृति को रोका जाये। नालों के बंद हो जाने से नीचे स्थानों पर स्थित मकानों में बाढ़ की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है। विशेषकर मानसून सत्र में जनसमुदाय को इस बात से अवगत कराया जाये कि वे उक्त क्षेत्र को बाढ़ के समय खाली कर दें। इसके साथ–2 ऐसे क्षेत्रों में नये निर्माण कार्य की प्रवृति को हत्तोसाहित किया जाये।

अंत में यह संज्ञान में लाना उचित होगा कि यह सर्वेक्षण कम से कम समय (दो माह) में किया गया है, जैसा कि कार्यदायी संस्था द्वारा अनुरोध किया गया था। इसलिये उक्त तथ्यों को पूर्ण अभिलेख के रूप में न माना जाये।

वर्तमान अध्ययन में निम्न बिन्दुओं पर विचार नहीं किया गया :–

1. प्रत्येक स्लाईड्स का विस्तृत विवरण,
2. पहाड़ (रॉक) की संरचना,
3. नाले के सील्ट भराव एवं निकासी की विशेषताएं,
4. सतही क्षरण दर।

उपरोक्त को सम्मिलित करने हेतु एक विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है, इसके अतिरिक्त प्रबल संस्तुति की जाती है कि टिहरी बांध हेतु एक आपदा एवं प्रबन्धन योजना तैयार की जाये, ताकि भविष्य में आने वाली आपात स्थिति में आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटा जा सके।

नियोजन एवं कार्य को लागू करने के उद्देश्य से कुछ नक्शे 1:50,00 स्केल पर प्रस्तुत किये जा रहे हैं, संलग्न–2 एवं संलग्न–3 में चिन्हित भू–क्षरण क्षेत्र को इंगित किया गया है। आशा है इससे उद्देश्य प्राप्त हो सकेगा।

संलग्नक–2

पर्यवेक्षण किये गये क्षेत्र में आने वाले सक्रिय स्लाईडों का विवरण

1	2	28243.5	1018.7	पू० मथोली प० डिकोली	डामटा एफ०एम०	खुले वन
2	3	14872.2	807.2	पू० डिकोली	डामटा एफ०एम०	खुले वन
3	4	1225.3	1443.3	पू० मथोली	डामटा एफ०एम०	खुले वन
4	5	6476.0	477.3	प० डिकोली	डामटा एफ०एम०	खुले वन
5	6	1958.2	180.7	पू० मथोली प० डिकोली	डामटा एफ०एम०	खुले वन
6	7	2414.5	290.5	द०पू० डिकोली	डामटा एफ०एम०	खुले वन
7	8	788.7	124.2	द०पू० डिकोली	डामटा एफ०एम०	खुले वन
8	9	6797.8	505.9	प०द०प० डिकोली	डामटा एफ०एम०	खुले वन
9	10	177.3	50.2	प०द०प० मथोली	डामटा एफ०एम०	कृषि
10	11	1059.7	162.6	द०प० मथोली	डामटा एफ०एम०	कृषि
11	12	4088.2	335.8	द०प० डिकोली	डामटा एफ०एम०	खुले क्षेत्र
12	13	3395.8	302.7	उ० नेरी	डामटा एफ०एम०	खुले क्षेत्र
13	14	7730.4	473.1	उ० बरेथी	डामटा एफ०एम०	खुले क्षेत्र
14	15	3648.7	385.1	द०पू० डिकोली	डामटा एफ०एम०	खुले क्षेत्र
15	16	1096.8	130.5	उ० नेरी	डामटा, एफ०एम०	खुले क्षेत्र
16	17	582.4	113.6	द०द०पू० डिकोली	डामटा एफ०एम०	खुले क्षेत्र
17	18	25241.1	654.2	द०द०पू० डिकोली	डामटा एफ०एम०	खुले क्षेत्र
18	19	3553.7	271.6	उ०उ०प० कण्डल	डामटा एफ०एम०	कृषि
19	20	1462.5	186.9	प०उ०प० कण्डल	डामटा एफ०एम०	कृषि
20	21	220.9	55.3	उ०प० बड़ेथी	डामटा एफ०एम०	कृषि
21	22	8175.0	355.1	पू० मेहरा	डामटा एफ०एम०	कृषि
22	23	4850.7	325.5	पू० मेहरा	डामटा एफ०एम०	कृषि
23	24	87639.7	2144.2	उ०उ०प० गैसाड़ी	डामटा एफ०एम०	खुले क्षेत्र
24	25	735.9	106.1	प० क्याड़ा	गढ़वाल ग्रुप	खुले क्षेत्र
25	26	1498.4	147.1	द० बादसी	गढ़वाल ग्रुप	खुले क्षेत्र
26	27	19506.8	1522.5	द०प० बड़कोट	गढ़वाल ग्रुप	खुले क्षेत्र
27	28	489.9	82.7	उ०पू० कांसी	गढ़वाल ग्रुप	खुले क्षेत्र
28	29	9559.1	417.6	उ०पू० हटियाड़ी	डामटा एफ०एम०	घने वन
29	32	2790.3	257.7	उ०पू० हटियाड़ी	गढ़वाल ग्रुप	खुले वन
30	33	319.9	73.1	उ०पू० हटियाड़ी	गढ़वाल ग्रुप	खुले क्षेत्र
31	36	1319.5	163.0	उ०पू० माली	गढ़वाल ग्रुप	खुले क्षेत्र
32	37	10510.6	779.9	उ०प० क्वारी	गढ़वाल ग्रुप	कृषि
33	38	49049.9	1089.1	पू०उ०पू० गोजमेर	डामटा एफ०एम०	कृषि
34	40	2015.0	241.2	प०उ०प० क्वारी	गढ़वाल ग्रुप	कृषि

35	42	2885.5	359.0	द०द०प० बागडी	गढ़वाल ग्रुप	स्पेस वन
36	43	2801.5	222.8	प० क्वारी	गढ़वाल ग्रुप	कृषि
37	45	4819.8	332.5	द० बागडी	गढ़वाल ग्रुप	स्पेस वन
38	46	4565.1	371.6	उ०पू० माली	गढ़वाल ग्रुप	खुले क्षेत्र
39	47	1066.8	141.1	पू०द०पू० गोजमेर	डामटा एफ०एम०	कृषि
40	48	1620.7	171.1	उ०पू० माली	गढ़वाल ग्रुप	खुले क्षेत्र
41	49	11256.1	713.9	द०पू० गोजमेर	डामटा एफ०एम०	कृषि
42	50	6292.7	567.0	उ०पू० माली	गढ़वाल ग्रुप	स्पेस वन
43	51	22780.7	781.1	उ०पू० गोजमेर	डामटा एफ०एम०	कृषि
44	52	786.1	162.3	द० बागडी	गढ़वाल ग्रुप	स्पेस वन
45	53	4043.7	385.4	द०प० पजौंड	गढ़वाल ग्रुप	कृषि
46	54	884.5	120.4	प०द०प० मल्हगॉव	गढ़वाल ग्रुप	कृषि
47	56	2517.0	211.9	पू० माली	डामटा एफ०एम०	खुले क्षेत्र
48	57	785.9	135.9	पू० सरोट	डामटा एफ०एम०	कृषि
49	58	5001.3	431.2	पू० माली	गढ़वाल ग्रुप	खुले क्षेत्र
50	59	2783.1	292.1	पू० माली	गढ़वाल ग्रुप	खुले क्षेत्र
51	60	3628.8	263.5	पू० माली	गढ़वाल ग्रुप	खुले क्षेत्र
52	61	189.0	59.6	पू०उ०पू० तल्ला डिकोली	गढ़वाल ग्रुप	कृषि
53	62	512.7	90.7	उ०प० स्यारी	गढ़वाल ग्रुप	कृषि
54	63	1259.6	152.2	प०उ०प० मझोल गॉव	गढ़वाल ग्रुप	कृषि
55	64	3323.3	169.2	पू० खांड गॉव तल्ला	गढ़वाल ग्रुप	खुले क्षेत्र
56	65	1162.8	163.3	उ०उ०प० खांड	डामटा एफ०एम०	कृषि
57	66	1743.2	202.0	उ०उ०प० खांड	डामटा एफ०एम०	कृषि
58	67	77241.1	1347.0	उ०पू० खांड	डामटा एफ०एम०	खुले क्षेत्र
59	68	951.6	137.6	उ०पू० खांड	डामटा एफ०एम०	कृषि
60	69	1018.8	139.2	उ०पू० खांड	डामटा एफ०एम०	कृषि
61	70	1104.8	154.2	उ०पू० खांड	डामटा एफ०एम०	कृषि
62	71	6337.5	192.0	द०पू० सार्प	गढ़वाल ग्रुप	स्पेस वन
63	72	941.8	121.2	उ०पू० खांड	डामटा एफ०एम०	कृषि
64	73	10547.7	590.4	द०पू० सार्प	गढ़वाल ग्रुप	स्पेस वन
65	74	888.6	140.1	द०पू० सार्प	गढ़वाल ग्रुप	स्पेस वन
66	75	635.6	110.5	द० बन्दरकोटी	चाँदपुर एफ०एम०	खुले क्षेत्र
67	76	110415.2	2838.3	उ०उ०प० जोगत	गढ़वाल ग्रुप	स्पेस वन
68	77	4807.9	273.3	उ०उ०प० जोगत	गढ़वाल ग्रुप	स्पेस वन
69	78	52793.0	1688.6	उ०प० जोगत	गढ़वाल ग्रुप	स्पेस क्षेत्र
70	79	683.4	104.1	उ०पू० सिंचाई	चाँदपुर एफ०एम०	कृषि
71	80	7778.2	345.2	द०प० जागरगॉव	गढ़वाल ग्रुप	कृषि

72	81	1148.2	129.0	प०द०प०बिढकोट	चाँदपुर एफ०एम०	स्पेस वन
73	82	2094.4	185.7	प०द०बिढकोट	चाँदपुर एफ०एम०	स्पेस वन
74	83	5307.9	295.4	प०द०बिढकोट	चाँदपुर एफ०एम०	स्पेस वन
75	84	8282.1	402.0	प०द०बिढकोट	चाँदपुर एफ०एम०	स्पेस वन
76	85	1601.9	157.1	द०प० नौगाँव	चाँदपुर एफ०एम०	कृषि
77	86	4894.0	314.0	द०प० नौगाँव	चाँदपुर एफ०एम०	कृषि
78	87	251.1	63.2	द०द०पू० नौगाँव	चाँदपुर एफ०एम०	स्पेस वन
79	88	2880.2	238.6	द०पू० कन्थीख	चाँदपुर एफ०एम०	कृषि
80	89	8462.9	486.1	उ०पू० बन्दरकोटी	बामटा एफ०एम०	खुले क्षेत्र
81	90	4790.7	283.3	द०प० सन्यारी	गढ़वाल ग्रुप	स्पेस वन
82	91	1286.0	149.4	द०पू० मझकोट	चाँदपुर एफ०एम०	कृषि
83	92	50544.3	1416.4	द० बन्दरकोटी	चाँदपुर एफ०एम०	कृषि
84	93	2619.9	206.4	उ०उ०पू० सुजार गाँव	गढ़वाल ग्रुप	कृषि
85	94	1298.1	136.5	उ०पू० सुजार गाँव	गढ़वाल ग्रुप	कृषि
86	95	11483.1	494.5	उ०उ०पू० मल्हगाँव	चाँदपुर एफ०एम०	कृषि
87	96	6592.5	487.6	उ० मल्हगाँव	चाँदपुर एफ०एम०	कृषि
88	97	359.4	84.6	द०पू० शंकर	चाँदपुर एफ०एम०	कृषि
89	98	991.4	136.6	उ० मल्हगाँव	चाँदपुर एफ०एम०	कृषि
90	99	652.8	129.6	उ०प० गैलगाड	गढ़वाल ग्रुप	स्पेस वन
91	100	1155.3	168.3	उ० मल्हगाँव	चाँदपुर एफ०एम०	कृषि
92	101	436.3	78.2	द०पू० सुजारगाँव	गढ़वाल ग्रुप	कृषि
93	105	315.0	80.7	द०पू० सुजार गाँव	गढ़वाल ग्रुप	कृषि
94	106	2073.8	174.9	प०उ०प० स्यालनी	गढ़वाल ग्रुप	कृषि
95	107	4458.5	288.8	प० स्यालगी	गढ़वाल ग्रुप	कृषि
96	108	437.3	84.3	द०पू० बलट	अपर देवबन एफ०एम०	कृषि
97	109	384.4	118.7	पू०द०पू० क्वारी	गढ़वाल ग्रुप	स्पेस वन
98	110	15118.8	807.9	द० क्वारी	गढ़वाल ग्रुप	स्पेस वन
99	111	3812.5	240.6	प०द०प० स्यालगी	गढ़वाल ग्रुप	कृषि
100	112	18893.9	515.3	द०द०पू० स्यालगी	गढ़वाल ग्रुप	खुले वन
101	113	2113.4	222.4	द०प० स्यालगी	गढ़वाल ग्रुप	कृषि
102	114	12045.4	399.8	द० स्यौंसू	चाँदपुर एफ०एम०	कृषि
103	115	57636.9	2277.1	प०द०प० स्यौंसू	गढ़वाल ग्रुप	कृषि
104	116	199336.4	4230.3	उ०पू० चोपडा	चाँदपुर एफ०एम०	कृषि
105	117	2520.4	184.8	द०पू० स्यौंसू	चाँदपुर एफ०एम०	कृषि
106	118	4015.4	287.4	द०पू० स्यौंसू	चाँदपुर एफ०एम०	कृषि
107	119	3186.1	235.6	उ० पतोडी	गढ़वाल ग्रुप	कृषि
108	120	6364.2	452.5	उ० गिलमोंसी	गढ़वाल ग्रुप	कृषि

109	121	3987.7	248.0	उ०पू० चोपड़ा	चाँदपुर एफ०एम०	खुले क्षेत्र
110	122	3744.4	247.2	उ० पतोड़ी	गढ़वाल ग्रुप	कृषि
111	123	1366.9	141.2	उ०पू० पतोड़ी	गढ़वाल ग्रुप	कृषि
112	124	28892.5	830.2	उ०उ०प० चोपड़ा	चाँदपुर एफ०एम०	कृषि
113	125	3618.6	272.9	उ०पू० मैंगा	अपर देवबन एफ०एम०	कृषि
114	126	3454.0	249.1	प० मैंगा	डामटा एफ०एम०	कृषि
115	127	2168.3	174.8	द०प० मैंगा	मध्य देवबन एफ०एम०	स्पेस क्षेत्र
116	128	1071.9	142.7	द०प० सिरकोट	गढ़वाल ग्रुप	कृषि
117	129	4915.9	286.3	द०द०प० मैंगा	मध्य देवबन एफ०एम०	कृषि
118	130	33185.6	967.7	द० गैलाड़ी	अपर देवबन एफ०एम०	कृषि
119	131	12644.4	711.4	प० मैंगा	चाँदपुर एफ०एम०	स्पेस क्षेत्र
120	132	1691.2	181.4	द०द०पू० मैंगा	मध्य देवबन एफ०एम०	कृषि
121	133	1904.8	281.0	द० मैंगा	मध्य देवबन एफ०एम०	कृषि
122	134	4391.4	349.2	उ०प० मोन्टा	चाँदपुर एफ०एम०	स्पेस क्षेत्र
123	135	480.1	101.2	प० मैलुन्टा	अपर देवबन एफ०एम०	कृषि
124	136	2199.8	279.6	प० मैलुन्टा	अपर देवबन एफ०एम०	कृषि
125	137	4111.8	403.6	उ०उ०पू० मल्हियाना	चाँदपुर एफ०एम०	स्पेस क्षेत्र
126	138	6018.4	308.1	प० मैलुन्टा	अपर देवबन एफ०एम०	कृषि
127	140	6840.7	310.6	उ.पू० मैलगाँव	चाँदपुर एफ०एम०	खुले क्षेत्र
128	141	1380.5	142.4	पू० जगणी	अपर देवबन एफ०एम०	कृषि
129	143	3030.4	211.0	प०उ०प० मोन्टा	चाँदपुर एफ०एम०	खुले क्षेत्र
130	144	4577.3	245.8	प०उ०प० मोन्टा	चाँदपुर एफ०एम०	खुले क्षेत्र
131	146	2096.8	215.0	प०उ०प० मोन्टा	चाँदपुर एफ०एम०	घने वन
132	147	18035.5	650.7	पू०द०पू० मैलगाँव	चाँदपुर एफ०एम०	खुले क्षेत्र
133	149	32077.4	1017.0	उ०पू० सौंकरी	चाँदपुर एफ०एम०	कृषि
134	150	1477.9	177.3	उ०प० किन्सू	चाँदपुर एफ०एम०	कृषि
135	151	13635.6	573.7	द०प० चोपड़ा	चाँदपुर एफ०एम०	कृषि
136	152	706.2	129.3	उ०पू० मल्हियाना	चाँदपुर एफ०एम०	घने वन
137	153	1208.7	191.5	उ०प० किन्सू	चाँदपुर एफ०एम०	कृषि
138	154	6712.4	498.9	उ०पू० मल्हियाना	चाँदपुर एफ०एम०	घने वन
139	155	13960.0	147.1	उ० सौंकरी	चाँदपुर एफ०एम०	कृषि
140	156	2910.9	287.4	उ०प० सौंकरी	चाँदपुर एफ०एम०	कृषि
141	157	1671.4	176.7	उ०पू० किन्सू	चाँदपुर एफ०एम०	कृषि
142	158	1919.1	294.4	प०उ०प० किन्सू	चाँदपुर एफ०एम०	कृषि
143	159	9588.5	488.4	प०उ०प० सौंकरी	चाँदपुर एफ०एम०	कृषि
144	160	29495.3	1582.2	पू०द०पू० सौंकरी	चाँदपुर एफ०एम०	कृषि
145	161	35815.4	1612.0	द० किन्सू	चाँदपुर एफ०एम०	कृषि

146	162	7270.1	373.2	उ0उ0पू0 डॉंग	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
147	163	94526.2	1850.0	द0 किन्सू	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
148	164	3126.3	241.0	उ0पू0 डॉंग	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
149	165	4445.6	343.7	द0पू0 सौंकरी	चाँदपुर एफ0एम0	खुले वन
150	166	19916.2	881.0	द0द0पू0 सौंकरी	चाँदपुर एफ0एम0	खुले वन
151	167	17913.1	710.2	प0 डॉंग	चाँदपुर एफ0एम0	खुले वन
152	168	1012.4	162.2	द0 किन्सू	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
153	169	1619.5	181.3	प0द0प0 डॉंग	चाँदपुर एफ0एम0	खुले वन
154	170	22662.0	564.0	द0 गल्डियाना	चाँदपुर एफ0एम0	खुले वन
155	171	6788.3	518.8	द0 डॉंग	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
156	172	980.1	121.8	द0द0पू0 डॉंग	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
157	173	59128.8	1858.4	उ0 अलेरू	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
158	174	859.0	115.7	पू0 बनाली	मध्य देवबन एफ0एम0	कृषि
159	175	373.7	84.8	द0द0पू0 बामरी	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
160	176	183.3	63.0	द0पू0 बामरी	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
161	177	7052.9	317.3	द0 डॉंग	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
162	178	240.4	69.8	द0द0पू0 बामरी	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
163	179	20009.8	525.6	उ0 अलेरू	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
164	180	728.3	127.5	उ0पू0 कोटगा	मध्य देवबन एफ0एम0	कृषि
165	181	196.8	53.2	द0द0पू0 बनाली	मध्य देवबन एफ0एम0	कृषि
166	182	1864.3	241.2	उ0 अलेरू	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
167	183	752.0	149.5	उ0पू0 कोटगा	मध्य देवबन एफ0एम0	कृषि
168	184	15926.7	700.0	उ0पू0 कोटगा	मध्य देवबन एफ0एम0	कृषि
169	186	17353.5	581.5	पू0 कोट	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
170	187	3749.9	276.5	उ0प0 अलेरू	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
171	188	153424.6	1975.7	द0 तप्पू प्रतापनगर	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
172	189	4696.4	259.2	पू0द0पू0 कोटगा	मध्य देवबन एफ0एम0	कृषि
173	191	10315.2	455.9	द0द0पू0 तप्पू	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
174	192	665.5	100.8	पू0द0पू0 कोट	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
175	193	2979.2	366.7	प0द0प0 बासली	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
176	194	1848.8	158.1	द0प0 प्रतापनगर	मध्य देवबन एफ0एम0	कृषि
177	195	1149.1	142.9	द0पू0 कोट	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
178	196	0.5	5.3	प0द0प0 बासली	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
179	197	2290.0	175.7	प0 अलेरू	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
180	198	1780.4	183.7	द0प0 प्रतापनगर	मध्य देवबन एफ0एम0	कृषि
181	199	22108.8	771.5	द0द0पू0 डोबरा	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
182	200	5679.9	282.0	द0पू0 सिला	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि

183	201	5634.3	388.3	उ0पू0 परला	मध्य देवबन एफ0एम0	कृषि
184	202	5474.4	342.3	द0द0प0 डोबरा	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
185	203	3884.5	262.5	द0द0प0 डोबरा	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
186	204	2149.1	193.3	उ0पू0 परला	मध्य देवबन एफ0एम0	कृषि
187	205	2700.6	208.6	द0पू0 सिला	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
188	207	10565.4	371.8	द0पू0 सिला	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
189	208	36361.3	1667.2	पू0 बलोगी	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
190	209	26131.8	948.0	द0प0 रौलाकोट	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
191	210	8589.2	357.3	प0द0प0 रौलाकोट	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
192	211	4636.1	350.4	द0 रौलाकोट	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
193	212	8070.9	369.8	द0प0 रौलाकोट	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
194	213	33656.0	2238.8	द0प0 इन्डार	नौंट एफ0एम0	कृषि
195	214	52259.1	1065.9	द0प0 रौलाकोट	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
196	215	30811.8	3529.1	उ0उ0प0 सौड	अपर देवबन एफ0एम0	-
197	216	2781.5	334.3	पू0प0 बंगद्वार	कामठा एफ0एम0	खुले क्षेत्र
198	217	23240.9	661.4	पू0प0 मालीदेवल	चाँदपुर एफ0एम0	खुले वन
199	218	2841.9	269.2	पू0 सल्यूर	नौंट एफ0एम0	खुले वन
200	220	3906.8	287.3	उ0द0पू0 मालीदेवल	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
201	221	1374.0	208.7	प0उ0 डांबरी	नौंट एफ0एम0	खुले वन
202	222	833.3	124.8	द0पू0 सल्यूर	नौंट एफ0एम0	खुले वन
203	223	297.4	79.2	उ0 पथियाणा	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
204	224	3680.1	362.8	द0पू0 सल्यूर	नौंट एफ0एम0	खुले वन
205	225	2178.7	179.5	उ0उ0प0 पिलखी	गढ़वाल ग्रुप	स्पेस वन
206	226	784.3	186.7	उ0उ0प0 पिलखी	गढ़वाल ग्रुप	स्पेस वन
207	227	644.8	101.0	उ0प0 पिलखी	बेसिक इन्टरसिव	स्पेस वन
208	229	5665.9	423.5	उ0प0 पिलखी	बेसिक इन्टरसिव	कृषि
209	230	366.1	90.1	पू0द0पू0 रतवाड़ी	बेसिक इन्टरसिव	कृषि
210	231	18256.1	684.0	उ0प0 पिलखी	बेसिक इन्टरसिव	कृषि
211	232	1484.8	191.4	द0प0 जिन्दासू	नौंट एफ0एम0	कृषि
212	233	10875.2	438.1	द0पू0 मरोरा	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
213	234	3153.4	385.4	उ0उ0प0 घोन्टी	गढ़वाल ग्रुप	खुले वन
214	235	802.4	120.9	उ0प0 घोन्टी	गढ़वाल ग्रुप	खुले क्षेत्र
215	236	927.7	114.8	द0पू0 जालंगी	नौंट एफ0एम0	कृषि
216	237	2510.8	194.7	प0 बनठगाँव	नौंट एफ0एम0	कृषि
217	238	933.7	117.0	द0प0 जोलंगी	नौंट एफ0एम0	कृषि
218	239	5780.2	318.8	पू0 नकोट	नौंट एफ0एम0	कृषि
219	240	2193.0	247.7	द0पू0 जोलंगी	नौंट एफ0एम0	कृषि

220	241	7791.0	467.5	द०पू० जोलंगी	नौंट एफ०एम०	कृषि
221	242	4225.6	298.8	द० नकोट	नौंट एफ०एम०	कृषि
222	243	3265.3	262.1	उ०पू० मदननेगी	चौंदपुर एफ०एम०	कृषि
223	244	2876.4	209.6	द०द०पू० रामगाँव	अपर देवबन एफ०एम०	कृषि
224	245	16261.2	529.1	उ०पू० सारफल	अपर देवबन एफ०एम०	ब्लैन लैण्ड
225	246	531.9	91.3	उ०पू० मदननेगी	चौंदपुर एफ०एम०	कृषि
226	247	10641.4	394.8	उ०प० जख	नौंट एफ०एम०	कृषि
227	248	7302.0	389.4	उ०उ०पू० जोगियाणा	चौंदपुर एफ०एम०	खुले क्षेत्र
228	249	515.9	88.6	पू० मदननेगी	चौंदपुर एफ०एम०	कृषि
229	250	1242.3	197.2	पू०द०पू० सारफल	अपर देवबन एफ०एम०	खुले क्षेत्र
230	251	32117.0	838.2	पू० सारफल	अपर देवबन एफ०एम०	खुले क्षेत्र
231	252	35289.1	787.2	उ०प० जसपुर	अपर देवबन एफ०एम०	कृषि
232	253	38348.1	804.8	पू० सारफल	अपर देवबन एफ०एम०	खुले क्षेत्र
233	255	641.7	93.1	द० किरमानी	नौंट एफ०एम०	कृषि
234	256	5940.9	314.8	द० सारफल	अपर देवबन एफ०एम०	खुले वन
235	257	7912.9	381.9	उ०पू० जोगियाणा	चौंदपुर एफ०एम०	खुले क्षेत्र
236	258	440.9	99.6	उ०पू० जोगियाणा	चौंदपुर एफ०एम०	खुले क्षेत्र
237	259	4734.4	383.4	उ० जागर गाँव	नौंट एफ०एम०	कृषि
238	260	7469.9	590.6	द०पू० किरमानी	नौंट एफ०एम०	कृषि
239	261	2927.7	257.2	द०द०पू० किरमानी	नौंट एफ०एम०	कृषि
240	262	291.8	62.7	प०द०पू० किरमानी	नौंट एफ०एम०	कृषि
241	263	2239.8	229.5	प०द०प० बर्जनी	नौंट एफ०एम०	कृषि
242	264	3223.1	204.7	उ०प० जसपुर	नौंट एफ०एम०	कृषि
243	265	163.0	58.2	द०पू० सारफल	अपर देवबन एफ०एम०	खुले वन
244	266	7573.5	348.2	उ० डिकोला गाँव	चौंदपुर एफ०एम०	कृषि
245	267	903.9	148.7	द०पू० सारफल	अपर देवबन एफ०एम०	खुले वन
246	268	375.1	78.3	द०पू० सारफल	अपर देवबन एफ०एम०	खुले वन
247	269	1309.7	166.8	उ०पू० धामरस	चौंदपुर एफ०एम०	कृषि
248	270	381.3	102.5	द०पू० सारफल	अपर देवबन एफ०एम०	स्पेस वन
249	271	3692.3	350.3	द०द०पू० सारफल	अपर देवबन एफ०एम०	स्पेस वन
250	272	3911.9	312.9	पू० डिकोल गाँव	नौंट एफ०एम०	कृषि
251	273	1136.1	163.4	उ०पू० धामरस	चौंदपुर एफ०एम०	कृषि
252	274	1980.7	302.1	उ०प० सिरकोट	नौंट एफ०एम०	कृषि
253	275	214.8	53.3	द०पू० डिकोलगाँव	चौंदपुर एफ०एम०	कृषि
254	277	19245.7	909.1	उ०उ०पू० असेना	अपर देवबन एफ०एम०	घने वन
255	278	5941.5	498.0	उ०प० देवल	मध्य देवबन एफ०एम०	खुले क्षेत्र
256	279	4423.4	298.3	द०प० मणोगी	चौंदपुर एफ०एम०	कृषि

257	280	2347.9	202.0	द0प0 गणोगी	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
258	281	21834.0	1236.3	प0प0 देवल	मध्य देवबन एफ0एम0	खुले क्षेत्र
259	282	9426.9	741.4	उ0प0 देवल	मध्य देवबन एफ0एम0	कृषि
260	283	1517.3	148.7	उ0प0 देवल	मध्य देवबन एफ0एम0	कृषि
261	284	1817.7	180.5	द0 म्यूडा	मध्य देवबन एफ0एम0	खुले क्षेत्र
262	285	4220.9	382.9	द0 म्यूडा	मध्य देवबन एफ0एम0	खुले क्षेत्र
263	286	27136.2	821.7	द0 दमारा	चाँदपुर एफ0एम0	खुले क्षेत्र
264	287	392.5	88.4	प0 असोना	मध्य देवबन एफ0एम0	खुले क्षेत्र
265	289	4315.9	282.1	द0पू0 म्यूडा	मध्य देवबन एफ0एम0	घने वन
266	291	9211.2	419.3	उ0पू0 टिपरी	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
267	292	5232.2	270.5	उ0प0 देवल	मध्य देवबन एफ0एम0	खुले वन
268	293	2401.3	211.8	द0प0 असोना	मध्य देवबन एफ0एम0	घने वन
269	294	446.7	78.8	उ0पू0 देवल	मध्य देवबन एफ0एम0	घने वन
270	295	16498.4	562.9	पू0द0पू0 किमसारी	नौंट एफ0एम0	खुले क्षेत्र
271	296	24498.4	681.6	उ0प0 रतवाडी	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
272	297	7732.5	392.5	द0पू0 देवल	मध्य देवबन एफ0एम0	घने वन
273	298	1429.5	220.9	उ0उ0पू0 कण्डी	डामटा एफ0एम0	कृषि
274	299	1440.3	152.1	उ0प0 रतवाडी	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
275	300	3984.0	260.0	प0 बडकोट	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
276	301	25145.9	663.0	उ0उ0प0 स्यौंली	मध्य देवबन एफ0एम0	खुले वन
277	302	2554.0	267.4	उ0प0 गध्यौली	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि

संलग्नक–3

पर्यवेक्षण किये गये क्षेत्र में आने वाले पुराने सक्रिय स्लाईडों का विवरण

क्र0 सं0	स्लाईड नं0	क्षेत्रफल (वर्गमी0)	परिमाप (मी0 में)	अवस्थित नजदीकी स्थल	भौगोलिक स्थिति	उपयोगी भूमि / परिसीमांकन
1	30	43691.3	850.4	उ0पू0 कान्सी	डामटा एफ0एम0	घने वन
2	31	136476.4	1766.0	पू0 कान्सी	डामटा एफ0एम0	घने वन
3	34	737252.5	4795.0	पू0 गोजमेर	डामटा एफ0एम0	कृषि
4	35	197631.6	2906.0	पू0द0पू0 मल्डगाँव	गढ़वाल ग्रुप	खुले क्षेत्र
5	39	212549.6	2065.5	पू0द0 माली	गढ़वाल ग्रुप	खुले क्षेत्र
6	41	96770.7	2145.7	द0द0प0 बगोड़ी	गढ़वाल ग्रुप	खुले क्षेत्र
7	44	768139.2	4522.2	पू0 गी	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
8	55	193190.4	2989.7	उ0 माली	गढ़वाल ग्रुप	खुले क्षेत्र
9	139	316785.7	3545.9	उ0 मेलगाँव	चाँदपुर एफ0एम0	खुले क्षेत्र
10	142	39755.7	845.2	उ0 मोन्टा	डामटा एफ0एम0	घने वन
11	145	732371.0	3745.2	द0 मोन्टा	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
12	148	74543.4	1848.3	उ0पू0 ग्वाड	मध्य देवबन एफ0एम0	कृषि
13	185	77781.8	1077.1	उ0पू0 सिला	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
14	188	153424.6	1975.7	द0 चप्पू	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
15	190	201455.6	2057.5	उ0प0 डोबरा	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
16	206	60998.9	1091.7	उ0उ0पू0 पुन्डोगी	चाँदपुर एफ0एम0	कृषि
17	219	174874.2	1958.4	उ0पू0 बिन्दालू	चाँदपुर एफ0एम0	खुले वन
18	228	93345.3	1220.7	उ0 मरोरा	चाँदपुर एफ0एम0	खुले वन
19	254	356522.9	3769.7	उ0 जागर गाँव	नौंट एफ0एम0	कृषि
20	276	253871.5	2040.8	उ0पू0 बागी	चाँदपुर एफ0एम0	खुले क्षेत्र
21	288	640759.5	3824.6	द0प0 असेना	मध्य देवबन एफ0एम0	घने वन
22	290	1367215.0	5437.7	उ0उ0प0 टिपरी	चाँदपुर एफ0एम0	खुले क्षेत्र

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 2 विधान सभा / 345–19–9–2004–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर / ऑफसेट)।